वार्षिक रिपोर्ट और खाते

2020-2021

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)









गहरी खुदाई

उच्च लक्ष्य


गुंजन इको पार्क

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा
2020-21

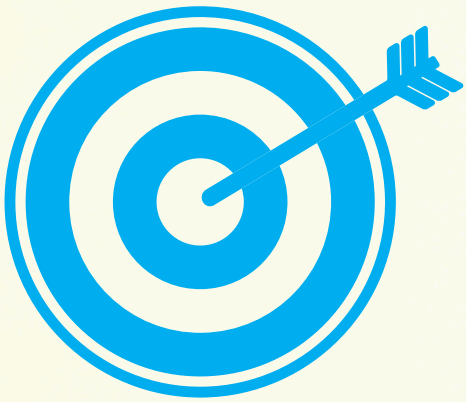


ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

www.easterncoal.nic.in

ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड



लक्ष्य

सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कुशलतापूर्वक और आर्थिक रूप से कोयले और कोयला उत्पादों की नियोजित मात्रा का उत्पादन और विपणन करना।



दृष्टि

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से सतत विकास प्राप्त करके प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरते हुए देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विषय सूची

क्र.सं.	सामग्री	पृष्ठ संख्या
1.	प्रबंधन	4
2.	बैंकर / लेखा परीक्षक	6
3.	वार्षिक आम सभा की सूचना	8
4.	अध्यक्ष का वक्तव्य	11
5.	परिचालन सांख्यिकी/वित्तीय स्थिति	18
6.	निदेशकों का परिचय	28
7.	बोर्ड की रिपोर्ट 2020-21	31
8.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन के उत्तर	130
9.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	148
10.	31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)	152
11.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण	154
12.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन विवरणी	156
13.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी	157
14.	कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	159
15.	तुलन-पत्र के भाग के रूप में टिप्पणियां	179
16.	लाभ और हानि विवरणी भाग के रूप में टिप्पणियां	200
17.	खातों पर अतिरिक्त टिप्पणियां	207

ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
बोर्ड के सदस्य
11 अगस्त, 2021 तक

कार्यात्मक निदेशक:

श्री प्रेम सागर मिश्रा	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री जयप्रकाश गुप्ता	:	निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना
श्री बी. वीरा रेड्डी	:	निदेशक (तकनीकी) संचालन
श्री गौतम चंद्र दे	:	निदेशक (वित्त)

अंशकालिक आधिकारिक निदेशक:

श्री अनिमेष भारती	:	आर्थिक सलाहकार, एमओसी, नई दिल्ली
श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी	:	निदेशक (विपणन), सीआईएल, कोलकाता

स्वतंत्र निदेशक:

श्री प्रवीण कांत

श्री अनिल कुमार गणेरीवाला

स्थायी आमंत्रित:

श्री उत्पल कांति बल	:	पीसीओएम, पूर्वी रेलवे

कंपनी सचिव:

श्री रामबाबू पाठक

ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

प्रबंधन 2020-21 के दौरान

श्री प्रेम सागर मिश्रा	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (20.08.2018 से)

कार्यात्मक निदेशक:

श्री जयप्रकाश गुप्ता	:	निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना (18.06.2018 से)
श्री विनय रंजन	:	निदेशक (कार्मिक) (16.08.2018 से)
श्री बी. वीरा रेड्डी	:	निदेशक (तकनीकी) संचालन (01.01.2020 से)
श्री गौतम चंद्र दे	:	निदेशक (वित्त) (03.03.2020 से)

अंशकालिक आधिकारिक निदेशक:

श्री अनिमेष भारती	:	आर्थिक सलाहकार, एमओसी, नई दिल्ली (17.03.2020 से)
श्री संजीव सोनी	:	निदेशक (वित्त), सीआईएल, कोलकाता (29.10.2019 से)

स्वतंत्र निदेशक:

श्री प्रवीण कांत	:	13.12.2018 से
श्री अनिल कुमार गणेरीवाला	:	10.07.2019 से

स्थायी आमंत्रित:

श्री उत्पल कांति बल	:	पीसीओएम, पूर्वी रेलवे (28.02.2019)

कंपनी सचिव:

श्री रामबाबू पाठक	:	01.07.2018 से

2020-21 के दौरान बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक	इंडियन बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	एक्सिस बैंक लिमिटेड
पंजाब नेशनल बैंक	केनरा बैंक	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड।	

2020-21 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षक

1 मेसर्स जी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी, 7ए, किरण शंकर राय रोड, दूसरी मंजिल, कोलकाता-700001

शाखा लेखा परीक्षक

2. मेसर्स एस.के. अग्रवाल एंड कंपनी, सुइट नंबर 606 से 608, द चैंबर्स, गीतांजलि स्टेडियम के सामने।, 1865 राजदंगा मेन रोड, कस्बा, कोलकाता-700107.
3. मेसर्स केशरी एंड एसोसिएट्स, 54 पिलखाना, तृतीय लेन, हावड़ा-711101
4. मेसर्स एडीडी एंड एसोसिएट्स, पी-168, सेक्टर-बी, मेट्रोपॉलिटन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता-700105
5. मेसर्स माहेश्वरी एंड एसोसिएट्स, गीतांजलि अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 6ए, 6वीं मंजिल, 8बी मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता-700071
6. मेसर्स एस.के. बासु एंड कंपनी, 20/5/2/2, बिस्वेश्वर बनर्जी लेन, हावड़ा-711101

2020-21 के दौरान लागत लेखा परीक्षक

1. मेसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी, 31, कम्यूनिटी केंद्र, अशोक विहार फेज 1, दिल्ली-110052
2. मेसर्स कृष्णा एंड कंपनी, कृष्णा नगर, बीसीसीएल टाउनशिप, धनबाद-826005
3. मेसर्स बी मंडल एंड एसोसिएट्स, 61/एच/15 राजा नबा कृष्णा स्ट्रीट, कोलकाता-700005
4. मेसर्स प्रसाद भूषण एंड एसोसिएट्स, ग्राउंड फ्लोर, अनुराग अपार्टमेंट, अशोक प्रस्थ, रांची, झारखंड, पिन- 834002

2020-21 के दौरान सचिवीय लेखा परीक्षक

1 मेसर्स जे.के. दास एंड एसोसिएट्स, दास विला, प्लॉट नंबर 883, बिजन कानन, ब्रह्मपुर, कोलकाता-700096

2020-21 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षक

1 मेसर्स कपूर भूषण एंड कंपनी, डीपी-55 मौर्य एन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
2 मेसर्स अमित रे एंड कंपनी, एच/जे-17/1, एस.एल. सारणी बागुलाटी, गौतमपुरा, अश्विनी नगर, कोलकाता-700059
3 मेसर्स अग्रवाल और ढंढरिया, 204-205, एसएनएस इंटेरियो, चौथी मंजिल, भातर आलथन रोड, गुजरात गैस पंप के पास, सूरत-395017
4 मेसर्स एस आर आई एसोसिएट्स, सेंट्रल प्लाजा, तीसरी मंजिल, गांगुली स्ट्रीट, कोलकाता-700012
5 मेसर्स अंकुर कुमार गुप्ता एंड कंपनी, 1/100 हाउसिंग बोर्ड, सीकर, राजस्थान
6 मेसर्स आर एन सिंह एंड कंपनी, 18, गिरि बाबू लेन, सुइट -3 ए; कोलकाता-700012
7 मेसर्स मित्र कुंडू और बसु, 344/3/2, एन.एस.सी. बोस रोड, अंकिता अपार्टमेंट, कोलकाता- 700047
8 मेसर्स पी पी बंसल एंड कंपनी, 480/34 हकीकत नगर, जनता कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा-124001
9 मेसर्स बी मुखर्जी एंड कंपनी, 30बी, रामकमल स्ट्रीट, कोलकाता-700023
10 मेसर्स सुजीत चक्रवर्ती एंड एसोसिएट्स, रोमोला विला, फ्लैट ए-3,17/7, जेम्स लॉन्ग सारणी, कोलकाता-700034
11 मेसर्स डी दास और कमालुद्दीन, मून प्लाजा, 62 लेनिन सारणी, तीसरी मंजिल, कोलकाता-700013
12 मेसर्स ए रॉय एंड एसोसिएट्स, 36/5, पी. मजूमदार रोड, सधुर बागान, हल्टू, कोलकाता-700078
13 मेसर्स एन सी मित्तल, बहल हाउस, 13 दरियागंज, नई दिल्ली-110002
14 मेसर्स सालारपुरिया एंड पार्टनर्स, 7, सीआर एवेन्यू, कोलकाता-700072
15 मेसर्स नीना माहेश्वरी एंड कंपनी, 49/51 एन के बनर्जी स्ट्रीट, रिशरा, हुगली, पश्चिम बंगाल-712248

पंजीकृत कार्यालय, सीआईएन और वेबसाइट

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीएमडी कार्यालय, सांक्टोरिया, डाकघर-दिशरगढ़, जिला- पश्चिम बर्दवान, पिन-713333,
पश्चिम बंगाल सीआईएन-U10101WB1975GOI030295
www.easterncoal.nic.in

निदेशक मंडल



श्री प्रेम सागर मिश्र
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक



श्री जे. पी. गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)/
योजना एवं परियोजना



श्री बी. वीरा रेड्डी
निदेशक (तकनीकी) संचालन



श्री गौतम चंद्र डे
निदेशक (वित्त)



श्री अनिमेष भारती
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक,
ईसीएल, आर्थिक सलाहकार,
कोयला मंत्रालय



श्री. सत्येंद्र नाथ तिवारी
निदेशक (विपणन), सीआईएल
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, ईसीएल



श्री प्रवीण कांत
अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड



श्री अनिल कुमार गनेरीवाला
अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड



श्री उत्पल कांति बाल
स्थायी आमंत्रित,
पीसीओएम, पूर्वी रेलवे



श्री रामबाबू पाठक
कंपनी सचिव

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रालय- डिसेरगढ़,
जिला- पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल-713333
कंपनी सचिवालय
सी.आइ.एन-U10101WB1975GOI030295
वेबसाइट – www.easterncoal.gov.in

EASTERN COALFIELDS LIMITED
Office of the Chairman-cum-Managing Director
Sanctoria, P.O.: Dishergarh,
Dist.: Paschim Bardhaman, West Bengal-713333
Company Secretariat
CIN-U10101WB1975GOI030295
Website – www.easterncoal.gov.in

टेलि-फैक्स: 0341-2520546
ई-मेल: companysecretary.ecl@coalindia.in

संदर्भ सं.: ईसीएल:सीएस:15(2021)/8366

7 अगस्त, 2021

46वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों की छियालीसवीं (46वीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 11 अगस्त, 2021 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, सीएमडी कार्यालय, सांक्टोरिया, पीओ-दिशरगढ़, पश्चिम बर्धमान, पिन- 713333, पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियामक प्रावधानों और परिपत्रों के अनुरूप आयोजित की जाएगी।

साधारण व्यावसायिक व्यय

1. 31 मार्च, 2021 तक लेखापरीक्षित तुलन पत्र, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाभ और हानि का विवरण, सभी नोटों के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट, वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरणों और महत्वपूर्ण लेखा नीति पर अतिरिक्त नोट्स, भारत के सांविधिक लेखापरीक्षक एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना।
2. श्री जयप्रकाश गुप्ता (डीआईएन-08174002) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति के लिए, निदेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के नाते, खुद की पुनर्नियुक्ति के लिए उपलब्ध हो।
3. श्री बी वीरा रेड्डी (डीआईएन-08679590) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति के लिए, निदेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के नाते, खुद की पुनर्नियुक्ति के लिए उपलब्ध हो।

विशेष व्यवसाय

4. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करने एवं विचार करने हेतु एवं यदि उपयुक्त हो तो संशोधन के साथ या बिना एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी के लागत लेखा परीक्षा कार्य करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अनुसार निम्नलिखित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

क्रमांक सं.	लागत लेखा परीक्षक का नाम	वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षा के लिए पारिश्रमिक (₹ में)
1	मेसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी	6,00,000.00
2	मेसर्स कृष्णा एंड कंपनी	5,72,000.00
3	मेसर्स बी मंडल एंड एसोसिएट्स	4,91,000.00
4	मेसर्स प्रसाद भूषण एंड एसोसिएट्स	2,46,000.00
	कुल योग: (उन्नीस लाख नौ हजार रुपये) मात्र	**19,09,000.00**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में उपरोक्त फर्मों की नियुक्ति रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा निर्देशित होगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(रामबाबू पाठक)(Rambabu Pathak)
प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव

दिनांक: 7 अगस्त, 2021
पंजीकृत कार्यालय:

सीआईएन-U10101WB1975GOI030295
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, पोस्ट- दिशेरगढ़
जिला- पश्चिम बर्धमान
पिन: 713333, पश्चिम बंगाल

टिप्पणी

1. जारी कोविड-19 महामारी को देखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ पठित और सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 क्रमशः कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। भारत सरकार (किसी भी सांविधिक संशोधन या तत्समय लागू होने वाले उसके पुन: अधिनियमन सहित) और अन्य लागू कानून और विनियम; बैठक में भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं। "), केवल ऐसे चरण में ही companysecretary.ecl@coalindia.in पर ई-मेल भेजकर बैठक में विचार की गई मदों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए। सदस्यों द्वारा प्राक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में, सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनी की अधिकृत मेल आईडी से पहले ही लिंक प्रदान किया जाएगा तथा बैठक के निर्धारित समय के 15 मिनट बाद तक एवं 15 मिनट पहले से लिंक खोल दी जाएगी ।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाना है और कंपनी की धारा 142(1) के अधिनियम, 2013 के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में निर्धारित तरीके से तय किया जाना है। कंपनी के सदस्यों ने 30 जुलाई 2001 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विशेष व्यवसाय के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
3. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

प्रतिलिपि

1. मेसर्स जी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, वैधानिक लेखा परीक्षक, 7-ए, किरण शंकर रे रोड, द्वितीय मंजिल, कोलकाता-700001
2. मेसर्स जे.के. दास एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स, दास विला, प्लॉट नंबर 883, बिजन कानन, पीओ- ब्रह्मपुर, बांसधरोनी, कोलकाता-700096
3. मेसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी, कॉस्ट ऑडिटर्स, 31, कम्युनिटी सेंटर, अशोक विहार फेज 1, दिल्ली-110052
4. सभी निदेशक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (i) के अनुसार विवरण

बुधवार, 11 अगस्त 2021 को होने वाली छियालीसवीं (46वीं) वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना के साथ संलग्न।

विशेष व्यवसाय: मद संख्या-4

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14(ए)(ii) के साथ पठित लागत लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक जैसा कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एवं शेयरधारकों द्वारा पुष्टि करने के उपरांत तय किया जाएगा।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ऑडिट कमेटी ने 24 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी 105 वीं बैठक में सिफारिश की और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 24 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी 333 वीं बैठक में आगामी एजीएम में अनुसमर्थित के उपरांत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित पारिश्रमिक के साथ लागत लेखा परीक्षक के रूप में निम्नलिखित लागत लेखाकार फर्मों की नियुक्ति को मंजूरी दी।

क्रम सं.	लागत लेखा परीक्षक का नाम	वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षा के लिए पारिश्रमिक (₹ में)
1.	मेसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी	6,00,000.00
2.	मेसर्स कृष्णा एंड कंपनी	5,72,000.00
3.	मेसर्स बी मंडल एंड एसोसिएट्स	4,91,000.00
4.	मेसर्स प्रसाद भूषण एंड एसोसिएट्स	2,46,000.00
	कुल: (उन्नीस लाख नौ हजार रुपये) मात्र	**19,09,000.00**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में उपरोक्त फर्मों की नियुक्ति रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा निर्देशित होगी। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। कंपनी के किसी भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों की इस संकल्प में कोई दिलचस्पी नहीं है। बोर्ड आपके अनुमोदन के लिए इस संकल्प की अनुशंसा करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(रामबाबू पाठक)/(Rambabu Pathak)
प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव

दिनांक: 7 अगस्त, 2021



अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

मित्र,

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं कंपनी की 46वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करता हूं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट और समीक्षा पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 14821.26 करोड़ के संचालन से शीर्ष पंक्ति का सकल राजस्व अर्जित किया है।

ऊर्जा किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए प्रमुख आदानों में से एक है, और कोयला भारत में ऊर्जा मिश्रण पर हावी है, जो कि देश की ऊर्जा जरूरतों का 56% से अधिक योगदान देता है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। हमारी कंपनी थर्मल ग्रेड कोयले के सर्वोत्तम गुणों में से एक का उत्पादन करती है जो देश के सभी क्षेत्रों के विभिन्न बिजली संयंत्रों के साथ-साथ स्पंज आयरन, सीमेंट, सीपीपी आदि जैसे अन्य क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है।

कंपनी का रणनीतिक दृष्टिकोण प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरना है, जो खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक रूप से स्थायी विकास प्राप्त करके देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

व्यापार रणनीति

कंपनी की व्यावसायिक रणनीति के एक हिस्से के रूप में वैश्विक चुनौतियों की पहचान की गई है और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। कंपनी में मिशन मोड में विभिन्न पहल शुरू की गई हैं जिसका उद्देश्य कंपनी के मिशन, विजन और उद्देश्य को फिर से परिभाषित करना है। कंपनी ने निम्नलिखित परियोजनाओं को मिशन मोड में शुरू किया है जिसका उद्देश्य कंपनी की छवि का कायापलट करना भी है:

1. मिशन सुदेश को वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है जिसके लिए ईसीएल वैश्विक चुनौतियों की सराहना करता है और समझता है जो "सतत विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता" के मुद्दे हैं और इसलिए, एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते, मिशन सुदेश का लक्ष्य है ईसीएल के लिए एक स्थायी और बेहतर भविष्य बनाना।
2. मिशन संजीवनी ईसीएल के कायाकल्प के लिए शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य "प्रणालीगत प्रगति, नई नौकरियां, एकीकृत व्यवसाय और नई पहल" है।

3. मिशन सुमित शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य "खनन और सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवस्थित उन्नयन" है। चूंकि लगभग सभी खानों में बहुत पुरानी पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा था, इसलिए सुमित परियोजना के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के साथ खनन और संबद्ध प्रक्रिया के एकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई।

4. देश में कोयला खनन की विरासतों की रक्षा, पुरातन इमारतों, पौधों, उपकरण, मशीनों, यंत्र, उपकरणों, विरासत प्रकृति के मॉडल के संग्रह के उद्देश्य से मिशन धरोहर की कल्पना की गई है।

5. . कंपनी की छवि के पुनर्जन्म के लिए कर्मचारियों के बीच एफआईटीई (निष्पक्षता, अखंडता और पारदर्शिता तथा समानता) की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन जटायु शुरू किया गया था।

6. मिशन संबंध को सभी हितधारकों और समुदाय तक समस्या समाधान और समाधान प्रदाताओं तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया है जो अंततः ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के सुचारू रूप से आने और ब्राउनफील्ड परियोजना को आसान बनाने में मदद करेगा।

7. देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों, त्योहारों, नृत्य, संगीत और जातीयता को आत्मसात करने के लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है। इस पहल के माध्यम से, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न अवसरों को अलग-अलग इकाइयों में मनाया जाता है, जिससे ईसीएल कर्मचारियों और उसके परिवार के सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना पैदा हुई है और ईसीएल के खुशी सूचकांक में भी वृद्धि हुई है।

8. मिशन सुदेश की छत्रछाया में, "सुदेश-मित्वा" नामक एक और मिशन शुरू किया गया है जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना है।

9. मिशन "मितावा" शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य उचित कार्य संस्कृति के विकास के साथ-साथ ओपनकास्ट और भूमिगत खानों दोनों में सभी उपकरणों और मशीनरी के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए "प्रेरित तकनीकों और कार्य एजेंसियों का रखरखाव" करना है।

10. मिशन "जागरण" शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करके "हरित विकास व्यवस्था त्वरित प्रकृति को प्राप्त करना" है। मिशन को 11 सितंबर, 2019 से 2 अक्टूबर, 2019 तक "स्वच्छता ही सेवा" अभियान के दौरान लॉन्च किया गया था।

11. संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए ईसीएल में "10 आर" नामक एक नई अवधारणा को "पुन: उपयोग", "मना करना", "रीसायकल", "पुनर्उद्देश्य", "फिर से भरना", "पुन: आविष्कार", "मरम्मत", "कम करना", "फिर से डिजाइन करना" और "नवीनीकरण" की श्रेणियों के तहत पेश किया गया है।

12. मांग का पता लगाने, कोयले के निर्यात, प्रणाली के सरलीकरण, गुणवत्ता का दोहन और आयात प्रतिस्थापन के लिए मिशन "देशी" शुरू किया गया है।

कोविड-19 महामारी से निपटना

आपकी कंपनी हमेशा समाज से जुड़ी रही है और निरंतर हाशिए वर्ग की मदद करती रही हैं। महामारी "कोविड-19" के प्रसार से उत्पन्न इन कठिन समय में, आपकी कंपनी बीमारी के खिलाफ लड़ाई और हितधारकों को सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रही है। महामारी से उत्पन्न स्थिति से संयुक्त रूप से लड़ने के लिए स्थानीय प्रशासन को जरूरतमंदों को भोजन और अनाज उपलब्ध कराने से लेकर वित्तीय मदद तक कई उपाय किए गए। समाज के सभी वर्गों की जरूरतों पर विचार किया गया। नागरिकों के लिए एक अच्छा कॉर्पोरेट होने के नाते ईसीएल ने कोयला खनन बिरादरी के तीन 'सी' यानी सह-कार्यकर्ता, कोलियरी और समुदाय की सुरक्षा पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है।

ईसीएल और उसके कमांड क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कोविड -19 महामारी के पहले उछाल के दौरान, ईसीएल ने माइकिंग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी उचित प्रोटोकॉल समय-समय पर अपने कर्मचारियों और आस-पास के समुदायों को परिचालित करता रहा, एवं अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों तथा आस-पास के समुदायों को जब भी विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ी उन्हें सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान किया जिसमें कि उसकी अपनी अस्पतालों में बुखार क्लीनिक में उपचार प्रदान करना भी सम्मिलित था ।

कोविड19 महामारी के दूसरे दौर के दौरान केंद्रीय अस्पतालों और विभिन्न संगरोध बिस्तरों में अलगाव बिस्तरों की व्यवस्था की गई थी। मार्च 2020 से कोविड 19 महामारी के पहले उछाल के बाद से, केंद्रीय अस्पतालों और अन्य स्थानों पर सात संगरोध केंद्रों में कुल 93 संगरोध बिस्तरों की व्यवस्था की गई थी। क्वारंटाइन बेड की उपरोक्त संख्या की व्यवस्था के अलावा, सीएच कल्ला में 60 (साठ) आइसोलेशन बेड के साथ कुल 120 आइसोलेशन

बेड की व्यवस्था की गई थी और सांकतोड़िया अस्पताल में आइसोलेशन बेड की संख्या 60 (साठ) के अलावा गंभीर रोगियों का उपचार के लिए 10 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई थी।

पिछले साल से सभी क्षेत्र के अस्पतालों और औषधालयों में फीवर क्लीनिक चल रहे हैं और सभी पात्र रोगियों को उनकी बीमारी की गंभीर प्रकृति पर विचार करते हुए विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, जब कभी भी आवश्यकता होती है, उन्हें आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान और कोलकाता में पैनलबद्ध सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में भेजा जाता है। COVID-19 की दूसरी लहर के बढ़ने के बाद, बीमारी की गंभीरता और पास के सूचीबद्ध अस्पतालों में बिस्तरों के संकट को देखते हुए, ईसीलएल में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या पहले ही बढ़ाकर 185 और गैर-ऑक्सीजन युक्त समर्पित COVID बिस्तरों की संख्या 64 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, सीएच कल्ला और सांक्टोरिया अस्पताल में दो केंद्रीय अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 10 आईसीयू बेड यानी प्रत्येक अस्पताल में पांच-पांच बेड स्थापित किए गए हैं और चालू किए गए हैं। हमारी कंपनी के डॉक्टरों और नर्सों द्वारा मरीजों को नियमित रूप से इन बिस्तरों में भर्ती और इलाज किया जा रहा है। हमने और 100 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर अपने ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या में भी वृद्धि की है। थर्ड वेव की तैयारी के लिए दोनों केंद्रीय अस्पतालों में 2 नंबर बेड के साथ पीडियाट्रिक आईसीयू भी स्थापित किया जा रहा है।

ईसीएल में कुल सात एएलएस एम्बुलेंस किराए के आधार पर शामिल की गई हैं, जिनमें से छह को पहले ही हमारी सहायक कंपनी के विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किया जा चुका है। इनका उपयोग गंभीर रूप से बीमार रोगियों को अस्पतालों में ले जाने के लिए नियमित रूप से किया जा रहा है।

राज्य सरकार की मदद से सीएच कल्ला टीकाकरण केंद्र में 1 फरवरी, 2021 से कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सिन के साथ टीकाकरण शुरू हो गया है, जहां पहले लाभार्थी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और फ्रंटलाइन कार्यकर्ता थे। इसके बाद 22 मार्च, 2021 से सैंक्टोरिया अस्पताल में एक और टीकाकरण केंद्र को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया। अब तक हमारी सहायक कंपनी में 12 (बारह) टीकाकरण केंद्र हैं। अब तक लगभग 14965 कर्मचारियों सहित 34000 से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है। टीकों की आपूर्ति बढ़ने के बाद टीकाकरण अभियान को गति मिलेगी।

आपरेशनल प्रदर्शन

ईसीएल ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 45.004 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ईसीएल ने भूमिगत खदानों से 9.309 मीट्रिक टन कोयले का और ओपनकास्ट खानों से 35.695 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया। इस प्रकार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल कोयला उत्पादन 45.004 मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.708% की नकारात्मक वृद्धि के साथ था। कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 0.619% की नकारात्मक वृद्धि के साथ 139.585 एमसीयूएम की सीमा तक ओवरबर्डन को भी हटा दिया, 14.75% की नकारात्मक वृद्धि के साथ 42.04 मीट्रिक टन कोयले का उठाव हुआ और 8.732% की नकारात्मक वृद्धि के साथ 3.397 टन की उत्पादकता हासिल की। पिछले वर्ष के मुकाबले ईसीएल ने भूमिगत कोयला उत्पादन में 1.118% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करना जारी रखा।

ईसीएल ने भूमिगत कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया और लगातार नौ वर्षों से लगातार सकारात्मक वृद्धि दर्ज करना जारी रखा। झांजरा परियोजना कोलियरी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 3.564 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया जो देश की किसी भी भूमिगत खदान से अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है और यह परियोजना की स्थापना के बाद से सबसे अधिक है। ईसीएल ने 30.03.2021 को 6.04 लीटर कम का ओबी हटाने का लक्ष्य हासिल किया जो कि स्थापना के बाद से किसी एक दिन में अब तक का सबसे अधिक ओबी निष्कासन है। आयात प्रतिस्थापन के तहत, ईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1.10 मीट्रिक टन के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.75 मीट्रिक टन भेजा है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 150 प्रतिशत की वृद्धि।

वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सकल बिक्री कारोबार पिछले वर्ष के 18192.36 करोड़ की तुलना में ₹ 14821.26 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 18.53% की कमी हुई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने (-) ₹ 1141.74 करोड़ की कर-पूर्व कुल व्यापक आय और पिछले वर्ष के पूर्व-कर कुल व्यापक की तुलना में (-) ₹ 994.06 करोड़ की कर-पश्चात कुल व्यापक आय अर्जित की थी, ₹ 1283.15 करोड़ की आय और कर-पश्चात कुल व्यापक आय ₹834.37 करोड़। 2019-20 के दौरान₹ 894.68 करोड़ के पूंजीगत व्यय के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय ₹ 1025.87 करोड़ (विनिमय उतार-चढ़ाव को छोड़कर) था। 31.03.2021 को कंपनी का नेट वर्थ ₹ 888.82 करोड़ था।

भूमिगत खानों का आधुनिकीकरण और मशीनीकरण

भूमिगत खानों में आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के स्तर को बढ़ाने के लिए 2020-21 तक ईसीएल की 57 खदानों में एलएचडी/एसडीएल लगाने वाली इंटरमीडिएट तकनीक शुरू की गई थी। 31.03.2021 तक, 237 एसडीएल, 39 एलएचडी, और 137 यूडीएम ईसीएल की विभिन्न भूमिगत खानों में रोल (समावेशी प्रारंभिक सर्वेक्षण-बंद उपकरण) पर थे। 2020-21 के दौरान, एसडीएल से प्राप्त उत्पादन 3.927 मीट्रिक टन, एलएचडी से 0.987 मीट्रिक टन और 2 रोड हैडर (लॉन्गवॉल पैकेज का हिस्सा) से 0.076 मीट्रिक टन था। शटल कार (7 सेट) के साथ कंटीन्यूअस माइनर को तैनात करके "मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी" को झंझरा, सरपी, कुमारडीह-बी यूजी और खोट्टाडीह यूजी परियोजनाओं में तैनात किया गया था और सफलतापूर्वक चल रहा है। 2020-21 के दौरान 4 स्टैंडर्ड हाइट कंटीन्यूअस माइनर और 3 लो हाइट कंटीन्यूअस माइनर से 3.319 एमटी का उत्पादन हुआ। झांजरा में, लॉन्गवॉल तकनीक अगस्त, 2016 से सफलतापूर्वक चल रही है और 2020-21 के दौरान उत्पादन 0.999 मीट्रिक टन (रोड हैडर को छोड़कर) था। कुल मिलाकर भूमिगत कोयला उत्पादन 2019-20 में 9.206 मीट्रिक टन से बढ़कर 2020-21 में 9.308 मीट्रिक टन हो गया, जो 1.11% की वृद्धि दर्ज करता है।

उपरोक्त के अलावा विविधीकरण/आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

क. कोयला तल मीथेन (सीबीएम) 22.09.2018 को एमडीओ अवधारणा के तहत ईसीएल बोर्ड द्वारा प्रशासनिक रूप से सतग्राम, कुनुस्तोरिया और श्रीपुर क्षेत्र के लीज होल्ड क्षेत्र को कवर करते हुए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार और अनुमोदित की गई है। सीएमपीडीआईएल को 08.05.2020 को सीबीएम के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में काम करने के लिए सम्मानित किया गया। सीएमपीडीआईएल ने एमओपी एंड एनजी के सुझावों के तहत हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय पर विचार करते हुए प्रस्ताव आमंत्रित करने और मॉडल राजस्व साझेदारी संपर्क के लिए संशोधित नोटिस तैयार किया और इसे अनुमोदन के लिए सीआईएल को भेजा।

ख. भूतल कोयला गैसीकरण (एससीजी) : ईसीएल बोर्ड ने 21.05.2020 को आयोजित अपनी 329वीं बैठक में "पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन और बहु प्रौद्योगिकी विकल्पों के लिए भूतल कोयला गैसीकरण के लिए पीएफआर की तैयारी" के लिए मेसर्स पीडीआईएल एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। मेसर्स पीडीआईएल ने 30.11.2020 को मसौदा पीएफआर प्रस्तुत किया। मेसर्स डेलॉइट द्वारा पीएफआर के मसौदे को समीक्षित कर 23.04.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। ईसीएल बोर्ड ने अपनी 338वीं बैठक में 14.05.2021 को ईसीएल में एससीजी परियोजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में सीएमपीडीआईएल की नियुक्ति के लिए समझौता ज्ञापन (एमओए) को मंजूरी दी। इसके बाद, 18.05.2021 को ईसीएल में एससीजी परियोजना के लिए पीआईए के रूप में सीएमपीडीआईएल की नियुक्ति के लिए ईसीएल और सीएमपीडीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और कार्य आदेश 11.06.2021 को जारी किया गया। मेसर्स पीडीआईएल ने 01.06.2021 को संशोधित पीएफआर प्रस्तुत किया जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ग. हाईवॉल माइनिंग: हाईवॉल माइनिंग को निम्चा और श्रीपुर कोलियरी में शुरू करने का प्रस्ताव है। हाईवॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत के लिए 25.07.2018 को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

घ. मैन राइडिंग सिस्टम: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल दस खदानें हैं जहां मैन राइडिंग सिस्टम चालू हैं अर्थात झंझरा (3 नंबर, फ्री स्टीयर व्हीकल); परसा, नीमचा, बंसरा, श्यामसुंदरपुर और चिनकुरी माइन III (प्रत्येक खदान में चेयरलिफ्ट सिस्टम) और चिनकुरी माइन- I (2 नंबर बैटरी लोकोमोटिव)। 2021-22 के दौरान, दो खानों में मैन राइडिंग सिस्टम के चालू होने की उम्मीद तथा निमचा और बंसरा, क्रमशः (प्रत्येक खदान में दूसरा सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम)।

ड. शटल कार (7 सेट) के साथ कंटीन्यूअस माइनर को तैनात करके "मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी" को झंझरा, सरपी, कुमारडीह-बी यूजी और खोट्टाडीह यूजी परियोजनाओं में तैनात किया गया है और सफलतापूर्वक चल रहा है। 2020-21 के दौरान 4 मानक ऊंचाई वाले कंटीन्यूअस माइनर और 3 नग से उत्पादन हासिल किया गया। कम ऊंचाई वाला कंटीन्यूअस माइनर 3.319 एमटी था। झांजरा में, लॉन्गवॉल तकनीक अगस्त, 2016 से सफलतापूर्वक चल रही है और 2020-21 के दौरान उत्पादन 0.999 मीट्रिक टन (रोड हैडर को छोड़कर) था। कुल मिलाकर भूमिगत कोयला उत्पादन 2019-20 में 9.206 मीट्रिक टन से बढ़कर 2020-21 में 9.308 मीट्रिक टन हो गया, जो 1.11% की वृद्धि दर्ज करता है।

परियोजना निर्माण

2020-21 में, 4 (चार) परियोजनाओं को ईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 3 (तीन) परियोजनाओं को सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

पर्यावरण पहल

पर्यावरण विभाग ईसीएल के पर्यावरण और वन संबंधी मामलों को देखता है। पर्यावरण पर कोयला खनन गतिविधियों के प्रभाव की नियमित निगरानी की जाती है और वैधानिक मानदंडों, अधिनियमों और नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त पर्यावरण सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी शर्तों के बेहतर पालन के लिए कदम उठाने के अलावा, कंपनी ने सतत विकास की दिशा में हरित पहल की है। यह आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और ओएचएसएएस 18001:2015 के साथ कंपनी-व्यापी प्रमाणन में परिणत हुआ है।

ईसीएल ने अपनी कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति तैयार और कार्यान्वित की है जो कोल इंडिया लिमिटेड की पर्यावरण नीति के अनुरूप है। ईसीएल की पर्यावरण नीति के तहत "ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) एकीकृत परियोजना योजना और डिजाइन के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करके सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, 10 आर (कम करें, रीसायकल, पुन: उपयोग, पुन: डिजाइन, पुनर्प्रयोजन, नवीनीकरण, मिशन सुदेश के कंपनी-व्यापी कार्यान्वयन के माध्यम से मरम्मत, पुनर्प्राप्ति, पुन: तैनाती और मना करना), प्रदूषण की रोकथाम/शमन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की बहाली, कचरे का उचित निपटान, जलवायु परिवर्तन और समावेशी विकास को एक मिशन मोड में संबोधित करना (सतत विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता)"।

कंपनी द्वारा समग्र रूप से किए गए विभिन्न पर्यावरणीय शमन उपायों की योजना बनाने, दिशानिर्देश तैयार करने, समय-समय पर निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए नए विचारों को उत्पन्न करने की दिशा में काम करने के लिए ईसीएल में "सतत विकास प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है। पर्यावरणीय शमन उपायों को सही और टिकाऊ तरीके से करने से आस-पास के क्षेत्रों में काम करने वाले और रहने वाले लोगों को बेहतर वातावरण मिलेगा और देश में कोयला क्षेत्र की समग्र छवि में भी सुधार होगा।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

हमारी सीएसआर पहलों ने ईसीएल के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वंचितों, भूमि विस्थापितों और परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए कल्याणकारी उपाय करके हमारे व्यवसाय को सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत किया। सीआईएल सीएसआर नीति के प्रावधान के अनुसार, फंड का 80% ईसीएल मुख्यालय/क्षेत्र/परियोजना के 25 किमी के दायरे में उपयोग किया जाना चाहिए और शेष 20% राज्य/प्रचालन के राज्य के भीतर खर्च किया जाएगा। इसने सुनिश्चित किया कि समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग को उनके विकास और स्थिरता का समर्थन करने के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त हो। वर्ष के दौरान शिक्षा को बढ़ावा देने, सार्वजनिक स्वास्थ्य और दिव्यांगजनों के कल्याण, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण आदि से संबंधित सीएसआर गतिविधियां शुरू की गई। वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹ 11.56 करोड़ खर्च किए गए।

कल्याण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने अपने कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए जीवन की गुणवत्ता, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और शैक्षिक सुविधाओं में सुधार के लिए ₹ 297.00 करोड़ का व्यय किया। ईसीएल ने कोल इंडिया लिमिटेड में पहली बार 2019-20 से 'सीआईएल छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन पोर्टल' लॉन्च किया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 418 छात्रों को 11,49,720.00 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 72 छात्रों को ₹ 50,79,015.00 की वित्तीय सहायता (ट्यूशन शुल्क और छात्रावास शुल्क की प्रतिपूर्ति) दी गई है।

सुरक्षा

हमने हमेशा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसे 'ज़ीरो हार्म' हासिल करने के लक्ष्य के साथ मुख्य उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए, ईसीएल ने मिशन "सुदेश" के तत्वावधान में वर्ष 2020-21 के दौरान कई उपायों को सख्ती से अपनाया है।दुर्घटनाओं, सुरक्षित प्रथाओं के लिए 2-3 मिनट की 10 लघु वीडियो क्लिप तैयार की गई और कर्मचारियों को सुरक्षा संस्कृति के बारे में जागरूक करने के लिए कर्मचारियों के बीच वितरित की गई। प्रत्येक खदान में प्री-शिफ्ट सेफ्टी टॉक अनिवार्य कर दी गई है। अन्य विषयों के बीच इन वार्ताओं में दुर्घटनाओं/घटनाओं के कारणों और ऐसी किसी भी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों के साथ-साथ कर्मचारियों के साथ दुर्घटनाओं और निकट चूक पर चर्चा की जाती है।

कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, बारह (12) सुरक्षा अभियान आयोजित किए गए, जिसमें आग और सहज ताप पर विचार-विमर्श किया गया, व्यक्ति के गिरने के कारण दुर्घटना की रोकथाम, विस्फोटकों के विस्फोट के कारण दुर्घटना की रोकथाम, दुर्घटना की रोकथाम के कारण

यूजी गैर-परिवहन मशीनरी, मानसून की तैयारी और ढलान / डंप निगरानी, भूमिगत ढुलाई प्रणाली का सुरक्षित संचालन, स्तर नियंत्रण और छत और साइड समर्थन, संविदात्मक एचईएमएम का सुरक्षित संचालन, विद्युत स्थापना और उपकरण, वीटी केंद्र और पीएमई केंद्र, स्तर की निगरानी और छत और साइड सपोर्ट आदि।

29.09.2020 को 135वीं सीएमडी की बैठक के निर्देशों के अनुसार कंपनी की सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए एक मंथन सत्र आयोजित किया गया था। सत्र के सुझावों को सभी खदानों में लागू किया गया और 23.11.2020 को विंडिंग इंजनों का संचालन करने वाले नौ यूजी खनन क्षेत्रों के अधिकारियों की भागीदारी में "वाइंडिंग इंस्टॉलेशन का रखरखाव और सुरक्षित संचालन" पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

18.01.2021 से 23.01.2021 तक ईसीएल सुरक्षा अधिकारियों के साथ सीआईएल अधिकारियों द्वारा "सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) और नौकरी सुरक्षा विश्लेषण (जेएसए) का अद्यतन, समीक्षा और कार्यान्वयन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके अलावा क्षेत्र की छह कैप्टिव खदानों सहित ईसीएल, पीएमई केंद्रों, वीटी केंद्रों की सभी खदानों में डीजीएमएस के मार्गदर्शन में दिनांक 08.02.2021 से 13.02.2021 तक सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। 28 अप्रैल, 2020 को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आईएलओ दिवस मनाया गया। वर्ष के दौरान विभिन्न खदानों में विभिन्न प्रत्याशित खतरों पर मॉक रिहर्सल भी आयोजित की गई।

ऊर्जा सरंक्षण

वर्ष के दौरान ईसीएल ने अपनी अधिकांश भूमिगत खानों में पावर फैक्टर में सुधार के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था। अलग-अलग रेटिंग के कैपेसिटर बैंक खरीदे और स्थापित किए गए हैं, जिनमें कम पावर फैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से अधिक डिमांड दोनों हैं। मार्च, 2021 तक ईसीएल की बिजली लागत ₹ 599.27 करोड़ है, जबकि मार्च, 2020 तक यह ₹ 599.60 करोड़ थी, यानी बिजली की लागत में ₹ 33 लाख की कमी आई है। मार्च, 2021 तक पावर फैक्टर रिबेट से शुद्ध लाभ ₹ 13.7503 करोड़ है, जबकि मार्च, 2020 तक ₹ 11.3561 करोड़ की तुलना में यानी 21.08% की वृद्धि हुई है।

मेसर्स एसेसलर एनर्जी एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता को ईसीएल मुख्यालय में 250 kWp रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा, मेसर्स एसेसलर रिन्यूएबल एनर्जी एलएलपी, कोलकाता को 18.02.2021 को 11 क्षेत्रों में ईसीएल के 26 अलग-अलग स्थानों पर 1415 kWp रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किया गया है (परियोजना लागत – ₹ 5.008 करोड़)

04.02.2021 को सीआईएल और ईईएसएल (एमओपी के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, सीआईएल और सहायक कंपनियां औद्योगिक रोशनी और बीईईपी सहित स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) का विकल्प चुन सकती हैं। ईईएसएल ने ईसीएल को बीईईपी के लिए ईएससीओ (एनर्जी सर्विस कंपनी) मोड को अपनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें सरकारी संगठन द्वारा किसी अग्रिम निवेश की आवश्यकता नहीं है और वसूली 5 वर्षों की अवधि में ऊर्जा बचत के माध्यम से होती है। ईसीएल में ई-वाहनों की शुरूआत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

औद्योगिक संबंध

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान औद्योगिक संबंध कंपनी में शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहे हैं। ईसीएल में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी कंपनी में विभिन्न स्तरों पर पूरी तरह से संचालित है। संयुक्त परामर्शदात्री समितियाँ कॉर्पोरेट, क्षेत्र और परियोजना/इकाई स्तरों पर कार्य कर रही हैं। जेसीसी की बैठकों में महत्वपूर्ण मुद्दों यानि अन्य समितियों/बोर्डों के अलावा उत्पादन, उत्पादकता आदि पर चर्चा की जाती है। हमारी कंपनी में सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड आदि भी कार्य कर रहे हैं। ट्रेड यूनियनें ऐसी समितियों में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और प्रबंधन और कर्मचारी के बीच विश्वास और सद्भावना को मजबूत करने के अलावा पारदर्शिता, जवाबदेही लाती हैं।

कंपनी नियंत्रण

ईसीएल संचालन के सभी क्षेत्रों में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, खुलापन और जवाबदेही और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अपने सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने, सभी हितधारकों के लिए सभी सामग्री जानकारी का समय पर और संतुलित प्रकटीकरण और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने जोखिम को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की एक मजबूत प्रणाली स्थापित की है और रणनीति के कार्यान्वयन में प्रबंधन को निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से भूमि के कानूनों, नियमों और विनियमों का

सही अर्थों में पालन किया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के तहत बोर्ड की रिपोर्ट में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक अलग सेक्शन जोड़ा गया है और वैधानिक से एक अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। लेखापरीक्षक आपकी कंपनी को वर्ष 2019-20 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में डीपीई द्वारा उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान की गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी, स्व-मूल्यांकन के अनुसार, आपकी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुपालन भी उत्कृष्ट रेटिंग पर रहा।

निष्कर्ष

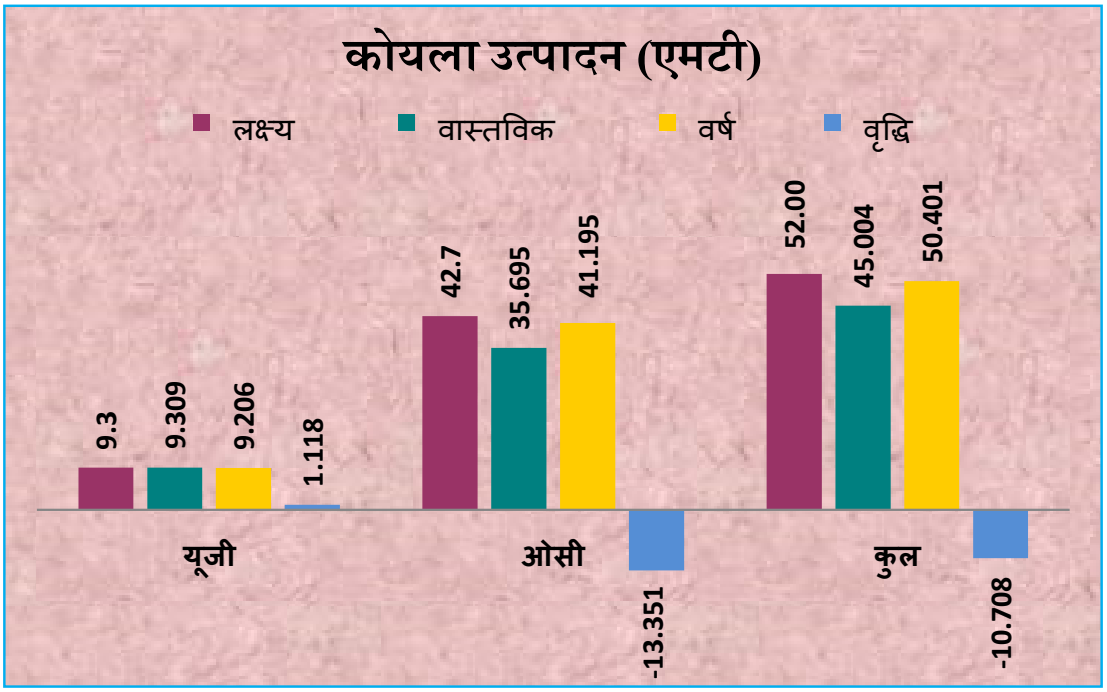
मैं कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, रेलवे, बैंकरों, सभी कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों, उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं अन्य हितधारकों को उनके निरंतर समर्थन और अथक सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07379202

सांकतोड़िया
दिनांक: 11 अगस्त, 2021

परिचालन सांख्यिकी

31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 कोयला उत्पादन (मिलियन टन)						
भूमिगत	9.309	9.206	9.06	8.60	8.13	7.33
खुली खदान	35.695	41.195	41.10	34.97	32.39	32.88
कुल:	45.004	50.401	50.16	43.57	40.52	40.21
2. ओवरबर्डन हटाना (मिलियन सह)	139.585	140.455	126.06	118.9	124.53	119.22
3. उठाव (कच्चा कोयला): (मिलियन टन)						
शक्ति	36.170	45.334	46.79	40.04	40.12	35.8
सीमेंट	0.093	0.076	0.04	0.06	0.05	0.08
कोलियरी की खपत	0.177	0.181	0.19	0.2	0.21	0.23
अन्य	5.60	3.725	3.39	3.33	2.64	2.5
कुल:	42.040	49.316	50.41	43.63	43.02	38.61
4. जनशक्ति	54866	57153	59698	61796	64029	66238
5. उत्पादकता (ओएमएस) (एमटी)						
भूमिगत	0.852	0.824	0.78	0.72	0.64	0.56
खुली खदान	15.374	17.358	17.02	14.32	12.9	12.42
कुल मिलाकर:	3.397	3.722	3.58	3.01	2.64	2.56
6. पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	1025.87	894.68	829.96	959.99	827.80	754.70
7. सकल बिक्री कारोबार (₹ करोड़ में)	14821.26	18192.36	18385.03	15250.11	14717.53	13514.18
8. नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	5415.79	6026.93	5126.04	4397.19	4876.79	5027.76
9. निवल मालियत (₹ करोड़ में)	888.82	1882.88	1048.51	342.13	1166.30	1145.53



आय और व्यय विवरण

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
		2021	2020	2019	2018	2017	2016 (पुन: स्थापित)
ए.	**से अर्जित**						
1	**सकल बिक्री (कोयला)**	**14,821.26**	**18,192.36**	**18,385.03**	**15,250.11**	**14,717.53**	**13,514.18**
	घटा: उत्पाद शुल्क और अन्य लेवी	4,564.87	5,368.62	5,470.68	4,770.24	5,202.41	3,903.97
2	**कुल बिक्री**	**10,256.39**	**12,823.74**	**12,914.35**	**10,479.87**	**9,515.12**	**9,610.21**
3. i	कोयला आयात के लिए सुविधा शुल्क	-	-	-	-	-	-
3. ii	रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी	0.12	-	-	23.93	91.41	84.75
3. iii	परिवहन और लदान लागत की वसूली (लेवी का शुद्ध)	306.10	337.10	352.05	233.88	229.78	184.09
3. iv	निकासी सुविधा शुल्क (लेवी का शुद्ध)	155.54	177.59	182.91	57.43	-	-
3. v	सेवाओं से राजस्व (लेवी का शुद्ध)	-	-	-	-	-	-
3	**अन्य परिचालन राजस्व (लेवी का शुद्ध)**	**461.76**	**514.69**	**534.96**	**315.24**	**321.19**	**268.84**
4. i	ब्याज आय	99.85	377.27	400.14	279.91	285.22	378.33
4. ii	म्यूचुअल फंड पर लाभांश	-	-	-	-	-	-
4.iii	अन्य गैर-परिचालन आय	288.18	252.64	58.04	246.50	180.72	140.49
4	**अन्य आय**	**388.03**	**629.91**	**458.18**	**526.41**	**465.94**	**518.82**
	कुल (ए)	**11,106.18**	**13,968.34**	**13,907.49**	**11,321.52**	**10,302.25**	**10,397.87**
बी.	**को भुगतान / के लिए प्रदान किया गया**						
1. i	वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस आदि।	5,900.62	5,832.43	5,651.13	5,731.97	5,157.50	4,661.70
1. ii	पीएफ में योगदान और पेंशन निधि	933.70	904.55	910.99	533.74	503.49	493.16
1. iii	उपहार	189.20	285.26	353.63	1,739.37	180.29	184.63
1. iv	नकदीकरण छोड़े	284.83	213.78	189.29	73.70	274.36	116.59
1. v	अन्य	509.11	439.30	343.43	337.11	320.94	253.87
1	**कर्मचारी लाभ व्यय**	**7,817.46**	**7,675.32**	**7,448.47**	**8,415.89**	**6,436.58**	**5,709.95**
2	उपभोग की गई सामग्री की लागत	720.07	681.90	721.71	656.99	693.25	738.60
3	तैयार माल/कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड की सूची में परिवर्तन	(300.71)	(86.86)	109.50	33.53	157.11	(186.24)
4	शक्ति और ईंधन	444.71	445.78	476.39	506.06	503.17	507.48
5	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	11.56	11.48	16.46	12.69	21.62	62.61
6	मरम्मत	117.33	134.43	141.12	153.41	156.94	134.41
7	संविदात्मक व्यय	1,941.23	1,974.85	1,930.38	1,587.39	1,591.80	1,367.92
8	**वित्त लागत**						
	छूट की समाप्ति	190.92	178.04	163.10	154.38	142.54	128.54
	अन्य वित्त लागत	2.88	0.17	-	-	-	-
9	मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि	493.85	434.35	494.98	443.99	323.89	318.15
10	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	1.27	286.92	456.24	274.04	(49.37)	(11.71)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
		2021	2020	2019	2018	2017	2016 (पुन: स्थापित)
11	प्रावधान और बट्टे खाते में डालना	27.89	95.53	8.28	(1.24)	(144.91)	90.25
12	अन्य खर्चे	544.98	635.08	642.47	551.12	454.31	414.72
	कुल (बी)	**12,013.44**	**12,466.99**	**12,609.10**	**12,788.25**	**10,286.93**	**9,274.68**
13	**असाधारण मदों और कर (ए-बी) से पहले लाभ/(हानि)**	**(907.26)**	**1,501.35**	**1,298.39**	**(1,466.73)**	**15.32**	**1,123.19**
14	असाधारण आइटम	-	-	-	-	-	-
15	**कर पूर्व लाभ/(हानि)**	**(907.26)**	**1,501.35**	**1,298.39**	**(1,466.73)**	**15.32**	**1,123.19**
16	कम: कर व्यय	(147.68)	503.70	549.62	(535.56)	9.19	397.58
17	**सतत संचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**	**(759.58)**	**997.65**	**748.77**	**(931.17)**	**6.13**	**725.61**
18	बंद परिचालन से लाभ/(हानि) (कर के बाद)	-	-	-	-	-	-
19	संयुक्त उद्यम/सहयोगी के लाभ/(हानि) में हिस्सा	-	-	-	-	-	-
20	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**	**(759.58)**	**997.65**	**748.77**	**(931.17)**	**6.13**	**725.61**
21	**अन्य व्यापक आय**						
	ए (i) आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(234.48)	(218.20)	(61.39)	163.63	36.58	99.50
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	-	54.92	19.00	(56.63)	(21.94)	(34.44)
	बी (i) आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-	-	-	-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-	-	-	-	-
22	**कुल अन्य व्यापक आय**	**(234.48)**	**(163.28)**	**(42.39)**	**107.00**	**14.64**	**65.06**
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (लाभ/(हानि) और वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय शामिल)	**(994.06)**	**834.37**	**706.38**	**(824.17)**	**20.77**	**790.67**
23	**इसके कारण लाभ:**						
	कंपनी के मालिक	(759.58)	997.65	748.77	(931.17)	6.13	725.61
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-	-
24	**अन्य व्यापक आय के कारण:**						
	कंपनी के मालिक	(234.48)	(163.28)	(42.39)	107.00	14.64	65.06
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-	-
25	**कुल व्यापक आय के कारण:**						
	कंपनी के मालिक	(994.06)	834.37	706.38	(824.17)	20.77	790.67
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-	-

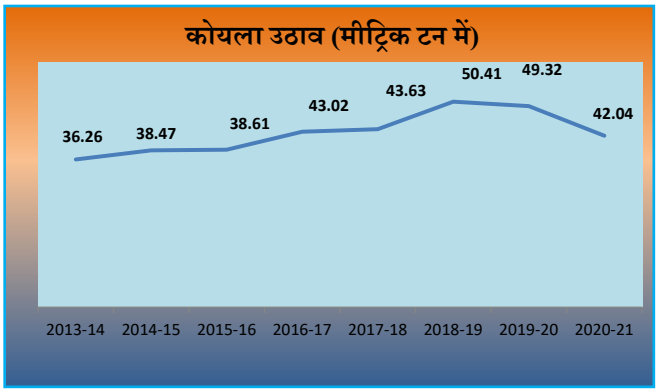
वित्तीय स्थिति

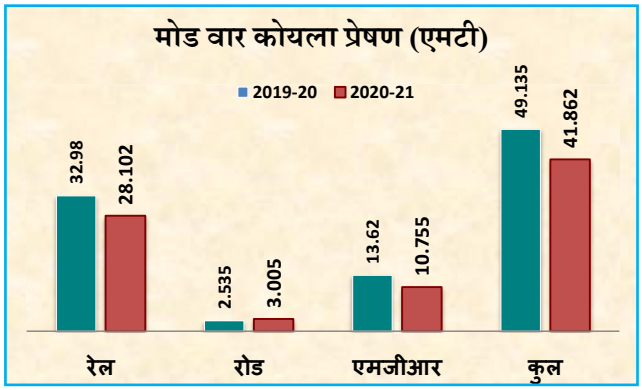
(रूपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
		2021	2020	2019	2018	2017	2016 (पुन: स्थापित)
	संपत्तियां						
ए.	**गैर तात्कालिक परिसंपत्ति**						
	ए. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,572.54	3,168.82	2,992.37	2,704.62	2,622.09	1,975.99
	बी. कैपिटल कार्य - प्रगति पर	587.28	473.31	303.54	352.67	382.78	561.01
	सी. अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति	655.46	615.75	600.00	528.08	117.65	87.77
	डी. अमूर्त संपत्ति	2.78	-	-	-	-	-
	इ. वित्तीय संपत्ति						
	i. निवेश	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ii. ऋण	0.02	0.05	0.09	0.13	0.15	0.36
	iii. अन्य वित्तीय संपत्ति	699.64	633.09	499.94	504.30	393.30	274.40
	एफ. आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	513.58	359.13	448.48	696.83	173.77	149.47
	जी. अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	759.92	665.13	187.35	159.19	122.35	156.00
	कुल गैर-वर्तमान संपत्ति (ए)	**6,791.30**	**5,915.36**	**5,031.85**	**4,945.90**	**3,812.17**	**3,205.08**
बी.	**वर्तमान संपत्ति**						
	ए. सूची	810.36	502.76	420.56	544.53	603.30	764.21
	बी. वित्तीय संपत्ति						
	i. निवेश	-	-	-	-	-	-
	ii. व्यापार प्राप्तियां	4,423.53	3,316.46	1,621.92	1,109.89	1,673.69	1,955.53
	iii. नकद और नकद समकक्ष	945.16	93.28	478.68	783.39	737.44	591.08
	iv. अन्य बैंक बैलेंस	566.50	3,873.27	4,186.82	3,870.36	3,228.64	3,432.06
	v. ऋण	-	-	-	-	-	-
	vi. अन्य वित्तीय संपत्ति	33.49	267.07	305.65	730.07	350.51	305.18
	सी. वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)	1,308.25	1,197.05	392.96	285.57	202.07	46.22
	डी. अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों	622.06	803.33	845.06	510.11	298.70	239.16
	कुल वर्तमान संपत्ति (बी)	**8,709.35**	**10,053.22**	**8,251.65**	**7,833.92**	**7,094.35**	**7,333.44**
	कुल संपत्ति (ए + बी)	**15,500.65**	**15,968.58**	**13,283.50**	**12,779.82**	**10,906.52**	**10,538.52**
	इक्विटी और देयता						
ए.	**हिस्सेदारी**						
1	**इश्यू, सब्स्क्राइब्ड और पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल**	**2,218.45**	**2,218.45**	**2,218.45**	**2,218.45**	**2,218.45**	**2,218.45**
2	**पूंजी मोचन रिजर्व**						
	ओपनिंग पर बैलेंस	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-
	इक्विटी शेयर का बायबैक	-	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-	-	-

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
		2021	2020	2019	2018	2017	2016 (पुन: स्थापित)
	समापन पर संतुलन	-	-	-	-	-	-
3	**वरीयता शेयर पूंजी का इक्विटी भाग**						
	ओपनिंग पर बैलेंस	855.61	855.61	855.61	855.61	855.61	855.61
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
	इक्विटी शेयर का बायबैक	-	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-	-	-
	समापन पर संतुलन	**855.61**	**855.61**	**855.61**	**855.61**	**855.61**	**855.61**
4	**जनरल रिजर्व**						
	खुलने पर शेष राशि	832.71	832.71	832.71	832.71	832.71	832.71
	जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
	इक्विटी शेयर का बायबैक	-	-	-	-	-	-
	बायबैक पर टैक्स	-	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-	-	-
	समापन पर संतुलन	**832.71**	**832.71**	**832.71**	**832.71**	**832.71**	**832.71**
5	**प्रतिधारित कमाई**						
	ओपनिंग पर बैलेंस	(2,004.92)	(3,002.57)	(3,751.34)	(2,820.17)	(2,826.30)	(3,548.71)
	समायोजन	-	-	-	-	-	(3.20)
	वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	(759.58)	997.65	748.77	(931.17)	6.13	725.61
	विनियोग	-	-	-	-	-	-
	जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
	अन्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
	अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
	कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
	इक्विटी शेयर का बायबैक	-	-	-	-	-	-
	बायबैक पर टैक्स	-	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-	-	-
	समापन पर संतुलन	**(2,764.50)**	**(2,004.92)**	**(3,002.57)**	**(3,751.34)**	**(2,820.17)**	**(2,826.30)**
6	**अन्य व्यापक आय**						
	ओपनिंग पर बैलेंस	(18.97)	144.31	186.70	79.70	65.06	-
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध)	(234.48)	(163.28)	(42.39)	107.00	14.64	65.06
	समापन पर संतुलन	**(253.45)**	**(18.97)**	**144.31**	**186.70**	**79.70**	**65.06**
7	**अन्य इक्विटी**	**(1,329.63)**	**(335.57)**	**(1,169.94)**	**(1,876.32)**	**(1,052.15)**	**(1,072.92)**
8	**कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण इक्विटी**	**888.82**	**1,882.88**	**1,048.51**	**342.13**	**1,166.30**	**1,145.53**
9	**गैर-नियंत्रित ब्याज**	-	-	-	-	-	-

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
		2021	2020	2019	2018	2017	2016 (पुन: स्थापित)
10	**कुल इक्विटी (ए)**	**888.82**	**1,882.88**	**1,048.51**	**342.13**	**1,166.30**	**1,145.53**
	देयता						
बी.	**गैर मौजूदा देनदारियों**						
	ए. वित्तीय देनदारियों	-	-	-	-	-	-
	i. उधारी	2,091.68	1,959.81	1,820.96	1,692.17	1,584.31	1,485.87
	ii. व्यापार देनदारियां	-	-	-	-	-	-
	iii. अन्य वित्तीय देयताएं	92.93	95.84	74.78	18.11	25.91	28.42
	बी. प्रावधानों	4,311.62	3,700.76	3,317.73	3,705.31	2,789.92	2,948.25
	सी. आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	-	-	-	-	-	-
	डी. अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	3.98	2.78	-	-	-	-
	कुल गैर-वर्तमान देयताएं (बी)	**6,500.21**	**5,759.19**	**5,213.47**	**5,415.59**	**4,400.14**	**4,462.54**
सी.	**वर्तमान देनदारियां**						
	ए. वित्तीय देनदारियों	-	-	-	-	-	-
	i. उधारी	0.12	368.16	-	-	-	-
	ii. व्यापार देनदारियां	1,028.73	1,181.90	1,728.81	473.49	105.07	128.40
	iii. अन्य वित्तीय देयताएं	1,603.89	1,657.03	351.82	290.42	538.94	383.38
	बी. अन्य वर्तमान देनदारियां	4,246.12	3,901.17	3,691.91	4,068.77	3,267.77	3,326.94
	सी. प्रावधानों	1,232.76	1,218.25	1,248.98	2,189.42	1,428.30	1,091.73
	डी. वर्तमान कर देयताएं (नेट)	-	-	-	-	-	-
	कुल वर्तमान देयताएं (सी)	**8,111.62**	**8,326.51**	**7,021.52**	**7,022.10**	**5,340.08**	**4,930.45**
	कुल इक्विटी और देयताएं (ए+बी+सी)	**15,500.65**	**15,968.58**	**13,283.50**	**12,779.82**	**10,906.52**	**10,538.52**



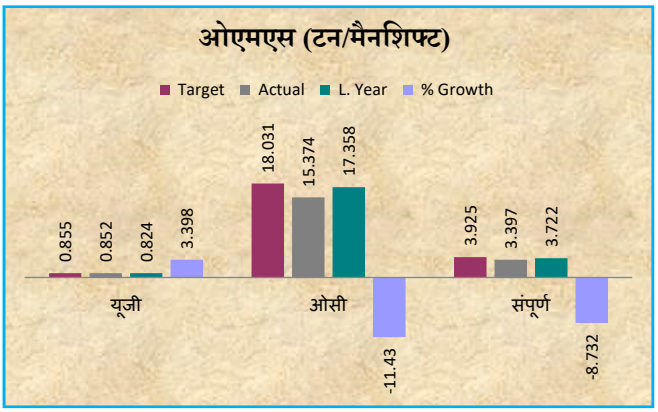


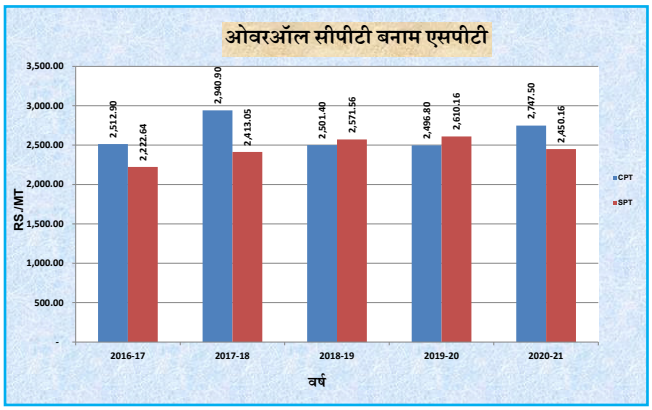
महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
		2021	2020	2019	2018	2017	2016 (पुन: स्थापित)
ए	**एसेट्स और लायबिलिटीज से संबंधित**						
1.i	1000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या	2,21,84,500	2,21,84,500	2,21,84,500	2,21,84,500	2,21,84,500	2,21,84,500
1.ii	**शेयरधारक की निधि**						
1.ii.ए	एक इक्विटी शेयर पूंजी	2,218.45	2,218.45	2,218.45	2,218.45	2,218.45	2,218.45
1.ii.बी.	रिजर्व (सामान्य और सांविधिक) (वरीयता शेयर के इक्विटी घटक सहित)	1,688.32	1,688.32	1,688.32	1,688.32	1,688.32	1,688.32
1.ii.सी.	संचित लाभ/(हानि) (OCI सहित)	(3,017.95)	(2,023.89)	(2,858.26)	(3,564.64)	(2,740.47)	(2,761.24)
	निवल मूल्य	**888.82**	**1,882.88**	**1,048.51**	**342.13**	**1,166.30**	**1,145.53**
1.ii.डी.	कैपिटल रिजर्व (बोनस शेयरों को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-
	अंशधारी निधि	**888.82**	**1,882.88**	**1,048.51**	**342.13**	**1,166.30**	**1,145.53**
2.i	वर्तमान परिपक्वताओं सहित लंबी अवधि के उधार	2,098.63	1,966.97	1,827.58	1,698.36	1,590.50	1,492.01
2.ii	वर्तमान परिपक्वताओं को छोड़कर लंबी अवधि के उधार	2,091.68	1,959.81	1,820.96	1,692.17	1,584.31	1,485.87
3.i	सकल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-	5,814.13	4,924.75	4,346.20	3,605.69	3,074.95	2,139.57
3.ii	संचित मूल्यह्रास/Im-युग्मन	2,241.59	1,755.93	1,353.83	901.07	452.86	163.58
3.iii	शुद्ध संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,572.54	3,168.82	2,992.37	2,704.62	2,622.09	1,975.99
4.i	वर्तमान संपत्ति	8,709.35	10,053.22	8,251.65	7,833.92	7,094.35	7,333.44
4.ii	वर्तमान देयताएं	8,111.62	8,326.51	7,021.52	7,022.10	5,340.08	4,930.45
4.iii	**शुद्ध वर्तमान संपत्ति / कार्यशील पूंजी**	**597.73**	**1,726.71**	**1,230.13**	**811.82**	**1,754.27**	**2,402.99**
5.i	**नियोजित पूंजी (3.iii + 4.iii)**	**4,170.27**	**4,895.53**	**4,222.50**	**3,516.44**	**4,376.36**	**4,378.98**
5.ii	शुद्ध पूंजी WIP, अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति और अन्य अमूर्त संपत्ति	1,245.52	1,089.06	903.54	880.75	500.43	648.78
5.iii	**सीडब्ल्यूआईपी सहित नियोजित पूंजी (5.i + 5.ii)**	**5,415.79**	**5,984.59**	**5,126.04**	**4,397.19**	**4,876.79**	**5,027.76**
6.i	व्यापार प्राप्तियां	4,423.53	3,316.46	1,621.92	1,109.89	1,673.69	1,955.53
6.ii	नकद और नकद समकक्ष	945.16	93.28	478.68	783.39	737.44	591.08
6.iii	अन्य बैंक शेष	566.50	3,873.27	4,186.82	3,870.36	3,228.64	3,432.06
7.i	कोयले का अंतिम स्टॉक (शुद्ध)	622.73	321.92	238.42	333.88	413.03	568.98
7.ii	स्टोर्स और स्पेयर्स का क्लोजिंग स्टॉक (नेट)	173.07	166.37	170.24	184.24	173.68	177.13
7.iii	अंतिम स्टॉक अन्य (नेट)	14.56	14.47	11.90	26.41	16.59	18.10

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
		2021	2020	2019	2018	2017	2016 (पुन: स्थापित)
बी.	**लाभ/(हानि) से संबंधित**						
1.i	सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	(219.61)	2,113.91	1,956.47	(868.36)	481.75	1,569.88
1.ii	सकल लाभ (पीबीआईटी)	(713.46)	1,679.56	1,461.49	(1,312.35)	157.86	1,251.73
1.iii	कर पूर्व लाभ	(907.26)	1,501.35	1,298.39	(1,466.73)	15.32	1,123.19
1.iv	वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ	(759.58)	997.65	748.77	(931.17)	6.13	725.61
1.v	शुद्ध लाभ (कर और लाभांश के बाद)	(759.58)	997.65	748.77	(931.17)	6.13	725.61
1.vi	कुल व्यापक आय	(994.06)	834.37	706.38	(824.17)	20.77	790.67
2.i	कोयले की सकल बिक्री	14,821.26	18,192.36	18,385.03	15,250.11	14,717.53	13,514.18
2.ii	शुद्ध बिक्री	10,256.39	12,823.74	12,914.35	10,479.87	9,515.12	9,610.21
2.iii	उत्पादन का बिक्री मूल्य	10,557.10	12,910.60	12,804.85	10,446.34	9,358.01	9,796.45
2.iv	संचालन से राजस्व (शुद्ध)	10,718.15	13,338.43	13,449.31	10,795.11	9,836.31	9,879.05
3	बेचे गए माल की लागत (शुद्ध बिक्री - पीबीटी)	11,163.65	11,322.39	11,615.96	11,946.60	9,499.80	8,487.02
4	कुल व्यय	12,013.44	12,466.99	12,609.10	12,788.25	10,286.93	9,274.68
4.i	कर्मचारी लाभ व्यय	7,817.46	7,675.32	7,448.47	8,415.89	6,436.58	5,709.95
4.ii	उपभोग की गई सामग्री की लागत	720.07	681.90	721.71	656.99	693.25	738.60
4.iii	शक्ति और ईंधन	444.71	445.78	476.39	506.06	503.17	507.48
4.iv	वित्त लागत	193.80	178.21	163.10	154.38	142.54	128.54
4.v	मूल्यह्रास / हानि / परिशोधन	493.85	434.35	494.98	443.99	323.89	318.15
5	प्रति माह सामग्री की औसत खपत	60.01	56.83	60.14	54.75	57.77	61.55
6.i	वर्ष के दौरान नियोजित औसत जनशक्ति	56,010	58,426	60,747	62,913	65,134	67,460
6.ii	सीएसआर व्यय	11.56	11.48	16.46	12.69	21.62	62.61
6.iii	प्रति कर्मचारी सीएसआर व्यय (₹)	2,063.92	1,964.88	2,709.60	2,017.07	3,319.31	9,281.06

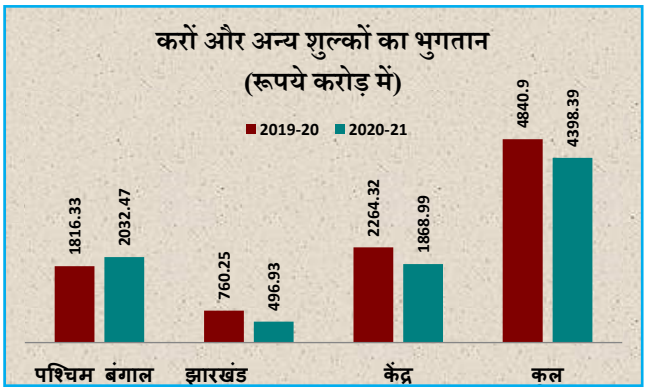


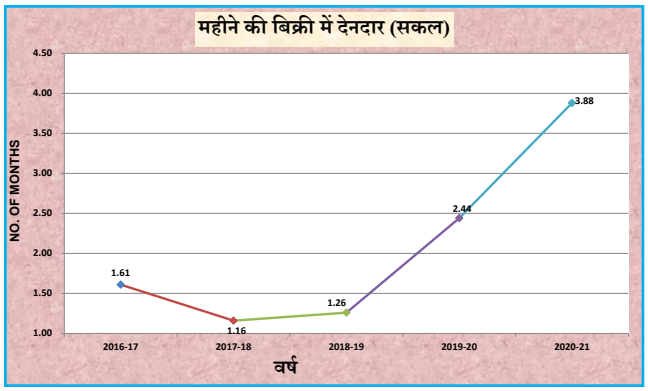


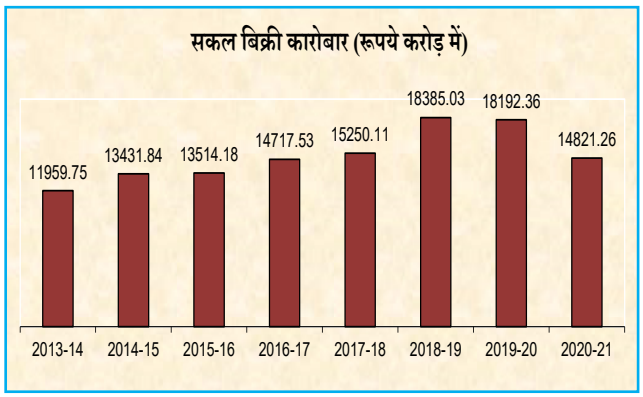
महत्वपूर्ण वित्तीय सापेक्ष अनुपात

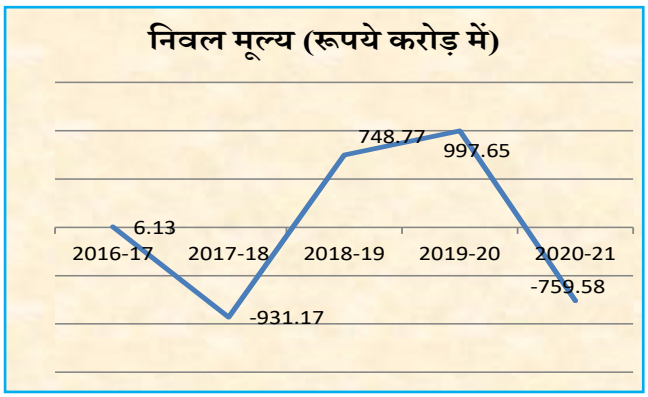
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
		2021	2020	2019	2018	2017	2016 (पुन: स्थापित)
क	**लाभप्रदता अनुपात**						
1	**शुद्ध बिक्री के% के रूप में**						
1.i	सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	(2.14)	16.48	15.15	(8.29)	5.06	16.34
1.ii	सकल लाभ (पीबीआईटी)	(6.96)	13.10	11.32	(12.52)	1.66	13.03
1.iii	कर पूर्व लाभ	(8.85)	11.71	10.05	(14.00)	0.16	11.69
2	**कुल व्यय के% के रूप में**						
2.i	कर्मचारी लाभ व्यय	65.07	61.57	59.07	65.81	62.57	61.56
2.ii	उपभोग की गई सामग्री की लागत	5.99	5.47	5.72	5.14	6.74	7.96
2.iii	शक्ति और ईंधन	3.70	3.58	3.78	3.96	4.89	5.47
3	**नियोजित पूंजी के% के रूप में (सीडब्ल्यूआईपी सहित)**						
3.i	सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	(4.05)	35.32	38.17	(19.75)	9.88	31.22
3.ii	सकल लाभ (पीबीआईटी)	(13.17)	28.06	28.51	(29.85)	3.24	24.90
3.iii	कर पूर्व लाभ	(16.75)	25.09	25.33	(33.36)	0.31	22.34
4	**ऑपरेटिंग अनुपात**	**1.09**	**0.88**	**0.90**	**1.14**	**1.00**	**0.88**
ख	**तरलता अनुपात**						
1	वर्तमान अनुपात (वर्तमान संपत्ति / वर्तमान देयता)	1.07	1.21	1.18	1.12	1.33	1.49
2	त्वरित अनुपात (त्वरित संपत्ति / वर्तमान देयता)	0.97	1.15	1.12	1.04	1.22	1.33
ग	**टर्नओवर अनुपात**						
1	पूंजी कारोबार अनुपात (सीडब्ल्यूआईपी सहित शुद्ध बिक्री / नियोजित पूंजी)	1.89	2.14	2.52	2.38	1.95	1.91
2	व्यापार प्राप्य (शुद्ध) महीनों की संख्या के रूप में						
2.i	सकल बिक्री	3.58	2.19	1.06	0.87	1.36	1.74
2.ii	शुद्ध बिक्री	5.18	3.10	1.51	1.27	2.11	2.44
3	शुद्ध बिक्री के अनुपात के रूप में						
3.i	व्यापार प्राप्तियां	0.43	0.26	0.13	0.11	0.18	0.20
3.ii	कोयला स्टॉक	0.06	0.03	0.02	0.03	0.04	0.06
4	कोयले का स्टॉक						
4.i	उत्पादन के महीने के बिक्री मूल्य की संख्या के रूप में	0.71	0.30	0.22	0.38	0.53	0.70
4.ii	बेचे गए माल की महीने की लागत की संख्या के रूप में	0.67	0.34	0.25	0.34	0.52	0.80
4.iii	महीने की शुद्ध बिक्री की संख्या के रूप में	0.73	0.30	0.22	0.38	0.52	0.71

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
		2021	2020	2019	2018	2017	2016 (पुन: स्थापित)
डी	**संरचनात्मक अनुपात**						
1	दीर्घकालिक ऋण : इक्विटी शेयर पूंजी	0.94	0.88	0.82	0.76	0.71	0.67
2	दीर्घकालीन ऋण : निवल मालियत	2.35	1.04	1.74	4.95	1.36	1.30
3	नेट वर्थ: इक्विटी	0.40	0.85	0.47	0.15	0.53	0.52
4	निवल अचल संपत्ति : निवल संपत्ति	4.02	1.68	2.85	7.91	2.25	1.72
ई	**शेयरधारक का हित**						
1	शेयरों का बुक वैल्यू (₹) (नेट वर्थ / इक्विटी शेयरों की संख्या)	400.65	848.74	472.63	154.22	525.73	516.37
2	लाभांश प्रति शेयर (₹)	-	-	-	-	-	-









निदेशकों का परिचय

श्री प्रेम सागर मिश्रा (56) (डीआईएन-07379202) 20 अगस्त, 2018 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं।

उन्होंने वर्ष 1987 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से बी.टेक (खनन) पूरा किया और वर्ष 1990 में योग्यता का प्रथम श्रेणी प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज (एनयूजेएस), कोलकाता से बिजनेस लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त किया है। वर्तमान में वह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी (सीएमए) कर रहे हैं। वह आईआईटी (आईएसएम), धनबाद से प्रबंधन अध्ययन में शोध विषय पर "कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स का प्रभाव मूल्यांकन - भारत में कोयला खनन उद्योग का एक केस स्टडी।" पीएचडी भी कर रहे हैं। वह वर्ष 1987 में एसईसीएल में शामिल हुए और सोलह वर्षों से अधिक समय तक एसईसीएल की कई खानों में विभिन्न प्रबंधकीय क्षमताओं में काम किया। उन्होंने लगभग पांच वर्षों तक सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की विभिन्न ओपन कास्ट खानों में उप मुख्य खनन अभियंता / परियोजना अधिकारी के रूप में भी काम किया। जून, 2008 में बीसीसीएल में पदस्थापित होने पर उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ ब्लॉक II क्षेत्र के महाप्रबंधक और बरौरा क्षेत्र के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। उन्हें नवंबर, 2015 में उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक (उत्पादन और योजना) के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री मिश्रा ने 2014 में आईआईएम, कलकत्ता, सेंट गैलेन विश्वविद्यालय, स्विट्जरलैंड और एसेक बिजनेस स्कूल पेरिस, फ्रांस में आयोजित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लिया है। वह विश्व खनन कांग्रेस 2011 में भाग लेने के लिए इस्तांबुल (तुर्की) में सीआईएल प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थे। उन्होंने प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद में प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम और एलबीएसएनएए, मसूरी में आईआईसीएम द्वारा संचालित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। उन्होंने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नेतृत्व, निर्णय लेने, परियोजना प्रबंधन और अन्य प्रबंधकीय तथा तकनीकी विषयों पर कार्यशालाओं में भाग लिया है।

श्री मिश्रा राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएम), भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान (आईआईएमएम), भारतीय खान प्रबंधक संघों (आईएमएमए), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), भारतीय खनन और इंजीनियरिंग फोरम और फेलो तथा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (एफआईई) के सक्रिय सदस्य भी हैं। वे 2010 से 2014 तक आईएसएम पूर्व छात्र संघ के महासचिव और 2011 से 2015 तक एमजीएमआई, धनबाद शाखा के महासचिव रहे। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर कई सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन और आयोजन किया है।

श्री मिश्रा एक उत्कृष्ट नेता रहे हैं और उन्होंने समग्र प्रदर्शन, उत्पादन, सुरक्षा, लाभ, स्टॉक परिसमापन, ओवरबर्डन हटाने और पारिस्थितिक बहाली के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने बरोरा क्षेत्र, बीसीसीएल में कोयला पर्यटन की अवधारणा और कार्यान्वयन किया था। वह विभिन्न शैक्षणिक और अन्य संस्थानों द्वारा निमंत्रण पर व्याख्यान देने के लिए एक संसाधन व्यक्ति रहे हैं। श्री मिश्रा ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कार्य प्रक्रिया में परिवर्तन लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में, ईसीएल में विभिन्न मिशनों की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य कंपनी की छवि का पुन: अवतार लेना है।

श्री मिश्रा ने वाद-विवाद, एक्सटेम्पोर, वाक्पटुता, निबंध लेखन, एथलेटिक्स और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में कई पुरस्कार जीते हैं। उन्हें फरवरी, 2019 में विश्व एचआरडी कांग्रेस द्वारा प्रतिष्ठित "एचआर ओरिएंटेशन के साथ सीईओ" पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें जनवरी, 2020 में भारतीय खान प्रबंधक संघ (आईएमएमए) के "उत्कृष्टता पुरस्कार" से सम्मानित किया गया है। हाल के दिनों में, "आर्थिक अध्ययन संस्थान" ने श्री मिश्रा को मार्च, 2020 में "लीडरशिप इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 और उद्योग रतन अवार्ड" में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है। श्री मिश्रा को एचआरडी इंडिया 2021 द्वारा "एचआर ओरिएंटेशन के साथ सीईओ" से भी सम्मानित किया गया है और 2021 में वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा एचआर ओरिएंटेशन अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया।

श्री अनिमेष भारती (55) (डीआईएन-07260983), आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में 17.03.2020 से सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वे 15.07.2015 से 17.03.2020 तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक भी थे। श्री भारती वर्ष 1993 में भारत आर्थिक सेवा में शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्योग, आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय भवन संगठन में वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर कार्य किया।

श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी (59) (डीआईएन-07911040) ने 1 दिसंबर, 2019 से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (विपणन) के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले श्री तिवारी सीआईएल मुख्य व्यवसायिक कार्यालय में महाप्रबंधक (विपणन और बिक्री) के रूप में तैनात थे। उन्हें 5 जुलाई, 2021 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से डिस्टिंक्शन के साथ बैचलर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और श्री तिवारी अपने बैच में तीसरे स्थान पर थे। उन्होंने इसी संस्थान से एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। श्री तिवारी ने हिंदुस्तान मोटर्स में टेस्ट इंजीनियर के रूप में एक छोटे से

कार्यकाल के बाद वर्ष 1986 में कोल इंडिया में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। कोल इंडिया में 33 साल से अधिक के करियर के साथ, उन्होंने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में एम एंड एस डिवीजन की विभिन्न क्षमताओं में काम करने वाले मार्केटिंग और सेल्स ऑपरेशंस के पूरे क्षेत्र में व्यापक प्रदर्शन हासिल किया है।

कोयला विपणन और बिक्री की पेचीदगियों में तीन दशकों से अधिक के पेशेवर अनुभव के आधार पर, श्री तिवारी ने बेहतर गुणवत्ता के साथ कोयले की बढ़ी हुई मात्रा की आपूर्ति को अपने प्राथमिकता के उद्देश्यों के रूप में निर्धारित किया है।

श्री प्रवीण कांत (67) (डीआईएन-00282716), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक मेसर्स पी.के. माहेश्वरी एंड कंपनी, नई दिल्ली के भागीदार के रूप में 1976 से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट का अभ्यास कर रहे हैं। उनके पास निजी कंपनियों के साथ-साथ पीएसयू और पीएसबी जैसे एनटीपीसी, सेल, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंकों और बीमा कंपनियों के ऑडिटिंग में 45 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्हें फोरेंसिक ऑडिट को संभालने का भी अच्छा अनुभव है।

वह वित्तीय सलाहकार के रूप में स्थापना से लेकर अंतिम रूप देने तक कई परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं। उन्हें आंतरिक लेखा परीक्षा, कराधान और कंपनी मामलों के क्षेत्र में भी अनुभव है। वह वर्तमान में विभिन्न निजी कंपनियों में निदेशक हैं। उन्हें 13.12.2018 से पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री अनिल कुमार गणेरीवाला (64) (डीआईएन-06372875) का जन्म वर्ष 1957 में हरियाणा के सिरसा में हुआ था। विज्ञान स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद, उन्होंने वनस्पति विज्ञान और वानिकी में परास्नातक किया और बाद में उन्होंने लोक प्रशासन में एम फिल भी किया। वह वर्ष 1986 में भारतीय वन सेवा (IFS) में शामिल हुए और 31 वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद वर्ष 2017 में सिक्किम सरकार के संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे ग्रामीण विकास, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन और आयुष के तहत सचिव, उप सलाहकार, उप सचिव, निदेशक और संयुक्त के रूप में भी कार्य किया। उन्हें प्रशासन और सतर्कता मामलों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने 2006-2008 तक नई दिल्ली में सिक्किम सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2008-2012 तक सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सिक्किम सरकार के रूप में भी कार्य किया, इस अवधि के दौरान उन्होंने सड़कों, आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे विभिन्न बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी और निगरानी की।

उन्हें वर्ष 2012 में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और 2017 तक मंत्रालय में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत और विदेशों में भारतीय चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के विकास और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय के दौरान, उन्होंने इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) के बोर्ड में भी काम किया। वर्तमान में वे 10.07.2019 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

श्री जयप्रकाश गुप्ता (58) ने दिनांक 18.06.2018 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना का कार्यभार ग्रहण किया।

श्री गुप्ता, 1983 में स्नातक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू/आईआईटी) से खनन इंजीनियरिंग में बी.टेक, जूनियर कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में शामिल हुए। उन्होंने एसईसीएल में विभिन्न पदों पर लगभग 23 वर्षों तक सेवा की और फिर वर्ष 2006 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में मुख्य प्रबंधक (खनन) के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने बीसीसीएल में विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना अधिकारी और महाप्रबंधक के रूप में 12 वर्षों तक सेवा की।

उन्हें मोटी सीम वर्किंग में केबल बोल्ट सपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1998 में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस विकास के लिए उन्हें एसईसीएल में सम्मानित भी किया गया था। परियोजना अधिकारी के रूप में उन्होंने आर-वी वर्जिन सीम में चिरिमिरी, एसईसीएल के एनसीपीएच कोलियरी में निरंतर माइनर को तैनात किया था, जो खदान की क्षमता को भूमिगत से 1 एमटी से अधिक तक बढ़ाने के लिए निर्धारित समय में सभी प्रमुख विकास गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा था। वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के तकनीकी मार्गदर्शन में श्री गुप्ता के नेतृत्व में सिजुआ क्षेत्र, बीसीसीएल की परियोजना तेतुलमारी में पारिस्थितिक बहाली पर पहली पायलट परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना ने 2014 में सीआईएल स्थापना दिवस पर प्रथम पुरस्कार जीता है। श्री गुप्ता की सीएसआर गतिविधियों में गहरी रुचि है। उनके नेतृत्व और झारखंड सरकार के तकनीकी सहयोग से, गरड़िया, महुलीडीह गाँव की 50 से अधिक महिलाओं ने हथकरघा बुनाई और कपड़ा निर्माण का प्रशिक्षण लिया, जो झारखंड सरकार की एक फर्म झारक्राफ्ट द्वारा कुछ पारिश्रमिक देकर ली जाती है।

उनके सक्षम मार्गदर्शन में, 21.05.2019 को एमओईएफ द्वारा हुरा 'सी' ओसीपी और चित्रा ईस्ट ओसीपी की चरण- II वन मंजूरी प्रदान की गई थी। साथ ही, 22.03.2020 को राजमहल विस्तार परियोजना की 17 एमटीवाई से 23.80 एमटीवाई तक की पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी। ये परियोजनाएं भविष्य में ईसीएल के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देंगी।

उनके गतिशील नेतृत्व में, बंकोला क्षेत्र ने 12 मार्च, 2021 को अब तक का सबसे अधिक एक दिवसीय उत्पादन हासिल किया और झंझरा क्षेत्र ने 1 अप्रैल, 2020 को अब तक का सबसे अधिक एक दिवसीय उत्पादन हासिल किया।

साथ ही, वर्ष 2020-21 में झांजरा क्षेत्र और बांकोला क्षेत्र दोनों में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन हासिल किया गया। इसके अलावा, उनकी प्रेरणा से, सोनपुर बाजारी क्षेत्र ने 29 अगस्त, 2020 को एक दिवसीय ओबी हटाने के साथ-साथ 10.38% की वृद्धि के साथ 2020-21 में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक ओबी रिमूवल हासिल किया।

श्री गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन से, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) कार्यक्रम के तहत, सोनपुर बाजारी क्षेत्र में एक नई रेलवे साइडिंग का संचालन किया गया है।

उन्होंने वर्ष 2011 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पर चीन का दौरा किया था। उन्हें भूमिगत मशीनीकरण और ओपनकास्ट खनन दोनों में व्यापक अनुभव है।

श्री बी वीरा रेड्डी (57) (डीआईएन-08679590) 01.01.2020 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) संचालन हैं। उन्होंने कोठागुडेम स्कूल ऑफ माइन्स (केएसएम), उस्मानिया यूनिवर्सिटी (ओयू) से डिस्टिंक्शन के साथ क्रमशः वर्ष 1986 और 2000 में बी.टेक (माइनिंग) और एम.टेक (माइन प्लानिंग) पूरा किया। उन्होंने वर्ष 1990 में योग्यता का प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। वह आईआईटी (आईएसएम), धनबाद में "गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्रों के लंबे दीवार पैनलों के स्तर व्यवहार को प्रभावित करने वाले भू-तकनीकी कारकों का प्रभाव- एक केस स्टडी" विषय पर पीएचडी भी कर रहे हैं।

वह वर्ष 1987 में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) में शामिल हुए और प्रतिष्ठित मैकेनाइज्ड भूमिगत और ओपनकास्ट खानों और एससीसीएल की कॉर्पोरेट परियोजना योजना में विभिन्न क्षमताओं में काम किया। उन्हें कोयला खनन, योजना, खरीद, संचालन और ग्रीन फील्ड परियोजनाओं की ग्राउंडिंग में लगभग 34 वर्षों का अनुभव है। वह परियोजना अधिकारी थे, बाद में निदेशक (तकनीकी) के रूप में ईसीएल में शामिल होने से पहले प्रतिष्ठित एड्रियाला लॉन्गवॉल प्रोजेक्ट (स्वचालित उच्च क्षमता लॉन्गवॉल), एससीसीएल के महाप्रबंधक के रूप में काम किया। इतनी पहली बार प्रौद्योगिकियों वाली इस परियोजना को भारत में पहली बार 2014 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और वर्ष 2019-20 में लगभग 2.06 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया है।

श्री रेड्डी को वर्ष 2001 में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी का पुरस्कार और एससीसीएल में वर्ष 2007 के लिए सर्वश्रेष्ठ सिंगरेनियाई पुरस्कार (उच्चतम क्रम) प्राप्त हुआ। उन्होंने यूके और फ्रांस (1994), ऑस्ट्रेलिया (2005 और 2016), चीन (2009), पोलैंड (2010), चेक गणराज्य (2010), ऑस्ट्रिया (2010), स्पेन (2010), जर्मनी (2010, 2012 और 2013) और कनाडा, पीडीएसी (2020) जैसे विभिन्न देशों में अत्यधिक उत्पादक खानों के प्रबंधन पर प्रशिक्षण लिया। उन्होंने आईआईएम-अहमदाबाद और अन्य प्रबंधन संस्थानों में आंतरिक प्रशिक्षण में भी भाग लिया है।

उन्होंने लगभग 30 तकनीकी पत्र भी लिखे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/पत्रिकाओं/सेमिनारों/कार्यशालाओं (ऑस्ट्रेलिया-2005, यूएसए-2017, चीन-2018) में प्रकाशित/प्रस्तुत किए गए थे। श्री रेड्डी विभिन्न पेशेवर निकायों जैसे माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमईएआई), इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (आईई) और इंडियन सोसाइटी फॉर रॉक मैकेनिक्स एंड टनलिंग (आईएसआरएमटी) के सदस्य भी हैं।

श्री गौतम चंद्र डे (59) (डीआईएन-08725907) ने 3 मार्च, 2020 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले उन्होंने 02.03.2019 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में कार्य किया। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के सदस्य भी हैं। श्री गौतम चंद्र डे को 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है और उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में कोयला उद्योग की सेवा की है।

श्री डे जनवरी, 1989 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में शामिल हुए। अपने पेशेवर करियर के दौरान, श्री डे ने सिस्टम विभाग के साथ मिलकर काम किया और रेल और सड़क बिक्री, संविदा परिवहन, कर्मचारियों की आयकर गणना आदि में परेशानी मुक्त प्रभावी नियंत्रण उपाय पेश किए एवं प्रणाली के माध्यम से विभिन्न वित्तीय उत्पादन उत्पन्न करने में समय और लागत की बचत करें। नवंबर, 2010 में आईपीओ/लिस्टिंग के समय कोल इंडिया लिमिटेड के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में वित्तीय विवरण में शामिल करने के लिए बीसीसीएल के पांच साल के खातों के पुनर्कथन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। श्री डे ने झारखंड और बिहार में चार नए कोयला ब्लॉक वाले विक्रमशिला क्षेत्र के वित्त प्रभारी के रूप में भी कार्य किया है। वह सीएमपीडीआईएल के साथ निकट समन्वय में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी खदान बंद करने के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में खदान बंद करने की योजना की वित्तीय जांच में भी शामिल रहे हैं और बीसीसीएल में एमसीपी के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्री उत्पल कांति बल (58) 1988 बैच के आईआरटीएस अधिकारी हैं। वह आईआईटी, खड़गपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में बी.टेक हैं। रेलवे में शामिल होने से पहले, उन्होंने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में काम किया है। श्री बल ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्थायी आमंत्रित हैं।

रेलवे में, उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और रेलवे संचालन में व्यापक ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने मुख्य माल परिवहन प्रबंधक/एन.एफ. रेलवे / मालीगांव, मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक / ईआर, अपर। मंडल रेल प्रबंधक/सियालदह/ईआर, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/इंजीनियर पीसीओएम/ईआर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे पीसीओएम/एस.ई.सी के रूप में तैनात थे। रेलवे/बिलासपुर जो भारतीय रेलवे का सबसे अधिक माल लदान क्षेत्र है। उन्होंने प्रबंधन पर सिंगापुर और मलेशिया में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स सीमित
देवी और सज्जनो,

मुझे, निदेशक मंडल की ओर से, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा, वैधानिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और प्रबंधन के उत्तर की रिपोर्ट के साथ ही ऑडिट किए गए खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां तथा आपकी कंपनी के कामकाज पर 46 वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करने में खुशी हो रही है।

विशेष उपलब्धियां

क. झांजरा परियोजना कोलीरी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 3.564 एमटी कोयले का उत्पादन किया जो देश की किसी भी भूमिगत खदान से सबसे अधिक उत्पादन है और यह परियोजना की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है।

ख. ईसीएल ने भूमिगत कोयला उत्पादन के लिए लक्ष्य हासिल किया और लगातार नौ वर्षों के लिए सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने में सक्षम रहा।

ग. कोविड प्रतिबंधों के बावजूद, मार्च 2021 के महीने के दौरान ₹ 3151.1 9 करोड़ की बिक्री प्राप्ति, कंपनी की शुरुआत के बाद से अब तक की एक महीने की सबसे ज्यादा बिक्री प्राप्ति है।

घ. ईसीएल ने 30.03.2021 को 6.04 लीटर कम ओबी को हटाने का लक्ष्य प्राप्त किया जो कि कंपनी की शुरुआत के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा ओबी हटाने की संख्या है।

ङ. परिहार्य व्यय को रोकने के लिए कठोर निगरानी और सतर्कता के परिणामस्वरूप अंडरलोडिंग शुल्क में कमी आई है वित्तीय वर्ष के दौरान ईसीएल द्वारा वित्त वर्ष की तुलना में 2020-21 में लगभग ₹ 6.92 करोड़ 2019-20

च. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बिजली घरों की मांग में एकाएक गिरावट आई। कोयला प्रेषण को बनाए रखने के लिए, फोकस को विभिन्न ई-नीलामी योजनाओं के माध्यम से गैर-विनियमित क्षेत्र के ग्राहकों में स्थानांतरित कर दिया गया था। नतीजतन, ईसीएल ने गैर-बिजली ग्राहकों के लिए ई-नीलामी के माध्यम से 4.65 मीट्रिक टन का उच्चतम प्रेषण हासिल किया। यह वित्तीय वर्ष 2019-20 (2.53 मीटर) से लगभग 84% की वृद्धि है।

छ. आयात प्रतिस्थापन के तहत, ईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1.10 एमटी के खिलाफ वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.75 मीटर की दूरी तय की है जो कि पिछले साल की तुलना में 150% अधिक है।

ज. सोनपुर बाजारी परियोजना में नव निर्मित रेलवे साइडिंग को 19 .03.2021 को चालू कर दिया गया है।

झ. पहली मील कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं के संबंध में, राजमहल सीएचपी (10 एमटीवाई) और झांजरा सीएचपी (5 एमटीवाई) के संबंध में 28.12.2020 को कार्य आदेश जारी किया गया थे।

ञ. झांजरा सीएचपी के मामले में, एलओए को निविदा खोलने की तारीख से 32 दिनों के रिकॉर्ड समय के भीतर जारी किया गया था।

ट. वैश्विक एजेंसी के चीनी कर्मियों के यात्रा प्रतिबंध के कारण मार्च, 2021 देश में उपलब्ध विशेषज्ञों की मदद से खोताडीह यूजी माइन, पांडवेश्वर क्षेत्र में मानक ऊंचाई निरंतर खनिक की लंबी लंबित कमीशन के तहत कोविड के कारण नौकरी से सम्मानित किया गया था।

ठ. ईसीएल और सीएमपीडीआईएल के बीच 08.05.2020 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें सीएमपीडीआईएल को 30 वर्षों तक ईसीएल के रानीगंज क्षेत्र से कोयला बिस्तर मीथेन (सीबीएम) के निष्कर्षण के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सौंपा गया था। यह ईसीएल की लिए ऐसी एक उपलब्धि है जिससे कि वह वैश्विक सीबीएम मानचित्र में शामिल हुआ ।

ड. सोनपुर बाज़ारी ओसीपी से कोयला सोर्सिंग के साथ सतह कोयला गैसीफिकेशन के लिए एक परियोजना ईसीएल में कल्पना की गई है। जून, 2020 में मेसर्स पीडीआईएल को "प्री-व्यवहार्यता अध्ययन की तैयारी और एकाधिक प्रौद्योगिकी विकल्पों के लिए सतह कोयला गैसीफिकेशन के लिए पीएफआर की तैयारी" के लिए सौंपा गया है।

ढ. भूमिगत खानों में रेत के लिए नदी के किनारे से रेत का निष्कर्षण नदी के किनारे और उसके इको सिस्टम को कम करने के परिणामस्वरूप होता है। नदी के किनारे की रेत को संरक्षित करने के लिए, ईसीएल में ओबी प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना करके अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करने के लिए भूमिगत खानों में आवाजों को भरने के लिए संसाधित ओवरबर्डन के उपयोग के लिए एक नई पहल की खोज की गई है।

ण. एचक्यू में वेतन / मजदूरी के डिजिटल भुगतान के लिए बुनियादी ढांचा 'डिजीधन योजना' के तहत डिजिटल भुगतान पर सरकारी नीति को लागू करने के लिए बनाया गया है।

त . भारत सरकार की 'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत नकद रहित लेनदेन के लिए कंपनी के मुख्यालय, क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों में पीओएस भुगतान प्रणाली स्थापित की गई है।

थ. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 2019-20 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन में "उत्कृष्ट" ग्रेडिंग प्राप्त की है, जो कि भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 2 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित हुई थी।

1.0 उत्पादन

1.1 पछिले वर्ष की तुलना के साथ-साथ 2020-21 में कंपनी के उत्पादन प्रर्दशन नम्निानुसार है :

विवरण	यूनिट	2020-21			2019-20	पिछले साल की वृद्धि	
		लक्ष्य	वास्तविक	हासिल	वास्तविक	पूर्ण	%
उत्पादन:		9.300	9.309	100.090	9.206	0.103	1.118
i) कच्चा कोयला –यूजी		42.700	35.695	83.595	41.195	-5.500	-13.351
-ओसी							
कुल	एम. टी.	52.000	45.004	86.546	50.401	-5.397	-10.708
ii) कोकिंग कोयला							
- ब्लेंडेबल		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- अन्य		0.015	0.015	100.000	0.026	-0.011	-42.307
iii) गैर-कोकिंग		51.985	44.989	86.542	50.376	-5.387	-10.694
2. ओबी निष्कासन	एम सीयूएम	160.00	139.585	87.240	140.455	-0.870	-0.619
3. उत्पादकता (ओएमएस)	टन						
-भूमिगत		0.855	0.852	99.720	0.824	0.028	3.398
- ओपनकास्ट		18.031	15.374	85.264	17.358	-1.984	-11.430
- कुल मिलाकर		3.925	3.397	86.548	3.722	-0.325	-8.732



2020-21 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

1.2 कोयला उत्पादन में बाधाएं:

क्रम सं.	उत्पादन में नुकसान का कारण	मात्रा (एमटी)
1.	भूमि अधिग्रहण / वानिकी निकासी	2.898
2.	थोक विस्फोटक की कमी	1.500
3.	अत्यधिक वर्षा के कारण पानी का लॉगिंग	1.251
4.	अम्फान चक्रवात प्रभाव	0.189
5.	आईआर समस्या / हड़ताल	0.170
6.	कोविड के कारण लॉकडाउन प्रतिबंध	0.100
7.	अन्य	0.888
	कुल	**6.996**

1.3 सिस्टम क्षमता उपयोग:

(आंकड़े प्रतिशत में)

विवरण	2020-21			2019-20
	लक्ष्य	वास्तविक	हासिल	वास्तविक
क) यूजी	94.397	94.486	100.094	92.013
ख) ओसी (विभाग) एनसीवी।	87.917	80.486	91.548	64.568
ग) ओसी (किराए पर) एनसीवी।	100.000	84.034	84.034	93.658
घ) ओसी (विभाग + किराए पर लिया गया) एनसीवी।	97.460	84.036	86.226	86.760
ङ) कुल [यूजी + ओसी (डी)]	88.782	82.354	92.760	67.973
च) कुल मिलाकर (यूजी + ओसी) (किराए पर + विभाग)	97.364	84.364	86.648	87.891

1.4 वर्ष 2020-21 के लिए एमओयू लक्ष्य की उपलब्धि की स्थिति

क्रम सं.	प्रदर्शन मापदंड	माप में इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
1.	कोयला उत्पादन	एमटी	52.00	45.004
2.	पिछले वर्ष की तुलना में ओसी खानों (विभागीय) के उपकरण क्षमता उपयोग में सुधार	%	7.15	22.00
3.	पिछले वर्ष की तुलना में यूजी खानों (विभागीय) के उपकरण क्षमता उपयोग में सुधार	%	4.90	2.69
4.	ओवरबर्डन हटाने (ओबीआर)	एम. कम.	160.00	139.585

2.0 वित्तीय परिणाम

2.1 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सकल बिक्री कारोबार पिछले वर्ष में ₹ 18,192.36 करोड़ की तुलना में ₹ 14,821.26 करोड़ रुपये था जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के मुकाबले 18.53% की कमी आई थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने पिछले साल के पूर्व-कर कुल व्यापक की तुलना में (-) ₹ 1,141.74 करोड़ रुपये की कुल व्यापक आय और एक कर की कुल व्यापक आय (-) ₹ 994.06 करोड़ की कुल व्यापक आय बनाई थी ₹ 1,283.15 करोड़ की आय और ₹ 834.37 करोड़ रुपये की कुल व्यापक आय। विवरण नीचे दिए गए हैं –

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
लाभ (+) / हानि (-) सभी खर्चों को चार्ज करने के बाद लेकिन पीआरपी / कार्यकारी सुपरन्यूएशन लाभ, ब्याज, मूल्यह्रास, हानि, ओबीआर, पूर्व अवधि समायोजन से पहले।	42.72	2643.43
कम: पीआरपी / कार्यकारी सुपरन्यूएशन लाभ का प्रभाव	80.61	125.91
कम: बीमांकिक प्रावधान	414.93	334.89
कम: वित्त लागत	193.80	178.21
कम: वित्त लागत	493.85	434.35
कम: ओबीआर समायोजन	1.27	286.92
ब्याज और मूल्यह्रास, हानि और ओबीआर समायोजन चार्ज करने के बाद वर्ष के लिए कुल व्यापक आय।	-1141.74	1283.15
नकद लाभ	-49.77	2572.41
कर के बाद कुल व्यापक आय	-994.06	834.37

2.2 पूंजीगत व्यय

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल पूंजी व्यय 201 9-20 के दौरान ₹ 894.68 करोड़ के पूंजी व्यय के मुकाबले ₹ 1,025.87 करोड़ (विनिमय उतार-चढ़ाव को छोड़कर) था

2.3 पूंजीगत संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020–21	2019–20
क. शेयर पूंजी:		
i) अधिकृत शेयर पूंजी (2,50,00,000 ईक्यू। ₹1000 के प्रत्येक और ₹ 1000 प्रत्येक के 2,10,00,000 वरीयता शेयर)।	4600.00	4600.00
ii) सवार इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक ₹ 1000 के 2,21,84,500 शेयर)	2218.45	2218.45
iii) अन्य इक्विटी (भुगतान किए गए 6% गैर-परिवर्तनीय, संचयी, रिडीम करने योग्य वरीयता शेयर, पूरी तरह से भुगतान (प्रत्येक ₹ 1000 प्रत्येक के 20509700 शेयर) का इक्विटी भाग)	855.61	855.61
ख. ऋण निधि:		
i. निर्यात विकास निगम, कनाडा	160.04	171.98
ii. यौगिक वित्तीय उपकरण के देयता घटक (6% शेयर)	1938.59	1794.99

2.4 विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020–21	2019–20
सीआईएल के माध्यम से विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान	6.98	6.61

2.5 वर्ष के दौरान रॉयल्टी, सेस, सामान और सेवा कर आदि का भुगतान / समायोजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21				2019-20			
	पश्चिम बंगाल	झारखंड	केंद्र	कुल	पश्चिम बंगाल	झारखंड	केंद्र	कुल
i) पश्चिम बंगाल के संबंध में जीएसटी								
क. आईजीएसटी	-	-	115.91	115.91	-	-	161.66	161.66
ख. सीजीएसटी	-	-	20.11	20.11	-	-	26.48	26.48
ग. एसजीएसटी	20.11	-	-	20.11	23.06	-	-	23.06
घ. मुआवजा	-	-	1,003.94	1,003.94	-	-	1,157.69	1,157.69
ii) झारखंड के संबंध में								
क. आईजीएसटी -	-	-	0.03	0.03	-	-	0.03	0.03

विवरण	2020-21				2019-20			
	पश्चिम बंगाल	झारखंड	केंद्र	कुल	पश्चिम बंगाल	झारखंड	केंद्र	कुल
ख. सीजीएसटी-	-	-	58.58	58.58	-	-	72.37	72.37
ग. एसजीएसटी-	-	58.58	-	58.58	-	72.37	-	72.37
घ. मुआवजा सेस -	-	-	670.42	670.42	-	-	835.68	835.68
iii) कोयला 20.7 9 पर रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ	20.79	422.20	-	442.99	23.03	644.81	-	667.84
iv) फिर से और पीई सेस	1,983.85	-	-	1,983.85	1,767.72	-	-	1,767.72
v) अम्बह सेस	2.29	-	-	2.29	2.23	-	-	2.23
vi) पीडब्ल्यू और रोड सेस	5.43	-	-	5.43	-	-	-	-
vii) बिक्री कर (वैट / सीएसटी) -	-	2.80	-	2.80	0.29	4.83	-	5.12
viii) उत्पाद शुल्क ड्यूटी -	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) स्वच्छ ऊर्जा सेस -	-	-	-	-	-	-	-	-
x) कोयले पर उत्पाद शुल्क -	-	-	-	-	-	-	10.41	10.41
xi) प्रवेश कर -	-	-	-	-	-	-	-	-
xii) प्रबंधन शुल्क -	-	2.16	-	2.16	-	1.57	-	1.57
xiii) बाज़ार शुल्क -	-	4.42	-	4.42	-	36.67	-	36.67
xiv) कोविड सेस -	-	6.52	-	6.52	-	-	-	-
xv) पारगमन परमिट शुल्क -	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-
कुल	**2,032.47**	**496.93**	**1,868.99**	**4,398.39**	**1,816.33**	**760.25**	**2,264.32**	**4,840.90**

2.6 निदेशकों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के उपधारा (5) के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल बताते हैं और पुष्टि करते हैं कि:

क. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, सभी लागू भारतीय लेखा मानकों के बाद भौतिक प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया था;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय लिया और अनुमान लगाया कि वित्तीय वर्ष और लाभ के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति का एक वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए उचित और समझदार है। उस अवधि के लिए कंपनी का नुकसान;

ग. निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;

घ. निदेशकों ने वार्षिक खातों को उसी आधार पर तैयार किया था;

ङ. निदेशकों ने कंपनी के बाद आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे और

च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को तैयार किया था और ऐसे सिस्टम पर्याप्त रूप से पर्याप्त और संचालन कर रहे थे।

3.0 योजना

3.1 संचालन के क्षेत्र

78 काम करने वाली खानों, 48 भूमिगत खानों, 22 ओपनकास्ट खानों और 8 मिश्रित खानों के साथ ऑपरेटिंग क्षेत्रों की 14 संख्याएं हैं।

3.2 अनुसंधान और विकास परियोजनाएं

सीआईएल के आर एंड डी अनुदान के तहत वित्त पोषित चल रही आर एंड डी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की विस्तृत स्थिति **अनुलग्नक -1** में दी गई है

3.3 एस एंड टी परियोजनाएं

एमओसी के एस एंड टी अनुदान के तहत वित्त पोषित चल रही एस एंड टी अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन की विस्तृत स्थिति **अनुलग्नक -2** में दी गई है

3.4 भूमिगत खानों का आधुनिकीकरण

भूमिगत खानों में आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के स्तर को बढ़ाने के लिए, 2020-21 तक ईसीएल की 57 खदानों में एलएचडी / एसडीएल को तैनात करने वाली इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी लगाई गई। 31.03.2021 तक, ईसीएल की विभिन्न भूमिगत खानों में एसडीएलएस की 237 संख्या, एलएचडी की 39 संख्या और यूडीएम की 137 संख्या में रोल (समावेशी प्रारंभिक सर्वेक्षण उपकरण) पर थी। 2020-21 के दौरान, एसडीएलएस से प्राप्त उत्पादन 3.927 मीट्रिक टन था, एलएचडी से 0.987 मीट्रिक टन था और 2 नोस रोड हेडर (लॉन्गवॉल पैकेज का हिस्सा) 0.076 मीट्रिक टन था।

शटल कार (7 सेट) के साथ संयुक्त खनिक को तैनात करके "मास उत्पादन तकनीक" झांजरा, सरपी, कुमार्डिह-बी यूजी और खट्टादीह यूजी परियोजनाओं में तैनात की गई है और सफलतापूर्वक चल रही है। 2020-21 के दौरान 4 मानक ऊंचाई निरंतर माइनर और 3 कम ऊंचाई निरंतर माइनर के दौरान हासिल किया गया उत्पादन 3.319 मीट्रिक टन था। झांजरा में, लॉन्गवॉल टेक्नोलॉजी अगस्त, 2016 से सफलतापूर्वक चल रही है और 2020-21 के दौरान उत्पादन 0.999 एमटी (सड़क शीर्षलेख को छोड़कर) था। कुल भूमिगत कोयला उत्पादन 2019-20 में 9.206 मीट्रिक टन से बढ़कर 2020-21 में 9.308 एमटी तक बढ़कर 1.11% की वृद्धि दर्ज की गई।

विविधीकरण / आधुनिकीकरण के लिए उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

क. **कोल बेड मीथेन (सीबीएम):** परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) को 22.09.2018 को एमडीओ अवधारणा के तहत प्रशासनिक रूप से ईसीएल बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया है, जिसमें सतग्राम, कुनस्टोरिया और श्रीपुर क्षेत्र के लीज होल्ड क्षेत्र को कवर किया गया है। सीएमपीडीआईएल को 08.05.2020 को सीबीएम के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में काम करने के लिए सम्मानित किया गया था। सीएमपीडीआईएल ने संशोधित नोटिस आमंत्रित प्रस्ताव और मॉडल राजस्व साझाकरण संपर्क एमओपी और एनजी के सुझावों के तहत हाइड्रोकार्बन निदेशालय जनरल को ध्यान में रखते हुए और अनुमोदन के लिए सीआईएल को भेजा।

ख. **भूतल कोयला गैसीफिकेशन (एससीजी):** ईसीएल बोर्ड ने 21.05.2020 को आयोजित अपनी 329वीं बैठक में मेसर्स पीडीआईएल को "प्री-व्यवहार्यता अध्ययन और एकाधिक प्रौद्योगिकी विकल्पों के लिए सतह कोयला गैसीफिकेशन के लिए पीएफआर की तैयारी" के लिए सलाहकार के रूप में शामिल करने के लिए अनुमोदित किया। मेसर्स पीडीआईएल ने 30.11.2020 को ड्राफ्ट पीएफआर प्रस्तुत किया। ड्राफ्ट पीएफआर मेसर्स डेलोइट द्वारा समीक्षा की गई और 23.04.2021 को रिपोर्ट जमा की गई। ईसीएल बोर्ड ने अपनी 338 वीं बैठक में 14.05.2021 को ईसीएल में एससीजी परियोजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में सीएमपीडीआईएल की नियुक्ति के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी। इसके बाद, 18.05.2021 को ईसीएल में एससीजी परियोजना के लिए सीएमपीडीआईएल की नियुक्ति के लिए ईसीएल और सीएमपीडीआईएल के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया एवं 11.06.2021 को कार्य आदेश जारी किया । मेसर्स पीडीआईएल ने 01.06.2021 को संशोधित पीएफआर प्रस्तुत किया जो अंतिम रूप में है।

ग. **हाईवॉल खनन:** हाईवॉल खनन को निमचा और श्रीपुर कोलीरी में पेश करने का प्रस्ताव है। हाईवॉल खनन प्रौद्योगिकी के परिचय के लिए 25.07.2018 को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

घ. **मैन राइडिंग सिस्टम:** वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल दस नगें हैं जहां मैन राइडिंग सिस्टम ऑपरेशन में हैं अर्थात झांजरा (3 नग, मुक्त स्टीयरड वाहन); पैरासा, निमचा, बंसरा, श्याम्सुंदरपुर और चिनकुरी खान III (प्रत्येक खान में चेयरलिफ्ट सिस्टम) और चिनकुरी खान -1 (2 नग बैटरी लोकोमोटिव)। 2021-22 के दौरान, मैन राइडिंग सिस्टम को दो खानों में कमी होने की उम्मीद है अर्थात निम्चा और बंसरा, क्रमशः (प्रत्येक खान में 2 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम)।

3.5 भूमिगत कोयला उत्पादन में सुधार के लिए उठाए गए कदम

विभिन्न परिचालन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, ऊपरी सीम की परिसमापन, कैविंग आदि के लिए भूमि की उपलब्धता में देरी, मुख्य रूप से भूमिगत उत्पादन में सुधार के लिए कार्यभूमि उत्पादन प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं, जो आने वाले वर्षों में भूमिगत खानों की अधिक संख्या में शटल कार के साथ निरंतर खनिक को तैनात करते हैं खोटदीह-बी, झांजरा, तिलबोनी, सिदुली, पैरासिया-बेल्बाइड को मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी के साथ मैन्युअल संचालन से धीरे-धीरे चरणबद्ध करने के अलावा। सेवा-निवृत्ति तथा अधिक कोयले की उपलब्धता के दोहरे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और अधिक यूडीएम पेश करने के लिए कार्रवाई की गई है।

3.6 वर्ष 2020-21 के दौरान परियोजनाओं के निर्माण का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीई)	अनुमानित अतिरिक्त पूंजी (₹ करोड़ में)			
			विभाग	भाग ओएस	ओएस	एमडीओ
1.	बोनजेमेरी ओसीपी	1.00	908.37	672.95	570.12	-
2.	इटापारा ओसीपी	3.50	2046.05	-	1318.39	1864.61
3.	चुपरभिटा ओसीपी	4.00	2619.68	-	1881.72	2508.29
4.	सोनीपुर बाज़ारी विस्तार ओसीपी	12.00	8536.26	5365.88	-	-

3.7 2020-21 के दौरान सीआईएल बोर्ड की मंजूरी मांगने के लिए ईसीएल के निदेशक मंडल की परियोजनाओं की मंजूरी और सिफारिश का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीई)	अनुमोदित पूंजी निवेश (₹ करोड़ में)	अनुमोदन का दिनांक
1.	मोहनपुर विस्तार पीएच -2	2.50	888.99	03.08.2020

3.8 वर्ष 2020-21 के दौरान सीआईएल के निदेशक मंडल द्वारा परियोजनाओं की अंतिम मंजूरी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीई)	अनुमोदित पूंजी निवेश (₹ करोड़ में)	अनुमोदन का दिनांक
1.	श्यामसुंदरपुर यूजी (सरपी यूनिट सहित)	1.59	483.65	16.04.2020
2.	झांजरा यूजीपी की विस्तार परियोजना रिपोर्ट	नाममात्र क्षमता- 5.0 पीक क्षमता – 5.80	1210.12	16.04.2020
3.	मोहनपुर विस्तार पीएच -2	2.50	888.99	11.11.2020

3.9 ईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित ओसी पैच

क्रम सं.	क्षेत्र	ओसी पैच और ग्रेड का नाम	लघुक्षित रिजर्व		औसत स्ट्रिपिंग अनुपात	पीक पेरी-ओडी (LTY)	खदान की उम्र (वर्ष)	अनुमोदन का दिनांक
			कोयला (एल. टी.)	ओबी (एल. कम.)				
1.	मुग्मा	बडजना, जी -5	5.67	34.42	7.08	3.05	2	10.06.2020
2.	केंडा	सी एल जाम्बद, जी -4	16.90	117.30	6.94	4.00	5	10.06.2020
3.	काजोरा	जाम्बद एक्सटेंशन, जी -5	8.22	45.04	5.48	5.00	1.5	04.12.2020



श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, कोल इंडिया श्री प्रेम सागर मिश्रा, सीएमडी, ईसीएल के साथ ईसीएल के झांजरा क्षेत्र में सीएचपी की नींव रखते हुए,

3.10 पूंजी परियोजनाएं / योजनाएं

i) **नई परियोजना (ग्रीनफील्ड)** की संख्या: 1 (हुरा-सी ओसीपी)

ii) **विस्तार / संशोधन / परियोजनाओं का फौजदारी:** 13 (झांजरा विस्तार यूजी, खट्टादीह विस्तार ओसीपी, खट्टाहियाह सीएम, कुमार्डिह-बी सीएम, मोहनपुर विस्तार ओसीपी, न्यू केंडा ओसीपी, सोनपुर-बाजारी संयुक्त ओसीपी, चित्र पूर्व ओसीपी, सिदुली मिक्स, नाक्राकोंडा -कुमार्डिह बी ओसीपी, तिलबोनी यूजी, पैरासिया-बेल्बाइड यूजी और श्याम्सुंदरपुर सरपी यूजी सहित)

iii) **अन्य:** 4 (नाबाकाजोरा-माधबपुर यूजी, नारैनकुरी यूजी, बैंकोला आर-वी और खांडरा एनकेजे, जिसे पुन:निर्मित किया जा रहा है)

iv) **कुल:** 18

3.11 नई पहल और भविष्य के कार्यक्रम

क. **तकनीकी उन्नयन और मौजूदा यूजी खानों का आधुनिकीकरण:** मेसर्स आईएसएम, मेसर्स एससीसीएल और मेसर्स पीडब्ल्यूसी के कंसोर्टियम द्वारा उत्पादन में वृद्धि के अध्ययन के लिए 23 यूजी खानों का आयोजन किया गया था। यह एमओसी / सीआईएल के निर्देश के अनुसार है। रिपोर्ट जनवरी, 2018 में जमा की गई थी और इसे कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वीकार किया गया था। 23 में से तीन परियोजना रिपोर्ट (सिदुली मिश्रित, तिलबोनि यूजी और पैरासी-बेल्बाइड यूजी) को मंजूरी दे दी गई थी और पांच परियोजना रिपोर्ट फॉर्मूलेशन / अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।

ख. **मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का परिचय निरंतर माइनर (सीएम):** निम्नलिखित खदानों को सीएम की शुरूआत के लिए पहचाना गया है

क्रम सं.	खदान/परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	अनुमानित पूंजी (₹ करोड़ में)	स्थिति
1.	खट्टाडिह सीएम यूजी	0.60	जोखिम-लाभ - 127.17	कोयला उत्पादन मार्च, 2021 में शुरू हुआ।
2.	कुमार्डिह-बी सीएम यूजी	1.02	उपकरण भर्ती - 117.90	एक एलएचसीएम को दिसंबर, 2019 में शुरू किया गया था। एसएचसीएम (एक) के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया है और 05.06.2020 को एलओए जारी किया गया था। 24.02.2021 को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
3.	सिदुली मिश्रित	ओसी: 1.20 यूजी: 1.63	उपकरण – इंक्लाइन के ड्राइवेज के लिए - 535.18	परियोजना रिपोर्ट मई, 2018 में अनुमोदित की गई थी।
4.	तिलाबोनी यूजी	1.86	उपकरण – इंक्लाइन के ड्राइवेज के लिए - 916.62	निविदा प्रगति में है
5.	पारासीय-बेलबेड यूजी	2.07	उपकरण – इंक्लाइन के ड्राइवेज के लिए - 826.42	निविदा प्रगति में है
6.	श्यामसुन्दरपुर यूजी (सर्पी इकाई सहित): 2 एलएचसीएम (अतिरिक्त)	1.59	उपकरण – इंक्लाइन के ड्राइवेज के लिए - 483.65	निविदा प्रगति में है
7.	झांजरा यजीपी की विस्तार परियोजना रिपोर्ट: 2 एलएचसीएम (अतिरिक्त)	5.00	उपकरण – इंक्लाइन के ड्राइवेज के लिए - 1210.12	2 नग की तैनाती के लिए एनआईटी। 06.10.2020 को अतिरिक्त एलएचसीएम जारी किया गया था। निविदा को अंतिम रूप दिया गया है और अप्रैल, 2021 के पहले सप्ताह में एलओए जारी किया गया है।
8.	नाबाकाजोरा माधबपुर मिश्रित	यूजी: 1.32 OC: 0.80	जोखिम-लाभ - 984.11 उपकरण – इंक्लाइन के ड्राइवेज के लिए - 636.27	रिपोर्ट माइन बंद योजना के नए दिशानिर्देशों को शामिल करने के लिए पुन: स्थापित है।

ग. विदेशी सहयोग / प्रौद्योगिकी अवशोषण-अनुकूलन और नवाचार:

i) **कुमार्डिह-बी यूजी माइन में निरंतर खनिक का परिचय :** 2019-20 के दौरान मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लि. द्वारा मेसर्स जॉय ग्लोबल, यूके के सहयोग से कम ऊंचाई निरंतर खनिक (एलएचसीएम) का एक सेट चालू किया गया था। एक मानक ऊंचाई निरंतर खनिक (एसएचसीएम) के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया था और 05.06.2020 को स्वीकृति (एलओए) जारी किया गया था। अनुबंध समझौते पर 24.02.2021 को मेसर्स गेनवेल कमोसालेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया गया था।

ii) **खट्टादीह यूजी खान में निरंतर खनिक की एक संख्या का परिचय:** 2020-21 के दौरान मेसर्स सीएमएटीएल-एसएक्सटीडी-सीएमएमएल (चीन) द्वारा एसएचसीएम का एक सेट कमीशन किया गया था।

iii) **झांजरा में अतिरिक्त दो कम ऊंचाई निरंतर खनिक का प्रस्ताव :** एनआईटी 06.10.2020 को जारी किया गया था और निविदा के भाग -1 और भाग -2 क्रमशः 30.12.2020 और 03.03.2021 को खोले गए थे। निविदा समिति की सिफारिश अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

iv) झंझरा आर-वी सीम में संचालित समर्थन लांगवाल पैनल सफलतापूर्वक चल रहा है और 2020-21 के दौरान 0.999 एमटी कोयले का उत्पादन कर रहा है।

3.12 वर्ष 2020-21 के लिए चल रही परियोजनाओं की प्रमुख गतिविधियों के संबंध में एमओयू लक्ष्य की उपलब्धि की स्थिति:

₹ 150 करोड़ से अधिक की लागत पर चल रही परियोजनाओं की एमओएसपीआई निगरानी का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	उपलब्धि	पूरा होने के लिए समयरेखा	उपलब्धि की स्थिति
1.	सोनपुर बाज़ारी संयोजन ओसीपी (क्षमता: 8.00 एमटी, स्वीकृत पूंजी: ₹1,055.05 करोड़	सीएचपी का निर्माण (12 एमटीई)	मार्च, 2021	प्राप्त नहीं हुआ। निर्माण प्रगति पर है।
2.	हुरा-सी ओसीपी (क्षमता: 3.00 एमटीई, स्वीकृत पूंजी: ₹ 359.69 करोड़)	20 एकड़ का किरायेदारी भूमि का अधिकार हासिल।	मार्च, 2021	2020-21 के दौरान भूमि 25.07 हेक्टेयर है।
3.	चित्रा पूर्वी ओसीपी (क्षमता: 2.50 एमटीई, स्वीकृत पूंजी: ₹ 513.99 करोड़)	खून गांव का स्थानांतरण (30 पीएएफ)	मार्च, 2021	प्राप्त नहीं हुआ। ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण।
4.	सिदुली ओसी एंड यूजी (क्षमता:ओसी: 1.20 एंड यूजी : 1.63 एमटीई, स्वीकृत पूंजी:₹ 535.18 करोड़)	ओवरहेड लाइन की स्थानांतरण के लिए अनुमान की मंजूरी हासिल।	मार्च, 2021	अनुमोदित और कार्य आदेश 21.12.2020 को जारी किया गया था।
5.	झांजरा विस्तार यूजी (क्षमता: 5.00 एमटीई, स्वीकृत पूंजी: ₹ 1,210.12 करोड़)	कार्यशाला का निर्माण	मार्च, 2021	निर्माण प्रगति पर है और अगस्त, 2021 में पूरा होने की उम्मीद है
6.	नाकाकोंडा कुमार्डी-बी ओसीपी (क्षमता: 3.00 एमटीवाई, स्वीकृत पूंजी: ₹ 502.68 करोड़)	एचईएमएम खरीद के लिए निविदा हासिल।	मार्च, 2021	कोयला उत्पादन के लिए एचईएमएम की खरीद के लिए निविदा सितंबर, 2020 में जारी की गई
7.	तिलाबोनी यूजी (क्षमता: 1.86 एमटीई, स्वीकृत पूंजी: ₹ 916.62 करोड़)	इंक्लाइन के ड्रिवेज ऑफ अ पेयर के लिए निविदा जारी किया गया	मार्च, 2021	हासिल। 15 दिसंबर, 2020 को माइन सं. 1 में इंकलाइन ड्रिवेज (2) के लिए निविदा जारी की गई थी
8.	पारासीय-बेलबेड (क्षमता: 2.07 एमटीवाई, स्वीकृत पूंजी: ₹ 826.42 करोड़)	इंकलाइन नंबर 1 और 2 की प्रस्तावित साइट के लिए सड़क के निर्माण के लिए निविदा जारी की गई	मार्च, 2021	हासिल। 28.05.2020 को निविदा जारी की गई थी और 03.08.2020 को कार्य आदेश जारी किया गया था।

3.13 वर्ष 2020-21 के लिए एमओयू के अलावा अन्य प्रमुख गतिविधियां

क्रम सं.	परियोजना का नाम	गतिविधियाँ	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
1.	सोनपुर-बाजारी विस्तार ओसीपी	67 हेक्टर भूमि का अधिग्रहण	मार्च, 2021	2020-21 के दौरान 34.23 हेक्टर भूमि का अधिग्रहण
		सीएचपी का निर्माण	मार्च, 2021	कुल मिलाकर भौतिक प्रगति 95% है और जून, 2021 में पूरी होने की उम्मीद है
2.	झांजरा संयुक्त यूजीपी	25 हेक्टर किरायेदारी भूमि का अधिग्रहण संपूर्ण।	मार्च, 2021	2020-21 के दौरान 26.12 हेक्टर का अधिग्रहण
		दो एलएचसीएम के निविदा का अंतिम रूप	मार्च, 2021	संपूर्ण। 06.10.2020 को जारी 2 अतिरिक्त एलएचसीएम के लिए एनआईटी। निविदा को अंतिम रूप दिया गया और अप्रैल, 2021 से 1 सप्ताह में एलओए जारी किया गया।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	गतिविधियाँ	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
3.	कुमारडीह-बी सीएम यूजी	कंटीन्यूअस माइनर के दूसरे सेट के लिए निविदा को अंतिम रूप देना	मार्च, 2021	हासिल। एलओए 05.06.2020 को जारी किया गया और अनुबंध समझौते पर 24.02.2021 को मेसर्स गेनवेल कमोसेल्स प्रा. लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया गया।
4.	हुरा-सी ओसीपी	25 हेक्टेयर काश्तकारी भूमि का अधिग्रहण	मार्च, 2021	हासिल। 25.07 हेक्टर भूमि अधिग्रहण
5.	चित्रा ईस्ट ओसीपी	174.44 हेक्टेयर भूमि के लिए सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 7 के तहत राजपत्र अधिसूचना	मार्च, 2021	हासिल। सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के तहत 174.44 हेक्टेयर (124.89 हेक्टेयर किरायेदारी भूमि सहित) अधिग्रहण किया गया था। 30.06.2020 को सीबीए अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचित और 18.12.2020 को धारा 7 (i) के तहत अधिसूचित किया गया।
6.	खोट्टाडीह विस्तार ओसीपी	60 पीएएफ का स्थानांतरण (बिलपहाड़ी गांव का बौरीपारा)	मार्च, 2021	हासिल। 69 पीएएफ को स्थानांतरित किया गया
7.	तिलाबोनी यूजी	422.00 हेक्टेयर भूमि के लिए सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम की धारा 7 के तहत राजपत्र अधिसूचना	मार्च, 2021	हासिल। कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.02.2021 को जारी सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 7(1) के तहत।

3.14 वर्ष 2020-21 के लिए एमओयू लक्ष्य की उपलब्धि की स्थिति

क्रम सं.	प्रदर्शन मापदंड	मापन में इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
1.	सीएपीईएक्स (करोड़ में)	करोड़	1200.00	1025.87
2.	वर्ष के दौरान बिना समय/लागत के चल रहे/पूरे किए गए केपेक्स अनुबंधों/परियोजनाओं के मूल्य का प्रतिशत वर्ष के दौरान चल रहे/पूर्ण किए गए सीएपीईएक्स अनुबंधों के कुल मूल्य से	%	100	53.05

3.15 परियोजना की निगरानी और कार्यान्वयन की स्थिति **अनुबंध-III** में दी गई है।

4.0 प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट **(अनुबंध- IV)** के हिस्से के रूप में एक अलग खंड में प्रस्तुत की गई है।

5.0 कोयला विपणन

5.1 डिमांड विज-अ-विज ऑफ-टेक

2020-21 में कोयले की वास्तविक उठान 42.04 मिलियन टन थी, जबकि मांग 52.00 मिलियन टन थी, यानी 81% की मांग संतुष्टि। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के क्षेत्रवार मांग एवं उठान इस प्रकार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्षेत्र	ऑफ-टेक 2020-21			ऑफ-टेक 2019-20		
	मांग	वास्तविक	% संतुष्टि	मांग	वास्तविक	% संतुष्टि
पावर	43.743	36.170	83	45.885	45.334	99
सीमेंट	0.107	0.093	87	0.100	0.076	76
सीपीपी (ओआरएस)	0.500	0.193	39	0.610	0.296	49
सीपीपी (इस्पात)	0.490	0.312	64	0.490	0.368	75
स्टील (मिश्रण)	-	-	-	-	-	-
स्पंज आयरन	0.459	0.340	74	0.472	0.282	60
निर्यात	-	-	-	-	-	-

क्षेत्र	ऑफ-टेक 2020-21			ऑफ-टेक 2019-20		
	मांग	वास्तविक	% संतुष्टि	मांग	वास्तविक	% संतुष्टि
लोको	-	-	-	-	0.001	-
रक्षा	-	-	-	-	-	-
कोली. कोंस.	0.180	0.177	98	0.180	0.181	101
अन्य	6.521	4.755	73	5.763	2.778	48
कुल	**52.000**	**42.040**	**81**	**53.500**	**49.316**	**92**

5.2 प्रतिदिन वैगनों का औसत लदान

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के लिए वैगनों का क्षेत्रवार औसत लदान इस प्रकार है:

(बॉक्स/दिन के आंकड़े)

क्षेत्र	वैगनों की लोडिंग			
	2020-21		2019-20	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
रानीगंज	1045	810	1106	984
मुग्मा/सालनपुर	267	242	348	281
आद्रा	12	11	12	14
पिरपैंती	-	-	-	-
राजमहल (घाट की दीवार)	188	129	171	163
कुल	**1512**	**1192**	**1637**	**1442**

5.3 मोड-वाइज प्रेषण

पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में कोयले का मोड-वाइज प्रेषण इस प्रकार है

(मिलियन टन में आंकड़े)

प्रेषण की विधि	2020-21	2019-20
रेल	28.102	32.980
रोड	3.005	2.535
मेरी-गो राउंड (एमजीआर)	10.755	13.620
कुल	**41.862**	**49.135**

5.4 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विक्रय योग्य कोयले का स्टॉक इस प्रकार है

(आंकड़े लाख टन में)

क्षेत्र	31.03.2021 के हिसाब से
रानीगंज	17.160
मुग्मा/सालनपुर	8.351
एस.पी. माइंस	2.635
राजमहल	34.873
कुल	**63.019**

5.5 स्पॉट 'ई' नीलामी फॉरवर्ड ई-नीलामी

मोड	2020-21			2019-20		
	भेजी गई मात्रा (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर लाभ	लाभ प्रतिशत	भेजी गई मात्रा (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर लाभ (₹ करोड़ में)	लाभ प्रतिशत
स्पाट-ई-आक्सन						
रेल	26.180	213.679	24.98	8.127	135.740	51.115
रोड	20.361	423.329	66.04	17.171	412.080	73.871
कुल	**46.541**	**637.008**	**42.57**	**25.298**	**547.820**	**66.531**

मोड	2020-21			2019-20		
	भेजी गई मात्रा (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर लाभ	लाभ प्रतिशत	भेजी गई मात्रा (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर लाभ (₹ करोड़ में)	लाभ प्रतिशत
फॉरवर्ड ई-नीलामी						
रेल	3.254	14.642	15.00	-	-	-
रोड	0.004	-	-	25.595	193.951	24.547
कुल	**3.258**	**14.642**	**14.99**	**25.595**	**193.951**	**24.547**
कुल योग	**49.799**	**651.650**	**40.88**	**50.893**	**741.771**	**45.972**

5.6 बिक्री प्राप्ति

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
बिक्री प्राप्ति	14958.26	17009.20

6.0 उपकरणों की संख्या (एचईएमएम)

6.1 31 मार्च, 2020 की तुलना में 31 मार्च, 2021 को उपकरणों की संख्या:

उपकरण	उपकरणों की संख्या	
	31.03.2021	31.03.2020
ड्रैगलाइन	1	1
डम्पर	183	225
डोजर	81	81
बेलचा	60	61
ड्रिल	50	50



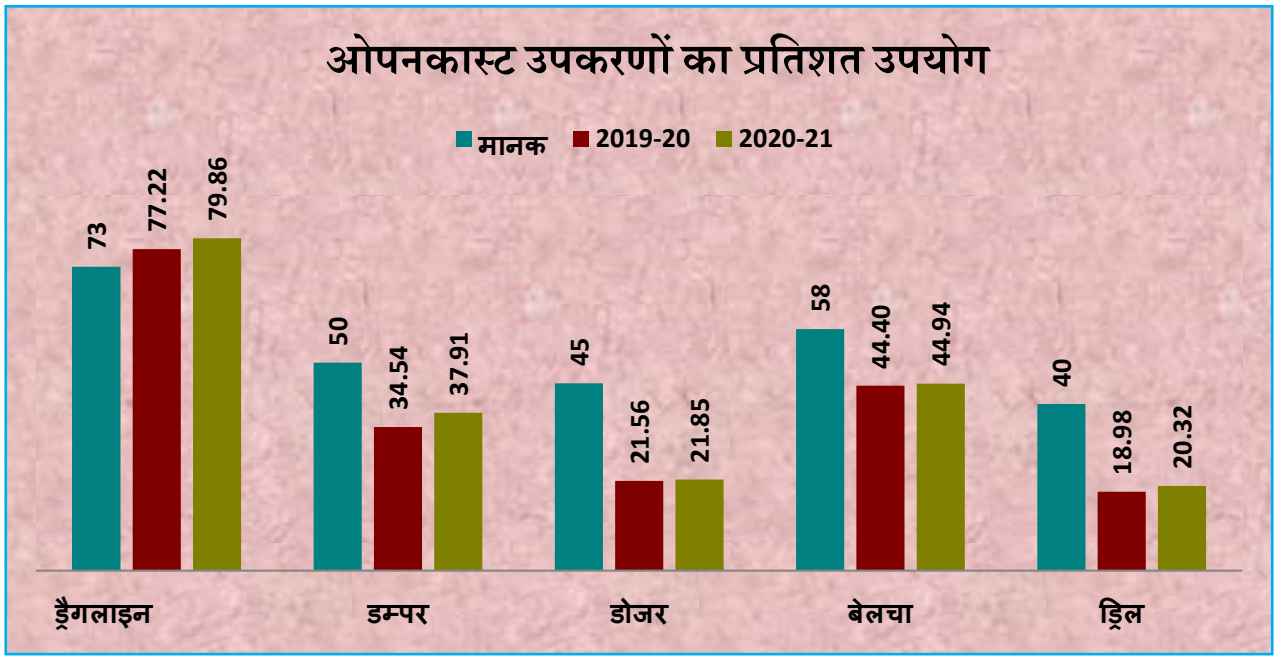
रेल कोयला तालमेल पर संगोष्ठी

6.2 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान सीएमपीडीआईएल मानदंडों के खिलाफ प्रत्येक प्रकार के उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग का प्रतिशत इस प्रकार है:

उपकरण	प्रतिशत उपलब्धता				प्रतिशत उपयोग			
	सीएमपीडी आईएल मानदंड	2020-21	2019-20	पिछले वर्ष से बदलाव	सीएमपीडी आईएल मानदंड	2020-21	2019-20	पिछले वर्ष से बदलाव
ड्रैगलाइन	85	87.77	82.92	4.85	73	79.86	77.22	2.64
डम्पर	67	76.02	75.71	0.31	50	37.91	34.54	3.37
डोजर	70	73.59	77.52	-3.93	45	21.85	21.56	0.29
बेलचा	80	78.44	81.16	-2.72	58	44.94	44.40	0.54
ड्रिल	78	84.45	85.51	-1.06	40	20.32	18.98	1.34

6.3 2020-21 के दौरान क्षमता उपयोग

क्षेत्र	परियोजना	क्षमता उपयोग	
		2020-21	2019-20
केंडा	शंकरपुर	148	92
कुनुस्तोरिया	उत्तर सर्यिसोल	70	55
सालनपुर	बोनजेमेहरी	52	59
	मोहनपुर	56	99
	गौरांगडी	135	72
	सालनपुर क्षेत्र	81	44
मुग्मा	राजपुरा	158	83
	बरमुरी	87	62
	मुग्मा क्षेत्र	113	63
एसपी माइंस	चत्रि	101	77
पाडवेश्वर	खोट्टाडीह	92	72
कजोरा	जामबाद	80	104
सोनपुर बाजारी	सोनपुर बाजारी	84	85
राजमहल	राजमहल	50	35
	कुल	**82**	**67**



7.0 ऊर्जा संरक्षण

7.1 बिजली और ईंधन की खपत

क्रम सं.	विवरण	ईकाई	2020-21	2019-20
I.	**बिजली खरीदी**			
	ए. खरीदी गई इकाइयाँ	एम.के.डब्ल्यू.एच	846.02	824.97
	बी. आपूर्ति एजेंसियों को भुगतान की गई कुल राशि (लगभग)	₹ करोड़ में	599.27	599.60
	सी. दर/इकाई (औसत)	₹ किलोवाट	7.08	7.27
	डी. बिजली की विशिष्ट खपत (लगभग)	किलोवाट/सह	14.13	14.86
II.	**खुद की पीढ़ी (डीजी सेट के माध्यम से)**			
	ए. उत्पन्न इकाइयाँ	लाख किलोवाट	7.04	7.17
	बी. प्रति लीटर उत्पादन इकाई। डीजल तेल का	किलोवाट/लीटर	7.96	8.10
	सी. उत्पादन की लागत	₹ किलोवाट	10.88	8.23
III.	**बिजली की मांग**			
	ए. बिजली की औसत मांग	एमवीए	170.73	162.35
	बी. अनुबंध की मांग	एमवीए	198.00	185.50
	सी. % उपयोग	%	86.23	87.52

7.2 1.665 मेगावाट रूफ टॉप सोलर की स्थापना

ईसीएल मुख्यालय में 250 kWp रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए 19.01.2021 को मेसर्स एसेसलर एनर्जी एंड पावर प्राइवेट, कोलकाता (एक प्रोजेक्ट कंपनी / एसेसलर रिन्यूएबल एनर्जी एलएलपी, कोलकाता की एसपीवी) को वर्क ऑर्डर जारी किया गया है (परियोजना लागत - ₹ 65 लाख)। मेसर्स एसेसलर रिन्यूएबल एनर्जी एलएलपी, कोलकाता को 18.02.2021 को 11 क्षेत्रों में ईसीएल के 26 विभिन्न स्थानों पर 1415 किलोवॉट रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किया गया है (परियोजना लागत – ₹ 5.008 करोड़)। 09.02.2021 को प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा करने के बाद, साइट हैंडओवर-टेकओवर भी 22.02.2021 तक पूरा कर लिया गया है और कार्य आदेश 23.02.2021 को जारी किया गया है। कार्य 29.03.2021 से शुरू हो गया है और सितंबर, 2021 तक पूरी होने की उम्मीद है।

7.3 रूफ टॉप सोलर प्लांट और 2020-21 में उत्पन्न इकाइयों की स्थापित क्षमता

परियोजना का नाम	स्थान	उत्पादन केडब्ल्यूएच
रूफटॉप सोलर प्लांट, सोदपुर	सोदपुर क्षेत्र, ईसीएल	1445
रूफटॉप सोलर प्लांट, सोदपुर	सोदपुर वीटीसी, ईसीएल	5124
रूफटॉप सोलर प्लांट, झांजरा क्षेत्र कार्यालय	झांजरा क्षेत्र कार्यालय, ईसीएल	21045
झांजरा गेस्ट हाउस में रूफटॉप सोलर प्लांट	झांजरा गेस्ट हाउस, ईसीएल	38326
जे के रोपवे में रूफटॉप सोलर प्लांट	जे के रोपवे, ईसीएल	13784
पांडवेश्वर क्षेत्र कार्यालय में सौर संयंत्र की छत	क्षेत्रीय कार्यालय पांडवेश्वर ईसीएल	16532
सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट सालनपुर	एरिया ऑफिस, एरिया स्टोर, एरिया वीटीसी, एजेंट ऑफिस,	14631
केंडा क्षेत्र में सोलर रूफटॉप परियोजना	सालनपुर क्षेत्र, ईसीएल केंडा क्षेत्र, ईसीएल	10367
कुल		**147450**



राजमहल में 12.2 घनमीटर की क्षमता वाली हाइड्रोलिक फावड़ा एचएस-37 पेश की गई

7.4 ऊर्जा संरक्षण और लेखा परीक्षा

ईसीएल की निम्नलिखित दो इकाइयों के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा विभागीय रूप से की गई है:

क) बोनजेमहारी ओसीपी, सालनपुर क्षेत्र
ख) पैरास्कोल वेस्ट यूजी, कजोरा क्षेत्र

निम्नलिखित उपायों को लागू करके समग्र 5% ऊर्जा बचत के संबंध में ऊर्जा लेखा परीक्षा का अवलोकन और सिफारिश:

क) पैरास्कोल वेस्ट यूजी, कजोरा क्षेत्र में 300 केवीएआर के कैपेसिटर बैंक को स्थापित करके पावर फैक्टर (पीएफ) को वर्तमान पीएफ 0.88 से 0.98 तक सुधारना। इससे समान सक्रिय बिजली के लिए अधिकतम मांग 972 केवीए के वर्तमान स्तर से 872 केवीए तक कम हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप पीएफ छूट से प्रति वर्ष ₹ 12.6 लाख की शुद्ध बचत होगी और एमडी प्रभार में बचत होगी।

ख) ऊर्जा दक्ष लाइट फिटिंग को लागू करने के लिए सीएफएल और एचपीएसवी लैंप के स्थान पर एलईडी ट्यूब लाइट, एलईडी लैंप और एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट आदि लगाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे 30% ऊर्जा की बचत होगी।

ग) पम्पिंग लेआउट को पुनर्व्यवस्थित किया गया।

घ) ऊर्जा दक्ष मोटर्स का उपयोग।

ङ) पारंपरिक पंखे (65-80 डब्ल्यू) के स्थान पर सुपर-कुशल बीएलडीसी फैन (35 डब्ल्यू) का उपयोग जिसके परिणामस्वरूप 50% ऊर्जा की बचत होगी।

च) ऑटो टाइम-आधारित स्ट्रीट लाइटिंग।

छ) अधिकतम मांग नियंत्रक की स्थापना और अतिरिक्त मांग शुल्क को अनुकूलित करने के लिए बार-बार युक्तिकरण।

7.5 भूमिगत मशीनरी प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2019- 20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में मशीनीकृत उत्पादन में 1.78443 लाख टन की वृद्धि हुई है जो प्रतिशत अवधि में 1.97% की वृद्धि है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में एसडीएल की उत्पादकता में 8.06% की वृद्धि हुई है वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में एलएचडी की उत्पादकता में 5.50% की वृद्धि हुई है।

उत्पादकता के साथ भूमिगत मशीनरी का विवरण नीचे दिया गया है:

उपकरण	2020-21		2019-20	
	रोल पर	उत्पादकता (टीपीडी)	रोल पर	उत्पादकता (टीपीडी)
एसडीएल	237	67	244	62
एलएचडी	39	115	40	109
सतत खनिक	7	1512	6	1361
रोड हैडर	1	230	2	333
लॉंगवॉल	1	3995	1	5133

7.6 सीएचपी का प्रदर्शन

31 मार्च, 2021 तक, सोनपुर बाजारी और राजमहल में दो प्रमुख सीएचपी ने 12.356 मीट्रिक टन और श्यामसुंदरपुर और केंडा में दो मिनी सीएचपी ने 1.20 मीट्रिक टन कोयले का संचालन किया।

7.7 2020-21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

क) मार्च, 2020 की तुलना में मार्च, 2021 तक मशीनीकृत उत्पादन में 1,78,443 टन की वृद्धि हुई है, यानी 1.97% की वृद्धि हुई है।

ख) ईसीएल की ऊर्जा खपत मार्च, 2020 तक 8249.69 एल.केडब्ल्यूएच की तुलना में मार्च, 2021 तक 8460.21 एल.केडब्ल्यूएच है, यानी 210.52 एल.केडब्ल्यूएच यानी 2.55% की वृद्धि, जो कि 1.97% के यंत्रीकृत उत्पादन से अधिक है।

ग) मार्च, 2021 तक ईसीएल की बिजली लागत ₹ 599.27 करोड़ है, जबकि मार्च, 2020 तक यह ₹ 599.60 करोड़ थी, यानी बिजली की लागत में ₹ 33 लाख की कमी आई है।

घ) मार्च, 2021 तक पावर फैक्टर छूट से शुद्ध लाभ ₹ 13.7503 करोड़ है, जबकि मार्च, 2020 तक ₹ 11.3561 करोड़ थी यानी 21.08% की वृद्धि।

ङ) **फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी - राजमहल सीएचपी (10 एमटीवाई):** राजमहल ओसीपी (10 एमटीवाई) में अतिरिक्त सीएचपी की योजना को ईसीएल बोर्ड और सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। मेसर्स मेकॉन लिमिटेड, रांची को 07.12.2020 को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किया गया

और 28.12.2020 को कार्य आदेश जारी किया गया। इसके बाद, 17.02.2021 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल को "ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली डिजाइन और ड्राइंग की जांच" के कार्य को करने के लिए कार्य आदेश जारी किया गया है।

च) **फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी - झांजरा सीएचपी (5 एमटीवाई):** एनआईटी और झांजरा सीएचपी (5 एमटीवाई) के निविदा दस्तावेज को ईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। मेसर्स शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को 07.12.2020 को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किया गया था और 28.12.2020 को कार्य आदेश जारी किया गया था। इसके बाद, 17.02.2021 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सीएमपीडीआईएल द्वारा अनुमोदित सीएचपी के लिए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत पीईआरटी नेटवर्क। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल को "ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली डिजाइन और ड्राइंग की जांच" के कार्य को करने के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था।

7.8 वर्ष 2020-21 के लिए एमओयू लक्ष्य की उपलब्धि की स्थिति

क्रम सं.	प्रदर्शन मापदंड	मापन में इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
1.	रूफटॉप/ग्राउंड माउंटेड 1.571 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता की स्थापना और संचालन	दिनांक	01.03.2021	ईसीएल मुख्यालय में 250 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर परियोजना की स्थापना के लिए 19.01.2021 को कार्य आदेश जारी किया गया। इसके अलावा, ईसीएल की विभिन्न इकाई में 1415 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 23.03.2021 को कार्य आदेश जारी किया गया। सितंबर, 2021 तक कार्य संपन्न होने की उम्मीद हैं।

8.1 कल्याण सुविधाएं

क्रम सं.	मद	31.03.2020 तक संचयी स्थिति	2020-21 के दौरान उपलब्धि	31.03.2021 तक संचयी स्थिति
1.	**Educational Facilities**			
	क) डीएवी स्कूल	06	0	06
	ख) i) आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालयों की संख्या	162	0	162
	ख) ii) आवर्ती सहायता अनुदान की राशि (₹ लाख में)	6194.01	302.22	6496.23
	ग) i) गैर-आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या	388	0	388
	ग) ii) अनावर्ती सहायता अनुदान की राशि (₹ लाख में)	312.04	0	312.04
	घ) i) स्कूल स्वीकृत तदर्थ अनुदान की संख्या	79	0	79
	घ) ii) स्वीकृत तदर्थ अनुदान की राशि (₹लाख में)	69.60	0	69.60
	ङ) लगी हुई स्कूल बसों की संख्या	156	0	156
	च) i) सीआईएल छात्रवृत्ति और नकद प्रदान की संख्या	19403	418	19821
	च) ii) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	279.99	11.49	291.48
	छ) i) वेतन बोर्ड के बच्चों की ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए सीआईएल योजना चयनित इंजीनियरिंग और सरकार में पढ़ रहे कर्मचारी। मेडिकल कॉलेज।			
	छ) ii) डब्ल्यूबीई के स्वीकृत वार्डों की संख्या	785	72	857
	छ) iii) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	247.58	50.79	298.37
2	खेल और खेल के लिए खर्च की गई राशि (₹ लाख में)	635.42	0	635.42
3	सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए खर्च की गई राशि (₹ लाख में)	90.46	3.00	93.46
4	कैंटीन	82	0	82
5	**बैंकिंग सुविधाएं** - ईसीएल के परिसर में कार्यरत बैंक शाखाओं की संख्या	27	0	27
6	**सहकारी संस्थाएं**			
	क) सहकारी क्रेडिट संस्थाएं	74	0	74
	ख) प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी स्टोर	30	0	30
	ग) केंद्रीय सहकारी	04	0	04
	घ) सहकारी समितियों को ऋण और निवेश (₹ लाख में)	63.80	0	63.80

8.2 अन्य कल्याणकारी पहल

क. ईसीएल ने कोल इंडिया लिमिटेड में पहली बार 2019-20 से 'सीआईएल छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन पोर्टल' लॉन्च किया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 418 छात्रों को ₹ 11,49,720.00 की छात्रवृत्ति प्रदान की है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 72 छात्रों को ₹ 50,79,015.00 की वित्तीय सहायता (ट्यूशन शुल्क और छात्रावास शुल्क की प्रतिपूर्ति) दी गई है।

ख. कंपनी शतरंज, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, कैरम, कबड्डी, फुटबॉल, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग आदि जैसे विभिन्न खेलों के लिए इंटर सब्सिडियरी और इंटर एरिया प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है।

ग. कंपनी के मुख्यालय, क्षेत्रों और कोलियरी में कैंटीन की सुविधा भी है। वर्तमान में 82 कैंटीन हैं जिनमें से 47 कैंटीन राष्ट्रीयकरण के समय शुरू हुई और 7 उन्नत आदर्श कैंटीन हैं।

घ. सेवानिवृत होने की तिथि पर सेवानिवृत कर्मचारियों को सेवा प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा कार्ड, सीएमडी से प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह और टर्मिनल बकाया देकर कंपनी को उनकी मेधावी सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है।

ङ. ईसीएल प्रबंधन ने 62 सहकारी ऋण समितियां, 32 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियां और 4 केंद्रीय सहकारी समितियां स्थापित की हैं।

च. 31 मार्च, 2021 तक, कंपनी के पास 54,866 कुल श्रमशक्ति के लिए कुल 67,760 घर उपलब्ध हैं।

छ. कंपनी के पास 137 विश्राम गृह, 32 योग केंद्र और 27 बैंकिंग शाखाएं भी हैं।

ज. ईसीएल 610 शिक्षकों की संख्या के साथ 162 निजी समिति प्रबंधित स्कूल चलाता है, 4 डीएवी घाटे के अनुदान के आधार पर प्रोजेक्ट स्कूल के रूप में और 5 स्कूल (2 डीएवी, 2 एजी चर्च और 1 डी'नोबली) बुनियादी ढांचे के समर्थन के साथ प्रोजेक्ट स्कूल के रूप में चलाता है।

8.3 2020-21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:

मिशन संबंध को कंपनी द्वारा सभी हितधारकों और समुदाय तक पहुंचने के लिए एक समस्या समाधानकर्ता और समाधान प्रदाता के रूप में लॉन्च किया गया था, जो अंततः ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के सुचारू रूप से आने और ब्राउनफील्ड परियोजना को आसान बनाने में मदद करेगा। इस मिशन के तहत निम्नलिखित पहल की गई:

क. "दिशारी" के बैनर तले रोजगार के 78 मामलों पर कार्रवाई की गई है।

ख. 'डिजिटल इंडिया' भारत सरकार का राष्ट्रीय प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। मिशन संबंध के तहत एक नई पहल के रूप में ईसीएल ने "सीआईएल छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन पोर्टल" विकसित किया है और सफलतापूर्वक कार्यान्वित भी किया। कुल 490 छात्रों (कर्मचारियों के वार्ड) को ₹ 62,28,735.00 की राशि की छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

ग. ईसीएल ने 19.12.2020 को शीतलपुर गेस्ट हाउस में ईसीएल और सीसीएल वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों की संयुक्त द्विदलीय कल्याण बोर्ड की बैठक का आयोजन किया।

घ. ईसीएल में सीएमपीएफ/पेंशन दावों के निपटान के लिए कोल इंडिया से प्राप्त मानक संचालन प्रक्रिया को लागू किया गया है। श्रीपुर क्षेत्र, ईसीएल में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसे समझाने और प्राप्तकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें सभी एपीएम, एएफएम, यूनिट कार्मिक कार्यकारी और ईसीएल के डीलिंग क्लर्क ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

ङ. लंबित पीएफ/पेंशन दावों को समाप्त करने के लिए सीएमपीएफओ, क्षेत्र I, II और III, आसनसोल और देवघर क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के तहत कुल 06 पेंशन अदालतें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा मिशन संबंध के अंतर्गत श्रीपुर क्षेत्र में दिनांक 19.02.2021 को पेंशन अदालत कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

च. जनवरी, 2021 से ईसीएल के सभी क्षेत्रों/प्रतिष्ठानों में हर महीने की 9 तारीख को पीएफ/पेंशन हेल्प डेस्क का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सदस्यों/नामितों को निर्देशित किया जाता है और आवश्यक दस्तावेजों को जल्द से जल्द जमा करने में मदद की जाती है तथा पीएफ और पेंशन से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा भी किया जाता है।

छ. पेंशन सेल, ईसीएल मुख्यालय हर महीने (दिसंबर, 2020 से शुरू) में लंबित पीएफ / पेंशन दावों (क्षेत्रवार) के निपटान की प्रगति की समीक्षा कर रहा है। कुल संख्या इस अवधि के दौरान समीक्षा किए गए मामलों की संख्या 198 थी, जिनमें से 124 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।



सीएमडी, ईसीएल द्वारा ए एल एस एम्बुलेंस का विमोचन

9.0 मिशन इन्द्रधनुष के तहत गतिविधियां

मिशन इन्द्रधनुष की शुरुआत देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति और विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न त्योहारों और दिनों को मनाने और हमारे कर्मचारियों को घर से दूर घर की भावना देने के उद्देश्य से की गई थी जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि हुई।

संगीत, गीत, नृत्य, कविता, पेंटिंग आदि के क्षेत्र में कई कर्मचारियों ने अपनी प्रतिभा और रुचि का प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रमों में भाग लिया। मिशन ने कर्मचारियों में अपनत्व की भावना, खुशी सूचकांक को सफलतापूर्वक बढ़ाया है और कंपनी के प्रति अपनेपन की भावना विकसित हुई जिससे कार्यस्थल पर एक ऊर्जावन वातावरण तैयार हुआ जो कार्यालय के नीरस माहौल को दूर रखने में सक्षम रहा। मिशन इंद्रधनुष उन सभी क्षेत्रों और इकाइयों तक पहुंच गया है, जिन्होंने कंपनी में समग्र रूप से एक संपूर्ण तरीके से प्रभाव डाला है और ईसीएल को इस पहल के लिए पूरे कोल इंडिया में मान्यता दी गई है। वर्ष के दौरान रवींद्र जयंती, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, विश्व चिकित्सक दिवस, हिंदी दिवस, इंजीनियर दिवस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जयंती, क्रिसमस दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, शहीद दिवस आदि मनाए गए।





मिशन संबंध के तहत पेंशन अदालत

10.0 चिकित्सा सुविधाएं

2 केंद्रीय अस्पतालों, 822 की कुल बिस्तर क्षमता वाले 7 क्षेत्रीय अस्पतालों और 112 औषधालयों ने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कीं। इन अस्पतालों में 117 एंबुलेंस सेवा में थीं।



सांक्टोरिया अस्पताल में आधुनिक ऑपरेशन थियेटर

10.1 इलाज के लिए बाहर निर्दिष्ट किए गए व्यक्तियों और उनके इलाज के लिए किए गए खर्च और मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा कवर किए गए ग्रामीणों की संख्या:

विवरण	2020-21	2019-20
बाहर रेफर किए गए मरीजों की संख्या	2,403	2,856
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम		
-शिविरों की संख्या	78	286
-लाभार्थियों की संख्या	3,171	15,461
मोबाइल औषधालयों से आच्छादित ग्रामीण		
-शिविरों की संख्या	2,400 (Appr.)	3,666
-लाभार्थियों की संख्या	32,000 (Appr.)	83,082
कंपनी कामगारों का पीएमई ठेका	10,050	11,647
कामगारों का पीएमई कंपनी	530	737
कामगारों का आईएमई ठेका	630	436
कामगारों का आईएमई	864	801

कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए ₹ 51.99 करोड़ की तुलना में कंपनी अस्पताल के बाहर चिकित्सा रेफरल के कारण ₹ 68.59 करोड़ की राशि खर्च की।



निदेशक (कार्मिक), ईसीएल द्वारा कोविड वार्ड का निरीक्षण



ईसीएल के केंद्रीय अस्पताल में कर्मचारियों का टीकाकरण

11.0 कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(2) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर निदेशक की रिपोर्ट **(अनुलग्नक-V)** के भाग के रूप में एक अलग खंड में प्रस्तुत की गई है।

12.1 सामाजिक सुविधाएं

स्थापना के बाद से, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने श्रमिकों के कल्याण के साथ-साथ खदानों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों/समुदायों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे, औद्योगिक संरचना, सड़कों और रेलवे साइडिंग, आवासीय भवन, जल आपूर्ति और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों आदि के विकास के लिए बहुत सारी गतिविधियों में भाग लिया गया है। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

12.2 सभ्य आवास कार्यक्रम के तहत आवासीय भवन

कालोनियों के निवासियों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार के लिए क्वार्टरों की संपूर्ण मरम्मत एवं उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान डिसेंट हाउसिंग प्रोग्राम के तहत ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 2575 आवासीय क्वार्टरों की संपूर्ण मरम्मत एवं उन्नयन का कार्य पूरा किया गया है। शौचालयों, बाथरूम और किचन में टाइल्स लगाकर क्वार्टरों का अपग्रेडेशन, किचन में सिंक, मार्बल स्लैब और एग्जॉस्ट फैन, दरवाजे-खिड़की में मच्छरदानी लगाने के साथ-साथ पूरी तरह से मरम्मत का काम किया जा रहा है । ईसीएल के झांजरा क्षेत्र में ₹ 195.59 लाख की वित्तीय भागीदारी से कार्यपालक छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

12.3 सेवा भवन

वर्ष के दौरान पूरे किए गए कुछ प्रमुख कार्यों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	कार्य का विवरण	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)
1.	झांजरा क्षेत्र अंतर्गत एमआईसी में परियोजना कार्यालय का निर्माण	137.53
2.	हुरा सी परियोजना, राजमहल क्षेत्र में जीएम/एजेंट कार्यालय का निर्माण	95.96
3.	केंडा क्षेत्र के चोरा 10 पिट कोलियरी में मॉडल कैंटीन का निर्माण	15.86
4.	केंडा क्षेत्र के अंतर्गत शंकरपुर ओसीपी में मॉडल कैंटीन का निर्माण	16.62
5.	सतग्राम क्षेत्र मुख्यालय अंतर्गत विक्रय भवन के प्रथम तल का निर्माण, शौचालय परिसर का निर्माण सहित अन्य सम्बद्ध कार्यों का निर्माण	45.68

वर्ष के दौरान प्रदान किए गए कुछ प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	कार्य का विवरण	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)
1	1 ईसीएल मुख्यालय के तहत ईआरपी सेल की स्थापना के लिए तकनीकी भवन में चौथी मंजिल का विस्तार	110.97
2	2 हुरा सी परियोजना राजमहल क्षेत्र में कैंटीन का निर्माण	56.73
3	3 श्रीपुर क्षेत्र के अंतर्गत वेस्ट ब्लॉक कोलियरी में कैंटीन भवन का निर्माण	21.90
4	नाकराकोंडा - कुमारडीही बी कोलियरी बांकोला क्षेत्र के तहत ओसी परियोजना में स्टोर कॉम्प्लेक्स (शेड, स्टोर ऑफिस, वॉश रूम, पीओएल, स्टोर और बिटुमिनस फुटपाथ के साथ स्टोर) का निर्माण	98.11
5	कुमारडीही-बी बांकोला क्षेत्र के तहत कुमारडीही बी सीएम यूजी प्रोजेक्ट (1.02एमटीवाई) में एक गार्ड रूम के साथ 1100 मीटर की चारदीवारी का निर्माण	111.55
6	तिलबोनी परियोजना के तहत मुख्य सबस्टेशन का निर्माण (प्लिंथ क्षेत्र 250 वर्ग मीटर, ऊंचाई 4.5 मीटर)	26.69
7	सी.एम. में स्टोर का निर्माण तिलबोनी कोलियरी के तहत परियोजना	32.22
8	स्टोर नं. नकरकोंडा कुमारडीही बी कोलियरी के तहत सीएम परियोजना में 2	40.34
9	तिलबोनी परियोजना के तहत खदान संख्या 1 के लिए वर्कशॉप प्लिथ एरिया (552.21 वर्गमीटर) का निर्माण	98.14
10	जी + 1 भवन का निर्माण जिसमें ई एंड एम के लिए साइट कार्यालय है एसीएम का कार्यालय सहायक प्रबंधक क्रेच के लिए अतिरिक्त कक्ष और जेपीसी के तहत एमआईसी में प्राथमिक चिकित्सा स्टेशन	47.59

12.4 सामुदायिक भवन

वर्ष के दौरान प्रदान किए गए कुछ प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	कार्य का विवरण	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)
1.	सतग्राम क्षेत्र के अंतर्गत डीएवी पब्लिक स्कूल नीमचा (आर) कोलियरी में सीढ़ी गलियारे, शौचालय और अन्य संबद्ध कार्यों के साथ पहली मंजिल की कक्षाओं का विस्तार।	177.71
2.	झांजरा क्षेत्र अंतर्गत ऑफिसर्स कॉलोनी में चिल्ड्रन पार्क का विकास।	35.91
3.	नीमचा कोलियर, सतग्राम के अंतर्गत अमकोला इकाई में सामुदायिक भवन का निर्माण	14.59
4.	सतग्राम क्षेत्र मुख्यालय अंतर्गत दुर्गा मंदिर के निकट सामुदायिक भवन में विविध उद्देश्यों हेतु शेड निर्माण के साथ प्रथम तल का निर्माण	44.72

वर्ष के दौरान प्रदान किए गए कुछ प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	कार्य का विवरण	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)	31.03.2021 तक की स्थिति
1	सोपदेउर क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय के पास जमीन के लिए गैलरी, शौचालय, कार्यालय और चारदी-वारी का निर्माण	136.28	कार्य पुरस्कृत
2	कजोरा क्षेत्र के अंतर्गत हनुमान मंदिर के निकट पोरास्कोल (पश्चिम) कोलियरी में सामुदायिक भवन का निर्माण	15.52	कार्य प्रगति में है

12.5 जलापूर्ति

ईसीएल ने हमेशा हमारे आवासीय घरों में रहने वालों के साथ-साथ आसपास के समुदायों के लोगों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान चालू किए गए संयंत्रों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	क्षेत्र	स्थान	निस्पंदन सिस्टम का प्रकार	क्षमता	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)
1.	सोदपुर क्षेत्र	चिनकुरी माइन I	रिवर्स ऑस्मोसिस	5000 एलपीएच	49.88
2.	कुनुस्टोरिया एरिया	नॉर्थ सियरसोल	प्रेशर फिल्टर	7500 जीपीएच	29.70
3.	एसपी माइंस	न्यू कॉलोनी	रिवर्स ऑस्मोसिस	5000 एलपीएच	39.55
4.	सतग्राम	नीमचा कोलियरी	रिवर्स ऑस्मोसिस	5000 एलपीएच	25.07
5.	केंडा	क्षेत्रीय अस्पताल, चोरा	रिवर्स ऑस्मोसिस	5000 एलपीएच	32.09
6.	झांजरा	मुख्य औद्योगिक परिसर	रिवर्स ऑस्मोसिस	5000 एलपीएच	34.72
7.	सतग्राम	कालिदासपुर	रिवर्स ऑस्मोसिस	1000 एलपीएच	12.25

उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान नीचे उल्लिखित जल शोधन संयंत्रों की स्थापना और चालू करने के कार्य का विवरण प्रदान किया गया :

क्रम सं.	क्षेत्र	स्थान	निस्पंदन सिस्टम का प्रकार	क्षमता	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)	31.03.2021 तक की स्थिति
1.	बैंकोला	खंड्रा	विपरीत परासरण	5000 एलपीएच	76.39	कार्य प्रगति पर है
2.	बैंकोला	शंकरपुर कोलियरी	विपरीत परासरण	5000 एलपीएच		कार्य प्रगति पर है
3.	झंझरा	3 और 4 इनलाइन यूनिट	विपरीत परासरण	5000 एलपीएच	61.79	कार्य प्रगति पर है
4.	झंझरा	सेक्टर-1 कॉलोनी	विपरीत परासरण	5000 एलपीएच		कार्य प्रगति पर है
5.	कजोरा	एरिया हॉस्पिटल कॉलोनी	विपरीत परासरण	5000 एलपीएच	25.46	कार्य प्रगति पर है
6.	सोदेपुर	परबेलिया समूह	विपरीत परासरण	5000 एलपीएच	29.83	कार्य प्रगति पर है
7.	सोदेपुर	रानीसेयर, बीएमपी	विपरीत परासरण	5000 एलपीएच	45.78	कार्य प्रदान किया गया
8.	सोदेपुर	चिनकुरी माइन III	विपरीत परासरण	5000 एलपीएच	44.19	कार्य प्रदान किया गया
9.	सतग्राम क्षेत्र	कालिदासपुर कोलियरी	दबाव फ़िल्टर	10000 जीपीएच	29.13	कार्य प्रगति पर है
10.	सतग्राम	चापुईखासो	दबाव फ़िल्टर	10000 जीपीएच	37.09	कार्य प्रगति पर है

12.6 बुनियादी ढांचे का विकास

कोयले का प्रेषण ईसीएल की प्रमुख गतिविधियों में से एक है और इसे प्रभावी ढंग से और कुशलता से किया जा रहा है। कोयला मुख्य रूप से सड़कों और रेलवे के माध्यम से भेजा जा रहा है। ईसीएल ने इस संबंध में उचित कदम उठाए हैं। कुछ कार्यों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

क. सड़कें- वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्ण किए गए कुछ प्रमुख कोयला परिवहन सड़क कार्य निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य (₹ लाख में)
1.	कुंसुटोरिया क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर सीयरसोल ओसीपी से बांसरा रेलवे साइडिंग तक कोयले के परिवहन के लिए बांसरा कोलियरी में सड़क का डायवर्जन	180.39
2.	सोनपुर बाजारी परियोजना में पेरिफेरल हॉल रोड का निर्माण	361.86
3.	सोनपुर बाजारी क्षेत्र के अंतर्गत नई रेलवे साइडिंग के साथ होल्डिंग लाइन क्लियर कनेक्शन रखने के लिए मौजूदा समपार को स्थानांतरित करने के लिए सीएच 965 पर समपार से पुराने तुम्नी पुल तक बिटुमिनस सड़क का परिवर्तन।	113.56
4.	नीमचा कोलियरी, सतग्राम क्षेत्र के तहत 27 बंकर जंक्शन से कोयला और रेत परिवहन के लिए हाईवॉल खनन स्थल तक डब्ल्यूबीएम रोड (लगभग 850 एमटी लंबाई) बनाना	30.81

क्रम सं.	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य (₹ लाख में)
5.	चिनकुरी माइन-3 मेन गेट से इंजीनियरिंग ऑफिस तक और कोल डिपो में चिनकुरी नं. 03 सीकेआई-एसडीपी (आर) जीआर, सोदपुर क्षेत्र के तहत।	42.21
6.	राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत डुमरिया गांव खेल मैदान में पुलिया बनाने के लिए सड़क का निर्माण (लंबाई-600 मीटर)।	53.95
7.	राजमहल क्षेत्र के हुरा सी परियोजना में सब-स्टेशन के पास सड़क की बिटुमिनस कारपेटिंग	99.75
8.	हिजुकिता चेक पोस्ट से लालमटिया चौक, राजमहल क्षेत्र तक डब्ल्यूबीएम लाइट व्हीकल रोड का निर्माण।	99.95
9.	हाहाजोर में पुलिया बिंदु से हाहाजोर ग्राम सड़क प्रारंभिक बिंदु, राजमहल क्षेत्र तक पीसीसी फुटपाथ का निर्माण।	81.82
10.	समसन घाट न्यू डायवर्सन रोड, राजमहल क्षेत्र के निकट ग्राम बरामदा में डब्ल्यूबीएम रोड का निर्माण।	99.75

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदान किए गए और किए गए कुछ प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	कार्य का विवरण	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)	31.03.2021 तक की स्थिति
1.	नीमचा कोलियरी, सतग्राम क्षेत्र के अंतर्गत अमकोला में ओसी पैच के विस्तार के लिए नूनिया जोरे के साथ बिटुमिनस सड़क (लगभग 900.00 मीटर) बनाना	47.67	कार्य प्रदान किया गया
2.	राजमहल ओसीपी से राजमहल क्षेत्र में लालमटिया चौक के पास 0 प्वाइंट तक पीसीसी मुख्य सड़क का निर्माण	387.65	कार्य प्रगति पर है।
3.	एस बी प्रोजेक्ट के तहत बेस वर्कशॉप गेट से वेटब्रिज जंक्शन तक पीसीसी रोड का सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण	109.32	कार्य प्रगति पर है।
4.	दलबंद कोलियरी, पांडवेश्वर क्षेत्र के तहत दलबंद ओ.सी. पैच (पीएच-III) के उत्तर की ओर (क्रशर से मौजूदा परिवहन सड़क तक रनवे के पास) कोयला परिवहन सड़क (डब्ल्यूबीएम) का निर्माण।	43.55	कार्य प्रगति पर है।
5.	कुनुस्तोरिया क्षेत्र, ईसीएल के तहत पारासिया-बेलबेड परियोजना के लिए एप्रोच रोड का निर्माण पुनर्गठन यूजी (2.07 एमवाईटी)	83.00	कार्य प्रगति पर है।

ख. पुनर्वास : वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्ण किए गए पुनर्वास स्थल के विकास से संबंधित कुछ कार्यों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	कार्य का नाम	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)
1.	सोनपुर बाजारी क्षेत्र के सोनपुर बाजारी गांव के लिए दाहुका पुनर्वसन स्थल पर चारदीवारी और एक हैंडपंप के साथ प्राथमिक विद्यालय का निर्माण।	153.85
2.	सोनपुर बाजारी क्षेत्र के सोनपुर गांव के लिए दाहुका पुनर्वसन स्थल पर आरसीसी ड्रेन का निर्माण	694.71
3.	एस बी क्षेत्र अंतर्गत सोनपुर गांव के लिए दाहुका पुनर्वसन स्थल बी प्लॉट पर सीमेंट कंक्रीट सड़क और नाली का निर्माण	70.94
4.	दाहुका पुनर्वास स्थल, सोनपुर बाजारी परियोजना में चारदीवारी का निर्माण	109.79
5.	केओसीपी, पांडवेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत बौरी पारा पुनर्वसन कॉलोनी में कॉलोनी रोड का निर्माण। पीसीसी सड़क की लंबाई 4310 मीटर चौड़ाई 3.0 मीटर	295.82
6.	केओसीपी, पनदवेस्वर क्षेत्र के अंतर्गत बिलपहाड़ी ग्राम के सामान्य पारा पुनर्वसन स्थल के लिए कालोनी रोड का निर्माण। (लंबाई 5.6 किमी चौड़ाई 3.75 मीटर)	438.06
7.	खोट्टाडीह ओसीपी के तहत बौरी पारा के बिलपहाड़ी पुनर्वास स्थल पर संबद्ध सिविल कार्यों सहित सभी सहायक उपकरणों के साथ 10000 जीपीएच क्षमता के प्रेशर फिल्टर और इलेक्ट्रो-क्लोरीनेटर की स्थापना प्रदान करना।	111.03
8.	एस बी क्षेत्र अंतर्गत सोनपुर गांव के लिए दाहुका पुनर्वसन स्थल पर बाउरी पारा, सबाज संघ, नेताजी संघ, जनप्रिय समिति और उदय संघ के लिए 5 क्लबों का निर्माण।	41.71
9.	एस बी क्षेत्र के सोनपुर गांव के लिए दाहुका पुनर्वसन स्थल पर चारदीवारी और एक हैंडपंप के साथ जूनियर हाई स्कूल का निर्माण	145.68
10.	दाहुका पुनर्वसन स्थल सोनपुर बाजार में सीमेंट कंक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण	825.06

क्रम सं.	कार्य का नाम	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)
11.	सोनपुर गांव के अंतर्गत दाहुका पुनर्वसन स्थल पर 03 भगवती मंदिर, 03 काली मंदिर, ईश्वरी मंदिर, गौरंगो मंदिर, विष्णु मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, शिव मंदिर और साग घर का निर्माण।	229.93
12.	पांडवेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत केओसीपी आरसीसी पुल के तहत 1 आरसीसी बॉक्स पुलिया सहित बाउरी पार पुनर्वसन से एनएच 60 तक मुख्य मार्ग का निर्माण।	128.61
13.	एसपी खदान क्षेत्र अंतर्गत जमनीटार्ड पुनर्वसन स्थल पर पीसीसी रोड का निर्माण।	20.91
14.	एसपी खदान क्षेत्र के तहत खून गांव को स्थानांतरित करने के लिए बनवारीदंगल पुनर्वसन में मौजूदा डब्ल्यूबीएम सड़क पर पीसीसी सड़क प्रदान करना	40.89
15.	एसपी खदान क्षेत्र के तहत बनवारीदंगल पुनर्वसन स्थल पर चारदीवारी के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (5 कमरे) का निर्माण।	22.80

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदान किए गए पुनर्वास स्थलों के विकास से संबंधित कुछ प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	कार्य का विवरण	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)	31.03.2021 तक की स्थिति
1	खोइडीह ओसीपी, पांडवेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत बिलपहाड़ी गांव के पुनर्वसन स्थल पर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण	117.15	कार्य प्रदान किया गया
2	खोइडीह ओसीपी, पांडवेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत बिलपहाड़ी गांव के पुनर्वसन स्थल पर सामान्य पारा के लिए 02 (दो) सामुदायिक हॉल का निर्माण	129.37	कार्य प्रगति पर है।
3	एसपी खदान क्षेत्र के अंतर्गत खून गांव को स्थानांतरित करने के लिए बनवारीदंगल पुनर्वसन की तुलना में चारदीवारी और मांझी की तुलना में जौहर का निर्माण	30.22	कार्य प्रगति पर है।
4	एस.पी. खदान क्षेत्र के अंतर्गत खून गांव के स्थानांतरण के लिए बनवारीदंगल पुनर्वसन में सहायक सुविधाओं के साथ खेल के मैदान का निर्माण।	79.19	कार्य प्रगति पर है।
5	एस बी क्षेत्र के अंतर्गत सोनपुर गांव के लिए मिट्टी दाहुका पुनर्वास स्थल बी प्लॉट भरकर 02 फुटबॉल मैदान बनाना	21.01	कार्य प्रगति पर है।
6	एस बी क्षेत्र के तहत भटमूडा पुनर्वसन स्थल के लिए परिधीय चारदीवारी का निर्माण	100.70	कार्य प्रगति पर है।

ग. रेलवे साइडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर: वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए कुछ प्रमुख रेलवे साइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	कार्य का नाम	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)	31.03.2021 तक की स्थिति
1.	कुनुस्तोरिया क्षेत्र के अंतर्गत अमृतनगर कोलियरी के बेलबैद रेलवे साइडिंग पर चारदीवारी का निर्माण	20.33	कार्य संपन्न
2.	सतग्राम क्षेत्र के जे.के.नगर कोलियरी के अंतर्गत जे.के.नगर कोलियरी 01 नंबर पिट गेट से एमएस कोल डिपो साइडिंग (लंबाई 600 मीटर लगभग) की ओर रेलवे ट्रैक के किनारे (दोनों तरफ) हाई ड्रेन का निर्माण	23.31	कार्य संपन्न
3.	सतग्राम क्षेत्र के जे.के.नगर कोलियरी के तहत एम.एस. कोल डिपो साइडिंग पर दीवार के ऊपर (पूर्व की ओर 420 मीटर लंबाई) बाड़ के साथ सीमा की दीवार की ऊंचाई	17.95	कार्य संपन्न
4.	सतग्राम क्षेत्र के नीमचा कोलियरी के अंतर्गत कोयला डिपो (फ्रंट रोड साइड 03 नंबर, 04 नं.) पर बाउंड्री वॉल (लगभग 500.00 एमटी) का निर्माण	40.15	कार्य प्रगति पर है

नई रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए एफएसआर और डीपीआर तैयार करने के लिए दिए गए कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

1. 29.09.2020 को इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) को ईसीएल के सालनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ईटापारा रेलवे साइडिंग के निर्माण कार्य के लिए व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट (एफएसआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य आदेश जारी किया गया है।)
2. ईसीएल के बांकोला क्षेत्र के तहत तिलबोनी परियोजना में रेलवे साइडिंग के निर्माण कार्य के लिए व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट (एफएसआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य आदेश राइट्स को 08.04.2020 को जारी किया गया है।



मुग्मा क्षेत्र में सीएसआर के तहत ईसीएल स्कूल भवन का उद्घाटन

घ. पर्यावरण के उपाय : कालोनियों के साथ-साथ कार्यशाला के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की कार्रवाई की गई है। वर्ष 2020-21 के दौरान पूरे किए गए प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	कार्य का विवरण	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)
1.	एमआरडब्ल्यू एवं न्यू कॉलोनी के तहत सतत विकास कार्यक्रम के तहत कच्चे जल संचयन का निर्माण	15.93
2.	सोनपुर बाजारी क्षेत्र, ईसीएल के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर वर्षा जल संचयन (भूजल रिचार्ज) के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण	7.50
3.	सतग्राम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वर्षा जल संचयन का निर्माण	13.00
4.	सोदपुर क्षेत्र के बीएमपी ग्राउंड के अंतर्गत बेजडीह इनलाइन पर खदान के पानी के डिस्चार्ज प्वाइंट पर सेटलिंग टैंक का निर्माण.	9.03
5.	सोदपुर क्षेत्र, ईसीएल के तहत जीएम बंगला और वीटी केंद्र में वर्षा जल संचयन प्रदान करना।	2.17
6.	सोदपुर क्षेत्र के अंतर्गत सीकेआई-एसडीपी समूह के तहत चिनकुरी में प्रबंधक कार्यालय एजेंट कार्यालय और गेस्ट हाउस में वर्षा जल संचयन प्रदान करना।	3.85
7.	परबेलिया ग्राउंड सोदपुर क्षेत्र में प्रबंधक कार्यालय (परबेलिया और दुबेश्वरी), एजेंट बंगला, डिस्पेंसरी और गेस्ट हाउस में वर्षा जल संचयन प्रदान करना।	8.14

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदान किए गए और लिए गए पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	कार्य का नाम	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)	31.03.2021 तक की स्थिति
1	कुनुसुतोरिया क्षेत्र के अंतर्गत बंसरा रेलवे साइडिंग में 70 केएल क्षमता के जल भंडार और पंप रूम के साथ धूल दमन प्रणाली की स्थापना के साथ-साथ 03 वर्षों की अवधि के लिए दिन-प्रतिदिन संचालन और रखरखाव।	67.50	कार्य प्रगति में है।
	राजमहल क्षेत्र में खदान से निकले पानी के अवसादन के लिए तालाब को गहरा करना	42.96	कार्य प्रगति में है।
2	सोदपुर क्षेत्र के अंतर्गत डीएमसी समूह के अंतर्गत धेमोमैन कोलियरी एजेंट कार्यालय, डीएमसी इनलाइन और नरसमुडा कोलियरी में वर्षा जल संचयन प्रदान करना	3.45	कार्य प्रगति में है।
3	बीएमपी ग्राउंड सोदपुर क्षेत्र के अंतर्गत मिठानी, प्रबंधक कार्यालय बेजडीह और पटमोहना कोलियरी में एजेंट बंगला में वर्षा जल संचयन प्रदान करना।	2.68	कार्य प्रगति में है।
4	कजोरा क्षेत्र अंतर्गत प्रशासनिक कार्यालय एवं अतिथि गृह में वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण	4.21	कार्य प्रगति में है।

ङ **खदान विकास कार्य:** वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए कुछ खान विकास कार्य निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	कार्य का नाम	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)	31.03.2021 तक की स्थिति
1	सोनपुर बाजारी परियोजना में परिधीय सड़क से जुड़े गोसाईस्थान बाजारी गांव के पास हॉल रोड (लंबाई 500 मीटर) का निर्माण	129.37	कार्य प्रगति में है।
2	सतग्राम क्षेत्र अंतर्गत कालिदासपुर परियोजना में अन्य सम्बद्ध कार्यों सहित सतही पंखे की स्थापना हेतु फैन हाउस का निर्माण	22.92	कार्य संपन्न।
3	सतग्राम परियोजनान्तर्गत सतग्राम इनलाइन पर एक जलाशय के साथ बालू भण्डारण बंकर का निर्माण	26.13	कार्य संपन्न।
4	राजमहल क्षेत्र अंतर्गत लोहंडिया-बसडीहा मार्ग पर गार्ड वाल का निर्माण।	56.31	कार्य संपन्न।
5	राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत बांसडीहा के खदान किनारे के चारों ओर गार्ड वाल का निर्माण (400 मीटर)	65.03	कार्य संपन्न।

13.0 सुरक्षा और बचाव

ईसीएल में, सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, जिसे 'ज़ीरो हार्म' प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ मुख्य उत्पादन प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाता है। सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए, ईसीएल ने मिशन **"सुदेश"** के तत्वावधान में वर्ष 2020-21 के दौरान कई उपायों को सख्ती से अपनाया है।

13.1 वर्ष 2020-21 के लिए दुर्घटना के आंकड़े

क्रम सं	विवरण	2020-21*	2019-20*
1.	घातक दुर्घटनाएं (सं.)	05	08
2.	घातक (सं.)	06	08
3.	गंभीर चोटें (सं.)	17	21
4.	घातक/मिलियन टन उत्पादन	0.133	0.158
5.	मौत/3 लाख मैन-शिफ्ट	0.137	0.178
6.	गंभीर चोट / मिलियन टन उत्पादन	0.378	0.396
7.	गंभीर / 3 लाख मैन-शिफ्ट	0.388	0.447

(*डीजीएमएस के साथ समाधान के अधीन)

13.2 सुरक्षा जागरूकता गतिविधियां

क) दुर्घटनाओं, सुरक्षित प्रथाओं के लिए 2-3 मिनट की 10 छोटी वीडियो क्लिप तैयार की गईं और कर्मचारियों को सुरक्षा संस्कृति के बारे में जागरूक करने के लिए कर्मचारियों के बीच वितरित की गई।

ख) प्रत्येक खदान में प्री-शिफ्ट सेफ्टी टॉक अनिवार्य कर दी गई है। अन्य विषयों के साथ इन वार्ताओं में दुर्घटनाओं/घटनाओं के कारणों और ऐसी किसी भी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों के साथ-साथ कर्मचारियों के साथ दुर्घटनाओं और चूक पर चर्चा की जाती है।

ग) कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, बारह (12) सुरक्षा अभियान आयोजित किए गए, जिसमें आग और स्वतःस्फूर्त ताप, व्यक्ति के गिरने के कारण दुर्घटना की रोकथाम, विस्फोटकों के विस्फोट से होने वाली दुर्घटना की रोकथाम, यूजी गैर-परिवहन मशीनरी के कारण दुर्घटना, मानसून की तैयारी और ढलान / डंप निगरानी, भूमिगत ढुलाई प्रणाली का सुरक्षित संचालन, स्तर नियंत्रण और छत और साइड सपोर्ट, संविदात्मक एचईएमएम का सुरक्षित संचालन, विद्युत स्थापना और उपकरण, वीटी केंद्र और पीएमई केंद्र, स्तर निगरानी और छत और साइड सपोर्ट आदि रोकथाम पर विचार-विमर्श किया गया।

घ) 29.09.2020 को 135वीं सीएमडी की बैठक के निर्देशों के अनुसार कंपनी की सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए एक मंथन सत्र आयोजित किया गया था। सत्र के सुझावों को सभी खदानों में लागू किया गया।

ङ) 23.11.2020 को विंडिंग इंजनों का संचालन करने वाले नौ यूजी खनन क्षेत्रों के अधिकारियों की भागीदारी में "घुमावदार स्थापना के रखरखाव और सुरक्षित संचालन" पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

च) 18.01.2021 से 23.01.2021 तक ईसीएल सुरक्षा अधिकारियों के साथ सीआईएल अधिकारियों द्वारा "सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) और नौकरी सुरक्षा विश्लेषण (जेएसए) का अद्यतन, समीक्षा और कार्यान्वयन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

छ) क्षेत्र की छह कैप्टिव खानों के साथ-साथ ईसीएल, पीएमई केंद्रों, वीटी केंद्रों की सभी खानों में डीजीएमएस के मार्गदर्शन में 08.02.2021 से 13.02.2021 तक सुरक्षा सप्ताह मनाया गया।

ज) 28 अप्रैल, 2020 को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आईएलओ दिवस मनाया गया।

झ) वर्ष के दौरान विभिन्न खदानों में प्रत्याशित खतरों पर मॉक रिहर्सल का आयोजन किया गया।

13.3 2020-21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

क) वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान घातक दुर्घटनाओं में 37.50 प्रतिशत और मृत्यु दर में 25 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान गंभीर दुर्घटनाओं में 21.05 फीसदी और गंभीर चोटों में 19.05% की कमी आई है।

ख) सेफ्टी एक्शन कैलेंडर 2020 की शुरुआत में तैयार किया गया था, जिसमें विभिन्न सुरक्षा संबंधी गतिविधियों को शेड्यूल किया गया था, जो 2020-21 के दौरान किए गए थे और कैलेंडर में निर्धारित गतिविधियों को कोविड-19 महामारी के कारण थोड़ी कठिनाइयों के साथ पूरा किया गया था।

ग) 28.09.2020 तक ईसीएल की सभी 76 खानों का सुरक्षा ऑडिट पूरा कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, मिशन "सुदेश" के तत्वावधान में 16.03.2020 से 24.03.2020 तक ओसी पैच का एक विशेष सुरक्षा ऑडिट सभी परिचालन पर किया गया था।

घ) सभी पुराने पारंपरिक (लीड एसिड बैटरी) प्रकार के कैप लैंप को एलईडी कैप लैंप से बदला जाना है, जो 60% हल्के होते हैं और अधिक रोशनी देते हैं जिससे खनिकों की दक्षता और सुरक्षा में सुधार होता है। 30,000 एलईडी कैप लैंप की आपूर्ति के लिए आदेश दिया गया था, जिसमें से 14,000 एलईडी कैप लैंप पहले ही वितरित किए जा चुके हैं और शेष 2021-22 की पहली तिमाही के भीतर वितरित होने की उम्मीद है।

ङ) दो (02) वर्ष 1,12,284 जोड़ी सुरक्षा कैनवास जूता और तीन (03) वर्ष की आपूर्ति के लिए दर अनुबंध 49,861 जोड़े की आपूर्ति के लिए दर अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया था।

च) 13,365 श्रमिकों (विभागीय और संविदा दोनों) को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कार्य सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया।

छ) ईसीएल (विभागीय और संविदा दोनों) के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा (आईएमई) की 1,614 और 10,369 आवधिक चिकित्सा परीक्षा (पीएमई) आयोजित की गई।

ज) ईसीएल, मुख्यालय के आईएसओ कार्यकारी ने वर्ष के दौरान ईसीएल की विभिन्न खानों में 468 निरीक्षण किए हैं, ताकि खानों की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जा सके और कोविड-19 महामारी के लिए सभी दिशानिर्देशों का पालन किया जा सकें।



खानों एवं अन्य कार्य स्थलों का सैनिटाइजेशन



ईसीएल द्वारा टीकाकरण अभियान

ट) आईएसओ पूछताछ के आधार पर वर्ष के दौरान आठ (08) सुरक्षा परिपत्र/सिफारिशें जारी की गईं।

ठ) सक्रिय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए क्षेत्रों द्वारा निकटवर्ती घटनाओं की रिपोर्टिंग और विश्लेषण शुरू कर दिया गया है।

13.4 सुरक्षा में श्रमिकों की भागीदारी

क) 74वीं कंपनी स्तरीय द्विपक्षीय सुरक्षा बोर्ड की बैठक 25 अगस्त, 2020 को कोविड-19 महामारी के लिए सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आयोजित की गई थीं।

ख) ऑपरेटिंग ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले कंपनी स्तर के सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों ने आईएसओ अधिकारियों के साथ वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार सभी खानों का निरीक्षण किया हैं।

ग) खदानों की सुरक्षा समिति में ठेकेदारों के श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था।

घ) खानों की सुरक्षा समिति को मजबूत और सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। फोरम के महत्व को बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी (जैसे क्षेत्र के महाप्रबंधक, एजेंट और आईएसओ प्रतिनिधि) नियमित रूप से सुरक्षा समिति की बैठकों में भाग ले रहे हैं।

13.5 मानसून निगरानी

क) मिशन "सुदेश" के एक भाग के रूप में कोलियरी प्रबंधन के साथ-साथ सुरक्षा विभाग के क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों / प्रभारी द्वारा 28.09.2020 से 03.10.2020 तक मानसून की तैयारी और ढलान / डंप निगरानी के संबंध में विशेष अभियान देखा गया। .

ख) सुरक्षा, ईएंडएम, उत्खनन और भू-तकनीकी विभागों के अधिकारियों की एक बहु-अनुशासनात्मक टीम ने 25 फरवरी, 2020 से 22 जुलाई, 2020 तक ईसीएल की 38 संवेदनशील खानों का निरीक्षण किया।

ग) मुख्यालय, ईसीएल में 10 जून, 2020 से 15 अक्टूबर, 2020 तक 24X7 आधार पर एक नियंत्रण कक्ष खोला गया था, जिसे सभी क्षेत्रों में संचालित क्षेत्र नियंत्रण कक्षों के साथ निकट संपर्क रखते हुए उनके आंदोलन के लिए टेलीफोन और वाहन प्रदान करने वाले अधिकारियों द्वारा संचालित किया गया था।

घ) मानसून नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी ने डीवीसी, मैथन के मुख्य अभियंता (पनबिजली) के साथ 'बाढ़ चेतावनी संदेश' प्राप्त करने के लिए निकट संपर्क बनाए रखा, जब भी पंचेट और मैथन बांध पानी छोड़ते हैं, जिससे नदियों के जल स्तर में वृद्धि होती है। खदानें खतरे में हैं।

ङ) मानसून नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी ने भी भारतीय मौसम विभाग, अलीपुर, कोलकाता के निदेशक और क्षेत्र चक्रवात चेतावनी केंद्र, अलीपुर, कोलकाता के निदेशक के साथ निकट संपर्क बनाए रखा ताकि क्षेत्रों को सतर्क करने के लिए 'मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट' प्राप्त की जा सके। भारी बारिश और आंधी तूफान से प्रभावित।

13.6 कोविड-19 महामारी से जूझना

क) कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए महाप्रबंधक (सुरक्षा) के कार्यालय से विभिन्न दिशा-निर्देश जारी और प्रसारित किए गए।

ख) कोविड -19 महामारी से निपटने के लिए एसओपी तैयार किया गया और ईसीएल की सभी खदानों में लागू किया गया।

ग) कोविड -19 महामारी से निपटने के लिए सीआईएल, डीजीएमएस और मंत्रालयों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति की ईसीएल के आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा बारीकी से निगरानी की गई थीं।

13.7 ईसीएल में बचाव सेवाएं

खदान बचाव स्टेशन, सीतारामपुर, पुनश्चर्या प्रशिक्षण के साथ बचाव कक्ष (आरआरआरटी), केंडा और झंझरा और मुगमा में चल रहे बचाव कक्ष के माध्यम से ईसीएल की सभी खदानों, बीसीसीएल के चंच विक्टोरिया क्षेत्र, आईआईएससीओ के रामनगर कोलियरी के साथ-साथ नागरिक प्रशासन और लोक प्राधिकरणों (जब भी आवश्यक हो) को बचाव सेवाएं प्रदान की गई हैं।

13.8 वर्ष के दौरान निम्नलिखित खदानों में आग/स्वाभाविक तापन के लिए आपातकालीन उपस्थिति/बचाव सेवाएं निपटाई गईं:

क्रम सं.	कोयले की खान	क्षेत्र	दिनांक	घटना/कार्य की प्रकृति
1.	मोयरा	बंकोला	16.05.2020 to 21.05.2020	आग लगी हुई क्षेत्र को सील करने के लिए पांच (05) स्टॉप का निर्माण करके (आर-वी) कजोरा सीम पर स्वतःस्फूर्त हीटिंग से निपटाया गया।
2.	जमबाद ओसीपी	कजोरा	20.06.2020 to 29.06.2020	खोज करने के उपरांत दबे इलाके में एक शव को बरामद किया गया।

क्रम सं.	कोयले की खान	क्षेत्र	दिनांक	घटना/कार्य की प्रकृति
3.	गौरांगडीह बेगुनिया परियोजना	सालनपुर	25.06.2020	दो डंपरों के फंसने के बाद एक चालक को बचा लिया गया।
4.	मधुजोरे	कजोरा	25.06.2020 to 26.06.2020	पिट नंबर 2 से धुआं निकल रहा था। गड्ढे और पंखे के बहाव को पूरी तरह से सील कर दिया गया था।
5.	माधबपुर	कजोरा	20.07.2020 to 25.07.2020	डूबने के बाद गांव हरीशपुर पहुंची रेस्क्यू टीम।
6.	कुनुस्तोरिया	कुनुस्तोरिया	09.10.2020 to 17.10.2020	आग लगी हुई क्षेत्र को सील करने के लिए चार (04) स्टॉप का निर्माण करके केंडा (आर-V) सीम पर स्वतःस्फूर्त हीटिंग से निपटाया गया।
7.	दुबेस्वरी	सोदेपुर	20.10.2020 to 21.10.2020	खदान के अंदर एक कथित लापता व्यक्ति को ढूंढ लिया गया।
8.	खुदिया	मुग्मा	08.12.2020 to 17.12.2020	एमएस सीम पर अचानक पानी घुसने के बाद दो लोगों को बचाया।
9.	गिरमिंट	श्रीपुर	24.12.2020 to 31.12.2020	अजय-द्वितीय कोलियरी के एक परित्यक्त गड्ढे से एक लापता व्यक्ति को ढूंढ लिया गया।
10.	पैरास्कोल (पश्चिम)	कजोरा	06.01.2021 to 07.01.2021	आग लगी हुई क्षेत्र को सील करने के लिए चार (04) स्टॉप का निर्माण करके (R-VIII) जंबाद सीम पर स्वतःस्फूर्त हीटिंग से निपटाया गया।
11.	शंकरपुर मिलेनियम इंक्लाइन	बंकोला	19.03.2021 to 24.03.2021	आग लगी हुई क्षेत्र को सील करने के लिए 3 (तीन) स्टॉपिंग के निर्माण के बाद पानी के सीधे हमले से R-VIIA सीम पर खंभे की आग से निपटाया गया।

13.9 बचाव प्रशिक्षण

खदान बचाव स्टेशन पर पुनश्चर्या के साथ-साथ प्रारंभिक प्रशिक्षण नियमित रूप से निम्नानुसार प्रदान किया गया:

विवरण	2020-21	2019-20
सक्रिय बचाव प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	474	523
नए प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	13	30
प्रदान किए गए पुनश्चर्या अभ्यासों की संख्या	2876	4730
उपस्थित आपात स्थितियों की संख्या	11	03

13.10 क्षेत्रीय खदान बचाव प्रतियोगिता और अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता (कोयला और धातु)

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण वर्ष 2020-21 के लिए क्षेत्रीय खदान बचाव प्रतियोगिता, पूर्वी क्षेत्र और अखिल भारतीय खदान बचाव प्रतियोगिता (कोयला और धातु) का आयोजन नहीं किया गया था।

13.11 खरीदे गए नए उपकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान चार (04) आधुनिक बकेट स्ट्रेचर की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश जारी किया गया और 96 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए भी कार्य आदेश जारी किया गया। इसके अलावा, ₹ 234 लाख के अनुमानित मूल्य के लिए 36 स्व-निहित श्वास उपकरण (एससीबीए) की खरीद प्रक्रियाधीन है।

13.12 खदान बचाव केंद्र के लिए बजट प्रावधान

विवरण	पूंजी बजट (₹ लाख में)		राजस्व बजट (₹ लाख में)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
स्वीकृत	446.00	103.50	1413.00	2,502.26
खर्च	1.32	28.46	2031.00	2,394.90

14.0 गुणवत्ता नियंत्रण

14.1 वजन की स्थिति

2020-21 में, पिछले वर्ष की तुलना में बिजली घरों और अन्य आपूर्ति खातों के लिए ईपीएस में तौला गया मात्रा नीचे दिया गया है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	पावर	अन्य उपभोक्ता	कुल	पावर	अन्य उपभोक्ता	कुल
मात्रा भेजी गई	36.17	5.86	42.03	45.33	3.80	49.13
ईपीएस के तहत तौला गया मात्रा	35.77	5.86	41.63	45.23	3.80	49.03
ईपीएस के तहत वजन%	98.89	100	99.05	99.78	100	99.79

14.2 आकार देने की स्थिति

2020-21 में कोयले का कुल प्रेषण 42.03 मिलियन टन था, जिसमें से बिजली क्षेत्र को प्रेषण 36.17 मिलियन टन था। ईसीएल से बिजली कंपनियों को 100 एमएम साइज का 100 फीसदी क्रश्ड कोयला भेजा जा रहा है। विवरण इस प्रकार हैं:

(आंकड़े मिलियन टन में)

कोयले का आकार	2020-21			2019-20		
	पावर	अन्य	कुल	पावर	अन्य	कुल
सीएचपी/एफबी (एल/टी) में मात्रा का आकार	36.17	5.86	42.03	45.33	3.80	49.13
प्रतिशत (%)	100	100	100	100	100	100
कुल आकार प्रतिशत (%)	100	100	100	100	100	100

15.0 सतर्कता गतिविधियां

कंपनी की सतर्कता विंग ईसीएल में प्रबंधन कार्य की पारदर्शिता, गैर-भेदभाव, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने में सहायता करती है। संगठन के कामकाज की 'पारदर्शी और तर्कसंगत' छवि को प्रतिबिंबित करने के लिए पूरे वर्ष में कई सतर्कता गतिविधियों को प्रमुख भूमिका मिली है। ईसीएल के विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास विकसित करने के लिए पिछले वर्ष कई साहसिक और नवीन विचारों को ध्यान में रखा गया है। पूरे वर्ष ईसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न शिकायत-आधारित जांच की गई है और परिणामस्वरूप, विभिन्न चूक/अनियमितताओं को इंगित किया गया है। उन कमियों/अनियमितताओं से निपटने के लिए, मौजूदा प्रणालियों में उल्लेखनीय सुधार लागू किए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी के कामकाज की जवाबदेही, पारदर्शिता और तर्कसंगतता में अधिक स्पष्टता लाने के लिए, दुर्भावनापूर्ण इरादे से उद्देश्यपूर्ण तरीके से की गई अनियमितताओं / चूक के कई उदाहरणों पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया और कई मामलों में, यह अपराधी अधिकारियों को दंड देने में समाप्त हो गया। . चूकों, यदि कोई हो, की जांच के लिए विभिन्न विभागों को कवर करते हुए कई गहन परीक्षाएं भी की गई हैं और कुछ मामलों में, इसे "सिस्टम सुधार" के रूप में समाप्त किया गया है। आधुनिक आई.टी. सतर्कता विभाग के नियमित पर्यवेक्षण और निगरानी द्वारा ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में पहल और ई-गवर्नेंस लागू किया गया है।

15.1 निवारक सतर्कता

कंपनी के कामकाज के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए 2020-21 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों / इकाइयों में महत्वपूर्ण संख्या में औचक निरीक्षण किए गए। इसके अलावा, बड़ी संख्या में लाभार्थियों को शामिल करते हुए विभिन्न हितधारकों के बीच वर्ष भर में बड़ी संख्या में सतर्कता जागरूकता-सह-प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अधिकांश मामलों में, प्रचलित प्रणालियों का पूरी तरह से अध्ययन किया गया है और जब भी आवश्यक हो, मौजूदा प्रणाली में सुधार के लिए और साथ ही 'निवारक सतर्कता' के एक भाग के रूप में मौजूदा प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए विभिन्न "सिस्टम सुधार" उपायों को लागू किया गया है। . इस तरह के ईमानदार प्रयास संगठन की कार्य संस्कृति पर उल्लेखनीय रूप से परिलक्षित हुए हैं।

क्रम सं.	विषय	2020-21	2019-20
i.	आवधिक जांच के साथ आयोजित आकस्मिक जांच/निरीक्षण की संख्या	62	77
ii.	**सतर्कता जागरूकता सह प्रेरक कार्यक्रम:**		
	क) आंतरिक संकायों के साथ जागरूकता कार्यक्रम	21	18
	ख) जागरूकता ग्राम सभा	01	02
iii.	गहन परीक्षा	11	09

15.2 प्रणालीगत सुधार के लिए किए गए उपाय

मिशन **जटायु** के तत्वावधान में वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार के उपाय किए गए हैं:

क) इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज (ईआईएमडब्ल्यूबी) के लिए ईआईएमडब्ल्यूबी सॉफ्टवेयर में डेटा के नवीनतम आरडीएसओ विनिर्देश आयात / निर्यात / हटाने / संशोधित / मिटाने के विकल्प के अनुसार सॉफ्टवेयर की स्थिति के अद्यतन के संबंध में प्रणाली में सुधार। सॉफ्टवेयर को यूजर लेवल सिक्योरिटी मेंटेनेंस और डेटाबेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड फीचर के साथ पूरी तरह से टेम्पर प्रूफ विकसित किया गया है।

ख) ईसीएल में ब्लॉक रिपेयरिंग का कार्य टेंडर करने के दिशा-निर्देशों का निर्धारण।

ग) सिविल ठेकेदारों द्वारा अनुचित परेशानी और उत्पीड़न के कारण काम करने के गैर-पेशेवर तरीके के संबंध में सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के संबंध में प्रणाली में सुधार।

घ) सिविल इंजीनियरिंग विभाग के लिए कार्य अनुबंध के लिए प्रदर्शन सुरक्षा जमा (पीएसडी) और अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा जमा (एपीएसडी) जमा करने के लिए प्रणाली में सुधार।

ङ) अवैध खनन और कोयला चोरी के लिए कार्य योजना के संबंध में एसओपी।

च) ईसीएल वेबसाइट में निविदा के प्रकाशन के संबंध में और ₹ 2 लाख से कम की निविदाओं के मामले में भी खरीद में प्रणाली में सुधार।

छ) अस्पताल में बाह्य रोगी चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रणाली में सुधार।

ज) "ईसीएल में एक भूमिगत खदान में मूल दीर्घाओं में प्रस्तावित कैविंग पैनल के लिए केबल बोल्टिंग द्वारा छत का समर्थन, विभाजन और टुकड़ा करने" के काम के संबंध में प्रणाली में सुधार।

झ) किराए के ओसी पैच में ठेकेदारों द्वारा कोयला और ओबी की निकासी और निकासी की माप और बिलिंग की प्रणाली में सुधार।

15.3 दंडात्मक सतर्कता

संगठन के कामकाज की निष्पक्ष और पारदर्शी छवि को स्थापित करने के साथ-साथ दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई अनियमितताओं के उदाहरणों को बहुत गंभीरता से माना गया और प्रासंगिक आचरण नियम के तहत किए गए दृढ़ और अनुकरणीय दंडात्मक उपायों से निपटा गया। नतीजतन, कुल 51 अधिकारियों को विभिन्न बड़े और छोटे दंड से सम्मानित किया गया और 4 अधिकारियों को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक रूप से चेतावनी दी गई।

15.4 उत्तोलन प्रौद्योगिकी

संगठन की पारदर्शिता और क्षमता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में सतर्कता विभाग द्वारा प्रबंधन द्वारा की गई निम्नलिखित पहलों की निगरानी की गई:

क्रम सं.	गतिविधि	संशोधित आवश्यकता सहित कुल मात्रा	वर्तमान स्थिति		शेष
			स्थापित / साधिकार	कार्यरत / संचालन	
1.	जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम	1629	1479	1479	150
2.	सीसीटीवी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी	2726	1347	1148	1379
3.	बूम बैरियर / रीडर	206	शून्य	शून्य	206
	आरएफ आईडी टैग	12127	शून्य	शून्य	12127
4.	रोड वेट ब्रिज	121	105	95	16
	डब्ल्यूएएन के साथ रोड वेट ब्रिज कनेक्टिविटी	106	104	104	2
	रेल तौल पुल	14	12	11	2
	डब्ल्यूएएन के साथ रेल वेट ब्रिज कनेक्टिविटी	12	12	12	शून्य
5.	वाइड एरिया नेटवर्किंग (नोड्स/स्थान की संख्या)	251	146	146	105

15.5 सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम का कार्यान्वयन:

ईसीएल में सत्यनिष्ठा समझौता पहले ही लागू किया जा चुका है और यह प्रचलन में है।

15.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

ईसीएल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार 27.10.2020 से 02.11.2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का विषय "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" था। श्री प्रेम सागर मिश्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल ने हमारी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में

अखंडता और पारदर्शिता लाने और जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए निरंतर काम करने के लिए ईमानदारी की शपथ दिलाई। इसी प्रकार, क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/परियोजना और इकाई स्तरों में सभी संबंधित महाप्रबंधकों/विभागाध्यक्षों द्वारा शपथ दिलाई गई। 2020 का सतर्कता न्यूज़लेटर, "सचेतना"; संग्रह 2020 और अद्यतन डीओपी जारी किया गया। 31.10.2020 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एकता दिवस की शपथ भी मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), ईसीएल द्वारा प्रशासित की गई। ईसीएल मुख्यालय और सभी क्षेत्रों / इकाइयों / प्रतिष्ठानों में रणनीतिक बिंदुओं पर भ्रष्टाचार विरोधी नारों वाले बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे। इनके अलावा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

क) मुख्य सतर्कता अधिकारी, ईसीएल का संदेश 27.10.2020 को उनके सीयूजी मोबाइल नंबर पर थोक एसएमएस द्वारा सभी अधिकारियों (लगभग 2000 संख्या) को भेजा गया था।

ख) ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के तहत फेसबुक पेज के माध्यम से दैनिक आधार पर अपलोड की गई।

ग) ईसीएल के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों द्वारा ई-मेल द्वारा सभी क्षेत्र / विभाग / इकाई / ईसीएल की स्थापना के सभी जीएम / एचओडी को ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए व्यापक प्रचार।

घ) ई-प्रतिज्ञा लेने की सुविधा के लिए ईसीएल वेबसाइट (http://Easterncoal.gov.in) में सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा (सीवीसी द्वारा प्रदान की गई) के बैनर के साथ एक सक्रिय लिंक रखा गया है।

ङ) ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी सतर्कता विभाग, ईसीएल द्वारा विकसित वेबसाइट का उपयोग करके आयोजित की गई थी और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 की पूर्व संध्या पर कार्यशालाओं, अस्पतालों, खान बचाव स्टेशन और मुख्यालय सहित ईसीएल के सभी क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले सभी प्रतिभागियों के साथ वर्चुअल रूप से जुड़ रही थी।

च) गूगल फॉर्म के माध्यम से विक्रेताओं की प्रतिक्रिया सर्वेक्षण प्रतिक्रिया को ईसीएल के विभिन्न विक्रेताओं को सूचित किया गया था, जिसमें से 34 विक्रेताओं की प्रतिक्रिया दर्ज की गई है जिसमें ईसीएल की सेवाओं का उपयोग करने में विभिन्न सुझाव और उनके अनुभव शामिल हैं। वेबसाइट "eclvawquiz.com" का उपयोग कंपनी से संबंधित विभिन्न नियमों और विनियमों पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के प्रश्न बैंक को प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है और एक समृद्ध भारत के लिए आवश्यक सतर्कता भारत की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।

15.7 2020-21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

क) सामान्य प्रबंधन कामकाज के साथ सतर्कता गतिविधियों को एकीकृत करके, कंपनी ने जागरूकता सह प्रेरणा कार्यक्रमों में नियमित बातचीत से कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के मनोबल को बढ़ाने के मामले में हासिल किया है। यह उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय रूप से परिलक्षित हुआ है।

ख) नियमित निरीक्षण ने उत्पादन की अधिक रिपोर्टिंग की जांच करने में मदद की है और चूककर्ताओं से दंड के रूप में बड़ी मात्रा में मौद्रिक लाभ की वसूली के कई प्रस्तावों में भी मदद की है।

ग) कई आईटी-पहलों का लाभ पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि करने में सहायक रहा है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियों और एक समग्र निष्पक्ष कार्य वातावरण के माध्यम से लागत में कटौती हुई है।

घ) जांच और रिपोर्ट के लिए सीवीसी और एमओसी संदर्भित मामलों का अनुपालन महत्वपूर्ण रूप से किया गया है।

ङ) विभिन्न औचक निरीक्षणों और सीटीई निरीक्षणों के परिणामस्वरूप ₹ 6,26,28,610 की राशि वसूली/बचाई गई।

16.0 कर्मचारियों का विवरण

किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIII के तहत कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

17.0 राजभाषा कार्यान्वयन

2020-21 के दौरान, हिंदी पत्राचार का प्रतिशत क्षेत्र 'ए' में 55.76%, क्षेत्र 'बी' में 74.72% और क्षेत्र 'सी' में 56.35% दर्ज किया गया है। सभी क्षेत्रों के साथ मुख्यालय के सभी कंप्यूटरों को हिंदी में काम करने में आसानी के लिए फोनेटिक और पारंपरिक दोनों में यूनिकोड सक्षम हिंदी फॉन्ट के साथ सक्रिय किया गया है। प्रत्येक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कंप्यूटर में हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया ताकि हिंदी पत्राचार में तेजी से वृद्धि हो सके। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल पर त्रैमासिक प्रगतिशील रिपोर्ट (क्यूपीआर) ऑनलाइन जमा करने की प्रथा नियमित रूप से की जाती है।

एक (01) द्विभाषी (बंगाली और हिंदी) और दो (02) हिंदी समाचार बुलेटिंग में ईसीएल मुख्यालय से "ईसीएल दर्पण", कजोरा क्षेत्र से "प्रयास" और कुनुस्तोरिया क्षेत्र से "समृद्धि" प्रकाशित किया गया है। एक (01) द्विमासिक वॉल पोस्टर "ईसीएल समाचार" नियमित रूप से प्रकाशित होता है।

सोनपुर बाजारी क्षेत्र से नई हिंदी पत्रिका "उदगम-ए-ऊर्जा" का विमोचन किया गया है। राजभाषा विभाग द्वारा ईसीएल की सबसे पुरानी पत्रिका "ज्योत्सना" नियमित आधार पर प्रकाशित होती है।

40 धातु बोर्ड जिनमें भारत के संविधान का अनुच्छेद 351 बंगाली और हिंदी में लिखा गया है, सभी निदेशकों, सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों, ईसीएल के दोनों केंद्रीय अस्पतालों, सभी क्लबों, गेस्ट हाउस, प्रशिक्षण के कार्यालय के बहार लगा दिया गया है जिससे कि अनुच्छेद 351 के सार को आत्मसात हों।

कोयला उद्योग की शब्दावली से संबंधित एक ई-बुक, जिसका नाम 'कोयला उद्योग शब्दावली' है, कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों, डीजीएमएस, कोयला नियंत्रक, कोयला मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। इसे ईसीएल की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वर्ष के दौरान चार (04) कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

18.0 कम्प्यूटरीकरण और आई.टी. सक्षम सेवाएं

18.1 ईसीएल में ई-निविदा प्रकोष्ठ की गतिविधियां

क. 2020-21 के दौरान, सीआईएल ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी https://coalindiatenders.nic.in पर कुल 3892 निविदाएं प्रकाशित की गईं, जिनमें से कुल 1643 निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया, 290 को रद्द कर दिया गया और शेष विभिन्न चरणों में हैं। अंतिम रूप देना।

ख. ई-निविदा में शामिल प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न आधुनिक सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग करके क्षेत्रों/कार्यशालाओं को आंतरिक और दूरस्थ प्रशिक्षण/सहायता प्रदान की गई।

ग. 42 नोडल अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ ईसीएल में ई-निविदा के मुद्दों के संबंध में वेबिनार के माध्यम से बातचीत कार्यक्रम आयोजित किया गया।

घ. वर्ष के दौरान मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों और कार्यशालाओं के 56 अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) की व्यवस्था की गई।

ङ. ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से निविदा के पूरा होने की औसत चक्र अवधि 2020-21 में औसतन 126 दिन रखी गई है। ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से निविदा को पूरा करने की न्यूनतम चक्र अवधि 11 दिन है।

18.2 विशेष उपलब्धियां

क. कोलनेट: ईसीएल मुख्यालय में सेंट्रल सर्वर में कोलनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाया गया है। कोलनेट सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल और उनके कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

कोल नेट मॉड्यूल	कार्यान्वयन की स्थिति
वित्त	सभी एरिया, स्टोर्स, वर्कशॉप और अन्य प्रतिष्ठानों जैसे माइन्स रेस्क्यू स्टेशन और सेंट्रल हॉस्पिटल कल्ला में लागू।
सामग्री प्रबंधन	राजमहल एरिया स्टोर को छोड़कर जहां ओरेकल आधारित ओएमएमएस चल रहा है, सभी एरिया स्टोर्स और वर्कशॉप में लागू किया गया।
बिक्री मॉड्यूल (रेल और सड़क)	सभी एरिया और वेटब्रिज में लागू।
पीआईएस मॉड्यूल	ईसीएल मुख्यालय में केंद्रीय रूप से लागू किया गया।
पेरोल कार्यकारी	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में लागू किया गया।
पेरोल गैर-कार्यकारी	पीस रेटेड वेतन सहित ईसीएल के सभी क्षेत्रों में लागू।
ओएमएमएस मॉड्यूल में नया योग	कोलनेट ओएमएमएस में एफओसी मॉड्यूल मुफ्त सामग्री के लेखांकन के लिए लागू किया गया है।
बिक्री मॉड्यूल में नया योग	बिक्री आदेश करीब सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है।

ख. वेब आधारित पोर्टल विकास: वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित वेब-आधारित पोर्टल विकसित किए गए:

वेब आधारित पोर्टल का नाम	विवरण
ऑनलाइन क्वार्टर आवंटन प्रणाली	ईसीएल के कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटन के लिए ऑनलाइन पोर्टल।
खान बचाव प्रणाली प्रबंधन (एमआरएसएम)	कंपनी की खदान बचाव सेवाओं के प्रबंधन के लिए पोर्टल। इस पोर्टल में कंपनी भर में बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति का विवरण और किसी भी आपात स्थिति के दौरान बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों (आरटीपी) को बुलाने का प्रावधान है। सक्रिय आरटीपी की अद्यतन कोलियरी वार स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
सीएसआर पोर्टल	यह पोर्टल सीएसआर नीति, प्रमुख सीएसआर कार्यों की झलक, बजट और व्यय, वीडियो गैलरी और घटनाओं आदि को प्रदर्शित करता है।

18.3 मिशन सुमित के तहत गतिविधियां

मिशन **सुमित** शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य खनन और सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवस्थित उन्नयन के लिए है। चूंकि लगभग सभी खानों में बहुत पुरानी पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा था, इसलिए **सुमित** परियोजना के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के साथ खनन और संबद्ध प्रक्रिया के एकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। वर्ष के दौरान मिशन **सुमित** के तहत निम्नलिखित कार्य किए गए:

1) **माइन गैस मॉनिटरिंग सिस्टम:** यह सिस्टम मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन फैन के एग्जॉस्ट में उपलब्ध विभिन्न गैसों (ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड और सीओ2) के प्रतिशत की निगरानी करता है। यह आरपीएम और वायुदाब पर भी नज़र रखता है और वास्तविक समय की निगरानी की जाती है जिसे इंटरनेट के माध्यम से भी देखा जा सकता है। खदान के निकास का विश्लेषण करके खदान में लगी आग की पहचान की जा सकती है और दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। यह सिस्टम खोट्टाडीह यूजी, पांडवेश्वर क्षेत्र में स्थापित है।

2) **वायरलेस केज कम्युनिकेशन सिस्टम:** यह सिस्टम पिट टॉप, पिट बॉटम और केज के अंदर स्थित लोगों के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन बनाए रखता है। केज से पिट टॉप और पिट बॉटम तक यह वायरलेस संचार आपात स्थिति के दौरान बहुत मददगार साबित होगा। पांडवेश्वर क्षेत्र के पिट नंबर 2 में खोट्टाडीह भूमिगत खदानों में वायरलेस केज संचार प्रणाली स्थापित की गई है। संचार उपकरणों के पांच (05) सेट स्थापित हैं, दो पिंजरे के अंदर, एक पिट टॉप पर, एक पिट बॉटम पर और एक वाइंडिंग इंजन ऑपरेटर के साथ।

3) **सीसीटीवी निगरानी प्रणाली:** सीसीटीवी सुरक्षा और प्रक्रियाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोनपुर बाजारी क्षेत्र में माइन व्यू पॉइंट पर सीसीटीवी सिस्टम स्थापित किया गया है और चालू है। वर्तमान में, राजमहल क्षेत्र के तौल पुलों और कोयले के ढेरों पर स्थापित सीसीटीवी प्रणाली की लाइव फीड सीआईएल स्तर पर चालू है और इसकी निगरानी की जाती है। पांडवेश्वर क्षेत्र में बहत्तर (72) सीसीटीवी लगाए गए हैं। अठारह (18) सीसीटीवी ऑनलाइन हैं यानी इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। कैमरे से मॉनिटरिंग लोकेशन तक बेहतर परफॉर्मेंस और फुटेज ट्रांसमिशन के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन और ऑप्टिकल फाइबर के लिए पी2पी स्विच का इस्तेमाल किया गया है। कोल साइडिंग, एरिया स्टोर, कोल हीप और परिसर की सतत निगरानी की जाती है। चोरी को रोकने के लिए खोट्टाडीह ओपनकास्ट माइन्स वर्कशॉप में एलईडी लाइट्स के साथ 4 हिडन कैमरा भी लगाए गए थे।

4) **वेटब्रिज ऑटोमेशन सिस्टम:** ईसीएल ने आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के साथ ईसीएल के सभी 105 रोड वेटब्रिज के लिए "वेटब्रिज ऑटोमेशन सिस्टम" को लागू करने के लिए सफलतापूर्वक कदम उठाया है।

5) **ऑनलाइन क्वार्टर अलॉटमेंट सिस्टम (ओक्यूएएस) (2020-21):** मिशन सुमित के तहत 21.12.2020 को ईसीएल मुख्यालय में ऑनलाइन क्वार्टर अलॉटमेंट सिस्टम (ओक्यूएएस) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यूआरएल:- safeloginecl.co.in/oqas

6) **एसडीएल सिम्युलेटर मॉडल:** एसडीएल सिम्युलेटर मॉडल को मिशन सुमित के तहत बैंकोला क्षेत्र, ईसीएल में विकसित किया गया है। यह वास्तविक मशीन के संचालन से पहले श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी होगा जिससे उन्हें एसडीएल के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी। यह मशीन के साथ-साथ सहकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

19.0 इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ तालमेल रखने के लिए, एमपीएलएस क्लाउड में वाइड एरिया नेटवर्क मुख्यालय (बैंडविड्थ -100 एमबीपीएस), क्षेत्रीय कार्यालयों (बैंडविड्थ -10 एमबीपीएस), वेटब्रिज (बैंडविड्थ -2 एमबीपीएस), मध्य और क्षेत्र में फैले हुए हैं। कुल 146 स्थानों के स्टोर (बैंडविड्थ-2 एमबीपीएस), क्षेत्रीय कार्यशालाएं और अन्य कार्यशालाएं (बैंडविड्थ-2 एमबीपीएस) और केंद्रीय अस्पताल (बैंडविड्थ-2 एमबीपीएस)। नई दिल्ली में डेटा सेंटर और मुंबई में 400 एमबीपीएस बैंडविड्थ के साथ डेटा रिकवरी सेंटर सहित 95 अतिरिक्त स्थानों के लिए प्राथमिक एमपीएलएस_वीपीएन नेटवर्क की स्थापना के लिए एक कार्य आदेश भी दिया गया था, जिसमें 10 एमबीपीएस बैंडविड्थ के साथ 3 एएचक्यू स्थान और 2 एमबीपीएस के साथ 90 अन्य खदान स्थान शामिल थे जो कि 30 जून, 2021 तक लागू होने की उम्मीद हैं। इसके अलावा, 18 स्थानों पर ईसीएल की मौजूदा नेटवर्क कनेक्टिविटी की बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए, काम के निष्पादन के लिए मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक कार्य आदेश दिया गया है और 30 जून, 2021 तक लागू होने की उम्मीद है। ईसीएल मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में क्रमशः 100 एमबीपीएस और 4 एमबीपीएस की बैंडविड्थ के साथ लीज इंटरनेट लाइनें चालू हैं। 38 भूमिगत खानों में ऑटो-कम-मैनुअल डायल संचार प्रणाली द्वारा भूमिगत खान संचार का उन्नयन कार्य कर रहा है। ओपन कास्ट खदानों में वीएचएफ रेडियो संचार प्रणाली लगी हुई है।

आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम सहित ईसीएल के सभी 105 रोड वेटब्रिजों के लिए "वेटब्रिज ऑटोमेशन सिस्टम" के लिए डधवाल वेटिंग इंस्ट्रूमेंट रिपेयरिंग वर्क्स को एक आपूर्ति आदेश भी दिया गया था और 31 जुलाई, 2021 तक लागू होने की उम्मीद है। एक जीईएम अनुबंध ईसीएल में सैंक्टोरिया और सीएच कल्ला अस्पतालों में लैन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए मेसर्स ह्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 03.03.2021 को भी सम्मानित किया गया था और 30 जून, 2021 तक लागू होने की उम्मीद है।

20.0 भूमि अधिग्रहण और भूमि सूचना स्थिति

20.1 भूमि अधिग्रहण की स्थिति:

वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न माध्यमों से भूमि अधिग्रहण/कब्जे की स्थिति निम्नानुसार है:

अधिग्रहण का तरीका	अर्जित (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण (हेक्टेयर में)
काश्तकारी भूमि की सीधी खरीद	134.104	134.104
आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम	-	2.58
सीबीए अधिनियम	-	95.622
सरकारी भूमि का हस्तांतरण	-	-
वन भूमि का हस्तांतरण	-	-
कुल	**134.104**	**232.306**

20.2 सरकारी भूमि का हस्तांतरण: पश्चिम

पश्चिम बंगाल:

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान ईसीएल को हस्तांतरण के लिए किसी भी भूमि को मंजूरी नहीं दी है। केंडा मौजा (केंडा क्षेत्र) में 2.81 एकड़ भूमि, बोनबहल मौजा (केंडा क्षेत्र) में 8.81 एकड़ भूमि और पैरास्कोल मौजा (कजोरा क्षेत्र) में 21.04 एकड़ भूमि का हस्तांतरण राज्य सरकार से अनुमोदन के लिए लंबित है।

झारखंड

ईसीएल ने चित्रा ईस्ट ओसीपी के लिए 30 साल के पट्टे पर 137.02 एकड़ सरकारी और गोचर भूमि के हस्तांतरण के लिए मांग की गई राशि पहले ही जमा कर दी है। उक्त भूमि का हैंडओवर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। ईसीएल को भूमि का कब्जा सौंपने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार है:

भूमि क्षेत्र (एकड़)	स्थिति
13.50	कैबिनेट द्वारा स्वीकृत एवं स्टाम्प शुल्क जमा कर दिया गया है। कब्जा प्राप्त करने के लिए डीओसी का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।
64.64	पत्र संदर्भ संख्या 171 और 179 दिनांक 22 जनवरी, 2020 के माध्यम से विभागीय अनुमोदन के लिए संसाधित
33.44	पत्र संदर्भ संख्या 397 और 399 दिनांक 18 फरवरी, 2020 के माध्यम से विभागीय अनुमोदन के लिए संसाधित किया गया।
6.22	पुनर्परीक्षा के लिए 6.22 एकड़ का प्रस्ताव लौटाया।
19.22	अपरिचित भूमि। डीसी देवघर ने कहा कि ग्राम सभा का आयोजन 15 मार्च, 2020 को होगा।

20.3 सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के तहत प्रगति

परियोजना का नाम	जिला/राज्य	क्षेत्र (हेक्टर में)	आवेदन की तिथि	स्थिति
चित्रा ईस्ट ओसीपी	देवघर, झारखंड	767.77	26.03.2020	धारा 7(i) के तहत भारत के राजपत्र में का.आ. संख्या 1074 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 में अधिसूचना।
तिलबोनी परियोजना	पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल	419.363	20.08.2020	अधिसूचना धारा 7(i) के तहत भारत के राजपत्र में का.आ. क्रमांक 111 दिनांक 12 फरवरी, 2021।
अमरकोंडा- मुर्गदंगल	दुमका, झारखंड	767.77	22.02.2019	अधिसूचना धारा 7(i) के तहत अधिसूचना की वैधता के विस्तार के लिए धारा 4(1) के तहत 28 मार्च, 2021 से एक वर्ष के लिए भारत के राजपत्र में का.आ. संख्या 1271 दिनांक 22 मार्च, 2021।

20.4 पुनर्वास की स्थिति

वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्वास लाभ प्राप्त करने वाले पीएएफ की संख्या निम्नानुसार है:

क्षेत्र का नाम	रोजगार के बदले मौद्रिक मुआवजा	प्लॉट के बदले मौद्रिक मुआवजा	वास्तविक पीएएफ स्थानांतरित
सोनपुर बाजारी	-	-	206
पांडवेश्वरी	-	5	69
राजमहल	40	-	-
कुल	**40**	**5**	**275**

20.5 केंद्र/राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन: कोयला मंत्रालय

कोयला मंत्रालय:

सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के तहत पूर्वोक्त अधिसूचना को छोड़कर किसी अन्य अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी और कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त किया गया था।

राज्य सरकार

क. एसपी खान क्षेत्र के लिए 13.05 एकड़ शासकीय भूमि को सुपुर्द करने की स्वीकृति झारखंड राज्य मंत्रिमण्डल से प्राप्त हुई थी।

ख. उप सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी डेबोटर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में नीति परिपत्र जारी किया है।

20.6 2020-21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:

क) निरंतर प्रयास और अनुनय के कारण, प्रमुख सचिव / भूमि सुधार आयुक्त, पश्चिम बंगाल ने देबोत्तर भूमि के हस्तांतरण और उत्परिवर्तन, ए -1 भूमि की रिकॉर्डिंग, पूर्ववर्ती खदानों के नाम दर्ज भूमि के उत्परिवर्तन, रद्द करने के संबंध में ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए हैं।

ख) उन 7 जिलों में जिला भूमि प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जहां संबंधित जिलों में भूमि संबंधी मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिए ईसीएल वर्तमान में अपनी खदानें चला रहा है।

ग) एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है और एएससीआई, हैदराबाद द्वारा इसकी जांच की गई है।

घ) ईसीएल ने भूमि अभिलेखों के रीयल-टाइम रिकॉर्ड रखने और भूमि अधिग्रहण/कब्जे/मुआवजा भुगतान/रोजगार आदि के प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए वेब-आधारित सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की पहल की है। एनआईसी, कोलकाता ने एक मसौदा प्रस्ताव भेजा है। "पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए ऑनलाइन भूमि, पुनर्वास और पुनर्वास प्रबंधन प्रणाली के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन" के लिए। ईसीएल द्वारा परीक्षा और सहमति के लिए कार्यों और नौकरी में वित्तीय भागीदारी की गणना करना। प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इसे एनआईसी को सूचित कर दिया गया है जिसे अनुमोदन के लिए एनआईसी के पीईसी के समक्ष रखा जाएगा।

21.0 सुरक्षा प्रबंधन

सुरक्षा विभाग का उद्देश्य कंपनी के पुरुषों और सामग्रियों की रक्षा करना है। कंपनी के पास चार (04) प्रकार के सुरक्षा सेट-अप हैं:

1. ईसीएल सुरक्षा - 2071 व्यक्ति।
2. सीआईएसएफ - 862 व्यक्ति।
3. संविदात्मक सुरक्षा - 1511 व्यक्ति।
4. होमगार्ड - 190 व्यक्ति।

21.1 ईसीएल सुरक्षा :

ईसीएल सुरक्षा का मुख्य कर्तव्य कंपनी की संपत्ति यानी स्टोर, कार्यालय, विस्फोटक पत्रिकाएं, कोयला डिपो/साइडिंग, कॉलोनियां और प्रबंधन द्वारा आवश्यक होने पर वीआईपी की सुरक्षा करना है। लोडेड रेलवे रेक, टिपिंग ट्रक/डम्पर को कोल डिपो/साइडिंग से रेलवे तौल पुलों तक तौल होने तक एस्कॉर्ट करना। हमारे सुरक्षा कर्मियों, सीआईएसएफ द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ सूचना और खुफिया जानकारी के अनुसार छापेमारी की जाती है, तदनुसार शामिल ट्रकों / वाहनों के साथ कोयले की जब्ती और बदमाशों की गिरफ्तारी होती है। उसी को स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाता है और उसके अनुसार प्राथमिकी दर्ज की जाती है। ईसीएल क्षेत्र में हड़ताल / घेराव / प्रदर्शन / भूख हड़ताल और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या के समय भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाता है।

21.2 संविदात्मक सुरक्षा:

सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए संविदा सुरक्षा कर्मियों को ईसीएल सुरक्षा के साथ तैनात किया गया है।

21.3 सीआईएसएफ:

सीआईएसएफ को राजमहल, सोनपुर बाजारी, एस.पी. माइंस में स्टेटिक ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा, वे मुग्मा, सालनपुर, श्रीपुर, कुनुस्तोरिया, पांडवेश्वर, कालिदासपुर और सतग्राम क्षेत्र में शिविर लगा रहे हैं। वे अवैध खनन, कोयले की अवैध तस्करी और अवैध कोयला डिपो के खिलाफ छापेमारी करने के लिए मोबाइल ड्यूटी पर रहते हैं और कोलियरी / क्षेत्र में हड़ताल / घेराव के दौरान भी तैनात रहते हैं।

21.4 होमगार्ड:

ईसीएल सुरक्षा के साथ 190 होमगार्ड मुग्मा (70 नं.), एस.पी. माइंस (60 नं.) और राजमहल क्षेत्र (60 नं.) में तैनात हैं।

21.5 ईसीएल में सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम:

क. सीआईएसएफ मुख्यालय को 700 सीआईएसएफ कर्मियों की मांग भेजी गई है। ये व्यक्ति विशेष रूप से ईसीएल की विस्फोटक पत्रिका के लिए हैं, जिनमें से 210 सीआईएसएफ को गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

ख. रेलवे साइडिंग पर सीसीटीवी और अन्य मशीनें जैसे आरएफआईडी और बूम बैरियर लगाने के लिए एजेंसियों से संपर्क किया गया है।

ग. ईसीएल मुख्यालय में बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित है।

घ. जब्त किए गए कोयले को स्थानीय पुलिस थानों से इकट्ठा करने के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है। ईसीएल को विभिन्न थानों से जब्त कोयला प्राप्त हुआ है।

21.6 अवैध खनन/कोयले के परिवहन/कोयले की चोरी को रोकने के लिए उठाए गए कदम:

क. खुफिया संग्रह।

ख. विभागीय पे लोडर/डोजरों द्वारा और कभी-कभी संविदात्मक रूप से अवैध कोयला खनन स्थलों और उप क्षेत्रों को बंद/भरना/सील करना।

ग. पुलिस के साथ सीआईएसएफ, ईसीएल सुरक्षा द्वारा औचक जांच/छापे और शामिल वाहनों के साथ-साथ कोयले की अवैध तस्करी/अवैध तस्करी की जब्ती और बदमाशों की गिरफ्तारी और बाद में उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंपना।

घ. अवैध खनन और कोयला चोरी को रोकने के लिए जिला अधिकारियों के साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य और जिला स्तर की बैठक (पश्चिम बंगाल के बर्दवान, बांकुरा, पुरुलिया और बीरभूम और झारखंड की संयुक्त जिला स्तरीय बैठक)।

ङ. कोयला चोरी और अवैध खनन के मुद्दों से निपटने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने के लिए क्षेत्र के महाप्रबंधकों, एजेंटों और प्रबंधकों द्वारा पट्टाधारक क्षेत्रों के साप्ताहिक निरीक्षण द्वारा प्रणाली में सुधार शुरू किया गया है।

च. संबंधित पुलिस थानों को जिला प्राधिकरण या अनुमंडल प्राधिकरण द्वारा सलाह दी जाती है कि वे दर्जनों अवैध खनन स्थलों को फिर से खोलने से रोकने के लिए अपनी सतर्कता जांच बढ़ाएं।

छ. प्रभावित स्थलों पर सीआईएसएफ अधिकारियों के साथ महाप्रबंधक, क्षेत्र सर्वेक्षण अधिकारी, क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी सहित क्षेत्र टीम द्वारा बार-बार निरीक्षण किया जाता है और तदनुसार कमांडेंट, सीआईएसएफ कार्यालय में नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ज. न्यायालय में लंबित मामलों के तार्किक निष्कर्ष के लिए, ईसीएल ने इन मामलों का पालन करने के लिए वकील को नियुक्त किया है।

झ. निचली अदालत और आसनसोल के सत्र न्यायालय के लोक अभियोजक से भी न्यायालय में लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए चर्चा की गई है.

ञ. ईसीएल सुरक्षा ने कोयले की चोरी को रोकने के लिए सीआईएसएफ कर्मियों/निजी सुरक्षा के साथ औचक जांच/ छापेमारी की। जांच/छापे के दौरान, उन्होंने कोयला जब्त किया, बदमाशों को पकड़ा और स्थानीय पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई।

ट. सशस्त्र सुरक्षाकर्मी कोयले से लदी रेक को साइडिंग से रेलवे वेटब्रिज तक ले जाते हैं।



सीएमडी, ईसीएल द्वारा मुगमा क्षेत्र में खानों का निरीक्षण

21.7 कोयले की चोरी की रोकथाम के लिए तकनीकी हस्तक्षेप

क. आम लोगों को शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखते हुए अवैध खनन की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने की सुविधा के लिए खानान प्रहरी आवेदन शुरू किया गया है।

ख. सभी क्षेत्रों में शुरू की गई जीपीएस आधारित वाहन निगरानी प्रणाली कोयले की चोरी को रोकने के लिए एक कदम है।

ग. निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक रेलवे साइडिंग और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

घ. वाहन की लाइव ट्रैकिंग के लिए कोयला परिवहन वाहन में जीपीएस सक्षम वीटीएमएस सिस्टम लगाया गया है।

21.8 वर्ष 2020-21 के दौरान ईसीएल सुरक्षा, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध तस्करी वाले कोयले और अवैध खनन कोयले की जब्ती का विवरण:

वर्ष	राज्य	छापे की संख्या	कोयला जब्त (टन)	वाहन जब्त	गिरफ्तार व्यक्ति	लॉज्ड एफआईआर
अवैध तस्करी से कोयले की जब्ती						
2020-21	पश्चिम बंगाल	1306	9302.81	50	25	369
	झारखंड	627	5251.18	09	01	92
	कुल	1933	14553.99	59	26	461
2019-20	कुल	1927	20552.34	53	28	310
	उतार - चढ़ाव	06	- 5998.35	06	- 02	131
ईसीएल सुरक्षा, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनन कोयले की जब्ती						
2020-21	पश्चिम बंगाल	246	788.64	01	03	238
	झारखंड	08	01	-	-	08
	कुल	254	789.64	01	03	246
2019-20	कुल	242	1414.65	07	03	242
	उतार - चढ़ाव	12	625.01	- 06	-	04

ऊपर दिया गया डेटा कोलियरी परिसर के बाहर पुलिस के साथ सीआईएसएफ और ईसीएल सुरक्षा द्वारा की गई जब्ती है। ट्रक या तो अवैध खनन स्थलों या अवैध तस्करी/अवैध कोयला स्टॉक से उपरोक्त कोयला ले जा रहे थे। अवैध खनन स्थलों को दर्जनों बंद/सीलिंग/भरने के दौरान सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस के साथ ईसीएल सुरक्षा भी लीजहोल्ड के भीतर और लीजहोल्ड क्षेत्रों के बाहर दर्जनों बिंदुओं पर तैनात की जाती है। वर्ष के दौरान अवैध कोयला खनन पर अंकुश लगाने के लिए 1765 स्थलों को दर्जन भर/सील कर दिया गया। राज्य प्रशासन अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी के खतरे को रोकने के लिए सक्रिय रूप से शामिल है।

अवैध खनन स्थलों को दर्जनों बंद/सीलिंग/भरने के दौरान, लीजहोल्ड के भीतर और लीजहोल्ड क्षेत्रों के बाहर दर्जनों बिंदुओं पर सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस के साथ ईसीएल सुरक्षा को भी तैनात किया जाता है। वर्ष के दौरान, अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में 2865 साइटों और झारखंड में 263 साइटों को दर्जन/सील कर दिया गया। राज्य प्रशासन अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी के खतरे को रोकने के लिए सक्रिय रूप से शामिल है।

21.9 अवैध तस्करी के कोयले की जब्ती

वर्ष	2020-21	2019-20
छापे की संख्या	1933	1927
एफआईआर की संख्या	461	310
जब्त कोयला की मात्रा (मीट्रिक टन में)	14,553.99	20,552.34
जब्त किए गए वाहन की संख्या	59	53
पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या	26	28

21.10 अवैध खनन स्थलों से जब्ती

Year	2020-21	2019-20
छापे की संख्या	254	242
एफआईआर की संख्या	246	242
जब्त कोयला की मात्रा (मीट्रिक टन में)	789.64	1414.65
जब्त किए गए वाहन की संख्या	01	07
पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या	03	03

21.11 अन्य सामग्री की चोरी/वसूली

वर्ष	2020-21	2019-20
घटनाओं की संख्या	123	99
एफआईआर/जानकारी की संख्या।	83	74
चोरी की गई संपत्ति (₹ में)	37,25,180.77	30,63,022.10
बरामद संपत्ति (₹ में)	5,500.00	4,61,392.50
गरिफ्तार व्यक्तियों की संख्या	05	01

22.0 आउटसोर्सिंग ओसी पैच

2020-21 में, कंपनी ने 282.51 लीटर कोयले का उत्पादन किया और 35 आउटसोर्सिंग ओसी पैच से 1117.31 एल. कम ओबी उठाया, जिसमें कोयला उत्पादन में 8.85% और ओबी हटाने में 3.90% की कमी थी, जो पिछले वर्ष के 309.93 लीटर कोयले के आंकड़े के मुकाबले थी। 33 आउटसोर्सिंग ओसी पैच से 1162.70 लीटर कम का ओबी हटाना।

22.1 एचईएमएम की भर्ती के माध्यम से 2020-21 में ओपनकास्ट पैच प्रदान किया गया:

क्रम सं.	पैच/क्षेत्र का नाम	मात्रा		प्रदान की गई राशि (₹ करोड़ में)
		कोयला (ली. टी.)	ओबी (ली. कम)	
1.	अमकोला ओसी पैच	16.70	106.80	99.50
2.	पैरास्कोल ओसी पैच	9.76	122.61	98.66
3.	बनबहल ओसी पैच	9.22	51.38	40.25
4.	छोटाभोरई ओसी पैच	120.00	432.00	16.58
5.	सीएल जंबाद ओसी पैच	12.60	83.50	100.44
6.	बडजना ओसी पैच	5.67	40.34	37.79
7.	नाकराकोंडा ओसी पैच	-	1653.00	1514.17
	कुल			**1907.39**

22.2 2020-21 में दिए गए परिवहन ठेके

क्रम सं.	क्षेत्र और कार्य का नाम	मात्रा (लाख टी.)	प्रदान की गई राशि (₹ करोड़ में)
1.	झांजरा क्षेत्र (एमआईसी यूनिट और 3 और 4 इनलाइन यूनिट से पीओसीपी साइडिंग I और II तक लोडिंग और परिवहन)	35.00	25.50
2.	झांजरा क्षेत्र (पीओसीपी-1 और पीओसीपी-2 साइडिंग पर पे लोडर द्वारा वैगनों में लोड करना)	42.90	4.79
3.	पांडवेश्वर क्षेत्र (एस.एस. साइडिंग पर मोबाइल क्रशर के माध्यम से नंबर 1 और 4 डिपो और नंबर 6 डिपो से टिपर में लोड करना और परिवहन करना और एसएस साइडिंग की लंबाई में रेलवे वैगनों के विभिन्न साइट/ रणनीतिक लोडिंग बिंदुओं पर उतरना)	15.00	9.53
4.	पांडवेश्वर क्षेत्र (टिपर में लोड करना और उसे खोट्टाडीह यूजी स्टॉक से एस.एस. साइडिंग तक ले जाना)	8.40	4.64
5.	सोदपुर क्षेत्र (सोदपुर क्षेत्र की विभिन्न खदानों के लिए स्थानांतरण, लदान एवं परिवहन)	3.49	3.51
6.	कजोरा क्षेत्र (पीरथन घाट, रामनगर घाट और अजॉय नदी के सिद्ध घाट से खास कजोरा कोलियरी के पीडी यूनिट रेत बंकर तक रेत का परिवहन)	1.38	5.48
7.	कजोरा क्षेत्र [(पीरथन घाट, रामनगर घाट और अजॉय नदी के सिद्ध घाट से रेत का परिवहन और जेके रोपवे के 1/1 डंप से 5 और 6 पिट सैंड बंकर (ए एंड बी) खास कजोरा कोलियरी)]	1.39	3.53
8.	कजोरा क्षेत्र (अजोय नदी के पिरथन घाट, रामनगर घाट और सिद्ध घाट, दामोदर नदी के हरभंगा घाट और खास कजोरा के भालुक्तला रेत बंकर में जे.के. रोपवे के 1/7 डंप से रेत का परिवहन)	1.11	2.64
9.	सालनपुर क्षेत्र (बोनजेमहारी साइडिंग पर पे लोडर द्वारा वैगनों में लोड करना)	48.00	3.60

क्रम सं.	क्षेत्र और कार्य का नाम	मात्रा (लाख टी.)	प्रदान की गई राशि (₹ करोड़ में)
10.	सोनपुर बाजारी क्षेत्र (पेराई व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के साथ-साथ मोबाइल क्रशर द्वारा कोयले की क्रशिंग)	20.68	1.84
11.	कजोरा क्षेत्र (परथन घाट, रामनगर घाट और अजॉय नदी के सिद्ध घाट से पैरास्कोल ईस्ट कोलियरी के ए पिट और बी पिट सैंड बंकर तक रेत का परिवहन)	1.80	5.53
12.	कजोरा क्षेत्र (पीरथन घाट, रामनगर घाट और अजॉय नदी के सिद्ध घाट से पैरास्कोल वेस्ट कोलियरी के नंबर 6 पिट सैंड बंकर तक रेत का परिवहन)	1.10	4.13
13.	मुग्मा क्षेत्र (पे लोडर द्वारा टिपरों में लोड करना और बरमुरी ओसीपी कोयला डिपो से सेंट्रल पूल रेलवे साइडिंग तक परिवहन)	4.60	2.21
	कुल		**76.93**

22.3 वैश्विक भूमिगत अनुबंध: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भूमिगत खानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकियों के लिए निम्नलिखित अनुबंधों/ गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया:

क्रम सं.	क्षेत्र	कार्य का नाम	मात्रा (मी.ट)	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)
1.	बैंकोला	कुमारडीह-बी भूमिगत खदान में कंटीन्यूअस माइनर का परिचय	4.59	382.54
2.	पांडवेश्वरी	खोट्टाडीह भूमिगत खदान में कंटीन्यूअस माइनर से उत्पादन शुरू	4.95	378.00 (लगभग.)



राजमहल क्षेत्र में खुली खदानों का निरीक्षण

22.4 विविध अनुबंध

क्रम सं.	कार्य का नाम	मात्रा (मी.ट)	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)
1.	तीन साल की अवधि के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के कंपनी-व्यापी एकीकृत आईएसओ पुन: प्रमाणन कार्य के लिए प्रमाणन निकाय का चयन	03	0.06
2.	ईसीएल के विभिन्न कवरेज क्षेत्रों/कार्यशालाओं/अस्पतालों से गंभीर रोगियों के परिवहन के लिए 24 घंटे परिनियोजन के आधार पर ड्राइवर और चिकित्सा तकनीशियन/पैरामेडिक के साथ किराये के आधार पर फैक्ट्री फिटेड एसी के साथ उन्नत लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस किराए पर लेना सीआईएल के पैनलबद्ध अस्पतालों में/संदर्भित अस्पताल (आसनसोल, दुर्गापुर, रांची, कोलकाता आदि)	07	4.15

23.0 कॉर्पोरेट प्रशासन

कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शेयरधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करना है। यह एक प्रतिबद्धता है जो संगठन के सभी घटकों के बीच शेयरधारकों के मूल्य, कामकाज में पारदर्शिता, मूल्यों और आपसी विश्वास को अधिकतम करने के मौलिक विश्वास द्वारा समर्थित है। कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसी संस्कृति है जो शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित की दिशा में कार्य करने के लिए बोर्ड, प्रबंधन और कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती है। इसमें अनिवार्य रूप से एक रचनात्मक, उत्पादक और सकारात्मक सोच गतिविधि शामिल है जो विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्य जोड़ती है जिन्हें कॉर्पोरेट इकाई के अंतिम ग्राहक के रूप में परोसा जाता है।

ईसीएल संचालन के सभी क्षेत्रों में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, खुलापन और जवाबदेही और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अपने सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने, सभी हितधारकों को सभी सामग्री जानकारी का समय पर और संतुलित प्रकटीकरण और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उनके हित के। कंपनी ने जोखिम को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की एक मजबूत प्रणाली स्थापित की है और रणनीति के कार्यान्वयन में प्रबंधन को निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से भूमि के कानूनों, नियमों और विनियमों का सही अर्थों में पालन किया है।

हमारी कंपनी में, कॉरपोरेट गवर्नेंस दर्शन हमारे इस विश्वास से उपजा है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस दक्षता और विकास में सुधार के साथ-साथ निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण तत्व है और तदनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस दर्शन को निम्नानुसार लिखा गया है:



ईसीएल के सीएमडी और कार्यात्मक निदेशकों द्वारा पत्रिका "ज्योत्सना" का विमोचन

"एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के आधार पर अपने विभिन्न हितधारकों के विश्वास के निर्माण में ठोस कॉर्पोरेट प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे इसकी दीर्घकालिक सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है।"

आपकी कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट **अनुबंध-VI** में दी गई है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों से एक प्रमाणीकरण भी इस रिपोर्ट के **अनुबंध-VII** में रखा गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के अनुसार **वित्तीय वर्ष** 2020-21 के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिंक- http://Easterncoal.gov.in/ARECL20-21.pdf

24.0 पावती

आपके निदेशक सामान्य रूप से भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, झारखंड सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड, विशेष रूप से कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष भर उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक भी सभी ऑपरेटिंग ट्रेड यूनियनों को उनके सहयोग के लिए और कंपनी के सभी स्तर पर कर्मचारियों को कंपनी के कामकाज में उनके द्वारा दी गई ईमानदारी और समर्पित सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में सभी रैंक के कर्मचारी कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे।

आपके निदेशक सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, कर लेखा परीक्षकों, बैंकरों, कंपनियों के रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से प्राप्त सहायता और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशक भी कंपनी के संरक्षण के लिए मूल्यवान ग्राहकों और उपभोक्ताओं के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं।

निम्नलिखित कागजात रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं:

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (**अनुलग्नक-VIII**) की धारा 204(1) के अनुसरण में प्रैक्टिस में कंपनी सचिव द्वारा दिए गए प्रपत्र संख्या MR-3 में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

iii) विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय (**अनुलग्नक-IX**)।

iv) कंपनी की अनुसंधान और विकास गतिविधियों के बारे में विवरण (**अनुलग्नक-X**)।

v) धारा के तहत निदेशक की रिपोर्ट में परिशिष्ट। कंपनी अधिनियम, 2013 के 134(2) और 134(3)(f) में सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तर को बताते हुए।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07379202

स्थान: सांकतोड़िया
दिनांक: 7 अगस्त, 2021

अनुबंध -I

3.2. 31 मार्च, 2021 तक ईसीएल के कमांड क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही सीआईएल अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की स्थिति

क्रम सं	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ की तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
1.	अंडरग्राउंड ट्रैप्ड माइनर लोकेशन सिस्टम। परियोजना कोड CIL/R&D/1/35/10 कार्यान्वयन एजेंसियां टीसीएस, सीएमसी और सीएमपीडीआईएल (एमई), रांची	507.45 सीएमपीडीआईएल - 36.98 टीसीएस/सीएमसी - 470.47	15 जनवरी 2010	31 अगस्त 2021	447.86 सीएमपीडीआईएल - 28.86 टीसीएस/सीएमसी - 419.00	शीर्ष समिति ने 30.12.2020 को आयोजित अपनी 32वीं बैठक में इस परियोजना को जून, 2021 तक इस विचार के साथ बढ़ा दिया है कि झांजरा यूजी माइंस, ईसीएल में फील्ड परीक्षण करने के लिए मेसर्स टीसीएस को अधिक समय दिया जाना चाहिए।
2.	जोखिम आधारित खदान आपातकालीन निकासी और पुन: प्रवेश प्रोटोकॉल को शामिल करते हुए जोखिम मूल्यांकन और भारतीय कोयले की विस्फोटकता के निर्धारण द्वारा विस्फोट के खतरे की रोकथाम और शमन के लिए दिशानिर्देश का विकास।	2413.21 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद - 1617.07 सीआईएमएफआर, धनबाद - 796.14	15 अप्रैल 2016	14 अप्रैल 2022	2267.76 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद - 1510.00 सीआईएमएफआर - 757.76	भारतीय कोयला खदानों में आपातकाल के दौरान या बाद में मौजूदा खदान प्रविष्टि और पुन: प्रवेश प्रथाओं में अंतराल की पहचान के लिए जोखिम मूल्यांकन आईआईटी-आईएसएम, धनबाद में प्रगति पर है। कोयले के दहन व्यवहार को जानने के लिए एकत्रित कोयले के नमूनों के आंतरिक गुणों और पेट्रोग्राफिक लक्षण वर्णन का प्रयोगशाला विश्लेषण भी जारी है। IIT-ISM, धनबाद के परिसर में उपरोक्त सभी उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग के बाद 30 मीटर लंबी प्रोपेगेशन ट्यूब में कोयले की धूल के विस्फोट का अनुकरण और विभिन्न निष्क्रिय एजेंटों के प्रभाव का अध्ययन शुरू किया जाएगा। आईआईटी धनबाद में उपकरणों की खरीद में देरी के कारण अपेक्षित देरी। आईएसएम ने 30 मीटर की खरीद शुरू कर दी है। मेसर्स से लंबी विस्फोट ट्यूब। सिमटारस, ऑस्ट्रेलिया। तीन उपकरण जिनके लिए IIT-ISM, धनबाद द्वारा पूर्व में दिए गए खरीद आदेश IIT-ISM, धनबाद को दिए गए हैं, लेकिन उनकी स्थापना आज तक शुरू नहीं हुई है। 30 मीटर की खरीद के आदेश। SIMTARS, ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ मुद्दों के कारण SIMTARS, ऑस्ट्रेलिया से विस्फोट कक्ष आज तक नहीं रखा गया है। मुद्दों को हल करने के लिए, IIT-ISM, धनबाद और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के बीच जून, 2020 और सितंबर, 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से 3 बैठकें आयोजित की गईं और परिणाम अभी भी प्रतीक्षित हैं। अन्य कार्यान्वयन एजेंसी, सीआईएमएफआर अपने संशोधित कार्यक्रम के अनुसार काम कर रही है। शीर्ष समिति की 32वीं बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई। समिति ने आईआईटी-आईएसएम, धनबाद को मैसर्स के साथ मामलों को उठाने की सलाह दी। SIMTARS, ऑस्ट्रेलिया और अन्य ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों को मामलों को जल्द से जल्द हल करने के लिए कहा। समिति, सीआईएल के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के विचारार्थ परियोजना की शेष गतिविधियों को पूरा करने के लिए बिना किसी लागत वृद्धि के 14 अप्रैल, 2022 तक परियोजना के समय विस्तार की सिफारिश करने पर सहमत हुई।

क्रम सं	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ की तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
3.	बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए खदान में हवा की आवश्यकता। परियोजना का कोड: सीआईएल/आर एंड डी/01/63/2016 कार्यान्वयन एजेंसियां: यूएमडी, सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची	491.27	1 नवंबर 2016	31 अगस्त 2021	164.33	बीसीसीएल, ईसीएल और एसईसीएल की 6 खदानों के लिए गैस सर्वेक्षण से संबंधित फील्ड गतिविधियां अब तक पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा 6 और खदानों में किए जाने वाले गैस सर्वेक्षण को लॉकडाउन के कारण नहीं किया जा सका। परिकल्पित उद्देश्य केवल उन सभी 12 भूमिगत खानों के संबंध में गैस सर्वेक्षण के परिणामों के विश्लेषण के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है, जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक को तैनात किया गया है।
4.	उच्च राख कोयला गैसीकरण और संबद्ध अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाएं (कोयला से रसायन, सीटीसी)। परियोजना का कोड: सीआईएल/आर एंड डी/03/03/2017 कार्यान्वयन एजेंसियां: आईआईटी-आईएसएम, धनबाद, आईआईटी-रुड़की, सीएमपीडीआईएल, रांची, एमसीएल, संबलपुर, ईसीएल, सांक्टोरिया और सीसीएल, रांची। ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के साथ आईआईटी -आईएसएम, धनबाद का तकनीकी सहयोग	2160.721 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद - 1872.007 आईआईटी, रुड़की - 131.804 सीएमपीडीआईएल, रांची -156.910	20 जुलाई 2017	31 अगस्त 2021	1700.53 आईआईटी-आईएसएम धनबाद - 1580.00 आईआईटी, रुड़की - 105.00 सीएमपीडीआईएल, रांची - 15.53	27.07.2020 को हुई शीर्ष समिति की 31वीं बैठक में धीमी प्रगति पर चर्चा हुई। समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कहा कि कम दबाव पर गैसीफायर के विकास से गैसीकरण के लिए कोयले की बेहतर समझ नहीं होगी, साथ ही चयन मिलान वाले गैसीफायर के साथ-साथ उपयोग पैटर्न और भविष्य की रणनीतियां भी। उपरोक्त परिदृश्य में, शीर्ष समिति ने सीआईएल के आर एंड डी बोर्ड को परियोजना को समाप्त करने की सिफारिश की, जिसमें कुल वास्तविक व्यय ₹ 253. 822 लाख (आईआईटी-आईएसएम, धनबाद: ₹ 134.242 लाख; आईआईटी, रुड़की: ₹ 104.05 लाख और सीएमपीडीआईएल, रांची: ₹ 15.53 लाख) केवल परियोजना के तहत अब तक खर्च किया गया है। शीर्ष समिति ने अपने पहले के निर्णय को दोहराया कि IIT-ISM, धनबाद को CIL के R & D के अंतिम निर्णय तक संपूर्ण उपकरणों और प्रतिबद्ध व्यय के खरीद आदेश को रोकना चाहिए। शीर्ष समिति ने सभी परियोजना समर्थकों को सलाह दी कि वे फॉर्म-III, IV में लेखापरीक्षित प्रगतिशील व्यय सहित समाप्ति प्रस्ताव प्रस्तुत करें और उपरोक्त परियोजना के तहत अब तक किए गए कार्यों का विवरण, जिस पर सीआईएल के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड में विचार-विमर्श किया जाएगा। उपरोक्त रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
5.	पिट बॉटम और अंडरग्राउंड माइन रोडवेज और वर्किंग फेस का ऑप्टिकल फाइबर आधारित सोलर इल्यूमिनेशन। **परियोजना का कोड:** सीआईएल/आर एंड डी/01/66/2017 कार्यान्वयन एजेंसियां: आईआईटी, खड़गपुर और ईसीएल, सैंकटोरिया	155.53 आईआईटी, खड़गपुर - 155.53 ईसीएल - शून्य	1 अगस्त 2017	31 अगस्त 2021	150 आईआईटी खड़गपुर – 150.00 ईसीएल – शून्य	आईआईटी खड़गपुर की परियोजना टीम ने 15 दिसंबर, 2020 को झांजरा खदान, ईसीएल का दौरा किया और विकसित प्रणाली को स्थापित किया।16 दिसंबर 2020 को प्रदर्शन का पहला चरण किया गया
6.	ड्रैगलाइन डंप के ऊपर फावड़ा-डम्पर डंप के सभी स्तरों के डिजाइन के लिए दिशा-निर्देशों का विकास, ड्रैगलाइन डंप के भीतर, फ्रेटिक सतह के चित्रण के साथ, पूरे वर्ष और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की दो ड्रैगलाइन खानों पर सत्यापन अध्ययन। परियोजना का कोड: सीआईएल/आर एंड डी/01/68/2018 कार्यान्वयन एजेंसियां: बीआईटी, मेसरा, एस एंड आर डिवीजन, सीआईएल (मुख्यालय), कोलकाता	75.30 बीआईटी, मेसरा – 75.30	1 मई 2018	31 अगस्त 2021	58.00 बीआईटी, मेसरा – 58.00	इस परियोजना के तहत अब तक क्षेत्र से भू-अभियांत्रिकी और जल-भूवैज्ञानिक संग्रह शुरू किया गया है और बीआईटी, मेसरा में उनका विश्लेषण जारी है। सस्ती और मुंगोली ओसी, डब्ल्यूसीएल और ब्लॉक- II, बीसीसीएल से नमूनों का संग्रह किया गया है और उनका विश्लेषण जारी है। सस्ती और मुंगोली ओसी, डब्ल्यूसीएल की सुरक्षा के कारक (एफओएस) की गणना की गई। बीना ओसीपी, एनसीएल से जियो-इंजीनियरिंग मापदंडों का संग्रह किया गया। शीर्ष समिति ने 27.07.2020 को आयोजित अपनी 31वीं बैठक में उपरोक्त परियोजना की प्रगति के बारे में नोट किया, क्योंकि सोनपुर बाजारी, ईसीएल से कोविड -19 नमूना संग्रह आज तक नहीं किया गया है।

क्रम सं	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ की तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
7.	कोयला खानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए वर्चुअल रियलिटी माइन सिम्युलेटर (वीआरएमएस) का विकास। **परियोजना का कोड:** सीआईएल/आर एंड डी/01/67/2017 **कार्यान्वयन एजेंसियां:** आईआईटी-आईएसएम, धनबाद, एस एंड आर विभाग, सीआईएल, ईसीएल, सीएमपीडीआईएल, रांची, एनसीएल और मेसर्स सिमटारस, ऑस्ट्रेलिया	1410.40 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद - 1320.40 सीएमपीडीआईएल, रांची - 90.00	1 सितंबर, 2017	31 मई, 2022	1258.13 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद - 1250.00 सीएमपीडीआईएल, रांची - 8.13	क. आईआईटी-आईएसएम, धनबाद ने दिनांक 13 और 18 फरवरी, 2020 को मेल द्वारा सूचित किया कि मैसर्स। SIMTARS, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नीति में बदलाव के कारण परियोजना से अपनी अक्षमता और वापसी का संकेत दिया है। ख. जिसके कारण आज तक आईआईटी-आईएसएम, धनबाद को आवश्यक उपकरण की आपूर्ति नहीं की गई है। ग. मुद्दों को हल करने के लिए, आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के बीच जून, 2020 और सितंबर, 2020 में वीसी के माध्यम से 3 बैठकें हुई हैं। घ. 27.07.2020 को आयोजित शीर्ष समिति की 31वीं बैठक में परियोजना की धीमी प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया। शीर्ष समिति ने आईआईटी-आईएसएम, धनबाद को मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए SIMTARS, ऑस्ट्रेलिया और अन्य ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ मामलों को उठाने की सलाह दी क्योंकि आईआईटी-आईएसएम, धनबाद का SIMTARS, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता था। ङ. आईआईटी-आईएसएम, धनबाद ने दिनांक 8 अक्टूबर, 2020 के मेल द्वारा, सतत खनिज संस्थान – जेकेटेक प्रा. लि. ("SMI-JKTech"), क्वींसलैंड विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया को SIMTARS, ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर उप-कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया। परियोजना की शेष गतिविधियों को स्वीकृत लागत के भीतर लेना । च. एसएमआई जेकेटेक प्राइवेट लिमिटेड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने परियोजना में उप-कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अपने सहयोग और पूर्ण समर्थन की पुष्टि की है और इसके स्थान पर एसएमआई जेकेटेक प्राइवेट लिमिटेड को जारी संशोधित पीओ के साथ स्वीकृत लागत के भीतर शेष कार्य को पूरा करेगा। SIMTARS, ऑस्ट्रेलिया उनके द्वारा प्रस्तावित संशोधित समय सीमा के अनुसार। छ. एसएमआई जेकेटेक प्राइवेट लिमिटेड ने सिमटार्स, ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर उप-कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल किए जाने के बाद संशोधित कार्यक्रम के भीतर परियोजना को लागू करने की पुष्टि की है। ज. उपरोक्त IIT-ISM, धनबाद को देखते हुए दिनांक 28.10.2020 के पत्र के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी में बदलाव के साथ-साथ 31 मई, 2022 तक के समय विस्तार के लिए अनुरोध किया गया क्योंकि लगभग एक (01) वर्ष का समय बिना किसी काम के समाप्त हो गया है। SIMTARS, ऑस्ट्रेलिया जिस पर शीर्ष समिति ने दिनांक 30.12.2020 की बैठक में सहमति व्यक्त की थी।

क्रम सं	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ की तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
8.	मोबाइल मशीनरी के लागत प्रभावी सुरक्षित संचालन के लिए रीयल-टाइम प्रोग्नोसिस सिस्टम (आरटीपीएस) का विकास और अपनाना: डम्पर बेड़े का शो-केस प्रदर्शन। परियोजना का कोड: सीआईएल/आर एंड डी/01/71/2019	440.30 आईआईटी, खड़गपुर - 180.36; सीआईएमएफआर, धनबाद - 180.00 एलटीयू, स्वीडन - 79.94	16 दिसंबर 2019	15 दिसंबर 2021	300.00 आईआईटी, खड़गपुर - 130.0 सीआईएमएफआर, धनबाद - 130.00 एलटीयू, स्वीडन - 40.00	क. बेस लाइन डेटा एकत्र करने के लिए सोनपुर बाजारी ओसीपी का फील्ड दौरा पूरा किया गया। ख. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल की अध्यक्षता में ईसीएल मुख्यालय में 06.02.2020 को आयोजित इस परियोजना से संबंधित किक-ऑफ बैठक। इस अध्ययन के लिए पांच (05) केपीआई की पहचान की गई है। ग. आईआईटी- खड़गपुर, सीआईएमएफआर, धनबाद और एलटीयू, स्वीडन के परियोजना नेताओं के बीच वीडियो-कॉन्फ्रेंस सेंसर, सॉफ्टवेयर और डेटा प्रारूपों के विनिर्देश को अंतिम रूप देने के लिए 10.03.2020 को आयोजित किया गया।
	कार्यान्वयन एजेंसियां: **आईआईटी, खड़गपुर, सीआईएमएफआर, धनबाद, लूलिया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (एलटीयू), स्वीडन और ईसीएल, सांकतोड़िया**					डाटा फार्मेट खान अधिकारियों को स्पष्टीकरण के लिए भेजा गया है। शीर्ष समिति ने 27.07.2020 को आयोजित अपनी 31वीं बैठक में उपरोक्त परियोजना की प्रगति के बारे में नोट किया।
9.	भूमिगत कोयला खानों में उपयोग किए जाने वाले पिट बॉटम बफर के लिए ड्रॉप टेस्ट सुविधा का डिजाइन और विकास परियोजना का कोड: सीआईएल/आर एंड डी/01/74/2021 कार्यान्वयन एजेंसियां: सीएमईआरआई, दुर्गापुरी और ईसीएल, सैंक्टोरिया	248.61 सीएमईआरआई, दुर्गापुर 248.61	10 फरवरी, 2021	9 फरवरी, 2023		30.12.2020 को आयोजित अनुसंधान एवं विकास बोर्ड, सीआईएल की 32वीं शीर्ष समिति में परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी गई।
10.	भूमिगत कोयला खदानों में विद्युत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में वेंटिलेशन फैन विंड पावर रिकवरी सिस्टम की डिजाइन और तैनाती। परियोजना का कोड: सीआईएल/आर एंड डी/04/12/2021 कार्यान्वयन एजेंसियां: आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और ईसीएल, सैंक्टोरिया	66.07 आईआईटी-आईएसएम धनबाद - 66.07	10 फरवरी, 2021	9 फरवरी, 2023		30.12.2020 को आयोजित अनुसंधान एवं विकास बोर्ड, सीआईएल की 32वीं शीर्ष समिति में परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी गई।

अनुबंध -II

3.3. 31 मार्च, 2021 तक ईसीएल संचलित एरिया में एमओसी द्वारा वित्त पोषित कोयला एस एंड टी परियोजनाओं की स्थिति:

क्रम सं	कोड के साथ परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	आरंभ तिथि	पूरा होने की संशोधित/ अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
1.	भूमिगत कोयला खदानों के लिए टेली-रोबोटिक्स और रिमोट ऑपरेशन टेक्नोलॉजी का विकास परियोजना कोड: एमटी (ईओवाई)/162 क्रियान्वयन एजेंसी:: सीएमईआरआई, दुर्गापुर, सीआईएमएफआर, धनबाद & सीएमपीडीआईएल, रांची	440.12 सीएमईआरआई - 251.57 सीआईएमएफआर - 125.55 सीएमपीडीआईएल - 63.00	सितंबर 2012	सितंबर 2021	388.00 के लिये सीएमईआरआई-250.00 सीआईएमएफआर-75.00 सीएमपीडीआईएल-63.00	इस परियोजना के तहत, टेली-रोबोट विकसित किया गया है और ईसीएल के खोट्टाडीह खान में फील्ड परीक्षण किया गया है। समीर, कोलकाता से आईएस प्रमाणन प्राप्त कर लिया गया है और सीआईएमएफआर, धनबाद से अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए गए हैं। डीजीएमएस से फील्ड परीक्षण की अनुमति का इंतजार है।
2.	सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए लॉन्गवॉल शील्ड की निगरानी, विश्लेषण और व्याख्या के लिए आईओटी सक्षम प्रौद्योगिकी का स्वदेशी विकास कार्यान्वयन एजेंसी: आईआईटी खड़गपुर, सीएमपीडीआईएल और ईसीएल	471.00 सीएमपीडीआईएल - 103.84 आईआईटी, खड़गपुर - 367.16	अक्टूबर 2020	सितंबर 2023	-	स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति ने 09.10.2020 को परियोजना को मंजूरी दी।
3.	भूभौतिकीय तकनीक का उपयोग करते हुए भूमिगत कोयला खदानों में दुर्गम पुराने कामकाज में खनन प्रेरित उप-सतह गुहाओं और जलभराव वाले क्षेत्रों के कारण खतरों का अध्ययन परियोजना का कोड: एमटी-173 कार्यान्वयन एजेंसी: आईआईटी धनबाद और ईसीएल	199.96 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद-199.96 ईसीएल - शून्य	15 मार्च 2021	14 मार्च 2023	-	स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति ने 10.03.2021 को परियोजना को मंजूरी दी।

3.15 परियोजना की निगरानी और चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति:

क्रम सं-	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूंजी (₹ करोड़)	स्वीकृति की मूल तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की अनुमानित तिथि	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	1.सोनपुर-बाजरी संयुक्त ओसी (8.00 एमटीवाई)	1055.05	अगस्त, 2012	मार्च, 2018	अक्टूबर, 2021	उत्पादन 2018-19- 10.03 मीट्रिक टन, 2019-20- 11.10 मीट्रिक टन, और 2020-21- 9.48 मीट्रिक टन। रेलवे साइडिंग और नए सीएचपी का निर्माण प्रगति पर है। भूमि का कब्जा और आर एंड आर प्रगति पर है।
2.	हुरा-सी ओसी (3.00 एमटीवाई)	359.69	अक्टूबर, 2015	मार्च, 2022	मार्च, 2022	चरण- II वानिकी मंजूरी प्राप्त की गई और भूमि का कब्जा प्रगति पर है।
3.	झांजरा विस्तार यूजी (5.00 एमटीवाई)	1210.12	अप्रैल, 2020	मार्च, 2029	मार्च, 2029	2018-19 में प्राप्त उत्पादन- 3.38 एमटी, 2019-20- 3.50 एमटी, और एमटी 2020-21- 3.57
4.	न्यू केंडा, ओसीपी (1.20 एमटीवाई)	127.72	नवंबर, 2014	मार्च, 2019	मार्च, 2023	22.07.2018 से ओबी हटाना फिर से शुरू हुआ। कोयला उत्पादन 28.12.2018 को शुरू हुआ। 2018-19 में प्राप्त उत्पादन- 0.103 मीट्रिक टन, 2019-20- 0.129 मीट्रिक टन और मीट्रिक टन 2020-21: 0.300
5.	कुमारडीह-बी सीएम यूजी (1.02 एमटीवाई)	117.91	मई, 2014	मार्च, 2023	मार्च, 2023	i) ११.१२.२०१९ को किए गए पहले सेट एलएचसीएम की कमीशनिंग। 2019-20 में प्राप्त उत्पादन 0.14 मीट्रिक टन और 2020-21 में 0.519 मीट्रिक टन है (ii) एसएचसीएम (एक नंबर) के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है। एलओए 05.06.2020 को जारी किया गया था। 24.02.2021 को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं
6.	चित्रा ईस्ट ओसी (आरसीई) (2.50 एमटीवाई)	513.99	अगस्त, 2018	मार्च, 2024	मार्च, 2024	उत्पादन 2018-19- 2.03एमटी, 2019-20- 2.05 मीट्रिक टन और 2020-21: 0.873एमटी चरण- II वानिकी मंजूरी प्राप्त, भूमि का कब्जा और आर एंड आर प्रगति पर है।
7.	मोहनपुर विस्तार ओसी (2.50 एमटीवाई))	888.99	नवंबर, 2020	मार्च, 2025	मार्च, 2025	2018-19 में प्राप्त उत्पादन- 0.748 मीट्रिक टन, 2019-20- 0.999 मीट्रिक टन और 2020-21: 0.820MT भूमि पर कब्जा और आर एंड आर गतिविधियों में देरी हो रही है। विस्तार परियोजना रिपोर्ट (2.50 एमटीवाई) को सीआईएल बोर्ड द्वारा 11.11.2020 को अनुमोदित किया गया है।
8.	खोट्टाडीह सीएम यूजी (0.60 एमटीवाई)	127.17	मई, 2015	मार्च, 2016	मार्च, 2023	कंटीन्यूअस माइनर चालू कर दिया गया है और कोयला उत्पादन मार्च, 2021 में शुरू हुआ। वर्ष के दौरान कंटीन्यूअस माइनर से 0.007 एमटी कोयला उत्पादन सहित 0.271 एमटी का कोयला उत्पादन हासिल किया गया।

क्रम सं-	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूंजी (₹ करोड़)	स्वीकृति की मूल तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की अनुमानित तिथि	कार्यान्वयन की स्थिति
9.	खोट्टाडीह विस्तार ओसीपी (1.60 एमटीवाई)	140.25	मई, 2017	मार्च, 2020	मार्च, 2022	2018-19 में प्राप्त उत्पादन- 1.07 एमटी, 2019-20- 1.16 एमटी और 2020-21- 0.689 एमटी बिलपहाड़ी गांव का आर एंड आर प्रगति पर है।
10.	सिदुली (ओसी: 1.20 और यूजी: 1.63 एमटीवाई)	535.18	मई, 2018	मार्च, 2026	मार्च, 2026	भूमि अनुसूची 31.08.2020 को स्वीकृत की गई है। अस्थिर स्थान 105 (हटिया बस्ती) को स्थानांतरित करने का मामला एडीडीए के साथ उठाया गया है।
11.	नाकराकोंडा कुमारडीह बी ओसी (3.00 एमटीवाई)	502.68	अगस्त, 2018	मार्च, 2029	मार्च, 2029	ओबी हटाने के लिए उपकरण किराए पर लेने के लिए एलओए 20.06.2020 को जारी किया गया। 11.11.2020 को ओबी हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
12.	तिलबोनी यूजी (1.86 एमटीवाई)	916.62	फ़रवरी, 2019	मार्च, 2027	मार्च, 2027	सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम की धारा 7 के तहत 422 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना 12.02.2021 को जारी की गई। विभिन्न गतिविधियों की स्वीकृति का कार्य प्रगति पर है।
13.	पारासीया-बेलबैड यूजी (2.07 एमटीवाई)	826.42	जुलाई, 2019	मार्च, 2027	मार्च, 2027	विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रस्ताव शुरू कर दिया गया है।
14.	श्यामसुंदरपुर यूजी (सरपी यूनिट सहित) (1.59 एमटीवाई)	483.65	अप्रैल, 2020	मार्च, 2025	मार्च, 2025	परियोजना रिपोर्ट को सीआईएल बोर्ड द्वारा दिनांक 16.04.2020 को अनुमोदित कर दिया गया है। विभिन्न गतिविधियों की स्वीकृति का कार्य प्रगति पर है। 2018-19 में प्राप्त उत्पादन- 0.744 एमटी, 2019-20- 0.825 एमटी और 2020-21- 0.754 एमटी
15.	नबाकाजोरा माधबपुर ब्लॉक यूजी (0.30 एमटीवाई)	56.14	अगस्त, 2006	मार्च, 2014	पुनर्रचना के तहत परियोजना रिपोर्ट	खान बंद करने की योजना की नई दिशा-निर्देशों को शामिल करने के लिए परियोजना रिपोर्ट का पुनर्रचना किया जा रहा है।
16.	खंडरा एनकेजे यूजी (0.285 एमटीवाई)	18.81	जुलाई, 2003	मार्च, 2009	पुनर्रचना के तहत परियोजना रिपोर्ट	पुनर्रचना के तहत परियोजना रिपोर्ट
17.	बंकोला आर-VI यूजी (0.24 एमटीवाई)	19.14	मार्च, 2003	मार्च, 2009	पुनर्रचना के तहत परियोजना रिपोर्ट	पुनर्रचना के तहत परियोजना रिपोर्ट
18.	नारायणकुरी यूजी (0.54 एमटीवाई)	149.06	फ़रवरी, 2009	मार्च, 2015	पुनर्रचना के तहत परियोजना रिपोर्ट	पुनर्रचना के तहत परियोजना रिपोर्ट

अनुबंध- IV

प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट-2020-21

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन:

क्रय शक्ति समानता के आधार पर अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के साथ, भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र को लागत प्रभावशीलता प्राप्त करने, प्रभावी और कुशल खनन द्वारा खदानों की व्यवहार्यता में सुधार, सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने, गुणवत्ता पर जोर देने और ग्राहकों की संतुष्टि पर सबसे महत्वपूर्ण जोर दिया है। कोयला भारत में प्रमुख ईंधनों में से एक है और भारत की भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा।

भारतीय कोयला उद्योग और भंडार:

अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार, भारतीय कोयले का भूवैज्ञानिक संसाधन 1200 मीटर की गहराई तक 326.495 बीटी था। (स्रोत: जीएसआई, भारत सरकार)। भारत में, उपलब्धता और सामर्थ्य के कारण ताप विद्युत संयंत्रों में आग के लिए उपयोग किया जाने वाला कोयले एक प्रमुख ईंधन है।

दृष्टिकोण:

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का अवलोकन:

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी को 1 नवंबर, 1975 को कोल माइन्स अथॉरिटी लिमिटेड (सीएमएएल) के ईस्टर्न डिवीजन में निहित 414 खदानों को अपने कब्जे में लेकर निगमित किया गया था और कंपनी ने उस तारीख से अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया था। कंपनी पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में कार्य करती है। यहां 14 परिचालन क्षेत्र हैं जिनमें 80 संख्या में कार्यशील खदानें, 48 भूमिगत खदानें, 22 खुली खदानें और 8 मिश्रित खदानें हैं। ईसीएल भारत में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है, जिसके पास पश्चिम बंगाल राज्य में 01.04.2019 को 31.67 बिलियन टन कोयले का भंडार है और झारखंड राज्य में 19.93 बिलियन टन है और इस प्रकार कुल 51.60 बिलियन टन है।

क्षमता और कमजोरी:

प्रतिस्पर्धी क्षमता

क. पश्चिम बंगाल में कुल 31.67 अरब टन कोयले का भूगर्भीय भंडार है, जिसमें से 14.22 अरब टन प्रमाणित श्रेणी में है। रानीगंज कोलफील्ड्स में ईसीएल के पास 20% से कम औसत राख सामग्री वाले कोयले का प्रीमियम ग्रेड है। एमओईएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए इस कोयले को अन्य सहायक कंपनियों के उच्च राख कोयले के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

ख. झारखंड राज्य में दिनांक 01.04.2019 को (जीएसआई के अनुसार) 600 मीटर की गहराई तक 19.89 बिलियन टन कोयले का भंडार, जिसमें से 7.01 बीटी प्रमाणित आरक्षित है, जहां ओपन कास्ट खनन द्वारा कोयले की तुलनात्मक रूप से आसान निकासी की गुंजाइश मौजूद है।

ग. कठिन परिस्थितियों में काम करने में सक्षम कार्यकर्ता।

घ. खदानें राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे कॉरिडोर के किनारे स्थित हैं जो आसान निकासी की सुविधा प्रदान करती हैं।

ङ. ईसीएल को कोयले की विस्तृत श्रृंखला जीसीवी यानी 6700 किलो कैलोरी/किलोग्राम से 3401 किलो कैलोरी/किलोग्राम (जी3-जी13) के साथ प्राप्त है, जिससे यह उपभोक्ताओं की विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ हो गया है।

च. ईसीएल को आवंटित ब्राह्मणी और अमरकोंडा-मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक में क्रमशः 1900 एमटी और 900 एमटी का विशाल कोयला भंडार है। इससे आने वाले वर्षों में ईसीएल की उत्पादन क्षमता में सुधार होगा और निकट भविष्य में ईसीएल को 100 एमटी कोयला कंपनी बनाने में मदद मिलेगी।

कमजोरी

क. रानीगंज कोलफील्ड में कोयला खनन करीब 250 साल पहले शुरू हुआ था। इसलिए कंपनी छोटी खदानों की पुरानी विरासत से भरी हुई है, पुरानी स्टीम वाइन्डर अपनी निर्धारित क्षमता से काफी नीचे काम कर रही है।

ख. कठिन भू-खनन की स्थिति।

ग. घनी आबादी भूमि अधिग्रहण में बाधक है।

घ. कोयला आधारित क्षेत्रों पर निर्मित विशाल आधारभूत संरचना ओपन कास्ट खनन में बाधा डालती है।

ङ. भारी पम्पिंग और रेत भंडारण लागत।

च. ऊपरी जल-जमाव वाले सीम निचले सीमों में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी की शुरूआत में बाधा डालते हैं।

अवसर और ख़तरे

अवसर

क. ई-मार्केटिंग के माध्यम से कोयले के बेहतर मूल्य की प्राप्ति।

ख. अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए छोटे ओसी पैच पर काम कर रहे हैं।

ग. सुरक्षा, उत्पादन और उत्पादकता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की सकारात्मक प्रतिक्रिया।

घ. समस्याओं को हल करने में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों से सहयोग बढ़ाना।

ङ. विशेष रूप से खुली खदानों में हाईवॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी का परिचय, जिसे प्रमुख सतह बाधाओं के कारण आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

च. ईसीएल लीज होल्ड क्षेत्र के अंतर्गत कोल बेड मीथेन (सीबीएम) का अन्वेषण और दोहन।

खतरें :

क. ग्रामीणों द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध और कंपनी के मानदंडों से परे मांग करना।

ख. असुरक्षित भूमिगत खदानों को बंद करने का विरोध

ग. ऊपरी क्षितिज के जल भराव और ओसी के विस्तार के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी की शुरूआत में भूमि की कमी।

घ. निषिद्ध क्षेत्रों में कंपनी के क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा।

ङ. अवैध खनन और कोयले की चोरी चल रही खदानों के लिए खतरा पैदा कर रही है, जिससे कर्मचारी और मशीन खतरे में हैं।

व्यापार रणनीतियाँ

क. भारत में कोयले की मांग-आपूर्ति के महत्वपूर्ण अंतर को भुनाने के लिए उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाना जारी रखें।

ख. उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की बिक्री में वृद्धि और कोयले की ई-नीलामी के माध्यम से वसूली में सुधार।

ग. परिचालन और लागत दक्षता में सुधार करके लाभप्रदता बढ़ाएं और प्रतिस्पर्धा बनाए रखें।

घ. विस्तृत अन्वेषण द्वारा हमारे आरक्षित आधार को बढ़ाना जारी रखें।

ङ. पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ संचालन के विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखें। सतही बेल्ट कन्वेयर द्वारा खदान से रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन शुरू किया जा रहा है।

च. अतिरिक्त राजस्व सृजन के लिए कोल बेड मीथेन (सीबीएम), कोल माइन मीथेन (सीएमएम) का अन्वेषण और दोहन तथा गैसीकरण।

छ. असुरक्षित खदानों को बंद करना।

ज. जनशक्ति का युक्तिकरण।

व्यापार रणनीति के एक भाग के रूप में कंपनी ने वैश्विक चुनौतियों की पहचान की है और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। कंपनी में मिशन मोड में विभिन्न पहल शुरू की गई हैं जिसका उद्देश्य कंपनी के मिशन, दृष्टि और उद्देश्य को फिर से परिभाषित करना है। कंपनी ने निम्नलिखित परियोजनाओं को मिशन मोड में शुरू किया है जिसका उद्देश्य कंपनी की छवि का पुर्नजीवित करना भी है:

1. व्यापार रणनीति के एक भाग के रूप में कंपनी ने वैश्विक चुनौतियों की पहचान की है और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। कंपनी में मिशन मोड में विभिन्न पहल शुरू की गई हैं जिसका उद्देश्य कंपनी के मिशन, दृष्टि और उद्देश्य को फिर से परिभाषित करना है। कंपनी ने निम्नलिखित परियोजनाओं को मिशन मोड में शुरू किया है जिसका उद्देश्य कंपनी की छवि का पुर्नजीवित करना भी है:

2. मिशन **"संजीवनी"** का उद्देश्य प्रणालीगत प्रगति, नई नौकरियां, एकीकृत व्यवसाय और नई पहल करना है।

3. मिशन **"सुमित"** शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य खनन और सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवस्थित उन्नयन के लिए है। चूंकि लगभग सभी खानों में बहुत पुरानी पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा था, इसलिए सुमित परियोजना के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के साथ खनन और संबद्ध प्रक्रिया के एकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई।

4. मिशन **"धरोहर"** की परिकल्पना देश में कोयला खनन की विरासतों की रक्षा करने, संग्रहालय के निर्माण द्वारा पुरातन इमारतों, पौधों, उपकरणों, मशीनों, उपकरणों, यंत्रों, विरासत प्रकृति के मॉडल के संग्रह के उद्देश्य से की गई है।

5. कंपनी की छवि को पुर्नजीवित करने के लिए कर्मचारियों के बीच एफआईटीई (निष्पक्षता, अखंडता और पारदर्शिता और समानता) की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2018 के दौरान मिशन **"जटायु"** शुरू किया गया था।

6. समस्या समाधान और समाधान प्रदाता के रूप में बड़े पैमाने पर सभी हितधारकों और समुदाय तक पहुंचने के लिए मिशन **"संबंध"** शुरू किया गया है जो अंततः ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के सुचारू रूप से आने और ब्राउनफील्ड परियोजना को आसान बनाने में मदद करेगा।

7. देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों, त्योहारों, नृत्य, संगीत और जातीयता को आत्मसात करने के लिए मिशन **"इंद्रधनुष"** शुरू किया गया है। इस पहल के माध्यम से, विभिन्न क्षेत्रों के विविध त्यौहारों को अलग-अलग इकाइयों में मनाया जाता है, जिससे ईसीएल कर्मचारियों और उसके परिवार के सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना पैदा हुई है और ईसीएल के खुशी सूचकांक में भी वृद्धि हुई है।

8. मिशन **"सुदेश"** की छत्रछाया के तहत, 1 दिसंबर, 2018 को 'विश्व एड्स दिवस' की पूर्व संध्या पर "सुदेश-मितवा" नामक एक और मिशन शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी हैं।

9. मिशन **"मितावा"** के अंतर्गत रखरखाव से प्रेरित तकनीकों और कार्य एजेंसियों से उचित कार्य संस्कृति के विकास के साथ-साथ ओपनकास्ट और भूमिगत खदानों दोनों में सभी उपकरणों और मशीनरी के उचित रखरखाव को सुनिश्चित किया जाता हैं।

10. सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए मिशन **"जागरण"** शुरू किया गया है। मिशन को 11 सितंबर, 2019 से 2 अक्टूबर, 2019 तक "स्वच्छता ही सेवा" अभियान के दौरान लॉन्च किया गया था।

11. ईसीएल में संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए **"10 आर"** नामक एक नई अवधारणा को विभिन्न श्रेणियों "पुन: उपयोग", "मना करना", "रीसायकल", "पुनर्उद्देश्य", "फिर से भरना", "पुन: आविष्कार", "मरम्मत", "कम करना", "फिर से डिजाइन करना" और "नवीनीकरण" के तहत लागू किया गया ।

12. मिशन **"देशी"** शुरू किया गया है जिसका अर्थ है खपत का पता लगाना, कोयले का निर्यात, प्रणाली का सरलीकरण, गुणवत्ता का दोहन और आयात प्रतिस्थापन।

मिशन संजीवनी के तहत गतिविधियां:

किसी भी स्थापित व्यवसाय को अत्यधिक गतिशील सामाजिक-आर्थिक वातावरण में फलने-फूलने के लिए निरंतर नवप्रवर्तन और विकास के नए रास्ते तलाशने की आवश्यकता होती हैं । ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने भविष्य के संबंध में खुद को चौराहे पर पाता है क्योंकि यह कोयला खनन पर व्यवसाय संचालन के एकमात्र क्षेत्र के रूप में निर्भर है। भारत की समग्र ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपनाने की दिशा में तेजी से जोर दिया जा रहा है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी भी भारत के नीति निर्माताओं के एजेंडे में उच्च स्थान पर है। मिशन **"संजीवनी"** की अवधारणा ईसीएल में कोयला उत्पादन के हमारे मुख्य व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पहलों पर काम करने के साथ-साथ संबद्ध व्यावसायिक अवसरों की तलाश के लिए की गई थी। मिशन "संजीवनी" का उद्देश्य प्रणालीगत प्रगति, नई नौकरियां, एकीकृत व्यवसाय और नई पहल करना है।

मिशन **"संजीबनी"** के तहत की गई विभिन्न गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

i) प्रणालीगत प्रगति

क. अवैध खनन गड्ढों के खतरे पर अंकुश: कुछ स्थानों पर, ईसीएल की खदानों और उसके पट्टेदार क्षेत्रों के आसपास अवैध खनन गड्ढों की घटनाएं होती हैं। इस तरह के अनियोजित और अवैध खनन गड्ढे ऐसी गतिविधियों में लगे लोगों के साथ-साथ ईसीएल खदानों के मौजूदा खनन कार्यों में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। ईसीएल ऐसे अवैध खनन गड्ढों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ उन गड्ढों को भरने के लिए अभियान चलाती है। पहले की प्रथा के अनुसार, केवल सुरक्षाकर्मी ही ऐसे अभियान में लगे हुए थे, जो खतरे को ठीक से रोकने में बहुत प्रभावी नहीं थे। हालांकि, ईसीएल के शीर्ष प्रबंधन और क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा विचार-मंथन के आधार पर, अवैध खनन गड्ढों के खतरे से निपटने से संबंधित पूरी प्रक्रिया में एक

व्यवस्थित प्रगति लाई गई थी। यह प्रणालीगत उन्नति वर्ष 2018-19 से शुरू की गई थी। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित जीएम/एजेंट/प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं और संबंधित निदेशक को एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। प्रणाली में इस नई प्रगति ने अवैध खनन गड्ढों के मुद्दे से निपटने में अधिक कारगार साबित हुई है।

ख. एमआईएनईएक्स सॉफ्टवेयर का परिचय: यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपेक्षाकृत कम समय में और सटीकता के साथ भूवैज्ञानिक और खनन योजना तैयार कर सकता है। सीएमपीडीआईएल ने इस सॉफ्टवेयर का उपयोग भूवैज्ञानिक योजना और खनन योजना के लिए किया। ईसीएल ने हाल ही में फरवरी, 2021 में एमआईएनईएक्स का एक लाइसेंस प्राप्त किया है। पी&पी विभाग, ईसीएल मुख्यालय वर्तमान में ओसी पैच प्लानिंग के उद्देश्य से इस सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर का और उपयोग इसके प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।

ii) **नई नौकरियां:** 01.05.2020 को मिशन 'संजीबनी' के अंर्तगत अनुकंपा रोजगार के तहत त्वरित रोजगार प्रक्रिया के लिए 'दिशारी' योजना शुरू की गई है। यह रोजगार प्रक्रिया (एनसीडब्ल्यूए) के सरलीकरण और मानकीकरण की दिशा में एक कदम है। 'दिशारी' का मूल उद्देश्य पीड़ित परिवार को अत्यधिक सहायता प्रदान करने के लिए रोजगार के दावे का व्यवस्थित और समयबद्ध संचलन है। 'दिशारी' योजना की परिकल्पना है कि आवेदन पत्र जमा करने से लेकर रोजगार की पेशकश तक की पूरी प्रक्रिया 3.5 महीने के भीतर पूरी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान इस योजना के तहत 2, 33, 48 और 65 रोजगार स्वीकृत किए गए।

iii) एकीकृत व्यवसाय:

क. भूतल कोयला गैसीकरण: भारत ने वर्ष 2030 तक कोयला गैसीकरण के लिए 100 मिलियन टन कोयले का उपयोग करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। गैसीकरण एक प्रक्रिया है जो कार्बनयुक्त सामग्री, जैसे जीवाश्म ईंधन और बायोमास को ज्यादातर हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण में परिवर्तित करती है जिसे सिंथेसिस गैस कहा जाता है। कोयले को बिजली, रसायन, उर्वरक और ईंधन में परिवर्तित करने के लिए भूतल कोयला गैसीकरण तकनीक का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। यह गैसीकरण प्रक्रिया उच्च दबाव और उच्च तापमान पर भाप और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले को उसके विभिन्न घटकों में विघटित करने की एक स्वच्छ तकनीक है। इससे संश्लेषण गैस का उत्पादन होता है, जो मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में मेथनॉल का उत्पादन करने के लिए कोयला गैसीकरण का उपयोग किया जा सकता है। पेट्रोलियम कच्चे तेल की आसमान छूती और अस्थिर कीमतों के कारण, भारत कोयले को तरल ईंधन के स्रोत के रूप में उपयोग करने की आशा कर रहा है। भूतल कोयला गैसीकरण (एससीजी) के लिए, मूल रूप से इनपुट उपयुक्त कोयला, पानी का स्रोत, बिजली की उपलब्धता और भूमि हैं। वर्तमान में ईसीएल ने बीओओ मोड के तहत रानीगंज में "शिल्पांचल परियोजना" नामक एससीजी पर एक परियोजना शुरू की है। नियोजित परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति सोनपुर बाजारी खदानों से की जाएगी। 6.5 लाख टन मेथनॉल के उत्पादन के लिए 1.5 मिलियन टन कोयले की वार्षिक आवश्यकता होगी। ईसीएल का कुल निवेश लगभग 1500 करोड़ रुपये होगा। प्रोजेक्ट की लाइफ 25 साल की होगी। मेथनॉल रासायनिक उद्योग के कई क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण फीडस्टॉक है। मेथनॉल पॉलिएस्टर, पॉलिमर और ईंधन के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रसायनों के लिए एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक है। इस परियोजना के लिए पीएफआर मेसर्स पीडीआईएल द्वारा तैयार किया गया है। मेसर्स पीडीआईएल द्वारा जून, 2021 में पीएफआर जमा किया गया है।

ख. कोल बेड मीथेन: कोल बेड मीथेन (सीबीएम) मीथेन से भरपूर प्राकृतिक गैस को संदर्भित करता है जो कोयले के निर्माण के दौरान उत्पन्न होती है और इसके सूक्ष्म छिद्रों और फ्रैक्चर में फंस जाती है। चौथा सबसे बड़ा प्रमाणित कोयला भंडार होने और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक होने के नाते, भारत में सीबीएम की वाणिज्यिक वसूली की अच्छी संभावनाएं हैं। ईसीएल ने कोयले की गहराई में फंसे सीबीएम के उत्पादन के व्यवसाय में भी उद्यम किया है। ईसीएल के रानीगंज कोलफील्ड के श्रीपुर, सतग्राम और कुनुस्तोरिया क्षेत्रों के खनन लीजहोल्ड क्षेत्रों का एक हिस्सा लगभग 57.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ सीबीएम परियोजना के लिए चुना गया है। सीबीएम डेवलपर के चयन के लिए जून, 2021 में एक निविदा जारी की गई है। परियोजना 25 वर्ष तक चलने की उम्मीद है।

iv) नई पहल:

क. भंडारण के लिए संसाधित ओवरबर्डन (पीओबी): नदियों से निकाली गई रेत का उपयोग भूमिगत खदानों में कोयले के निष्कर्षण द्वारा निर्मित रिक्तियों को नौभरण (भरने) के लिए किया जाता है। नदियों से रेत के नियमित और अंधाधुंध निकासी के कारण नदी के तल कम हो जाते हैं और इसके पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी होती है। इससे बचाव के लिए, ओवरबर्डन का उपयोग करके भंडारण करने का एक नया तरीका खोजा जा रहा है। यह तकनीक (पीओबी) कचरे को धन में बदल देगी और नदी की रेत को संसाधित ओवरबर्डन रेत द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इस संबंध में, ईसीएल के कजोरा क्षेत्र में एक ओबी प्रसंस्करण संयंत्र (1000 एम 3 / दिन क्षमता) की स्थापना के लिए निविदा फरवरी, 2021 में जारी की गई थी और एलओए / कार्य आदेश जुलाई, 2021 में जारी किए जाएंगे। पीओबी के कुछ प्रमुख लाभ हैं - (१) नदी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई गड़बड़ी नहीं है (२)

अपशिष्ट चट्टान को उपयोगी सामग्री / निर्मित रेत में परिवर्तित किया गया है (३) भूमि संरक्षण को बढ़ावा देता है (४) नदी की रेत की व्यवस्था के लिए स्तंभ चलाने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि अभी चल रहा है (५) पर्याप्त भंडारण सामग्री की उपलब्धता बेहतर उत्पादकता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी (६) नदी की रेत से सस्ती और (७) टिकाऊ खनन को बढ़ावा देती है।

ख. यूजी माइन स्टोइंग के लिए बॉटम ऐश: ईसीएल की खदानों के पास फ्लाई ऐश की उपलब्धता का लाभ उठाते हुए ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश के निचले हिस्से को भंडारण के लिए उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है। मुग्मा क्षेत्र की लखीमाता कोलियरी और सतग्राम क्षेत्र के कालिदासपुर कोलियरी में ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया है। सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम प्रक्रियाधीन हैं। नदी की रेत पर नीचे की राख के उपयोग हेतु कुछ जगहों के नाम निम्नलिखित हैं, - (1) नदी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में मदद करता है, (2) अपशिष्ट और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक सामग्री को उपयोगी सामग्री में परिवर्तित करता है, (3) भूमि और मिट्टी संरक्षण को बढ़ावा देता है, (४) थर्मल पावर प्लांट पिट टॉप को मुफ्त में आपूर्ति करते हैं, इस प्रकार उपयोग करने के लिए बहुत सस्ते हैं और नदी की रेत के मामले में उपलब्धता पर कोई चिंता नहीं है, (५) पर्याप्त उपलब्धता बेहतर उत्पादकता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है, (६) स्थायी खनन को बढ़ावा देती है, (७) फ्लाई ऐश के आपूर्तिकर्ता और उपयोगकर्ता दोनों को पारस्परिक लाभ और (८) फ्लाई ऐश आदि से प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता करती है।

ग. हाईवॉल माइनिंग: हाईवॉल माइनिंग में दूर से संचालित कोल कटिंग मशीन कोयले को लगभग 300 मीटर तक काटती है जिससे सतह की संरचना बरकरार रहती है। यह बंद ओसी खानों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनकी परिधि में कोयला है। मुग्मा क्षेत्र में पांच पुरानी और परित्यक्त ओसी खानों की पहचान गड्ढे की सीमा से परे और बिल्डअप क्षेत्रों के तहत कोयला निकालने के लिए की गई है। उनमें से एक के लिए एक योजना (लगभग 5 एमटी के भूगर्भीय भंडार के साथ राजपुरा डब्ल्यूबीसी ओसी खान) तैयार की जा रही है। बाकी का अध्ययन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से ईसीएल में हाईवॉल माइनिंग से लगभग 0.5 एमटीवाई के उत्पादन की उम्मीद की जा सकती है

घ. पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी (पीएफटी): यूजी स्टोइंग सामग्री के रूप में नदी की रेत का उपयोग करने की उपलब्धता, भरने की दर, उच्च लागत और पर्यावरणीय प्रभाव ने 'स्टोइंग यूजी कोयला खदानों' से कोयले की उत्पादकता को बाधित किया है जिसके परिणामस्वरूप कोयला स्तंभों के रूप में विशाल भंडार बंद हो गया है। , यूजी खानों को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बनाना और खानों को बंद करना। कोयले के उच्च उत्पादन के लिए निष्कर्षण की उच्च दर की आवश्यकता होती है और इस प्रकार भंडारण की उच्च दर का मिलान होता है। वर्तमान परिदृश्य में भरण की उच्च दर की इस शर्त को बालू के भंडारण से पूरा नहीं किया जा सकता है, हालांकि कई खदानों में उच्च निकासी की गुंजाइश मौजूद है। इस समस्या को हल करने का एक संभावित तरीका फ्लाई ऐश का उपयोग करके पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी है - जिसमें मुफ्त में फ्लाई ऐश की उच्च दर और प्रचुर मात्रा में फ्लाई ऐश की उपलब्धता है। यह तकनीक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, राजस्थान में सफलतापूर्वक चलाई जा रही है लेकिन फ्लाई ऐश के बजाय मिल टेलिंग का उपयोग कर रही है। ईसीएल ने सतग्राम क्षेत्र की सतग्राम परियोजना यूजी खदान में कंटीन्यूअस माइनर के संयोजन में फ्लाई ऐश का उपयोग करके इस पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, धनबाद द्वारा तैयार की जा रही है। सतग्राम परियोजना यूजी खान इस तकनीक को अपनाने वाली भारत की पहली कोयला खदान होगी (0.8 से 1 एमटीवाई उत्पादन की संभावना)। अगले 3-4 वर्षों में ईसीएल की पीएफटी यूजी खानों से 5-6 एमटीवाई की अपेक्षा करना अत्यधिक संभव है। यदि सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाता है, तो पीएफटी भारत में यूजी खानों से बड़े पैमाने पर कोयला उत्पादन प्रौद्योगिकी पर एक प्रमुख गेम चेंजर साबित होगा।

ङ. अग्निशामक गेंद: अग्निशामक गेंद का एक विचार खोजा गया। यह देखा गया है कि यह हमारी पारंपरिक अग्निशामक प्रणाली का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि संचालन कर्मियों के लिए प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही गेंद आग की तीनों (ए, बी और सी) श्रेणियों को पूरा करती है, जिसे आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका वजन केवल 1.3 किलोग्राम है और जब आग की लौ के संपर्क में आता है, तो बुझाने वाला गोला 3-10 सेकंड के भीतर अपने आप सक्रिय हो जाता है। लागत विश्लेषण किया गया था और यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया गया क्योंकि इसमें कोई रखरखाव शामिल नहीं है और शेल्फ जीवन 5 वर्ष है। सोनपुर बाजारी क्षेत्र में लाइव प्रदर्शन के लिए एक विक्रेता से संपर्क किया गया। 22.11.2019 को सोनपुर बाजारी क्षेत्र में लाइव प्रदर्शन किया गया। लाइव प्रदर्शन की रिपोर्ट 12.12.2019 को महाप्रबंधक, सोनपुर बाजारी क्षेत्र को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया गया था:

i. फायर एक्सटिंगुइशर बॉल्स ने गेंदों को सुरक्षित दूरी से फेंककर आग को बहुत प्रभावी ढंग से बुझाया।
ii. अग्निशामक गेंद को सक्रिय करने के लिए आग से संपर्क आवश्यक है।
iii. यह संवेदनशील/ज्वलनशील प्रतिष्ठानों के लिए बहुत उपयुक्त है जहां इसे मानवीय हस्तक्षेप के बिना किसी भी आपात स्थिति से स्वचालित रूप से निपटने के लिए संवेदनशील बिंदुओं में रखा जा सकता है।
iv. एचईएमएम जैसे फावड़े, ड्रिल, डोजर, डंपर आदि में इसे उचित ब्रैकेट / धारकों के साथ कमजोर बिंदुओं पर स्थापित किया जाना है जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इसे पहले से भारी कंपन और झटके के तहत पकड़ सकते हैं।

कजोरा एरिया ने 23.03.2021 को 15 फायर एक्सटिंग्विशर बॉल का खरीद ऑर्डर दिया है। सोनपुर बाजारी क्षेत्र और सालनपुर क्षेत्र में अग्निशामक बॉल की खरीद प्रक्रियाधीन है। खरीद आदेश वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में रखे जाने की उम्मीद है।

च. **सांक्टोरिया अस्पताल में जन औषधि केंद्र की स्थापना:** प्रस्ताव का उद्देश्य अस्पतालों के इनडोर रोगियों और कंपनी में इलाज कर रहे बाहरी रोगियों को दवाओं की आपूर्ति पर कर्मचारियों के बीच संतुष्टि बढ़ाना था। इस विचार पर विस्तार से चर्चा की गई थी और वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही के दौरान इनपुट एकत्र किए गए थे। शुरू में अपोलो फार्मेसी, फ्रैंक रॉस आदि जैसे प्रतिष्ठित स्टोरों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से दो मेडिकल स्टोर, एक सीएच, कल्ला और एक सांक्टोरिया अस्पताल परिसर में स्थापित करने का प्रस्ताव था। बाद में, यह निर्णय लिया गया कि सांकतोड़िया अस्पताल जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा। यदि मॉडल सफल होता है, तो इसे कल्ला अस्पताल और अन्य क्षेत्र के अस्पतालों में भी दोहराया जा सकता है। उक्त स्टोर हमारे कर्मचारियों को सरकारी पूर्व निर्धारित दरों पर दवाएं उपलब्ध कराएंगे जिससे चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर हमारे खर्च को कम करने में भी मदद मिलेगी।

छ. **ईसीएल में पेटेंट दाखिल करना:** किसी उत्पाद या प्रक्रिया से संबंधित एक आविष्कार जो नया है, जिसमें आविष्कारशील कदम शामिल है और औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम है, पेटेंट कराया जा सकता है। ईसीएल कई भूमिगत खानों के साथ-साथ ओपन कास्ट परियोजनाओं से कोयले के उत्पादन में लगी हुई है। कई बार, हमारे अधिकारी और कामगार खनन कार्यों के दौरान आने वाली किसी भी समस्या से निपटने के लिए नवीन विचारों के साथ आते हैं। ईसीएल को किसी नवोन्मेषी विचार/डिजाइन का मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिए और इसे पेटेंट कराने की संभावना तलाशनी चाहिए। इस विचार पर विचार किया जा रहा है और आने वाले वर्ष में इस दिशा में प्रगति की उम्मीद है।r

ज. **डीजल चोरी को रोकने के लिए एचईएमएम डंपरों का ईंधन टैंक संशोधन:** डीजल चोरी की घटनाओं की जांच के लिए एचईएमएम के डीजल टैंक को छिद्रित धातु के इंसर्ट के साथ संशोधित किया जाना चाहिए। हालांकि, एचईएमएम का डीजल टैंक प्री-फिटेड कैप लॉक और स्ट्रेनर के साथ आता है, लेकिन व्यावहारिक परिदृश्य में यह पाया गया है कि ज्यादातर चाबियां खो गई थीं और स्ट्रेनर टूटी हुई स्थिति में थे। इससे टोपी खोलकर पाइप डालने से डीजल चोरी हो जाती है। डीजल टैंक की टोपी के नीचे 8 इंच आकार के 2 इंच व्यास के छिद्रित जीआई पाइप को वेल्ड करने का प्रस्ताव है। यह चोरी की दृष्टि से फ्यूल टैंक को फुलप्रूफ बना देगा। इस विचार पर गौर किया गया है और जल्द ही इसे लागू किए जाने की उम्मीद है।.

मिशन सुदेश के तहत गतिविधियां:

मापने योग्य पैरामीटर के साथ एक निश्चित समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिशन मोड में कार्यों को करने से निश्चित समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। तेजी से विकास ने मानव समाज पर विभिन्न तरीकों से बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाला है और विकास को सतत बनाने के लिए समय की आवश्यकता है।

ईसीएल, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में, सतत रूप से बढ़ने में भी विश्वास करती है और मिशन सुदेश यानी पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के सतत विकास को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में अपने संचालन और व्यवसाय को टिकाऊ बनाने के लिए लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मिशन सुदेश के तहत ईसीएल में गतिविधियों की अवधारणा और कार्यान्वयन किया गया है। न केवल गतिविधियाँ, बल्कि कंपनी के कामकाज को और अधिक टिकाऊ बनाने और इसके कार्यबल और समुदाय को अधिक सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए प्रक्रियात्मक परिवर्तन भी लाए गए हैं। मिशन सुदेश में इसकी सफलता का जश्न मनाने के लिए की गई गतिविधियों को उजागर करने के लिए यह संग्रह तैयार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मिशन सुदेश के तहत की गई गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

1) **कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए मिशन सुदेश-मित्वा:** ईसीएल ने मिशन सुदेश- मितवा के तहत कोविड -19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान गरीब, जरूरतमंद लोगों को राशन / किराने के लगभग 23,000 पैकेट वितरित किए हैं। प्रवासी श्रमिकों, भिखारियों और अत्यंत गरीब लोगों को लगभग 20,000 पैकेट पका हुआ भोजन भी परोसा गया। लगभग 3 लाख मास्क श्रमिकों और समुदाय के बीच वितरित किए गए और मिशन सुदेश के तहत कोविड -19 महामारी से लड़ने के लिए उन्हें 1,000 लीटर सैनिटाइजर प्रदान किया गया। ईसीएल के प्रतिष्ठानों में तापमान जांच के लिए 59 थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई और मिशन के तहत श्रमिकों के बीच लगभग 9,000 दस्ताने वितरित किए गए।

कल्ला और सांक्टोरिया अस्पताल में कोविड-19 रोगियों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए और मिशन के तहत गंभीर रूप से बीमार रोगी के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई। मिशन सुदेश-मित्वा के तहत विशेष ट्रेनों में आसनसोल रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों के बीच लगभग 5,000 भोजन के पैकेट, पानी, मास्क वितरित किए गए।

2) **सुरक्षा अभियान:** दुर्घटनाओं, सुरक्षित प्रथाओं के लिए 3-5 मिनट के 13 लघु वीडियो क्लिप तैयार किए गए हैं और कर्मचारियों को सुरक्षा संस्कृति के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से कर्मचारियों को वितरित किया गया है। 54682 विभागीय एवं 6054 संविदा कर्मचारियों को वाट्सएप के माध्यम से जोड़ा गया है। किराए पर लिए गए सभी परिचालनात्मक ओसी पैचों की विशेष सुरक्षा लेखापरीक्षा मिशन "सुदेश" के

तत्वावधान में 16.03.2020 से 24.03.2020 तक आयोजित किया गया था। मिशन के तहत 11.05.2020 से 24.05.2020 तक अग्नि और सहज ताप पर सुरक्षा अभियान आयोजित किया गया।

मिशन मोड के तहत 08.06.2020 से 14.08.2020 तक पुराने कामकाज में छत और साइड गिरने की घटनाओं सहित आग और बाढ़ से सुरक्षा के लिए जोखिम की पहचान करने के लिए पुराने कामकाज का निरीक्षण। व्यक्ति के गिरने से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षा अभियान का आयोजन दिनांक 06.07.2020 से 18.07.2020 तक किया गया। 10.08.2020 से 14.08.2020 तक आयोजित विस्फोटकों के विस्फोट से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षा अभियान। 24.08.2020 से 29.08.2020 तक आयोजित यूजी गैर-परिवहन मशीनरी के कारण दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षा अभियान।

28.09.2020 से 03.10.2020 तक आयोजित मानसून की तैयारी और ढलान / डंप निगरानी पर विशेष अभियान। 19.10.2020 से 24.10.2020 तक आयोजित अंडरग्राउंड हॉलेज सिस्टम के सुरक्षित संचालन पर सुरक्षा अभियान। 23.11.2020 से 05.12.2020 तक स्ट्रैटा कंट्रोल और रूफ एंड साइड सपोर्ट पर सुरक्षा अभियान आयोजित किया गया।

21.12.2020 से 02.01.2021 तक आयोजित संविदा एचईएमएम के सुरक्षित संचालन और कार्य वातावरण का सुरक्षा अभियान। 18.01.2021 से 30.01.2021 तक आयोजित विद्युत स्थापना और उपकरण पर सुरक्षा अभियान, कार्य करने के लिए परमिट, और एलओटीओ प्रक्रिया। 22.02.2021 से 27.02.2021 तक वीटी केंद्र और पीएमई केंद्र पर सुरक्षा अभियान आयोजित किया गया। 15.03.2021 से 27.03.2021 तक स्तर की निगरानी और छत और साइड सपोर्ट पर सुरक्षा अभियान आयोजित किया गया।

3) **स्वास्थ्य क्लब**: ईसीएल ने कंपनी के कल्याणकारी उपाय के रूप में मिशन सुदेश के तहत अपने कर्मचारियों के फिटनेस स्तर में सुधार के लिए मुख्यालय में जिम खोला। ईसीएल के छह क्षेत्रों में जिम की सुविधा है और इसका सभी क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा।

4) **वर्षा जल संचयन:** ईसीएल के सतग्राम क्षेत्र में सतत विकास कार्यक्रम के तहत कच्चे जल संचयन का निर्माण।

5) **स्वच्छ पेयजल**: लगभग 3,000 लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सोदपुर क्षेत्र में चिनकुरी खदान-I में 5,000 लीटर प्रति घंटे की क्षमता के रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट को चालू करना और कुनुस्तोरिया के नॉर्थ सीयरसोल में 7,500 लीटर प्रति घंटे की क्षमता के रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट को चालू करना जो कि लगभग 4,000 लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करायेगा ।

लगभग 3,000 लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एस पी खान क्षेत्र की न्यू कॉलोनी में 5,000 लीटर प्रति घंटे की क्षमता का रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट की स्थापना। लगभग 3,000 लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सतग्राम क्षेत्र के नीमचा कोलियरी में 5,000 लीटर प्रति घंटे की क्षमता के रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट की स्थापना। लगभग 3,000 लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंडा क्षेत्र के क्षेत्रीय अस्पताल, चोरा में 5,000 लीटर प्रति घंटे की क्षमता के रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट की स्थापना। लगभग 3,000 लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए झाझरा क्षेत्र के मुख्य औद्योगिक भवन में 5,000 लीटर प्रति घंटे की क्षमता का रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट चालू करना।

6) **ग्रीन पार्क:** समुदाय को हरित पार्क उपलब्ध कराने के लिए झझरा क्षेत्र में पीओसीपी साइडिंग में चंद्रशेखर उद्यान विकसित किया गया है। मिशन के तहत बांकोला क्षेत्र में कुमारडीही कोलियरी में एक फल पार्क भी विकसित किया गया है।

7) **वृक्षारोपण अभियान:** ईसीएल में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है और सभी क्षेत्रों में मिशन मोड में तिमाही-02 में 65 हेक्टेयर में 1,62,000 पौधे लगाए गए हैं।

8) **धूल दमन:** सतग्राम क्षेत्र में जेके नगर रेलवे साइडिंग, झांझरा क्षेत्र में पीओसीपीआईआई साइडिंग, सतग्राम क्षेत्र में निमचा साइडिंग और एसपी खान क्षेत्र में कोयला डिपो से गिरिजा वेज ब्रिज पर धूल दमन के लिए फिक्स्ड वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए।

9) **सोलर लाइट:** राजमहल क्षेत्र, सालनपुर क्षेत्र और कुनुस्तोरिया क्षेत्र के आस-पास के गांवों में सोलर लाइट की स्थापना। मिशन के तहत लगभग 1400 सोलर लाइटें लगाई गईं। एस बी क्षेत्र, ईसीएल के तहत विभिन्न स्थानों पर वर्षा जल संचयन (भूजल रिचार्ज) के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण। 35 केडब्ल्यूपी ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट के लिए कैप्टिव कंजम्पशन मोड पर एसईसीआई द्वारा तैयार रूफ टॉप 1415 केडब्ल्यूपी सौर परियोजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्थापना के लिए कार्य प्रदान किया गया।

10) **वृक्षारोपण:** ईसीएल के सभी क्षेत्रों में मिशन मोड में 68 हेक्टेयर भूमि में 1,63,755 पौधे लगाए गए हैं।

11) फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी: राजमहल सीएचपी (10 एमटीवाई) और झाझरा सीएचपी (5 एमटीवाई) में कुल 15 एमटी प्रति वर्ष फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए कार्य आदेश जारी किया गया। यह पहल न केवल कोयला परिवहन को आसान और तेज बनाती है बल्कि इससे अधिक पर्यावरणीय लाभ भी होंगे।

12) **खदान के पानी का उपयोग:** बीएमपी जीआर के तहत बेजडीह इनलाइन पर खदान के पानी के डिस्चार्ज पॉइंट पर सेटलिंग टैंक का निर्माण। सोदपुर क्षेत्र के.

13) **स्वास्थ्य सेवा:** सलानपुर क्षेत्र की कल्याणकारी पहल के तहत पुनाद्रिस्टी नेत्र एवं सामान्य अस्पताल, आसनसोल के समन्वय में जामग्राम पल्ली उन्नयन समिति में मिशन सुदेश-मितवा के तहत नि:शुल्क मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया गया।

मिशन धरोहर के तहत गतिविधियां:

मिशन धरोहर खनन कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए आसनसोल में खान पर्यटन शुरू करने की संभावना तलाशने और उत्साही पर्यटकों को कोयला खदानों का दौरा करने और इसकी पेचीदगियों को समझने का अवसर प्रदान करने में लगा हुआ है। ईको माइन टूरिज्म की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए टीम धरोहर ने धमोमेन इनलाइन कोलियरी का दौरा किया है। टीम धरोहर ने ईको माइन टूरिज्म को लेकर टाइमलाइन के साथ एक्शन प्लान तैयार किया। कार्य योजना में 3 परियोजनाएं शामिल हैं:

1. इको माइन टूरिज्म (भूमिगत खदान का दौरा)
2. कोयला संग्रहालय का निर्माण
3. हेरिटेज पार्क का निर्माण

उत्पादन:

ववरण	2020-21	2019-20
ओसीपी - कोयला (एमटी)	35.695	41.195
भूमगित कोयला (एमटी)	9.309	9.206
कुल (एमटी)	45.004	50.401
वकिास %	-10.708	0.48
ओबीआर- (एमसीयूएम)	139.585	140.455
वकिास %	-0.62	11.42

खंड-तौर पर या उत्पाद-तौर पर प्रदर्शन

(मिलियन टन में)

विवरण	2020-21	%	2019-20	%	विकास(%)
एफएसए के तहत बाहरी लोगों को प्रेषण	36.803	87.55	42.917	87.02	-14.25
ई-नीलामी (पीएच को अग्रेषित नीलामियों सहित)	4.980	11.85	5.089	10.32	-2.15
एमओयू के तहत प्रेषण	0.075	0.18	1.081	2.19	-93.09
अन्य	0.004	0.01	0.048	0.10	-91.34
खुद की खपत	0.177	0.42	0.181	0.37	-2.55
कुल उठाव*	42.039	100.00	49.316	100.00	-14.76

* ध्यान दें: समझौता ज्ञापन के तहत प्रेषण का अर्थ है एनटीपीसी बाढ़ को प्रेषण

हमारे ग्राहक

ईसीएल में उत्पादित अधिकांश कोयले की आपूर्ति ताप विद्युत संयंत्रों को की जाती है। इसके अलावा, विभिन्न उद्योगों को भी कोयले की आपूर्ति की जाती है जिसमें स्टील, सीमेंट, स्पंज आयरन, रक्षा और अन्य शामिल हैं।

परिवहन, बुनियादी ढांचा और रसद:

खदान/कार्यस्थल से कोयले की निकासी के बाद, कोयले को टिपिंग ट्रकों और कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से डिस्पैच पॉइंट तक पहुँचाया जाता है। रेल, सड़क या डेडिकेटेड रेल एमजीआर सिस्टम के जरिए डिस्पैच प्वाइंट से ग्राहकों तक कोयला पहुंचाया जाता है।

भेजी गई सभी खेपों को या तो हमारे प्रेषण बिंदुओं पर उपलब्ध ईसीएल के स्वामित्व वाले वेटब्रिज पर या रेलवे के स्वामित्व वाले निकटतम वेटब्रिज पर तौला जाता है। हमारी बिक्री निर्दिष्ट प्रेषण बिंदुओं से या तो "रेल पर मुफ्त" या "सड़क पर मुफ्त" है। ग्राहक रेल और सड़क के बीच परिवहन का साधन चुन सकते हैं। खानों से निर्दिष्ट प्रेषण स्थलों तक कोयले के परिवहन की लागत ग्राहकों द्वारा वहन की जाती है।

(मिलियन टन में)

प्रेषण विधि	2020-21	2019-20
रेल	28.102	32.980
रोड	3.005	2.535
मेरी गो-राउंड (एमजीआर)	10.755	13.620
कुल	**41.862**	**49.135**

कोयले की कीमत:

गैर-कोकिंग कोयले का मूल्य निर्धारण वर्तमान में 01.01.2012 से इसके सकल कैलोरी मान पर आधारित है और कोकिंग कोल एवं वाशरी ग्रेड कोयले की राख स्तर सामग्री के आधार पर निर्धारित किया गया है। सेमी कोकिंग कोल के लिए कोयले का मूल्य निर्धारण राख और नमी की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इनपुट लागत, मुद्रास्फीति और आयातित कोयले की पहुंच लागत में वृद्धि को देखते हुए कोयले की कीमत में संशोधन किया गया है। अंतिम ग्राहक मूल्य में मूल मूल्य और अन्य शुल्क (उपकर, रॉयल्टी, जीएसटी और अन्य) शामिल हैं। ईसीएल और जुड़े ग्राहकों के बीच निष्पादित दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति समझौतों ("एफएसए") के तहत लगभग 88% कोयले की बिक्री की जाती है। इसके अलावा ई-नीलामी योजना के तहत कोयला भी बेचा जाता है।

वितरण और विपणन नीति:

एनसीडीपी 18 अक्टूबर, 2007 को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से कोयले की मांग को अल्पकालिक और दीर्घकालिक आधार पर, सुनिश्चित, निरंतर, पारदर्शी और कुशल तरीके से निर्मित के साथ वाणिज्यिक अनुशासन में पूरा करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

ई-नीलामी योजना:

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए कोयले तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। ई-नीलामी के तहत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की एमओसी द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ई-नीलामी योजना ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त कोयला खरीद के लिए एक अवसर प्रदान करती है।

ईंधन आपूर्ति समझौते:

एनसीडीपी की शर्तों के अनुसार, कोल कंपनी ने सीधे ग्राहकों के साथ या राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफएसए में प्रवेश किया है जो बदले में अंतिम ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करता है। हमारे एफएसए को मोटे तौर पर इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. राज्य बिजली उपयोगिताओं, निजी बिजली उपयोगिताओं ("पीपीयू") और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों ("आईपीपी") सहित बिजली उपयोगिता क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए;
2. गैर-विद्युत उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट्स ("सीपीपी") सहित
3. राज्य नामित एजेंसियों के साथ एफएसए, और
4. एफएसए हालांकि लिंकेज नीलामी मार्ग।

अनुसंधान और विकास:

ईसीएल बोर्ड की 330वीं बैठक में "अनुसंधान और विकास" के लिए उप-समिति का गठन किया गया। 31 मार्च, 2021 को, समिति में श्री प्रेम सागर मिश्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, 2 (दो) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक - श्री प्रवीण कांत और श्री अनिल कुमार गनेरीवाला, 3 (तीन) कार्यात्मक निदेशक - श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना; श्री बी वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) संचालन; श्री गौतम चंद्र डे, निदेशक (वित्त); महाप्रबंधक (परियोजना एवं योजना); महाप्रबंधक (ई एंड एम); महाप्रबंधक (खुदाई) और महाप्रबंधक (पर्यावरण और वन) शामिल थे।

पहले, ईसीएल ने केवल कोयला उत्पादन की चल रही प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया था और कोल इंडिया लिमिटेड के दिशानिर्देशों के अनुसार सीआईएल और सीएमपीडीआईएल द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य किया गया था। उप-समिति का उद्देश्य नई या बेहतर तकनीक बनाना है जो व्यापार, उद्योग या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सके। जबकि प्रतिफल बहुत अधिक हो सकते हैं, तकनीकी नवाचार की प्रक्रिया जटिल और जोखिम भरी है। कंपनी ने अपनी व्यावसायिक रणनीति के एक भाग के रूप में विभिन्न परियोजनाओं को मिशन मोड में लिया है और अब उन परियोजनाओं की आवश्यकता-आधारित मूल्यांकन करने के बाद परियोजनाओं / गतिविधियों को इन मिशनों जैसे सुदेश, सुमित, संजीबनी आदि के साथ समन्वयित करने की कोशिश की

जा रही हैं। उप-समिति का ध्यान सरकारी दिशा-निर्देशों और ढांचे के दायरे में समाधान ढूंढकर घाटे में चल रही खानों को बदलने पर है।

इसके अलावा, अनुसंधान और विकास की जरूरतों के लिए, ईसीएल ने सीएमपीडीआईएल को भी नियुक्त किया, जो सीआईएल की सहायक कंपनियों में से एक है। सीएमपीडीआईएल अनुसंधान गतिविधियों के समन्वय, धन के वितरण के साथ-साथ हमारे अनुसंधान और विकास गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

आंतरिक लेखापरीक्षा (आईए) का महत्व नियंत्रण और अनुपालन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यवसाय / कार्यों की आवधिक समीक्षा सुनिश्चित करती है कि उद्देश्य, उपयोगकर्ता (एसओपी) नियमावली और नियंत्रण मौजूद हैं और निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षा समिति को आश्वासन प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त कॉर्पोरेट प्रशासन और लेखा परीक्षा जोखिम नियंत्रण प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम कर रहे हैं। एक प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य बोर्ड को अपने शासन और नियंत्रण जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता करने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। जारी किए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस की विभिन्न संहिताओं ने भी इस तथ्य को प्रतिध्वनित किया है कि आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य किसी भी संगठन की कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।

कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, कंपनी का संपूर्ण आंतरिक ऑडिटिंग कार्य चार्टर्ड या लागत लेखाकारों की स्वतंत्र बाहरी ऑडिट फर्मों को सौंपा गया है। मुख्यालय सहित कंपनी के पन्द्रह क्षेत्र/इकाइयों का आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य करने वाली पंद्रह लेखापरीक्षा फर्में हैं। चयन प्रक्रिया में उच्चतम स्कोर वाली फर्मों में से एक को 'सेंट्रल इंटरनल ऑडिटर' या 'लीड ऑडिटर' का काम सौंपा जाता है।

कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों का चयन एक विधिवत गठित समिति द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग (मुख्यालय) के प्रमुख की अध्यक्षता में होती है, 'रुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण (ईओआई)' की प्रक्रिया के अनुसार और चयन प्रक्रिया के सख्त अनुपालन में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संरचित कोल इंडिया ने ऑडिट फर्मों की शॉर्ट-लिस्टिंग और चयन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित किए हैं और उनकी नियुक्ति के लिए सामान्य नियमों और शर्तों के साथ काम का दायरा भी निर्धारित किया है।

अधिकार प्राप्त समिति द्वारा चयन के लिए चयनित और प्रस्तावित आंतरिक लेखा परीक्षा फर्मों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति द्वारा मूल्यांकन और सिफारिश के अधीन है। आंतरिक लेखापरीक्षक मासिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपने संबंधित इकाई/क्षेत्र शीर्षों के साथ-साथ तिमाही लेखापरीक्षा रिपोर्ट आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (मुख्यालय), निदेशक (वित्त) और कोल इंडिया लिमिटेड को प्रस्तुत करते हैं। कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) के आवेदन और प्रभावशीलता पर उनकी टिप्पणियां पर वे एक विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें कंपनी के संचालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के नियमित मूल्यांकन शामिल हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण कंपनी का लेखा परीक्षा कार्मिकों द्वारा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के वाणिज्यिक लेखापरीक्षा महानिदेशक (जिसे पहले भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या सीएजी के रूप में जाना जाता था) के कार्यालय से भी किया जाता है। सरकार भारत की। सरकार लेखापरीक्षक किसी विशेष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए DGCA द्वारा निर्धारित और डिज़ाइन किए गए विशिष्ट ऑडिट कार्यक्रमों और कार्यक्षेत्र के अनुसार, कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों/इकाइयों में नियमित अंतराल पर नियमित 'निरीक्षण/लेनदेन ऑडिट' करते हैं। लेखापरीक्षा टिप्पणियों वाली निरीक्षण रिपोर्ट सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है। डीजीसीए और संबंधित निदेशकों और विभागाध्यक्षों के लेखापरीक्षक। लेन-देन लेखा परीक्षा के अलावा, सरकार। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और खातों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षक वार्षिक लेखा परीक्षा भी करते हैं। केंद्रीय आंतरिक लेखा परीक्षक (लीड ऑडिटर) को प्लेसमेंट से पहले एचओडी, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के परामर्श से तिमाही रिपोर्ट को अंतिम रूप देना और लेखा परीक्षा समिति में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रमुख लेखापरीक्षक को संबंधित क्षेत्र प्रमुखों के साथ आवश्यक समन्वय और संचार के माध्यम से सभी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

कंपनी/सीआईएल की लेखापरीक्षा समिति अस्तित्व में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और संबंधित प्रक्रियात्मक अनुप्रयोगों पर कड़ी निगरानी रखती है। आंतरिक लेखा परीक्षकों की महत्वपूर्ण टिप्पणियों को आवधिक समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। ऐसी टिप्पणियों पर विचार करने पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा जारी निर्देश (यदि कोई हो) को आवश्यक अनुपालन और कार्यान्वयन के लिए विधिवत नोट किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान ईसीएल के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में काम करने वाली विभिन्न लेखा परीक्षा फर्मों ने कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों और इकाइयों में मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर संतोष व्यक्त किया है। इस प्रकार, कंपनी के पास कंपनी के आकार और उसके द्वारा किए गए व्यावसायिक लेनदेन की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली मौजूद हैं।

भंडार अंकेक्षण:

स्टोर ऑडिट की अवधारणा को वित्तीय वर्ष 2018-19 से कंपनी में लाया गया है। वर्ष 2019-20 और उसके बाद के लिए सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में लागू कार्य के संशोधित दायरे और संशोधित ऑडिट शुल्क के साथ स्टोर के भौतिक सत्यापन के लिए स्टोर ऑडिटर की नियुक्ति के लिए सीआईएल के बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, 2019-20 के लिए स्टोर ऑडिटर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया और उसके बाद तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं और नियुक्त चार (04) स्टोर लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्टोर ऑडिट रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखाओं में भंडार खाता बही में आवश्यक सुधारों को शामिल कर लिया गया है और लेखांकन व्यवहार किया गया है।

लागत अंकेक्षण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(6) और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6(6) के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए फॉर्म सीआरए-4 में लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट केंद्र सरकार को 30 नवंबर, 2020 दायर की गई थी।

परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा:

संचालन के परिणाम:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20	विकास (%)
कुल बिक्री	14821.26	18192.36	-18.53%
कम: लेवी	4564.87	5368.62	-14.97%
कुल बिक्री	10256.39	12823.74	-20.02%
अन्य आय	849.79	1144.60	-25.76%
कुल आय	11106.18	13968.34	-20.49%

कोयले की बिक्री से आय:

बिक्री को रॉयल्टी, कोयले पर उपकर, माल और सेवा कर आदि सहित विभिन्न वैधानिक लेवी की सकल बिक्री शुद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कोयले की बिक्री से होने वाली आय मुख्य रूप से कोयले के मूल्य निर्धारण और उत्पादन तथा उसके वितरण पर निर्भर है।

व्यय:

प्रमुख भागों का विश्लेषण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20	विकास	
			पूर्ण	प्रतिशत
(अभिवृद्धि)/स्टॉक में कमी	-300.71	-86.86	-213.85	-246.20%
उपभोग की गई सामग्री की लागत	720.07	681.90	38.17	5.60%
कर्मचारी लाभ व्यय	7817.46	7675.32	142.14	1.85%
शक्ति और ईंधन	444.71	445.78	-1.07	-0.24%
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	11.56	11.48	0.08	0.70%
संविदात्मक व्यय	1941.23	1974.85	-33.62	-1.70%
वित्त लागत	193.80	178.21	15.59	8.75%
मरम्मत	117.33	134.43	-17.10	-12.72%
अन्य खर्चे	544.98	635.08	-90.10	-14.19%
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	1.27	286.92	-285.65	-99.56%
मूल्यह्रास / हानि	493.85	434.35	59.50	13.70%
प्रावधानों	27.89	95.53	-67.64	-70.80%
कर पूर्व कुल व्यापक आय	-1141.74	1283.15	-2424.89	-188.98%
कर के बाद कुल व्यापक आय	-994.06	834.37	-1828.43	-219.14%

नकदी प्रवाह:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021	31-03-2020
नकद और नकद समकक्ष खोलना	-274.88	478.68
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	-1126.24	-644.70
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	2353.14	-102.25
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	-6.98	-6.61
नकद और नकद समकक्षों में परिवर्तन	1219.92	-753.56
नकद और नकद समकक्ष बंद करना	945.04	-274.88

31 मार्च, 2021 तक की उपलब्धियों के साथ समझौता ज्ञापन लक्ष्य:

क्रम सं	मापदंड	ईकाई	वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य	वास्तविक
1.	कारोबार: संचालन से राजस्व (शुद्ध)	करोड़	13230	10718.15
2.	परिचालन लाभ (अन्य आय, असाधारण और असाधारण मदों को छोड़कर कर पूर्व लाभ): परिचालन से राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (शुद्ध)	प्रतिशत	10.82	-12.08%
3.	निवेश पर प्रतिलाभ: पिछले वर्ष की तुलना में कुल आय के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय में कमी	प्रतिशत	5	-18.92%
4.	व्यापार प्राप्य (शुद्ध) संचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में	दिन	26	105.49
5.	कंपनी के खिलाफ कुल दावों में कमी जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	प्रतिशत	20	0.34%
6.	पिछले वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के लिए जीईएम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रतिशत	प्रतिशत	25	4.17%

मानव संसाधन विकास:

श्रमशक्ति

श्रेणी	श्रमशक्ति		जोड़(+)/ घटाव(-)
	31.03.2021	31.03.2020	
कार्यपालक	1864	1960	-96
पर्यवेक्षक	3800	3966	-166
मंत्रिस्तरीय / लिपिक	2016	2232	-216
अत्यधिक कुशल / कुशल	17925	19175	-1250
अर्द्ध कुशल/अकुशल	28271	28946	-675
प्रशिक्षु (गैर-कार्यकारी)	990	874	116
कुल	**54866**	**57153**	**-2287**

श्रमशक्ति में भिन्नता के कारण:

विवरण	कार्यपालक	गैर-कार्यपालक	कुल
बढ़ोतरी			
नई नियुक्ति	-	-	-
चिकित्सकीय रूप से अयोग्य मामलों के खिलाफ नियुक्ति	-	-	-
मौत के मामलों के खिलाफ नियुक्ति	-	593	593
बहाली/पुनः शामिल होना	01	01	02
अन्य कंपनियों से स्थानांतरण	56	26	82
भूमि खोने वालों के खिलाफ नियुक्ति	-	235	235
विशेष महिला वीआरएस के खिलाफ नियुक्ति	-	02	02

गैर-कार्यकारी से कार्यकारी में पदोन्नति	-	01	01
कुल वृद्धि (क)	**57**	**858**	**915**
कमी			
निवृत्ति	90	2356	2446
मेडिकल अनफिट	-	-	-
मौत	03	597	600
इस्तीफा	23	10	33
अन्य कंपनियों में स्थानांतरण	28	54	82
बर्खास्तगी/समाप्ति	07	29	36
जीएचएस/ईवीआरएस के तहत वी.आर.	03	01	04
विशेष महिला वीआरएस	-	-	-
गैर-कार्यकारी से कार्यकारी में पदोन्नति	-	01	01
कुल कमी (ख)	**154**	**3048**	**3202**
विविधता (क-ख)	**-97**	**-2190**	**-2287**

औद्योगिक संबंध:

कंपनी में औद्योगिक संबंध कुल मिलाकर सौहार्दपूर्ण हैं। श्रमिक आजकल बाहरी मुद्दों का समर्थन नहीं करते हैं। औद्योगिक संबंध और कानून एवं व्यवस्था से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं	विषय	2020-21	2019-20
1.	हड़तालों की संख्या	02 (4 दिन)	02 (4 दिन)
2.	श्रम- हानि दिनों में (लाख में)	0.41	0.18
3.	उत्पादन में कमी (लाख टन में)	1.57	0.75

कानून एवं व्यवस्था

विषय	2020-21	2019-20
कानून और व्यवस्था (अशांति)	09	20
उत्पादन घाटा (लाख टन में)	शून्य	0.04

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी:

ईसीएल में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी कंपनी में विभिन्न स्तरों पर पूरी तरह से संचालित है। संयुक्त परामर्शदात्री समितियाँ कॉर्पोरेट, क्षेत्र और परियोजना/इकाई स्तरों पर कार्य कर रही हैं। जेसीसी बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। अन्य समिति/बोर्डों के अलावा उत्पादन, उत्पादकता आदि। हमारी कंपनी में सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड आदि भी कार्य कर रहे हैं। ट्रेड यूनियनें ऐसी समितियों में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और प्रबंधन और कर्मचारी के बीच विश्वास और सद्भावना को मजबूत करने के अलावा पारदर्शिता, जवाबदेही लाती हैं।

बैठक	2020-21	2019-20
मुख्यालय स्तर पर आयोजित जेसीसी बैठक की संख्या	05	05
मुख्यालय स्तर पर आयोजित संरचित बैठक की संख्या	05	21

एनसीडब्ल्यूए और एलएलएस के तहत प्रदान किया गया रोजगार:

के तहत प्रदान किया गया रोजगार	2020-21	2019-20
एनसीडब्ल्यूए	525	522
भूमि हानि योजना	174	191

अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण:

अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की भर्ती के मामले में राष्ट्रपति के निर्देश ईसीएल में लागू किए गए हैं। कुल जनशक्ति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

तक	कुल श्रमशक्ति	अनुसूचित जाति के कर्मचारी		अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी	
		संख्या	%	संख्या	%
31.03.2021	54866	15132	27.58	7149	13.03
31.03.2020	57153	15899	27.82	7527	13.17

2019-20 के दौरान किए गए 271 और 139 कर्मचारियों को पदोन्नत की तुलना में 2020-21 के दौरान 1552 पदोन्नति में से, अनुसूचित जाति समुदाय के 233 कर्मचारियों और अनुसूचित जनजाति समुदाय के 129 कर्मचारियों को क्रमशः किया गया था। ओबीसी समुदाय के कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च, 2020 तक 15285 थी जो कि 31 मार्च, 2021 तक 15545 हैं।

ट्रेड यूनियन:

ईसीएल के कर्मचारी अत्यधिक संघबद्ध हैं और शायद ही ऐसे कर्मचारी हैं जो किसी भी यूनियन के सदस्य नहीं हैं। प्रमुख यूनियनें आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, बीएमएस, यूटीयूसी, सीटू, आईएनटीटीयूसी आदि कार्यरत हैं। कार्यपालक सीएमओएआई के सदस्य हैं। गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की वेतन संशोधन और सेवा की अन्य शर्तें जेबीसीसीआई द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए), प्रमाणित स्थायी आदेश और सरकारी निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण:

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत गठित ईसीएल की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कार्य करना जारी रखे हुए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान यौन उत्पीड़न के संबंध में दो शिकायतें प्राप्त हुईं और जांच प्रक्रियाधीन है।

प्रशिक्षण :

हमारा लक्ष्य पूरे वर्ष सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा 1994 में गठित भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) अधिकारियों को उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, युवा प्रबंधक कार्यक्रम, उन्नत रखरखाव अभ्यास, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण और कोचिंग, कनिष्ठ अधिकारियों के लिए कैरियर विकास और संचार कौशल जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा, हमारी कंपनी ने बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों की व्यवस्था की है और हमारे कर्मचारियों (निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों सहित) को भारत के बाहर कई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्रों के लिए भेजा जाता है।

आईआईसीएम के अलावा, ईसीएल में, हमारे दो एचआरडी प्रशिक्षण केंद्र हैं जो अधिकारियों सहित कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। नए भर्ती किए गए प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए भी नियमित रूप से प्रेरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता हैं।

एचआरडी विभिन्न संस्थानों के छात्रों के लिए आवश्यकता के आधार पर औद्योगिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। कंपनी ने 2020-21 में नए दिशानिर्देशों के अनुसार 640 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया था। ईसीएल, शिक्षुता अधिनियम, 1961 और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विषयों / ट्रेडों के प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर रहा है। भारत की। विवरण नीचे दिया गया है:

1. कार्य योजना: कार्य योजना के अनुसार एचआरडी प्रदर्शन रिपोर्ट (कंपनी में):

वर्ष	पाठ्यक्रम की संख्या		प्रतिभागियों की संख्या							
			लक्ष्य				वास्तविक			
	लक्ष्य	वास्तविक	कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कर्मचारी	कुल	कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कर्मचारी	कुल
2020-21	124	21	360	890	420	1670	485	139	शून्य	624
2019-20	236	221	393	742	1425	2560	629	967	1681	3277

2. वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदान किए गए विभिन्न प्रशिक्षणों का विवरण:

वर्ष	पाठ्यक्रम की संख्या	2020-21				2019-20			
		कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कर्मचारी	कुल	कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कर्मचारी	कुल
1	सामान्य/कंपनी में प्रशिक्षण:								

1.i	तीन दिन या उससे अधिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	195	627	915	1737
1.ii	3 दिन से कम	485	139	शून्य	624	434	340	766	1540
2	**बाहरी प्रशिक्षण (भारत के भीतर):**								
2.i	**आईआईसीएम में:**								
2.i.क	तीन दिन या उससे अधिक	176	शून्य	शून्य	176	563	शून्य	शून्य	563
2.i.ख	लघु पाठ्यक्रम	55	शून्य	शून्य	55	129	शून्य	शून्य	129
2.ii	**आउट कंपनी प्रशिक्षण (आईआईसीएम के अलावा)**								
2.ii.क	अल्पकालीन	107	शून्य	शून्य	107	259	05	02	266
2.ii.ख	लंबी अवधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	34	04	शून्य	38
2.ii.ग	तीन दिन या उससे अधिक	19	शून्य	शून्य	19	48	शून्य	शून्य	48
3	**बाहरी (विदेश)**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	07	शून्य	शून्य	07
	कुल	**842**	**139**	**शून्य**	**981**	**1669**	**976**	**1683**	**4328**
4	**अन्य प्रशिक्षण और संगोष्ठी:**								
क.	**प्रशिक्षण:**								
4.क.i	व्यवसायिक	शून्य	शून्य	640	640	शून्य	शून्य	1229	1229
4.क.ii	पीडीपीटी	शून्य	949	शून्य	949	शून्य	411	शून्य	414
4.क.iii	पीजीपीटी	159	शून्य	शून्य	159	109	शून्य	शून्य	108
4.क.iv	अपरेंटिस (कुशल)	शून्य	शून्य	89	89	शून्य	शून्य	120	226
4.ख.	**संगोष्ठी/कार्यशाला**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	09	07	02	18
4.ग.	**सिम्युलेटर प्रशिक्षण**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	71	71
	कुल	**1001**	**1088**	**729**	**2818**	**1787**	**1394**	**3105**	**6394**

पर्यावरण रक्षण और संरक्षण:

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में पर्यावरण विभाग सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के पर्यावरण और वन संबंधी मामलों से संबंधित है और अपनी कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण पर कोयला खनन गतिविधियों के प्रभाव की नियमित निगरानी की जाती है और वैधानिक मानदंडों, अधिनियमों और नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त पर्यावरण सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी शर्तों के बेहतर पालन के लिए कदम उठाने के अलावा, कंपनी ने सतत विकास की दिशा में हरित पहल की है।



कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति को अपनाना

ईसीएल ने कोल इंडिया लिमिटेड की पर्यावरण नीति के अनुरूप है अपनी कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति तैयार और कार्यान्वित की है। ईसीएल की पर्यावरण नीति में कहा गया है कि "ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) एकीकृत परियोजना योजना और डिजाइन के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करके सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, 10 आर (कम करें, रीसायकल, पुन: उपयोग, पुन: डिजाइन, पुनर्प्रयोजन, नवीनीकरण, मरम्मत, पुनर्प्राप्ति, पुनर्नियोजन और मना करना), प्रदूषण की रोकथाम/शमन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की बहाली, कचरे का उचित निपटान, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना और मिशन सुदेश के कंपनी-व्यापी कार्यान्वयन के माध्यम से एक मिशन मोड में समावेशी विकास (सतत विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता)"।

सतत विकास प्रकोष्ठ (एसडीसी)

ईसीएल में "सतत विकास प्रकोष्ठ" का गठन कंपनी द्वारा समग्र रूप से किए गए विभिन्न पर्यावरणीय शमन उपायों की योजना बनाने, दिशानिर्देश तैयार करने, समय-समय पर निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए नए विचारों को उत्पन्न करने की दिशा में काम करने के लिए किया गया है। एसडीसी सेल की अध्यक्षता निदेशक (तकनीकी) पी एंड पी द्वारा की जाती है और इसमें प्रमुख विभागाध्यक्ष होते हैं। पर्यावरणीय शमन उपायों को सही और टिकाऊ तरीके से करने से आस-पास के क्षेत्रों में काम करने वाले और रहने वाले लोगों को बेहतर वातावरण मिलेगा एवं देश में कोयला क्षेत्र की समग्र छवि में भी सुधार होगा।

एसडीसी के तहत गतिविधियां

क. ईको-पार्क/पर्यटन स्थलों का विकास:

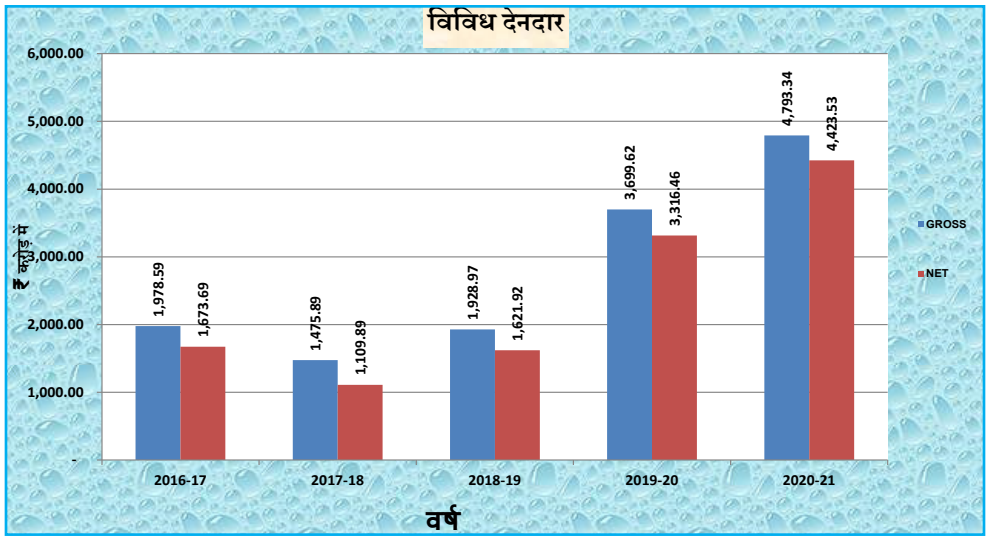
1. पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा झांजरा यूजीपी में 13 हेक्टेयर में एक नया पारिस्थितिक पार्क विकसित किया जाएगा जिसकी कुल परियोजना लागत 9.47 करोड़ है।
2. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की तकनीकी सहायता से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एबीजी योजना के तहत बॉटनिकल गार्डन के विकास के लिए गुंजन इकोलॉजिकल पार्क का विस्तार कार्यान्वयन के अधीन है।

ख. खदान जल उपयोग:

1. कुल 1272 लीटर सह/वर्ष, 774 लीटर सह/वर्ष खदान के पानी का उपयोग ईसीएल (औद्योगिक और घरेलू) और सामुदायिक आपूर्ति (घरेलू और सिंचाई) के लिए किया जा रहा है।
2. 115 गांवों में लगभग 1,73,000 आबादी घरेलू उपयोग के लिए सामुदायिक जल आपूर्ति के लाभार्थी हैं और 86 गांवों में 575 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा रही है।
3. पीएचईडी, सरकार के सहयोग से दो जलापूर्ति योजनाएं। पश्चिम बंगाल के ईसीएल के परित्यक्त ओसीपी अर्थात कुनुस्तोरिया क्षेत्र के ढांडाडीही ओसीपी और सालनपुर क्षेत्र के डालमिया ओसीपी से पानी का उपयोग आसपास के गांवों में कर रहे हैं।

ग. ओबी का वैकल्पिक उपयोग:

ईसीएल ने ओवर बर्डन के वैकल्पिक उपयोग के लिए एक पहल की है और ईसीएल के कजोरा क्षेत्र में संसाधित ओबी संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया में है।



घ. वैज्ञानिक अध्ययन:

1. सोनपुर बाजारी ओसीपी में लगभग 245.20 हेक्टेयर के पुनः प्राप्त ओबी साइट की पारिस्थितिक स्थिति का आकलन मौजूदा जैव विविधता और क्षेत्र आधारित अध्ययन का उपयोग करके पारिस्थितिक लाभ के साथ किया जा रहा है। इसके लिए सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, धनबाद को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है।

2. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के ओवरबर्डन से संसाधित ओबी/रेत निकालने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए ईसीएल (राजमहल ओसीपी, सोनपुर बाजारी ओसीपी, कापसरा ओसीपी, मधेपुर ओसीपी, शंकरपुर ओसीपी, चित्रा ईस्ट ओसीपी) की 06 खानों की पहचान की गई है। इसके लिए आईआईटी खड़गपुर को कार्य आदेश जारी कर दिया गया है।

2020-21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:

क. पर्यावरण मंजूरी:

क्लस्टर की खदानों की क्षमता और क्षेत्र को अपरिवर्तित रखते हुए पुनर्गठित करके चार क्लस्टरों की पर्यावरणीय मंजूरी में संशोधन प्राप्त किया गया है और इससे बेहतर एवं प्रभावी ईसी क्षमता उपयोग के मामले में लाभ हुआ है।

1. निम्नलिखित के लिए क्लस्टर संख्या 12 का ईसी संशोधन प्राप्त किया गया है:

i) समला यूजी एंड ओसी (0.12 एमटीवाई से 0.60 एमटीवाई)।

ii) श्यामसुंदरपुर यूजी (1.12 एमटीवाई से 1.59 एमटीवाई)।

iii) झांजरा यूजीपी - उत्पादन को 3.5 एमटीवाई से बढ़ाकर 4.00 एमटीवाई करने के लिए शर्त में संशोधन।

2. निम्नलिखित के लिए क्लस्टर संख्या 11 का ईसी संशोधन प्राप्त किया गया है:

i) चोरा 7, 9 और 10 यूजी (0.15 एमटीवाई से 0.21 एमटीवाई)

ii) सी एल जामबाद यूजी (0.05 एमटीवाई से 0.96 एमटीवाई)

iii) सिदुली यूजी + ओसी (1.2 एमटीवाई से 2.32 एमटीवाई)

3. निम्नलिखित के लिए क्लस्टर संख्या 10 का ईसी संशोधन प्राप्त किया गया है:

i) कुनुस्तोरिया और अमरसोटा यूजी (0.15 एमटीवाई से 0.60 एमटीवाई)

ii) सेंट्रल कजोरा यूजी (0.12 एमटीवाई से 0.25 एमटीवाई)

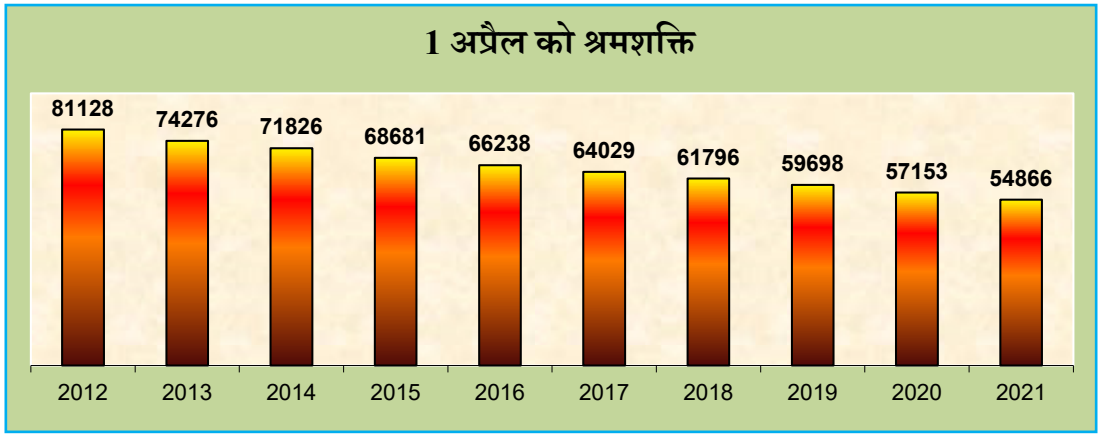
iii) पैरास्कोल पूर्व और पश्चिम यूजी एंड ओसी (0.26 एमटीवाई से 0.54 एमटीवाई)

iv) बेलबैड यूजी का पैरासी यूजी एंड ओसी के साथ पैरासी-बेलबैड यूजी एंड ओसी (0.67 एमटीवाई से 2.07 एमटीवाई) का समामेलन

4. निम्नलिखित के लिए क्लस्टर संख्या 01 का ईसी संशोधन प्राप्त किया गया है:

i) लीजहोल्ड के भीतर ओसी खनन शुरू करके बड़जना कोलियरी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

ii) चार खानों, लखीमाता यूजी एंड ओसी, शामपुर-बी यूजी एंड ओसी, मंडमान यूजी और कापसरा यूजी एंड ओसी (1.45 एमटीवाई से 2.30 एमटीवाई)



का समामेलन।

ख. वन अनुमति:

2020-21 के दौरान वन मंजूरी के संबंध में प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार थीं:

1. **चौपरभिता ओसीपी:** 500.58 हेक्टेयर भूमि को प्रतिपूरक वनरोपण के लिए 229.07 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में चूपरभिता ओसीपी के लिए पहचान की गई है और इसकी आकृति / केएमएल फाइल झारखंड राज्य वन विभाग को स्टेज- I एफसी के लिए प्रस्तुत की गई है।
2. **हुरा-सी ओसीपी:** झारखण्ड राज्य वन विभाग को शासन के लिए ₹ 37.39 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। हुरा-सी ओसीपी में 260 हेक्टेयर वन भूमि के लिए जंगल झरी।
3. **चित्रा ईस्ट ओसीपी:** झारखंड राज्य वन विभाग को सरकार के लिए ₹ 23.14 करोड़ का भुगतान। चित्रा ईस्ट ओसीपी में 260 हेक्टेयर वन भूमि में शामिल जंगल झरी भूमि को बनाया गया है।
4. **तिलबोनी यूजी (चल रहे वन डायवर्जन प्रस्ताव):** वृक्ष गणना रिपोर्ट राज्य वन विभाग को जमा कर दी गई है और डीएफओ दुर्गापुर द्वारा स्थल निरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

ग. वृक्षारोपण और सुधार:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, ईसीएल ने 100.00 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 133.24 हेक्टेयर से अधिक 3,26,255 पौधे लगाए हैं। 133.24 हेक्टेयर में से 120.24 हेक्टेयर पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में और शेष 13.00 हेक्टेयर झारखंड राज्य में बनाया गया है। इस वनरोपण क्षेत्र में 3.00 हेक्टेयर बांस का वृक्षारोपण शामिल है। राजमहल क्षेत्र में 1.00 किमी कोयला परिवहन सड़क के किनारे अतिरिक्त वृक्षारोपण भी किया गया है। भूमि की प्रकृति के आधार पर वृक्षारोपण क्षेत्र का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

भूमि की प्रकृति	क्षेत्र (हेक्टर)
बैकफिल्ड क्षेत्र	65.50
सबसिड एरिया	42.50
एवेन्यू वृक्षारोपण	4.72
रेलवे साइडिंग के किनारे वृक्षारोपण	6.52 (12 किमी लम्बाई)
अन्य मैदानी भूमि	14.00
कुल	**133.24**

वृक्षारोपण क्षेत्र का खदान के तौर पर विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं	क्षेत्र का नाम	खदान का नाम	भूमि के प्रकार	क्षेत्र (हेक्टर)	वृक्षारोपण का प्रकार
1.	केंडा	शंकरपुर ओसीपी	आंतरिक ओबी डंप	3.00	बैम्बू
		बहुला ओसीपी	आंतरिक ओबी डंप	1.50	विविध
2.	सालनपुर	डाबर ओसी	मैदानी भूमि	5.00	विविध
		बरमोंडिया यूजी	सबसिड एरिया	10.50	विविध
3.	सतग्राम	नीमचा आर ग्रुप	आंतरिक ओबी डंप	9.00	विविध
		सतग्राम यूजी	सबसिड एरिया	10.00	विविध
4.	झंझरा	झांजरा यूजीपी	सबसिड एरिया	5.00	विविध
			सबसिड एरिया	5.00	विविध
5.	सोनपुर बाजारी	सोनपुरी बाजार ओसीपी	आंतरिक ओबी डंप	8.00	विविध
			मैदानी भूमि	8.00	विविध
			मैदानी भूमि	4.00	विविध
6.	पांडवेश्वरी	खोट्टाडीह ओसीपी	आंतरिक ओबी डंप	26.00	विविध
			मैदानी भूमि - एवेन्यू	0.50	एवेन्यू 3-टियर
			मैदानी भूमि - एवेन्यू	1.00	एवेन्यू 3-टियर
		बिलपहाड़ी ओसीपी	आंतरिक ओबी डंप	5.00	विविध

क्रम सं	क्षेत्र का नाम	खदान का नाम	भूमि के प्रकार	क्षेत्र (हेक्टर)	वृक्षारोपण का प्रकार
7.	सोदपुर	पटमोहोना यूजी	सबसिड एरिया	2.00	विविध
8.	बंकोला	श्यामसुंदरपुर यूजी	सबसिड एरिया	10.00	विविध
9.	कुनुस्तोरिया	बंसरा ओसी	मैदानी भूमि - एवेन्यू	0.22	एवेन्यू 3-टियर
		बांसरा रेलवे साइडिंग	मैदानी भूमि - एवेन्यू	0.24	एवेन्यू 3-टियर
		अमृतनगर यूजी	मैदानी भूमि	5.00	विविध
		पैरासी रेलवे साइडिंग	मैदानी भूमि - एवेन्यू	0.28	एवेन्यू 3-टियर
		बेलबैद रेलवे साइडिंग	मैदानी भूमि - एवेन्यू	1.00	एवेन्यू 3-टियर
10.	राजमहल	राजमहल ओसीपी	आंतरिक ओबी डंप	8.00	विविध
			मैदानी भूमि - एवेन्यू	1 Km.	एवेन्यू
11.	मुग्मा	शामपुर ए यूजी	आंतरिक ओबी डंप	2.50	विविध
		गोपीनाथपुर यूजी	आंतरिक ओबी डंप	2.50	विविध
		कुल		**133.24**	

व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण गतिविधियों के अलावा, कुछ पार्क और वृक्षारोपण स्थलों को विकसित किया गया है जो निम्नानुसार हैं:

1) चद्रशेखर आजाद उद्यान, झांजरा क्षेत्र में पीओसीपी साइडिंग;

2) महात्मा गांधी उद्यान, ईसीएल मुख्यालय;

3) बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वान्या उद्यान, कजोरा क्षेत्र;

4) बाल गंगाधर उद्यान, केंडा क्षेत्र;

5) पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर वन्या उद्यान, केंडा क्षेत्र;

6) सोनपुर बाजारी क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद अरण्य उद्यान;

7) नेताजी सुभाष चंद्र बोस वान्या उद्यान, झांजरा क्षेत्र;

8) सरदार वल्लभभाई पटेल वान्या उद्यान, ईसीएल मुख्यालय;

9) काजी नजरूल इस्लाम वान्या उद्यान, सोनपुर बाजारी क्षेत्र और

10) चंद्रशेखर आजाद मधुवन वाटिका, जे के नगर, सतग्राम क्षेत्र

घ. पीएम10 विश्लेषक की स्थापना:

एसपी खदान क्षेत्र के जामताड़ा रेलवे साइडिंग, मुगमा क्षेत्र के खुडिया रेलवे साइडिंग और राजमहल क्षेत्र के राजमहल रेलवे साइडिंग में स्थापना के लिए तीन (03) पीएम10 विश्लेषक खरीदे गए हैं। पीएम10 की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग का वाइड स्क्रीन डिस्प्ले आस-पास की जनता को आसपास के प्रदूषण के स्तर के बारे में जागरूक करने में सक्षम बनाएगा।

ङ. आईएसओ प्रमाणन:

आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 मानकों के लिए कंपनी के व्यापक आईएसओ प्रमाणन के लिए स्टेज I और स्टेज II प्रमाणन ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

अनुबंध-V

सीएसआर गतिविधियां 2020-21

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा :

ईसीएल ने सीआईएल सीएसआर नीति को अपनाया और कार्यान्वित किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर संशोधन नियम, 2014 के संशोधन के अनुरूप है। डीपीई दिशानिर्देश एफ संख्या 15(13)/2013 डीपीई (जीएम) दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 प्रभावी 01.04.2014 से भी पालन किया जाता है। हमारी सीएसआर पहलों ने हमारे व्यापार को सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत किया है, मुख्य रूप से ईसीएल के परिचालन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले वंचितों, हाशिए पर रहने वाले और परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का विस्तार करते हुए। सीआईएल सीएसआर नीति के प्रावधान के अनुसार, फंड का 80% ईसीएल मुख्यालय/क्षेत्र/परियोजना के 25 किमी के दायरे में उपयोग किया जाना चाहिए और शेष 20% राज्य/प्रचालन के राज्य के भीतर खर्च किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग को उनके विकास और स्थिरता का समर्थन करने के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त हो।

2. सीएसआर समिति की संरचना :

क्रम सं.	सदस्य का नाम	पद	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	श्री अनिल कुमार गणेरीवाला	अध्यक्ष	05	05
2.	श्री संजीव सोनी	सदस्य	05	01
3.	श्री अनिमेष भारती	सदस्य	04	01
4.	श्री प्रवीण कांत	सदस्य	05	05
5.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	सदस्य	05	05
6.	श्री विनय रंजन	सदस्य	05	05
7.	श्री बी वीरा रेड्डी	सदस्य	05	05
8.	श्री गौतम चंद्र दे	सदस्य	04	04

3. वेब-लिंक जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना का खुलासा किया गया है:

ईसीएल ने एक सीएसआर पोर्टल विकसित किया है जो सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। अधिक जानकारी वेब-लिंक - **http://secureloginecl.co.in/ csr /index.php** में देखी जा सकती है।

ईसीएल ने एक ईसीएल सीएसआर फोटो ऐप भी विकसित किया है (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) जहां परियोजना से संबंधित विवरण जैसे परियोजना का नाम, स्थान, क्षेत्र, कार्यान्वयन एजेंसी, परियोजना लागत और सीएसआर परियोजनाओं की तस्वीरें नियमित आधार पर अपडेट की जाती हैं।

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण , यदि लागू हो:

प्रभाव अध्ययन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद द्वारा 2020-21 में 2016-17 , 2017-18 और 2018-19 के लिए किया गया था। यह अध्ययन झारखंड के गोड्डा , धनबाद और देवघर जिलों और पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान और पुरुलिया जिलों में किया गया था। इसने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, कौशल विकास, पेयजल और ग्रामीण विकास क्षेत्रों से कुल 91 परियोजनाओं का आकलन किया।

इस अध्ययन का उद्देश्य स्थानीय समुदाय पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) द्वारा की गई सीएसआर पहलों के प्रभाव का आकलन करना और ईसीएल के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं के बारे में ईसीएल कर्मचारियों के बीच जागरूकता का विश्लेषण करना था। एक कारण शोध डिजाइन को अपनाकर, यह अध्ययन कुछ चर के बीच कारण और प्रभाव संबंधों का विश्लेषण करता है, जिन्हें एक महत्वपूर्ण साहित्य समीक्षा के माध्यम से पहचाना जाता है। एक वैचारिक मॉडल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है की इस अध्ययन और एक सूची की परिकल्पना कर रहे हैं तैयार करने के लिए मान्य मॉडल। इस अध्ययन ने अध्ययन के आशय को पूरा करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों को अपनाया, अर्थात मिश्रित शोध दृष्टिकोण। यह अध्ययन का उपयोग करके आयोजित किया गया था

इस बीच, भाषा, पूर्व-परीक्षण और एक उचित पायलट अध्ययन को संबोधित करते हुए पैमाने के प्रकार, निर्माण उपायों के फॉर्मूलेशन और प्रश्नावली के डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। अध्ययन डेटा के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व और उन्नत सांख्यिकीय विधियों के अनुप्रयोग का उपयोग करता है, जैसे कि प्रतिशत बिंदु स्कोर, व्याख्यात्मक कारक विश्लेषण, पुष्टिकारक कारक विश्लेषण और डेटा विश्लेषण और मॉडल सत्यापन के लिए संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग। इस अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि प्रस्तावित किया जा रहा शोध मॉडल अपेक्षाकृत अच्छी तरह से फिट है। परिकल्पना परीक्षण के परिणाम निम्नलिखित प्रकट करते हैं:

(i) लाभार्थियों के बीच सीएसआर पहलों का स्थानीय सामुदायिक विकास पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और

(ii) कर्मचारियों के बीच सीएसआर पहल के बारे में जागरूकता का स्थानीय सामुदायिक विकास पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इस अध्ययन से पता चलता है कि, सीएसआर पहल पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रभावित करती है और स्वास्थ्य देखभाल। ईसीएल की सीएसआर पहलों के माध्यम से, स्थानीय समुदाय ने कार्यस्थल दुर्घटनाओं के दौरान व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्थानीय समुदायों के लिए सामान्य गतिविधियों, परिधीय (ग्रामीण) विकास, खेल और सांस्कृतिक विकास, सामाजिक अधिकारिता और विविधता और समान अवसर के विकास का अनुभव किया है। प्रतिशत अंक स्कोर (पीपीएस) दर्शाता है कि पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित परियोजना लाभार्थियों के बीच सकारात्मक धारणा का निर्माण करती है।

इसके अलावा, अध्ययन से पता चला कि ईसीएल को स्थानीय समुदायों, खेल और सांस्कृतिक विकास और सामाजिक अधिकारिता के लिए सामान्य गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि लाभार्थी ईसीएल की सीएसआर पहलों के बारे में जानते हैं लेकिन बड़े ईसीएल में उनकी भागीदारी पाने के लिए और अधिक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। हेल्थकेयर परियोजनाओं, शिक्षा विकास परियोजनाओं, कौशल विकास परियोजनाओं, निर्माण परियोजनाओं, आदि प्रदान करता है जोड़ा लाभ के लिए स्थानीय समुदाय। लाभार्थियों के साथ सीएसआर पहलों का उचित संचार ईसीएल के लिए एक जीवंत कामकाजी स्थिति की सुविधा प्रदान करेगा। विस्तृत रिपोर्ट डब्ल्यू ईबी-लिंक - http://secureloginecl.co.in/csr/index.php में देखी जा सकती है।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि , यदि कोई हो, का विवरण:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹ में)
1.	2020-21	शून्य	शून्य

6. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी की औसत शुद्ध लाभ ₹ 442.03 करोड़।

7. (क) खंड के अनुसार कंपनी की औसत शुद्ध लाभ के 2% 135 (5): ₹ 8.84 करोड़।

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि , यदि कोई हो: शून्य

(घ) कुल वित्तीय वर्ष (7a + 7b-7c) के लिए सीएसआर दायित्व: ₹ 8.84 करोड़।

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ में)	राशि अव्ययित (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	निधि राशि। स्थानांतरण की तिथि
₹ 11.56 करोड़	शून्य	नहीं	नहीं	शून्य	नहीं

ख) सीएसआर राशि वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के खिलाफ खर्च का विवरण: राशि के खिलाफ खर्च वित्तीय वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं 2020-21 था ₹ 7.91 करोड़। विवरण **अनुबंध-क** के रूप में संलग्न हैं।

(ग) सीएसआर राशि वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के खिलाफ खर्च का विवरण: राशि वित्तीय वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के खिलाफ खर्च 2020-21 था ₹ 3.53 करोड़। विवरण **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न हैं।

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि: शून्य

(ङ) राशि प्रभाव आकलन में बिताए, यदि लागू हो: ₹ 0.12 करोड़ (कॉपी के रूप में संलग्न **अनुबंध- ग**)।

(च) **कुल राशि वित्तीय के लिए खर्च का वर्ष (8b + 8C + 8d + 8e):** ₹ 11.56 करोड़।

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹)
1.	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	8.84 करोड़
2.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	11.56 करोड़
3.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	2.72 करोड़
4.	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष , यदि कोई हो	शून्य
5.	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	2.72 करोड़

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण :

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	राशि पार ferred को धारा के तहत अव्ययित सीएसआर खाता 135(6) (₹ में)	राशि report- में खर्च आईएनजी वित्तीय वर्ष (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			Remain- राशि आई-एनजी सफल में खर्च किया जाना वित्त - सरकारी (में साल ₹)
				फंड का नाम	राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.	2017-18	शून्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	शून्य
2.	2018-19	शून्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	शून्य
3.	2019-20	शून्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	शून्य

(ख) विवरण के सीएसआर राशि खर्च में वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं की पूर्ववर्ती वित्तीय : (रों) साल राशि वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के खिलाफ खर्च है ₹ 7.91 करोड़। विवरण अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न हैं।

10 में मामले की रचना या अधिग्रहण की राजधानी संपत्ति, प्रस्तुत विवरण संबंधित करने के लिए संपत्ति इसलिए बनाया या वित्तीय वर्ष (संपत्ति के लिहाज से में खर्च सीएसआर के माध्यम से प्राप्त विवरण):

क) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि: 18.03.2021

ख) सीएसआर की राशि निर्माण या पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए खर्च किया ₹ 1.68 करोड़।

ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

घ) प्रदान करें विवरण की राजधानी (रों) संपत्ति बनाई या अधिग्रहण किया (सहित पूरा पता और स्थान के राजधानी स्कूल बिल्डिंग में: संपत्ति) निर्शा अधिक, मुग्मा , धनबाद , झारखंड।

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है : वित्त वर्ष 2020-21 के लिए धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत है ₹ 8.84 करोड़ और ईसीएल ने आवश्यक व्यय को पूरा किया है।

(विनय रंजन)
निदेशक (कार्मिक)

(अनिल कुमार गनेरीवाला)
अध्यक्ष, सीएसआर उप-समिति

दिनांक: 28.06.2021

अनुलग्नक: क , ख और सी।

अनुबंध-क

वित्त वर्ष 2020-21 में चल रही परियोजनाएं

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रमांक सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (में ₹ करोड़)	वर्तमान में खर्च की गई राशि वित्तीय वर्ष (में ₹ करोड़)	धारा के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि 135 (6) इंच ₹ करोड़	लागू करने का तरीका- मेंटेनेशन	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला					प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या।
1	कौशल प्रशिक्षण हस्तक्षेप - सिलाई मशीन में ऑपरेटर ट्रेड बाय एटीडीसी, कुनुस्तोरिया	कौशल ऑपमेंट	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1.5 साल	0.03	0.03	0.00	नहीं	एटीडीसी, रांची	
2	मोबाइल मेडिकल वैन	स्वास्थ्य देखभाल	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	3 साल	0.24	0.24	0.00	नहीं	एचएलएफपीपीटी	
3	मोबाइल मेडिकल वैन	स्वास्थ्य देखभाल	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	3 साल	0.24	0.24	0.00	नहीं	आरके एचआईवी एड्स	सीएसआर 00002183
4	मोबाइल मेडिकल वैन	स्वास्थ्य देखभाल	हां	झारखंड	गोड्डा	3 साल	0.25	0.25	0.00	नहीं	आरके एचआईवी एड्स	सीएसआर 00002183
5	मोबाइल मेडिकल वैन	स्वास्थ्य देखभाल	हां	झारखंड	देवघर	3 साल	0.29	0.29	0.00	नहीं	एचएलएफपीपीटी	
6	मोबाइल मेडिकल वैन	स्वास्थ्य देखभाल	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	3 साल	0.27	0.27	0.00	नहीं	आरके एचआईवी एड्स	सीएसआर 00002183
7	मोबाइल मेडिकल वैन	स्वास्थ्य देखभाल	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	3 साल	0.24	0.24	0.00	नहीं	आरके एचआईवी एड्स	सीएसआर 00002183
8	2 रिग बोर की स्थापना में जलाशय के साथ अच्छी तरह से बाराबनी में दो गांव खंड	पानी आपूर्ति	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	6 महीने	0.01	0.01	0.00	नहीं	बीडीओ बारा-बानी ब्लॉक	
9	450 . का निर्माण एमटीआर । पीसीसी रोड से नमोकेशिया काली मंदिरनमोके में PMSGY को -शिया गांव	ग्रामीण डी-वेलोपमेंट	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	6 महीने	0.08	0.08	0.00	नहीं	बीडीओ सालन-पुर ब्लॉक	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रमांक सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (में ₹ करोड़)	वर्तमान में खर्च की गई राशि वित्तीय वर्ष (में ₹ करोड़)	धारा के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि 135 (6) इंच ₹ करोड़	लागू करने का तरीका- मेंटेनेशन	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला					प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या।
10	न्यू का निर्माण विद्यालय बिल्डिंग के लिये बरातरी विवेकानंद शिशु मंदिर, बरात, पुरुलिया।	शिक्षा	नहीं	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	2 साल	0.65	0.65	0.00	नहीं	विवेकानन- दा विडी-अविकाशी परिसाद	सीएसआर 00002109
11	निर्माण का 05 कक्षा-कक्ष, संस्कृति स्टेज और साइकिल शेड श्रीमती अनारकली+2 हाई स्कूल, पलाजोरी ब्लॉक, देवघर।	शिक्षा	हां	झारखंड	देवघर	6 महीने	0.36	0.36	0.00	हां	द्वारा निविदा मुख्यालय	
12	बहु का निर्माण- मो पर उद्देश्य निर्माण- लंकिता गांव, गोड्डा।	ग्रामीण डी-वेलोपमेंट	हां	झारखंड	गोड्डा	2 साल	0.52	0.52	0.00	हां	द्वारा निविदा मुख्यालय	
13	प्रचालन एवं रखरखाव, प्रबंधन और उन्नयन-आईटीआई सिकितिया की तारीख, गोड्डा (वित्त वर्ष: 2020-21)	कौशल विकास- ऑपमेंट	हां	झारखंड	गोड्डा	10 साल	1.08	1.08	0.00	नहीं	एमएस गोविंदपुर सिपाही समाज सेब समिति	
14	इंद्रधनुष परियोजना के लिए 50 नग विशेष बच्चा आसनसोल के (दिव्यांजन)	स्वास्थ्य देखभाल (दिव्यांजन)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	3साल	0.09	0.09	0.00	नहीं	आसनसोल आनंदम, एलिम्को	
15	03 नग अतिरिक्त किराए पर लिया गया स्टू ले जाने के लिए बसें- डीएवी पब्लिक के डेंट स्कूल, सपा खानों	शिक्षा	हां	झारखंड	देवघर	1 yr	0.07	0.07	0.00	हां	द्वारा निविदा क्षेत्र	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रमांक सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (में ₹ करोड़)	वर्तमान में खर्च की गई राशि वित्तीय वर्ष (में ₹ करोड़)	धारा के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि 135 (6) इंच ₹ करोड़	लागू करने का तरीका-मेंटेनेशन	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला					प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या।
16	"टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति के लिए एफसी का पुनर्वैधीकरण (केंडाग्राम पंचायत, केंडा क्षेत्र, ईसीएल के तहत पांच गांवों में 12000 लीटर की क्षमता)" (सलडंगा, झटिबोन, कोरापारा, बंधौरा, कोंडाकुली, मंडलपारा और केंडा गांव)	जलापूर्ति	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	6 महीने	0.03	0.03	0.00	हां	Tender by Area	
17	इंस्टालेशन कासौर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट्स का में विभिन्न गांव- जोरा	पर्यावरण मेंट और सस्टेनी- साख	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1 साल	0.53	0.53	0.00	हां	ट्रिनिक्स इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड	
18	120 सोलर . की स्थापना स्ट्रीट लाइट परियोजनाएं अलग-अलग गांवों में सालनपुर।	पर्यावरण मेंट और सस्टेनी- साख	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1 साल	0.75	0.75	0.00	हां	ट्रिनिक्स इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड	
19	आजीविका पीढ़ी परियोजना 'आनंदी के लिए' एसएचजी स्कूल के माध्यम से वर्दी सिलाई इकाई' जेमेरी जीपी, सतग्राम में क्षेत्र।	कौशल विकास- ऑपमेंट	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	3 साल	0.05	0.05	0.00	नहीं	एसएसआरडीटी	
20	आजीविका कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण सांकतोड़िया में ऑयस्टर मशरूम कल-प्रेरणा	महिला सशक्त बनाना- जाहिर	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	2 साल	0.04	0.04	0.00	नहीं	बरजोरा सा- मेजर कल्याण केन्द्र	
21	"कांथा परियोजना" प्रदान करें- कंथाह में प्रशिक्षण की महिलाओं को सिलाई का काम झान के आसपास के गांव-जेआरए क्षेत्र।	महिला सशक्त बनाना-जाहिर	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	2 साल	0.04	0.04	0.00	नहीं	दुर्गापुर सुंदरम समाज	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रमांक सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (में ₹ करोड़)	वर्तमान में खर्च की गई राशि वित्तीय वर्ष (में ₹ करोड़)	धारा के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि 135 (6) इंच ₹ करोड़	लागू करने का तरीका- मेंटेनेशन	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला					प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या।
22	08 की स्थापना का १६ मीटर हाई मास्ट टावर 08 विभिन्न स्थानों पर सारथ और पलाजोरिक के देवघर जिले का प्रखंड- जिले	पर्यावरण मेंट और सस्टेनी- साख	हां	झारखंड	देवगढ़	1 साल	0.21	0.21	0.00	हां	द्वारा निविदा क्षेत्र	
23	सीएसआर परियोजना "विद्युत- कैल कौशल प्रशिक्षण प्रो- बेरोजगारों के लिए चना युवा का सैंक्टोरिया, आसनसोल, पश्चिम बंगाल" एसएसआरडीपी ट्रस्ट द्वारा।	कौशल विकास- ऑपमेंट	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1.5	0.02	0.02	0.00	नहीं	एसएसआरडीपी	
24	सोलर एलईडी की स्थापना मोहन से स्ट्रीट लाइट- पुर से केचुआ चौक, महागामा, गोड्डा।	पर्यावरण मेंट और सस्टेनी- साख	हां	झारखंड	गोड्डा	1 साल	0.13	0.13	0.00	नहीं	डीसी, गोड्डा, झारखंड	
25	स्कूल का नवीनीकरण बिल्डिंग, फंक्शन बनाना- मौजूदा रोग- कार्यात्मक शौचालय और पनडुब्बी की स्थापना- Nimjora . में ible पंप नि:शुल्क प्राथमिक विद्यालय।	शिक्षा	हां	झारखंड	जामताड़ा	1 yr	0.00	0.00	0.00	हां	द्वारा निविदा क्षेत्र	
26	मुग्मा क्षेत्र में स्कूल भवन का निर्माण (डीएवी)	शिक्षा	हां	झारखंड	धनबाद	4 साल	1.68	1.68	0.00	हां	द्वारा निविदा क्षेत्र	
						कुल	**7.91**	**7.91**	**0.00**			

अनुबंध- ख

वित्त वर्ष 2020-21 में चल रही परियोजनाओं के अलावा

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रमांक सं.	परियोजना का नाम	सूची से आइटम अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की।	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		के लिए खर्च की गई राशि परियोजना (में `करोड़)	कार्यान्वयन का तरीका	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला		प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या।
1	आपूर्तिघरेलू पानी का 8 पास मोहनपुर वाटर फिल्टर से गांव, सालनपुर।	जलापूर्ति	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.13	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
2	मुख्य गांव का निर्माणपहुंचना सबापोखर गांव में पक्की सड़क।	ग्रामीण विकास- जाहिर	हां	झारखंड	गोड्डा	0.21	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
3	उपलब्ध कराने केडीसी देवघर को सीएसआर फंड कोविड-19 आपदा से लड़ें, देवघर।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	झारखंड	देवघर	0.06	नहीं	डीसी देवघर जमा आधार	
4	एक कक्षा का निर्माणमें पुरतनचट्टी फ्री प्राइमरी स्कूल ईटापारा के तहत, सालनपुर।	शिक्षा	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.07	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
5	कमजोरों को खाद्य सामग्री का वितरण आसपास के समाज का वर्ग राजमहल परियोजना के क्षेत्र	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	झारखंड	गोड्डा	0.05	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
6	1000 नग का वितरण। अनाज का के पददलित लोगों के बीच पैकेट मुग्मा क्षेत्र के पास सोसायटी	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	झारखंड	धनबाद	0.04	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
7	के बीच भोजन के पैकेट का वितरणगरीब एसपीमाइन्स क्षेत्र के आसपास के परिवार।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	झारखंड	देवघर	0.04	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
8	डिब्बाबंद कच्चे भोजन का वितरणसामग्री ईसीएल मुख्यालय के आसपास जरूरतमंद लोगों के बीच।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.01	हां	ईसीएल-मुख्यालय	
9	खरीदना का स्वच्छता आइटम जैसा रोकने के लिए एक एहतियाती उपाय झांजरा में कोविड-19।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.03	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
10	वितरण का खाना आइटम तथा के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.02	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
11	वितरण का खाना आइटम तथा के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता पांडवेश्वर क्षेत्र।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.05	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
12	वितरण का खाना आइटम तथा के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छताकुनुस्तोरिया क्षेत्र	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.04	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
13	वितरण का खाना आइटम तथा के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता कजोरा परियोजना	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.05	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रमांक सं.	परियोजना का नाम	सूची से आइटम अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की।	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		के लिए खर्च की गई राशि परियोजना (में `करोड़)	कार्यान्वयन का तरीका	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला		प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या।
14	कोविड-19 महामारी की लड़ाई में सलानपुर क्षेत्र के आसपास के गरीब परिवारों के बीच भोजन पैकेट वितरण	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.03	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
15	लड़ाई में मानवीय कार्रवाई करना सोनपुर बाजार में कोविड-19 महामारी क्षेत्र।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.05	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
16	किराना व अन्य का वितरण ग्रामीणों और जरूरतमंद व्यक्तियों को सामग्री श्रीपुर क्षेत्र में और उसके आसपास।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.05	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
17	लड़ाई में मानवीय कार्रवाई करना सोदपुर क्षेत्र में कोविड-19 महामारी।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.05	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
18	डीसी दुमका को लड़ने के लिए सीएसआर फंड उपलब्ध कराना बासुकीनाथ, दुमका में कोविड-19 आपदा।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	नहीं	झारखंड	दुमका	0.07	नहीं	डीसी दुमका	
19	सतग्राम और इसकी कोलियरी के आसपास के गरीब परिवारों के बीच भोजन पैकेट वितरण।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.04	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
20	भोजन की खरीद और वितरण झंझरा में गरीब लोगों को पैकेट।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.01	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
21	के बीच 200 क्विंटल चावल का वितरण जरूरतमंद गरीब लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए कोविड--19, चित्रा, देवघर।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	झारखंड	देवघर	0.05	नहीं	डीसी देवघर	
22	केंडा के आसपास के गांवों में भोजन के पैकेट और पका हुआ भोजन का वितरण।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.01	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
23	लॉकडाउन के दौरान सालनपुर क्षेत्र की खदानों के आसपास के गरीब परिवारों के लिए सामुदायिक रसोई और आजीविका की स्थिति कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई है।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.02	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
24	बांकोला क्षेत्र और उसके आसपास गरीब लोगों को खाद्य सामग्री की आपूर्ति।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.05	हां	बांकोला क्षेत्र	
25	निपटने के लिए अतिरिक्त मंजूरी एन एस आवश्यकता के अनुसार कोविड-19 की स्थिति विधायक सरथ देवघर	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	झारखंड	देवघर	0.05	नहीं	डीसी देवघर जमा आधार	

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रमांक सं.	परियोजना का नाम	सूची से आइटम अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की।	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		के लिए खर्च की गई राशि परियोजना (में `करोड़)	कार्यान्वयन का तरीका	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला		प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या।
26	मानवीय कार्रवाइयां करनालड़ाई समुदाय के भीतर कोविड-19।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.03	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
27	वितरणजरूरतमंदों के बीच राशन का जामताड़ा जिले के लोग	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	झारखंड	जामताड़ा	0.03	नहीं	डीसी, जामताड़ा जमा आधार	
28	वितरण१०० खाद्यान्न पैकेटों में से और स्थानीय में टैंकर के माध्यम से सेनिटाइजेशन कोलियरी से सटे गाँवमुग्मा क्षेत्र।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	झारखंड	धनबाद	0.01	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
29	उपलब्ध कराने के1000 नग की खरीद के लिए निधि। मैनुअल लोडर के लिए पुन: प्रयोज्य मास्क।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	झारखंड	देवघर	0.00	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
30	की खरीद 477 खाने के पैकेट कमजोर वर्ग के बीच वितरित समाज की।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	झारखंड	गोड्डा	0.00	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
31	डीसी देवघर को लड़ने के लिए फंड उपलब्ध कराना कोविड-19।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	झारखंड	देवघर	0.07	नहीं	डीसी, जामताड़ा जमा आधार	
32	को 3200 भोजन/पानी उपलब्ध करानाप्रवासी श्रमिक स्पेशल से आ रहे मजदूर आसनसोल स्टेशन।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.02	हां	सीधे के माध्यम से ईसीएल मुख्यालय	
33	उपलब्ध कराने के 1600 प्रवासी को भोजन/पानी श्रमिक स्पेशल से आ रहे मजदूर आसनसोल स्टेशन।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.01	हां	सीधे के माध्यम से ईसीएल मुख्यालय	
34	दुमका जिला, झारखंड में स्वच्छता उद्देश्य के लिए नगर परिषद के क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए।	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	नहीं	झारखंड	दुमका	0.07	नहीं	डीसी दुमका- जमा के आधार पर	
35	अम्फान चक्रवात के कारण कोलकाता में राहत और बहाली का काम प्रभावित हुआ है।	आपदा राहत	नहीं	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	0.08	नहीं	नेशनल कोलफील्ड फोरम को दिया गया वर्क ऑर्डर	
36	ईसीएल के सीएसआर के तहत पूर्वी रेलवे द्वारा रानीगंज कोलफील्ड्स क्षेत्र में 14 रेलवे स्टेशनों पर कूड़ेदान की स्थापना।	स्वच्छता	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.12	नहीं	पूर्वी रेलवे, आसनसोल के साथ समझौता ज्ञापन	
37	में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण नूनी उच्च प्राथमिक विद्यालय।	शिक्षा	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.07	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रमांक सं.	परियोजना का नाम	सूची से आइटम अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की।	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		के लिए खर्च की गई राशि परियोजना (में `करोड़)	कार्यान्वयन का तरीका	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला		प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या।
38	को तिरपाल प्रदान करनाग्रामीणों अम्फान चक्रवात के कारण प्रभावित सोनपुर बाजारी क्षेत्र की सीएसआर गतिविधियां।	आपदा राहत	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.01	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
39	इंस्टालेशन का पानी कूलर-सह- और आसपास के विभिन्न स्कूलों में शोधक ईसीएल (मुख्यालय)।	जलापूर्ति	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.04	नहीं	सांकतोड़िया गांव समिति	
40	अभिनंदन करना दो संख्या ट्रेकर या इसी तरह के के परिवहन के लिए वाहन का प्रकार ग्रामीण और स्कूल जाने वाले बच्चे सोनपुर बाजारी, मधुडांगा और भटमुरा सीएसआर अंतर्गत ग्राम, सोनपुर बाजारी क्षेत्र।	ग्रामीण विकास	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.01	हां	क्षेत्र द्वारा निविदा	
41	सरकार को कंप्यूटर उपलब्ध कराना। स्कूल।	शिक्षा	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.12	नहीं	के साथ समझौता ज्ञापन स्कूल इंस्पेक्टर	
42	इंस्टालेशनसौर स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं की कुनुस्तोरिया के विभिन्न गांवों में।	वातावरण & स्थिरता	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.28	हां	मुख्यालय द्वारा निविदा	
43	इंस्टालेशनसौर स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं की सोनपुर बाजारी के विभिन्न गांवों में।	वातावरण & स्थिरता	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.23	हां	मुख्यालय द्वारा निविदा	
44	रिग की स्थापना 8 गांवों में बोरवेल सालनपुर प्रखंड के.	जलापूर्ति	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.39	नहीं	बीडीओ सालनपुर खंड	
45	सहायक 100 ग्रामीण में एकल विद्यालय और पश्चिम बंगाल में जनजातीय क्षेत्र।	शिक्षा	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	0.09	नहीं	भारत के साथ समझौता ज्ञापन लोक शिक्षा परिसाद	ज्ञापनसीएसआर 00000667
46	कौशल विकास प्रशिक्षणकार्यक्रम सीआईएल-मुख्यालय/सीआईएल अनुषंगियों द्वारा समर्थित प्लास्टिक इंजीनियरिंग के केंद्रीय संस्थान में	कौशल विकास	हां	पश्चिम बंगाल & झारखंड	पश्चिम बर्दावान, दुमका, गोड्डा	0.44	नहीं	सीआईपीईटी	
47	प्रोजेक्ट अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर (एटीडीसी) द्वारा सिलाई मशीन ऑपरेटर प्रशिक्षण।	कौशल विकास	हां	झारखंड	गोड्डा	0.10	नहीं	एटीडीसी, रांची के साथ समझौता ज्ञापन	
48	50 नंबर का प्रशिक्षण खनन सरदार एससी / एसटी उम्मीदवारों की	कौशल विकास	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्दावान,	0.00	हां	ईसीएल-एचआरडी के माध्यम से प्रत्यक्ष	

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रमांक सं.	परियोजना का नाम	सूची से आइटम अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की।	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		के लिए खर्च की गई राशि परियोजना (में `करोड़)	कार्यान्वयन का तरीका	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला		प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या।
49	नंबर का प्रशिक्षण खनन सरदार एससी / एसटी उम्मीदवारों की	कौशल विकास	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्दावान,	0.01	हां	ईसीएल एचआरडी के माध्यम से प्रत्यक्ष	
50	नंबर का प्रशिक्षण खनन सरदार एससी / एसटी उम्मीदवारों की	कौशल विकास	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्दावान,	0.00	हां	ईसीएल एचआरडी के माध्यम से प्रत्यक्ष	
51	नंबर का प्रशिक्षण खनन सरदार एससी / एसटी उम्मीदवारों की	कौशल विकास	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्दावान,	0.02	हां	ईसीएल एचआरडी के माध्यम से प्रत्यक्ष	
					Total	**3.53**			

अनुबंध- ग

वित्त वर्ष 2020-21 में प्रभाव आकलन में खर्च की गई राशि

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रमांक सं।	परियोजना का नाम	से आइटम गतिविधियों की सूची अनुसूची VII में अधिनियम को।	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (में ₹)	वर्तमान में खर्च की गई राशि वित्तीय वर्ष (में ₹)	धारा के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि 135 (6) इंच ₹	कार्यान्वयन का तरीका- उल्लेख	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला					प्रत्यक्ष (हां नहीं)	नाम	सीएसआर रेग- इस्ट्रेशन नं।
1	ईसीएल में स्थानीय विकास और आर्थिक प्रदर्शन पर सीएसआर पहलों के लिए प्रमुख ड्राइवरों का एक ढांचा तैयार करना और एक कॉरपोरेट सोशल ऑडिट करना।	प्रशासनिक अभियान	हां	झारखंड	पश्चिम बंगाल	1 वर्ष	0.12	0.12	0.00	नहीं	आईएसएम (आईआईटी), धनबाद	
						कुल	**0.12**	**0.12**				

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट :

(1) दर्शन:

कॉरपोरेट गवर्नेंस नैतिक रूप से संचालित व्यावसायिक प्रथाओं के माध्यम से नियामकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों और बड़े पैमाने पर समाज को शामिल करते हुए हमारे हितधारकों के लिए दीर्घकालिक स्थायी मूल्य का निर्माण और वृद्धि है। प्रभावी कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाएं उस मजबूत नींव का निर्माण करती हैं जिस पर सफल वाणिज्यिक उद्यम टिके रहते हैं। मजबूत नेतृत्व और प्रभावी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाएं कंपनी की संस्कृति और लोकाचार से विरासत में मिली पहचान रही हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में, यह अनिवार्य है कि हमारी कंपनी के मामलों का प्रबंधन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए।

हमारी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी न केवल बताए गए कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों को विकसित करे और उनका पालन करे, बल्कि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का भी पालन करे। हम पर विचार यह हमारे निहित जिम्मेदारी को रक्षा अधिकार के हमारे शेयरधारकों और खुलासा हमारे वित्तीय और प्रदर्शन के बारे में समय पर, पर्याप्त और सही जानकारी है, साथ ही नेतृत्व और कंपनी के शासन के। पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के मुख्य घटक हैं। आपकी कंपनी एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों का पालन करने में विश्वास करती है। ईसीएल सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिकों को सूचना तक उचित पहुंच प्रदान करता है ।

(2) निदेशक मंडल :

(क) बोर्ड की संरचना :

हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत एक सरकारी कंपनी हैं क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड के पास संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी है। एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

में शर्तों के लेख की एसोसिएशन की कंपनी ताकत के हमारे बोर्ड करेगा न हो कम से 2 निदेशकों और न अधिक से 15 निदेशक। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं। निदेशकों को कोई योग्यता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं है ।

के रूप में पर 31 सेंट मार्च, 2021, बोर्ड शामिल की 9 निदेशकों, बाहर की जो 5 थे पूर्ण कालिक कार्यात्मक निदेशक, 2 भाग समय सरकारी निदेशकों और 2 पार्ट टाईम गैर सरकारी निदेशकों।

निदेशक बोर्ड में व्यापक अनुभव और कौशल लाते हैं।

निदेशक:

वर्ष 2020-21 के दौरान, श्री प्रेम सागर मिश्रा ईसीएल के अध्यक्ष-सह-एमजी निदेशक थे।

अन्य निदेशकों पर बोर्ड की कंपनी के दौरान 2020-21 थे श्री प्रवीण कांत, भाग समय गैर सरकारी निदेशक; श्री अनिल कुमार गनेरीवाला , अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक; श्री संजीव सोनी , अंशकालिक आधिकारिक निदेशक; श्री अनिमेष भारती , अंशकालिक आधिकारिक निदेशक; श्री जयप्रकाश गुप्ता, कार्यात्मक निदेशक; श्री विनय रंजन , कार्यात्मक निदेशक; श्री बी वीरा रेड्डी, कार्यात्मक निदेशक और श्री गौतम चंद्र डे, कार्यात्मक निदेशक।

सेवा अनुबंध:

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियम और पूरे समय कार्यात्मक की नियुक्ति की शर्तों निदेशक रहे हैं फैसला किया द्वारा राष्ट्रपति की भारत में मामले की लेख की एसोसिएशन की कंपनी। शर्तों और गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की हालत कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित कर रहे हैं।

आयु सीमा और निदेशकों का कार्यकाल:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पदधारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक , जो भी घटना हो , के लिए की जाती है। पहले होता है । कोई नहीं के निदेशकों पर बोर्ड पकड़ निदेशक में अधिक से दस सार्वजनिक कंपनियों । इसके अलावा, उनमें से कोई भी दस से अधिक समितियों का सदस्य या सभी सार्वजनिक कंपनियों में पांच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं

है, जिसमें वह एक निदेशक है। पर के रूप में अन्य सार्वजनिक कंपनियों में समिति स्थिति के बारे में आवश्यक खुलासे 31 सेंट मार्च, 2021 निदेशकों द्वारा बनाया गया है। कोई भी निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशक, कोयला मंत्रालय के अधिकारी नहीं रहने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त होते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में निर्दिष्ट स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा करते हैं।

(ख) बोर्ड की बैठकें:

बैठक की बोर्ड की निदेशक रहे हैं सामान्य रूप से आयोजित पर सांकतोड़िया / कोलकाता के लिए सुविधा के निदेशक। के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 की वजह से महामारी के प्रसार से उत्पन्न कोविड-19, बोर्ड की बैठक और अन्य समिति की बैठकें कर रहे थे आयोजित के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड। कंपनी के पास निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकों के लिए अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रियाएं हैं ताकि एक सूचित और कुशल तरीके से निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

के दौरान वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया 31 सेंट मार्च, 2021, 09 (नौ) बोर्ड बैठकों थे आयोजित पर 2020/05/21, 2020/06/10, 2020/03/08, 2020/08/31, 2020/09/24, 2020/02/11, 2020/04/12, 01.02। एक वित्तीय वर्ष में 4 बैठकों की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले 2021 और 17.03.2021।

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग लेने वाली बोर्ड की बैठकों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	निदेशक	बोर्ड बैठक		अन्य निदेशकों की संख्या
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	में भाग लिया	
	कार्यात्मक निदेशक:			
01	श्री प्रेम सागर मिश्रा अध्यक्ष-सह-एमजी। निदेशक, ईसीएल	09	09	शून्य
02	श्री जयप्रकाश गुप्ता निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, ईसीएल	09	09	01
03	श्री विनय रंजन निदेशक (कार्मिक), ईसीएल	09	09	01
04	श्री बी वीरा रेड्डी निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल	09	08	शून्य
05	श्री गौतम चंद्र डे निदेशक (वित्त), ईसीएल	09	09	शून्य
	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक:			
06	श्री संजीव सोनी निदेशक (वित्त), सीआईएल	09	09	02
07	श्री अनिमेष भारती आर्थिक सलाहकार, MoC	09	09	शून्य
	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक:			
08	श्री प्रवीण कांत	09	09	05
09	श्री अनिल कुमार गणेरीवाला	09	09	शून्य

(ग) निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी :

बोर्ड के पास कंपनी के भीतर किसी भी जानकारी तक पूरी पहुंच है। बोर्ड को नियमित रूप से दी जाने वाली सूचनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1) वार्षिक परिचालन योजनाएँ और बजट और कोई भी अद्यतन।
2) कैपिटल बजट और कोई अपडेट।
3) कंपनी और उसके ऑपरेटिंग डिवीजनों या व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए तिमाही परिणाम।

4) लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।

5) जानकारी पर भर्ती और पारिश्रमिक के वरिष्ठ अधिकारियों बस नीचे बोर्ड स्तर सहित नियुक्ति या मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी को हटाने के सचिव।

6) कारण, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस दिखाएं जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

7) घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी भौतिक अपशिष्ट या प्रदूषण की समस्या।

8) किसी भी सामग्री डिफ़ॉल्ट में वित्तीय दायित्वों को और से कंपनी, या पर्याप्त भुगतान न करने के लिए माल बेचा द्वारा कंपनी।

9) कोई भी मुद्दा, जिसमें किसी भी निर्णय या आदेश सहित पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं, जो कंपनी के आचरण पर सख्ती से पारित हो सकते हैं या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण ले सकते हैं जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

10) किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।

11) महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।

12) किसी भी नियामक और वैधानिक मामले का गैर-अनुपालन। .

(घ) निदेशक का पारिश्रमिक :

(i) कार्यात्मक निदेशक:

(में राशि ₹)

क्रम सं.	निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	कुल	टिप्पणियां
1.	श्री प्रेम सागर मिश्रा	37,02,918.00	6,98,276.00	44,01,194.00	-
2.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	59,35,051.75	8,07,585.00	67,42,636.75	-
3.	श्री विनय रंजन	40,27,855.00	6,20,775.00	46,48,630.00	-
4.	श्री बी वीरा रेड्डी	38,29,793.00	7,72,694.00	46,02,487.00	-
5.	श्री गौतम चंद्र दे	51,32,423.00	7,16,187.00	58,48,610.00	-

(ii) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक:

कंपनी द्वारा अंशकालिक आधिकारिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

(iii) अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक:

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण नीचे दिखाया गया है:

(में राशि ₹)

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक के लिए बैठने का शुल्क	समिति की बैठकों के लिए बैठक शुल्क	कुल
1.	श्री प्रवीण कांत	1,35,000.00	4,20,000.00	5,55,000.00
2.	श्री अनिल कुमार गणेरीवाला	1,35,000.00	4,20,000.00	5,55,000.00

3. बोर्ड समिति:

बोर्ड ने बोर्ड की निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

क. लेखा परीक्षा समिति;

ख. "मूल्यांकन, मूल्यांकन और परियोजनाओं के अनुमोदन" के लिए उप-समिति ;

ग. "सीएसआर" पर समिति ;

घ. जोखिम प्रबंधन समिति;

ङ. "लागत नियंत्रण" के लिए उप-समिति ;

च. "अनुसंधान और विकास" के लिए उप-समिति।

[क] लेखा परीक्षा समिति:

आपकी कंपनी की एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति है। कंपनी द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति की संरचना, प्रक्रियाएं, शक्तियां और भूमिका/कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं का अनुपालन करना है।

लेखा परीक्षा समिति का दायरा:

लेखापरीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
2. बोर्ड को लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश करना।
3. सिफारिश करने के लिए बोर्ड के लिए निर्धारण की फीस के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए किसी भी अन्य सेवाओं गाया द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों।
4. की समीक्षा के साथ प्रबंधन और यह सुनिश्चित करना है कि वार्षिक वित्तीय बयान कर रहे हैं में अनुपालन के साथ विशेष संदर्भ के साथ, अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले लागू कानूनों के लिए:
   क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हैं ;
   ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो ;
   ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां ;
   घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
   ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन ;
   च) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण;
   छ) मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में योग्यताएं और
   ज) वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण।
5. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
6. प्रबंधन के साथ समीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षकों का प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति और नियुक्ति और/या हटाने के बारे में जानकारी सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना आंतरिक लेखा परीक्षक।
8. आंतरिक लेखा परीक्षक और / या लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
9. आंतरिक लेखा परीक्षकों / लेखा परीक्षकों / एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना है।
10. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ-साथ किसी भी चिंता के क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा के बाद की चर्चा।
11. देख रहे हैं में कारणों के लिए पर्याप्त डिफ़ॉल्ट में भुगतान करने के लिए जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (में के मामले भुगतान न करने और घोषित लाभांश के) लेनदारों।
12. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना।
13. सीएण्डएजी लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
14. किसी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा दौरान लेखा परीक्षा कार्य सहित किसी भी प्रतिबंध पर गुंजाइश की गतिविधियों या पहुँच करने के लिए आवश्यक जानकारी।
15. की समीक्षा का पालन करें अप कार्रवाई ले लिया पर सिफारिशें की समिति पर सार्वजनिक उपक्रमों (सीओपीयू) की संसद।

रचना :

पर जैसा कि 31 सेंट मार्च, 2021, लेखा परीक्षा समिति के 2 दो शामिल (दो) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक अर्थात्। श्री प्रवीण कांत और श्री अनिल कुमार गनेरीवाला ; 2 (दो) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक अर्थात। श्री संजीव सोनी , निदेशक (वित्त), सीआईएल और श्री अनिमेष भारती , आर्थिक सलाहकार, एमओसी और 3 (तीन) कार्यात्मक निदेशक अर्थात। श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना; श्री विनय रंजन , निदेशक (कार्मिक) और श्री बी वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) संचालन।

श्री प्रवीण कांत, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष थे।
निदेशक (वित्त) और विभागाध्यक्ष (आंतरिक लेखा परीक्षा) लेखा परीक्षा समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं और कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 20.05.2020, 10.06.2020, 16.07.2020, 03.08.2020, 24.09.2020, 02.11.2020, 04.12.2020, 01.02.2021 को लेखा परीक्षा समिति की 09 (नौ) बैठकें आयोजित की गईं और 17.03.2021। लेखापरीक्षा की संख्या का विवरण वर्ष के दौरान प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली समिति की बैठकें निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	सदस्यों	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	श्री प्रवीण कांत	09	09
2.	श्री संजीव सोनी	09	08
3.	श्री अनिमेष भारती	08	04
4.	श्री अनिल कुमार गणेरीवाला	09	09
5.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	09	09
6.	श्री विनय रंजन	09	08
7.	श्री बी वीरा रेड्डी	09	09

[बी] परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए समिति :

में 246 वें बोर्ड, मूल्यांकन, मूल्यांकन और परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए एक समिति की बैठक का गठन किया गया। पर जैसा कि 31 सेंट मार्च, 2021, मूल्यांकन, मूल्यांकन के लिए समिति और परियोजनाओं का अनुमोदन 2 शामिल (दो) अंशकालिक सरकारी निदेशकों, अर्थात। श्री अनिमेष भारती, आर्थिक सलाहकार, एमओसी और श्री संजीव सोनी , निदेशक (वित्त), सीआईएल; 2 (दो) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात। श्री प्रवीण कांत और श्री अनिल कुमार गनेरीवाला और 4 (चार) कार्यात्मक निदेशक अर्थात। श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना; श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक); श्री बी वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) संचालन और श्री गौतम चंद्र डे, निदेशक (वित्त)।

कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं और महाप्रबंधक (पी एंड पी) इस समिति के नोडल अधिकारी हैं।

श्री अनिमेष भारती , आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय और ईसीएल के अंशकालिक सरकारी निदेशक था वर्ष के दौरान समिति के अध्यक्ष।

के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21, 6 (छह) की बैठकों की समिति के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन और अनुमोदन की परियोजनाओं 2020/05/20, 2020/06/10, 2020/03/08, पर यानी आयोजित की गई 2020/08/31, 2020/04/12 और 01.02। 2021. सदस्यों और बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	सदस्यों	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	श्री अनिमेष भारती	06	06
2.	श्री संजीव सोनी	06	05
3.	श्री प्रवीण कांत	06	06
4.	श्री अनिल कुमार गणेरीवाला	06	06
5.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	06	06
6.	श्री विनय रंजन	06	06
7.	श्री बी वीरा रेड्डी	06	05
8.	श्री गौतम चंद्र दे	05	05

[ग] सीएसआर पर समिति :

में 261 सेंट ईसीएल बोर्ड की बैठक, सीएसआर उप समिति का गठन किया गया। पर जैसा कि 31 सेंट मार्च, 2021 समिति के 2 शामिल (दो) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक अर्थात्। श्री अनिल कुमार गनेरीवाला और श्री प्रवीण कांत; 2 (दो) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, अर्थात। श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त), सीआईएल और श्री अनिमेष भारती , आर्थिक सलाहकार, एमओसी और 4 (चार) कार्यात्मक निदेशक अर्थात। श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना; श्री विनय रंजन , निदेशक (कार्मिक); श्री बी वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) संचालन और श्री गौतम चंद्र डे, निदेशक (वित्त)।

कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं और जीएम (सीएसआर और कल्याण) इस समिति के नोडल अधिकारी हैं।

श्री अनिल कुमार गनेरीवाला , अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक वर्ष के दौरान समिति के अध्यक्ष थे।

के दौरान वर्ष 2020-21, 5 (पांच) की बैठकों की समिति पर सी.एसआर थे आयोजित अर्थात पर 2020/05/20, 2020/01/08, 2020/02/11, 2021/01/02 और 2021/03/17। सदस्यों और बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	सदस्यों	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	श्री अनिल कुमार गणेरीवाला	05	05
2.	श्री संजीव सोनी	05	01
3.	श्री अनिमेष भारती	04	01
4.	श्री प्रवीण कांत	05	05
5.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	05	05
6.	श्री विनय रंजन	05	05
7.	श्री बी वीरा रेड्डी	05	05
8.	श्री गौतम चंद्र दे	04	04

[घ] जोखिम प्रबंधन समिति:

में 291 सेंट बैठक की ईसीएल बोर्ड, जोखिम प्रबंधन समिति की गई थी गठन किया है। के रूप में पर 31 सेंट मार्च, 2021, समिति शामिल की 2 (दो) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक अर्थात्। श्री प्रवीण कांत और श्री अनिल कुमार गनेरीवाला ; 4 (चार) कार्यात्मक निदेशक अर्थात। श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना; श्री विनय रंजन , निदेशक (कार्मिक); श्री बी वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) संचालन और श्री गौतम चंद्र डे, निदेशक (वित्त)।

कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं और महाप्रबंधक (पी एंड पी) इस समिति के नोडल अधिकारी हैं। श्री प्रवीण कांत, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक वर्ष के दौरान समिति के अध्यक्ष थे।

वर्ष 2020-21 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 3 (तीन) बैठकें अर्थात् 01.08.2020, 04.12.2020 और 02.02.2021 को आयोजित की गईं। सदस्यों का विवरण और बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	सदस्यों	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	श्री प्रवीण कांत	03	03
2.	श्री अनिल कुमार गणेरीवाला	03	03
3.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	03	03
4.	श्री विनय रंजन	03	02
5.	श्री बी वीरा रेड्डी	03	03
6.	श्री गौतम चंद्र दे	03	03

[ङ] "लागत नियंत्रण" के लिए उप-समिति :

ईसीएल बोर्ड की 330 वीं बैठक में "लागत नियंत्रण" के लिए उप-समिति का गठन किया गया था। 31 पर के रूप में सेंट मार्च, 2021, समिति के 2 (दो) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक अर्थात शामिल थे। श्री प्रवीण कांत और श्री अनिल कुमार गनेरीवाला ; 4 (चार) कार्यात्मक निदेशक अर्थात। श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना; श्री विनय रंजन , निदेशक (कार्मिक); श्री बी वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) संचालन और श्री गौतम चंद्र डे, निदेशक (वित्त)।

कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं और महाप्रबंधक (वित्त) इस समिति के नोडल अधिकारी हैं।
श्री प्रवीण कांत, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक वर्ष के दौरान समिति के अध्यक्ष थे।

वर्ष 2020-21 के दौरान, "लागत नियंत्रण" के लिए उप-समिति की 3 (तीन) बैठकें 31.08.2020, 04.12.2020 और 02.02.2021 को आयोजित की गई। सदस्यों का विवरण और बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	सदस्यों	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	श्री प्रवीण कांत	03	03
2.	श्री अनिल कुमार गणेरीवाला	03	03
3.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	03	03
4.	श्री विनय रंजन	03	03
5.	श्री बी वीरा रेड्डी	03	02
6.	श्री गौतम चंद्र दे	03	03

[च] "अनुसंधान और विकास" के लिए उप-समिति :

ईसीएल बोर्ड की 330 वीं बैठक में "अनुसंधान और विकास" के लिए उप-समिति का गठन किया गया था। 31 पर के रूप में सेंट मार्च, 2021, समिति में शामिल श्री प्रेम सागर मिश्रा , अध्यक्ष सह मिलीग्राम। निदेशक; 2 (दो) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात। श्री प्रवीण कांत और श्री अनिल कुमार गनेरीवाला ; 3 (तीन) कार्यात्मक निदेशक अर्थात। श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना; श्री बी वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) संचालन; श्री गौतम चंद्र डे, निदेशक (वित्त), महाप्रबंधक (परियोजना और योजना), महाप्रबंधक (ई एंड एम), महाप्रबंधक (खुदाई) और महाप्रबंधक (पर्यावरण और वन)।

कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं और महाप्रबंधक (पी एंड पी) इस समिति के नोडल अधिकारी हैं।
श्री प्रेम सागर मिश्रा , अध्यक्ष-सह-एमजी। निदेशक वर्ष के दौरान समिति के अध्यक्ष थे।

वर्ष 2020-21 के दौरान, "अनुसंधान और विकास" के लिए उप-समिति की 2 (दो) बैठकें 31.08.2020 और 17.03.2021 को आयोजित की गईं। सदस्यों का विवरण और बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	सदस्यों	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	श्री प्रेम सागर मिश्रा	02	02
2.	श्री प्रवीण कांत	02	02
3.	श्री अनिल कुमार गणेरीवाला	02	02
4.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	02	02
5.	श्री बी वीरा रेड्डी	02	01
6.	श्री गौतम चंद्र दे	02	02
7.	श्री आरएन सोम , महाप्रबंधक (परियोजना एवं योजना)	01	01
8.	श्री एम के मिश्रा , महाप्रबंधक (ई एंड एम)	01	01
9.	श्री वी.एस. गुप्ता, महाप्रबंधक (खुदाई)	02	02
10.	श्री एन रॉय, महाप्रबंधक (ई एंड एम)	01	01
11.	श्री एम. कुमार, विभागाध्यक्ष (पर्यावरण)	01	01

सांविधिक लेखा परीक्षक:

के तहत धारा 139 की कंपनियों अधिनियम, 2013 निम्नलिखित चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म थे नियुक्त द्वारा वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय खातों की लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2020-21:

सांविधिक लेखा परीक्षक:

1. एमएस। जीपी अग्रवाल एंड कंपनी, यूनिट नंबर 606, डायमंड हेरिटेज, 16, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-700001।

शाखा लेखा परीक्षक:

2. एमएस। एसके अग्रवाल एंड कंपनी, सुइट नंबर 606 से 608, द चैंबर्स, गीतांजलि स्टेडियम के सामने , 1865 राजदंगा मेन रोड, कस्बा, कोलकाता-700107.
3. एमएस। केशरी एंड एसोसिएट्स, 54 पिलखाना , तीसरी लेन, हावड़ा-711101।

4. एमएस। एडीडी एंड एसोसिएट्स, पी-168, सेक्टर-बी, मेट्रोपॉलिटन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, कैनाल साउथ रोड, कोलकाता-700105
5. एमएस। माहेश्वरी एंड एसोसिएट्स, गीतांजलि अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 6ए, 6 वीं मंजिल, 8बी मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता-700071
6. एमएस। एसके बसु एंड कंपनी, 20/5/2/2 विश्वेश्वर बनर्जी लेन, हावड़ा-711101

वार्षिक आम बैठक:

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक का विवरण निम्नानुसार था:

वर्ष	दिनांक, समय और स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2017-18	09.07.2018 10:00 पूर्वाह्न कोलकाता	श्री एसके झा , अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल श्री सी के डे , निदेशक (वित्त), सीआईएल (लेखा परीक्षा समिति के सदस्य) श्री रंजीत कुमार सिंह, उप. एमजीआर (एफ), सीआईएल सीआईएल के प्रतिनिधि के रूप में और श्री के लिए प्रॉक्सी । एके झा , अध्यक्ष, सिलि	-
2018-19	31.07.2019 दिन के 11 बजे सैंक्टोरिया	श्री प्रेम सागर मिश्रा , अध्यक्ष-सह-एमजी। निदेशक, ईसीएल श्रीमती मीता सेट, मुख्य प्रबंधक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरधारक और श्री एके झा , अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि के रूप में ।	हाँ* (नोट-1)
2019-20 (**) (नोट-2)	19.08.2020 दोपहर 12.30 बजे सांकतोड़िया	श्री प्रेम सागर मिश्रा , अध्यक्ष-सह-एमजी। निदेशक, ईसीएल; श्री प्रमोद अग्रवाल , अध्यक्ष, सीआईएल, (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त), सीआईएल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री एम. विश्वनाथन , कंपनी सचिव, सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) श्री अनिमेष भारती , अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, ईसीएल, अध्यक्ष मूल्यांकन मूल्यांकन और ईसीएल की परियोजना समिति की स्वीकृति। (वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से) श्री प्रवीण कांत, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, ईसीएल, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष और ईसीएल की जोखिम प्रबंधन समिति। (वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से) श्री एके गनेरीवाला , अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, ईसीएल, ईसीएल की सीएसआर समिति के अध्यक्ष (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, ईसीएल श्री विनय रंजन , निदेशक (कार्मिक), ईसीएल श्री बी वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल श्री गौतम चंद्र डे, निदेशक (वित्त), ईसीएल एमएस। जी . पी. अग्रवाल एंड कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) एमएस। एसजी एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट ऑडिटर (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)	–

* **टिप्पणी-1:** विशेष संकल्प 44 में पारित किया गया था वें की फिर से नियुक्ति की पुष्टि के लिए ईसीएल की वार्षिक आम बैठक प्रो (डॉ) इंदिरा चक्रवर्ती (डीआईएन- 07368268) से प्रभावी कंपनी के गैर सरकारी पार्ट टाईम निदेशक 2018/11/17 के लिए एक अवधि के एक साल या जब तक आगे के आदेश, जो भी है पहले, में शर्तों के मंत्रालय के कोयला, सरकार। की भारत पत्र रेफरी। संख्या 21/33/2018- बीए (iv) दिनांक 17.11.2018। विशेष संकल्प का उद्धरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि प्रो. (डॉ.) इंदिरा चक्रवर्ती (डीआईएन 07368268) को 17.11.2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी हो, कंपनी के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है। इससे पहले, कोयला मंत्रालय, सरकार के संदर्भ में। भारत के पत्र संख्या 21/33/2018-बीए(iv) दिनांक 17.11.2018 । वह रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। "

****टिप्पणी-2:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-108 के प्रावधानों के साथ - साथ कंपनी के नियम-18 के अनुसार देश में प्रचलित COVID-19 के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सामान्य परिपत्र संदर्भ के साथ। सं 14/2020, दिनांक 8 वें अप्रैल, 2020, जनरल परिपत्र रेफरी। सं 17/2020 दिनांक 13 वें अप्रैल, 2020 और जनरल परिपत्र रेफरी। सं 17/2020 दिनांक 5 वें मई, 2020 में क्रमश: कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए, भारत सरकार (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित उसके लिए समय जा रहा है में बल) और अन्य लागू कानूनों और नियमों, शेयरधारकों, निदेशकों और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सेक्रेटेरियल ऑडिटर सहित ऑडिटर बैठक में भाग लेने और/या वोट देने के हकदार थे और अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं। केवल ई-मेल भेजने के द्वारा बैठक में विचार किया वस्तुओं पर इस तरह के स्तर पर करने के लिए companysecretary.ecl@coalindia.in सुविधा की नियुक्ति की प्रॉक्सी द्वारा सदस्यों था नहीं उपलब्ध। हालांकि, में अनुसरण की धारा 112 और 113 के कंपनियों अधिनियम, 2013 प्रतिनिधियों के सदस्यों सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया (OAVM)। भाग लेने के लिए बैठक के माध्यम से वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधन (OAVM), लिंक किया गया था प्रदान की से कंपनी के अधिकृत मेल आईडी अच्छी तरह से में अग्रिम और सुविधा के लिए शामिल होने की बैठक की गई थी रखा खुला 15 मिनट पहले अनुसूचित समय के लिए शुरू की बैठक और बंद कर दिया 15 मिनट के बाद अनुसूचित समय की बैठक।

कोई विशेष संकल्प था पारित कर दिया के माध्यम से डाक मतपत्र पर किसी भी की जनरल बैठक के सदस्यों आयोजित दौरान ऊपर तीन साल।

4. प्रकटीकरण:

(क) संबंधित पार्टी लेनदेन:

कंपनी के निदेशकों द्वारा दिए गए खुलासे के अनुसार, कोई भी संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं था जो कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो।

(ख) निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता :

कोड की आचार के लिए निदेशकों और वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों था अनुमोदित द्वारा बोर्ड के निदेशकों की कंपनी में अपनी 214 वीं बैठक का आयोजन किया पर 15 वें अक्टूबर, 2007 यह था परिचालित करने के लिए निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों और प्राप्त उनके प्रतिज्ञान। इसे कंपनी की वेबसाइट www.easterncoal.nic.in पर भी अपलोड किया गया था। nic.in ।

(ग) लेखांकन उपचार:

वित्तीय विवरण लागू अनिवार्य लेखा मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक प्रस्तुतिकरण आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

(घ) जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान:

जोखिम आकलन और शमन नीति है की गई मंजूरी दे दी द्वारा ईसीएल बोर्ड में अपने 257 वें बैठक आयोजित पर 05.11.2012। अपने 2 में जोखिम प्रबंधन समिति को आयोजित बैठक 2019/03/13 कोलकाता में की समीक्षा की कंपनी और नियुक्त करने के लिए 'है कि मामलों जोखिम' श्री आर.एन. सोम , जीएम (पी एंड पी), ईसीएल मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में। श्री आरएन सोम , महाप्रबंधक (पी एंड पी), ईसीएल ने अपनी सेवानिवृत्ति के दिन यानी 31.10.2020 तक मुख्य जोखिम अधिकारी का पद संभाला और उसके बाद एचओडी (परियोजना और योजना) ने मुख्य जोखिम अधिकारी का पद संभाला। वर्ष के दौरान 2020-21, तीन (03) जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों का आयोजन किया गया और जोखिम जुड़े के साथ विभिन्न विभागों और खानों है दिया तैयार और विश्लेषण किया । नियमित रूप से निगरानी की व्यवसाय से जुड़े जोखिम है किया।

(ङ) सीईओ / सीएफओ प्रमाणन:

श्री गौतम चंद्र डे, निदेशक (वित्त), ईसीएल और श्री प्रेम सागर मिश्रा , अध्यक्ष-सह-एमजी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र । निदेशक, ईसीएल को 339 वीं बोर्ड बैठक में रखा गया था, जो **अनुबंध-डी** के रूप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

(च) लागू कानूनों का अनुपालन :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महाप्रबंधक (कार्मिक/कानूनी), ईसीएल द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार कंपनी पर लागू सभी कानूनों का अनुपालन किया गया है।

5. संचार के साधन:

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन कंपनी की वेबसाइट www. Eastcoal.nic.in.

वार्षिक खातों के अलावा, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा खातों की त्रैमासिक समीक्षा भी की जाती है।

6. लेखा परीक्षा योग्यता:

कंपनी का प्रयास हमेशा एक अयोग्य वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का होता है। वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर सांविधिक लेखा परीक्षक 'टिप्पणियों के प्रबंधन जबाब समाप्त हो गया 31 सेंट मार्च, 2021 को बोर्ड के रिपोर्ट के लिए एक अनुबंध के रूप में सजाया गया है। अनुभाग 143 (6) कंपनी अधिनियम, के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक टिप्पणियां 2013 पर खातों की पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए साल समाप्त हो गया 31 सेंट मार्च, 2021 कर रहे हैं भी दिए गए में वार्षिक रिपोर्ट।

7. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :

कार्यात्मक निदेशक हैं सिर के संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों से पुण्य की उनके पास अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव। वे कर रहे हैं के बारे में पता के व्यापार मॉडल की कंपनी के रूप में अच्छी तरह से के रूप में जोखिम प्रोफाइल की कंपनी के व्यापार। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के व्यापार मॉडल से पूरी तरह अवगत हैं।

8. कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न :

कंपनी के 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड के पास हैं।

9. व्हिसल ब्लोअर नीति:

कंपनी अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है। बोर्ड ने अवैध या अनैतिक व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए तंत्र स्थापित किया है। कर्मचारी हैं मुक्त करने के लिए रिपोर्ट उल्लंघन के कानूनों, नियमों, धोखाधड़ी या अनैतिक आचरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी। रिपोर्ट प्राप्त से किसी भी कर्मचारी जाएगा जा की समीक्षा द्वारा स्क्रीनिंग समिति। प्रबंधन कर्मियों ऐसी रिपोर्टिंग की गोपनीयता को बनाए रखने और सुनिश्चित करें कि सीटी ब्लोअरों किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार के अधीन नहीं कर रहे हैं करने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

बोर्ड की अपनी कंपनी की थी दी अपनी मंजूरी में अपनी 218 वीं बैठक का आयोजन किया पर 27 वें मार्च, 2008 को हस्ताक्षर एक सहमति पत्र के साथ सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के लिए सीआईएल द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन के अनुरूप मेसर्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और इसे पूरा किया गया।

10. अंदरूनी व्यापार नीति:

संशोधन अंदरूनी ट्रेडिंग नीति का कोयला भारत लिमिटेड (सीआईएल) था भेजी द्वारा कोयला भारत पर 16 वीं मार्च, 2020 को इस नीति के अनुसार, किसी अंदरूनी सूत्र संवाद या किसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (UPSI) के लिए किसी भी उपयोग की अनुमति कंपनी से संबंधित होगा या प्रतिभूतियों जहां इस तरह के संचार आगे बढ़ाने के लिए है को छोड़कर अन्य अंदरूनी सूत्रों सहित किसी भी व्यक्ति के लिए सूचीबद्ध की वैध प्रयोजनों के लिए, प्रदर्शन के कर्तव्यों या मुक्ति की कानूनी दायित्वों। इसके अलावा से इस, ट्रेडिंग विंडो है करने के लिए जा बंद कर दिया से अंत की हर तिमाही के लिए घोषणा की वित्तीय परिणामों तक 48 घंटे के बाद घोषणा की वित्तीय परिणाम। इसलिए, ट्रेडिंग विंडो है बंद कर दिया से पिछले सोमवार की हर तिमाही तक 48 घंटे के बाद घोषणा की वित्तीय परिणाम। यदि सोमवार को अवकाश होता है, तो यह अगले कार्य दिवस से बंद रहता है। यह कंपनी सचिव द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाता है जिसका सभी नामित कर्मचारियों को पालन करना होता है।

कोल इंडिया का निर्देशन भी किया है कि नामित व्यक्ति उसकी / उसके नाम, स्थायी खाता संख्या या किसी अन्य का खुलासा करने के लिए आवश्यक हैं पहचानकर्ता अधिकृत द्वारा कानून और विवरण की तत्काल रिश्तेदारों के नामित व्यक्ति (यों) और किसी भी अन्य व्यक्ति (यों) के साथ जिसे इस तरह के नामित व्यक्ति (यों) के शेयरों एक सामग्री वित्तीय संबंध के लिए कंपनी पर एक वार्षिक आधार और के रूप में और जब जानकारी बदल जाता है। कंपनी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और टाइम स्टैंपिंग और ऑडिट ट्रेल्स जैसे चेक के साथ एक संरचित डिजिटल डेटाबेस बनाए रख रही है। तदनुसार, ईसीएल के सभी नामित व्यक्तियों ने सीआईएल द्वारा निर्देशित प्रासंगिक विवरणों के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सीआईएल की रोकथाम में स्व-घोषणा प्रक्रिया को पूरा कर लिया है।

11. 2020-21 के दौरान किसी भी व्यक्ति को ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन तक सीधे पहुंचने से नहीं रोका गया है।

12. पीई सर्वेक्षण के लिए पूर्ण डाटा शीट डीपीई को प्रस्तुत करने की तिथि 20.10.2020 थी।

*****

अनुबंध- डी

सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

प्रति
निदेशक मंडल
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के वित्तीय विवरण समाप्त हो गया 31 सेंट मार्च, 2021 को विचार और गोद लेने के लिए निदेशक मंडल से पहले इसके साथ रखा जाता है।

आधार पर प्रमाणपत्र द्वारा जनरल प्रबंधकों और क्षेत्र वित्त प्रबंधक के संबंधित क्षेत्रों / इकाइयों के बारे में उनके समीक्षित वित्तीय स्टेटमेंट्स के लिए साल समाप्त हो गया 31 सेंट मार्च, 2021, हम, प्रेम सागर मिश्रा , अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और सीईओ, ईसीएल और गौतम चंद्रा डी, निदेशक (वित्त) और सीएफओ, ईसीएल, जिम्मेदार के लिए वित्त समारोह प्रमाणित है कि:

हम समाप्त वर्ष 31 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की समीक्षा की है सेंट मार्च, 2021 और कहा कि हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार:

i. इन कथनों में कोई भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ दिया गया है या ऐसे कथन शामिल हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

ii. ये बयान एक साथ कंपनी के मामलों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

करने के लिए सबसे अच्छा के हमारे ज्ञान और विश्वास, कोई लेन-देन में प्रवेश में से कंपनी के दौरान साल समाप्त हो गया 31 सेंट मार्च, 2021 धोखाधड़ी, गैर-कानूनी या कर रहे हैं उल्लंघन के लिए कंपनी के कोड का आचरण।

हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक के डिजाइन या संचालन में कमियों का खुलासा किया है। नियंत्रण, यदि कोई हो, जिसके बारे में वे जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव किया है ।

हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है कि:

i. मैं। संदर्भाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है ;

ii. भौतिकता पर नीति को छोड़कर वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;

iii. हमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के किसी भी उदाहरण के बारे में पता नहीं चला है ।

निदेशक (वित्त)
और सीएफओ, ईसीएल

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
और सीईओ, ईसीएल

स्थान: सांकतोड़िया
दनिांक: 28.05.2021

अनुबंध-VII

जेके दास एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

प्लॉट नंबर 883, बिजन कानन ब्रह्मपुर, बांसधरोनी,
कोलकाता - 700096
टी: 24102892/93 एम: 9831204082
ई: jkdascs@gmail.com admin@jkdas.com
डब्ल्यू: www.jkdas.com

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

1. हम जे दास एंड एसोसिएट्स, अभ्यास कंपनी सेक्रेटरीज, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड समाप्त वर्ष के लिए (इसके बाद "कंपनी" के रूप में कहा जाता है) के निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच की है 31 सेंट मार्च, 2021, के रूप में कॉर्पोरेट पर दिशा-निर्देशों में निर्धारित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए शासन दिनांक 14.05.2010 (बाद में "डीपीई दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित)।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. अनुपालन की स्थिति की डीपीई दिशानिर्देशों पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जिम्मेदारी का प्रबंधन। इस जिम्मेदारी में डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन उसके सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई की जांच तक ही सीमित है अनुपालन के साथ स्थिति की कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यह है न एक लेखा परीक्षा है और न ही एक अभिव्यक्ति की की वित्तीय विवरणों पर राय कंपनी।

4. हमने कंपनी द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा बनाए गए खातों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की है।

5. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी किए गए ऑडिट एंगेजमेंट पर सीएसएएस-1-ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार कंपनी के प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच की है।

राय

6. संबंधित अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रतिनिधित्व के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने समाप्त वर्ष के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है। 31 सेंट मार्च, 2021 के अधीन निम्नलिखित:

i. संख्या के कार्यात्मक निदेशकों और कुल सदस्यों की बोर्ड की निदेशक की कंपनी के रूप में पर 31 सेंट मार्च, 2021 थे पाँच और नौ क्रमशः। संख्या के कार्यात्मक निदेशक है 56% (लगभग।) की वास्तविक शक्ति की जबकि अनुसार बोर्ड, पैरा 3.1.2 डीपीई दिशानिर्देशों "कार्यात्मक निदेशक (सीएमडी / एमडी सहित) की संख्या के अध्याय 3 का 50% अधिक नहीं होनी चाहिए बोर्ड की वास्तविक ताकत का। "

ii. संख्या की स्वतंत्र निदेशकों और कुल सदस्यों की बोर्ड की निदेशक की कंपनी के रूप में पर 31 सेंट मार्च, 2021 दो और नौ क्रमशः थे। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों के एक तिहाई से कम थी, जबकि कंपनी पर लागू डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के पैरा 3.1.4 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों का कम से कम एक तिहाई होनी चाहिए। .

iii. कंपनी की लेखा परीक्षा समति को कुल सात सदस्यों में से दो स्वतंत्र नदिशक रहा है 31 सेंट मार्च, 2021, जबकि के रूप में पर्त पैरा 4.1.1 के अध्याय 4 के डीपीई दशिानदिशों " लेखा परीक्षा समति जाएगा है कम से कम सदस्यों के रूप में तीन नदिशक। लेखा परीक्षा समति के दो तहिाई सदस्य स्वतंत्र नदिशक होंगे।"

7. हम कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

जेके दास एंड एसोसएिट्स के लिए

(जेके दास)
सीपी नं. 4250
सदस्यता संख्या FCS 7268
UDIN- F007268C 000486263

मेसर्स जेके दास एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सेक्रेटरीज

जगह: कोलकाता
दिनांक: 18 वें जून, 2021

अनुबंध- -VIII

जेके दास एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

प्लॉट नंबर 883, बिजन कानन ब्रह्मपुर, बांसधरोनी,
कोलकाता - 700096
टी: 24102892/93 एम: 9831204082
ई: jkdascs@gmail.com admin@jkdas.com
डब्ल्यू: www.jkdas.com

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

फॉर्म नंबर-एमआर-3
वित्तीय वर्ष के लिए समाप्त हो गया 31 सेंट मार्च, 2021

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

प्रति,
सदस्यगण
एमएस। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

बर्दवान-713333
पश्चिम बंगाल, भारत

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और मैसर्स द्वारा अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (CIN: U10101WB1975GOI030295)** (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा)। सेक्रेटेरियल ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी सेक्रेटेरियल ऑडिट पर सीएसएएस-4-ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार आयोजित किया गया था, जिसने मुझे कॉरपोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

किताबें, कागज, मिनट किताबें, रूपों और रिटर्न के अपने सत्यापन के आधार पर दायर की और अन्य रिकॉर्ड भी आचरण के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी कंपनी द्वारा बनाए रखा और के सचिवीय लेखा परीक्षा, स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण दिया करने के लिए मुझे और प्रतिनिधित्व किया जाता द्वारा प्रबंधन और विचार छूट दी द्वारा मंत्रालय के कॉर्पोरेट मामलों के कारण करने के लिए प्रसार की COVID -19 महामारी, मैं इसके द्वारा रिपोर्ट है कि में मेरी राय में, कंपनी , है के दौरान लेखा परीक्षा की अवधि को कवर वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया पर 31 सेंट मार्च, 2021, इसके अंतर्गत है और यह भी है कि कंपनी उचित बोर्ड प्रक्रियाओं और हद तक जगह में compliance- तंत्र, तरीके और रिपोर्टिंग कर दिया करने के लिए विषय में है सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का पालन बाद में:

मैं है की जांच की किताबें, कागज, मिनट किताबें, रूपों और रिटर्न दायर और अन्य रिकॉर्ड बनाए रखा द्वारा कंपनी वित्तीय वर्ष को समाप्त हो गया के लिए 31 सेंट मार्च , 2021 के प्रावधानों के अनुसार की:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम ;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);

(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं) की सीमा तक;

(iv) विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित तहत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के भारत अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') (लेखा परीक्षा के दौरान लागू नहीं अवधि);

जेके दास एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

प्लॉट नंबर 883, बिजन कानन ब्रह्मपुर, बांसधरोनी,
कोलकाता - 700096
टी: 24102892/93 एम: 9831204082
ई: jkdascs@gmail.com admin@jkdas.com
डब्ल्यू: www.jkdas.com

(v) डिपॉजिटरी अधिनियम, १९९६ और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम ;

(vi) कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश जारी किए द्वारा विभाग के सार्वजनिक उद्यम ख़बरदार उनके ओम। सं. 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010;

(vii)भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक 1 और 2 ।.

(viii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015।

हम रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में और उसके अनुसरण में प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, नमूना-जांच के आधार पर और जीएम (पी/लीगल), ईसीएल द्वारा पत्र संदर्भ सं. ईसीएल/एलजी/198 दिनांक 03.04.2021, कंपनी ने विशेष रूप से कंपनी पर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

1. कोयला खान अधिनियम, 1952
2. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
3. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004
4. कोयला खान विनियम, 2017
5. मजदूरी का भुगतान (खान) नियम, 1956
6. कोयला खान पेंशन योजना, 1998
7. कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम, 1974
8. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
9. खान शिशु गृह नियम, 1961
10. खान बचाव नियम, 1985
11. कोयला खान पिथेड स्नान नियम, 1946
12. मातृत्व लाभ (खान और सर्कस) नियम, 1963
13. विस्फोटक नियम, 2008
14. खनिज रियायत नियम, 1960
15. कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
16. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
17. अवितरित मजदूरी का भुगतान (खान) नियम, 1989
18. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 1956
19. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986
20. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांस सीमा आंदोलन) नियमावली, 2016
21. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके तहत बनाए गए नियम
22. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
23. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 और उसके अधीन बनाए गए नियम ।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने आम तौर पर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। के रूप में संबंध है कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों, कंपनी जा रहा है एक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी कंपनियों के लिए लागू विनियामक ढांचे नियुक्ति, मूल्यांकन और के उत्तराधिकार से संबंधित मामलों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है निर्देशकों।

जेके दास एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

प्लॉट नंबर 883, बिजन कानन ब्रह्मपुर, बांसधरोनी,
कोलकाता - 700096
टी: 24102892/93 एम: 9831204082
ई: jkdascs@gmail.com admin@jkdas.com
डब्ल्यू: www.jkdas.com

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और महिला निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिनियम की धारा 149 के तहत कंपनी के पास पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक नहीं हैं। इसलिए गठन की लेखा परीक्षा समिति है भी नहीं के रूप में प्रति धारा 177 की कंपनियों अधिनियम, 2013 वहाँ था कोई परिवर्तन में के तहत वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा करें।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया था, एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, सिवाय इसके कि जहां बैठक को तत्काल व्यवसाय करने के लिए एक छोटी सूचना पर आयोजित किया गया था और आगे की मांग और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। जानकारी और स्पष्टीकरण पर एजेंडा आइटम से पहले बैठक और बैठक में भाग लेने के लिए सार्थक। समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बोर्ड की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि मेरे द्वारा प्राप्त और विश्वास किए गए स्पष्टीकरणों और प्रबंधन अभ्यावेदनों के अनुसार, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली ऐसी कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई थी।

हम आगे की रिपोर्ट है कि कंपनी है प्राप्त मांग नोटिस से जिला खनन अधिकारी (DMOs) में राज्य के झारखंड की मांग करने के लिए 11 कोयला खानों के पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए कथित तौर पर उल्लंघन की पर्यावरण मंजूरी (ईसी) क्षमता से 2000-01 के लिए 2016-17 धारा के तहत 21 (5) एमएमडीआर अधिनियम की, 1957 मांग की कुल राशि के लिए उठाया 11 खानों (मुग्मा क्षेत्र -8 खानों, राजमहल क्षेत्र -2 खानों और सपा खान क्षेत्र -1 मेरा) के लिए अवधि का उल्लेख ऊपर है के बारे में ` 2178.14 करोड़ . कंपनी है दायर संशोधन आवेदन करने के लिए एकल पीठ पुनरीक्षण प्राधिकरण, मंत्रालय के कोयला, नई दिल्ली के तहत धारा 30 के 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 पर 2018/01/16 और मिल गया ठहरने पर 2018/01/22। अब बात उप किया जा रहा है न्यायाधीन।

(जेके दास)
सीपी नं. 4250
सदस्यता संख्या FCS 7268
मेसर्स जेके दास एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सेक्रेटरीज
यूडीआईएन- F007268C 000607274
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या-2015/322

जगह: कोलकाता
दिनांक: 9 वें जुलाई, 2021

अनुबंध एक

प्रति,
सदस्यगण
एमएस। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
पीओ Dishergarh, Sanctoria,
बर्दवान-713333
पश्चिम बंगाल, भारत

श्रीमान,
सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी:

कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी इस प्रकार है :

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था । हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है , वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हम है नहीं सत्यापित शुद्धता और औचित्य की वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकें की खाता की कंपनी या किसी किताबें, जानकारी या पुस्तकों और अन्य की तुलना में बयान की जांच की पत्रों।
4. हमने ऊपर बताए गए के अलावा किसी अन्य विशिष्ट कानून की जांच नहीं की है।
5. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों और घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. कॉर्पोरेट कानूनों और अन्य लागू नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

(जेके दास)
सीपी नं. 4250
सदस्यता संख्या एफसीएस 7268
मेसर्स जेके दास एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव
यूडीआईएन: F007268C 000607274
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या 2015/322

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 9 वीं जुलाई, 2021

प्रबंधन ईसीएल की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट-२०२०-२१ का जवाब

क्रम सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अवलोकन	प्रबंधन उत्तर
1	बोर्ड के निदेशकों की कंपनी है विधिवत गठित के रूप में कंपनी अधिनियम, प्रति 2013 स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और महिला निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिनियम की धारा 149 के तहत कंपनी के पास पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक नहीं हैं। लेखा परीक्षा समिति की इसलिए गठन भी है नहीं के रूप में प्रति धारा 177 की कंपनियों अधिनियम, 2013 वहाँ के तहत वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में कोई बदलाव नहीं आया था की समीक्षा करें।	यह तथ्य का बयान है। पर जैसा कि 2021/03/31 और आज तक, ईसीएल केवल चल रहा है दो स्वतंत्र निदेशक, अर्थात। श्री प्रवीण कांत (प्रभावी। 2018/12/13) और श्री अनिल कुमार Ganeriwala (प्रभावी । 2019/07/10)। लेखा परीक्षा समिति गठन किया गया है, लेकिन देखते हैं केवल दो स्वतंत्र निदेशक के रूप में ऊपर कहा गया है। नियुक्ति के निदेशक में ईसीएल है किया जा रहा कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। भारत की।
2	कंपनी को झारखंड राज्य में जिला खनन अधिकारियों (डीएमओ) से धारा 21(5) के तहत 2000-01 से 2016-17 तक पर्यावरण मंजूरी (ईसी) क्षमता के कथित उल्लंघन के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 11 कोयला खदानों की मांग का नोटिस प्राप्त हुआ है। एमएमडीआर अधिनियम की, 1957 मांग की कुल राशि के लिए उठाया 11 खानों (मुग्मा क्षेत्र -8 खानों, राजमहल क्षेत्र -2 खानों और सपा अवधि ऊपर उल्लेख के लिए खान क्षेत्र -1 मेरा) के बारे में है ` 2178.14 करोड़। कंपनी एकल पीठ के लिए संशोधन आवेदन दायर किया है पुनरीक्षण खान और खनिज की धारा 30 (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, के तहत प्राधिकरण, कोयला, नई दिल्ली 1957 पर 2018/01/16 और पर रहने मिला 2018/01/22। अब मामला है के तहत उप न्यायाधीन।	यह तथ्य का बयान है।

अनुबंध- IX

विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(i) निर्यात से संबंधित गतिविधियां, निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल, उत्पादों, सेवाओं और निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास। : कंपनी निर्यात गतिविधियों में संलग्न नहीं है।

(ii) **उपयोग और अर्जित कुल विदेशी मुद्रा:**

(₹ in Crore)

क्रम सं.	विवरण	2020-21	2019-20
(ए)	**प्रयुक्त विदेशी मुद्रा:**		
	1. आयात का सीआईएफ मूल्य:		
	(ए) कच्चे माल	शून्य	शून्य
	(बी) अवयव, स्टोर और पुर्जे	3.82	6.82
	(सी) पूंजीगत सामान	23.83	43.60
	2. यात्रा/प्रशिक्षण व्यय	0.06	0.15
	3. तकनीकी जानकारी और विदेशी परामर्श पर व्यय	शून्य	शून्य
	4. विदेशियों को पेंशन।	शून्य	शून्य
	5. अन्य	शून्य	शून्य
	कुल	**27.71**	**50.57**
(बी)	**अर्जित विदेशी मुद्रा**	**शून्य**	**शून्य**

अनुबंध- X

प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरण प्रकट करने के लिए प्रपत्र

अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास किया जाता है	:	कंपनी का अपना अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) स्थापित नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के लिए केंद्रीय रूप से अनुसंधान एवं विकास कार्य करती है।
2.	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ	:	ना
3.	भविष्य की कार्ययोजना	:	ना
4.	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	:	ना
	(a) राजधानी		-
	(b) आवर्ती		-
	(c) कुल		-
	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय	:	ना

प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार

1.	संक्षेप में, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास	:	शून्य
2.	उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ, उदाहरण के लिए उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन, आदि।	:	शून्य
3.	आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित), निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है:	:	शून्य
	(i) आयातित प्रौद्योगिकी	:	शून्य
	(ii) आयात का वर्ष	:	शून्य
	(iii) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित हो गई है?	:	शून्य
	(iv) यदि पूरी तरह से समाहित नहीं किया गया है, तो जिन क्षेत्रों में यह नहीं हुआ है, उसके कारण और भविष्य की कार्य योजनाएँ।	:	शून्य

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
	वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट टी	
	राय	
	हमने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 को बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और तब समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों पर नोट्स , जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (इसके बाद "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) जिसमें निम्नलिखित के खाते शामिल हैं: (ए) प्रधान कार्यालय और हमारे द्वारा लेखापरीक्षित ७ क्षेत्र/इकाइयाँ और (b) कंपनी अधिनियम, २०१३ (“ अधिनियम”) की धारा १३९ के तहत नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित १९ क्षेत्र/ इकाइयाँ। हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। आम तौर पर भारत में 31 मार्च, 2021 को कंपनी के मामलों की स्थिति, और इसके नुकसान (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह में स्वीकार किया जाता है।	यह तथ्य का बयान है।
	राय के लिए आधार	
	हम आयोजित हमारे लेखा परीक्षा में अनुसार के साथ मानक पर लेखा परीक्षा निर्दिष्ट (एसएएस) के तहत खंड 143 (10) के अधिनियम। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम कर रहे हैं आचार संहिता संस्थान द्वारा जारी के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की भारत ("आईसीएआई") एक साथ साथ नैतिक आवश्यकताओं कि कर रहे हैं प्रासंगिक करने के लिए हमारे लेखा परीक्षा की वित्तीय बयान अधिनियम और के प्रावधानों के तहत इसके तहत नियम, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।	यह तथ्य का बयान है।
	मामले का ज़ोर	
i.	हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 38(5)(पी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो बताता है कि कंपनी COVID-19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए निरंतर उपाय कर रही है और व्यापार करने में आसानी के लिए कई उपाय लागू किए हैं। कंपनी संभावित प्रभावों कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में महामारी की वजह से उत्पन्न हो सकती है पर विचार किया है सहित वसूल न की ले जाने मात्रा की वित्तीय पर के रूप में और गैर वित्तीय आस्तियों 31 वें मार्च, 2021 कंपनी के लिए जारी रहेगा बारीकी से नजर रखने के लिए किसी भी सामग्री में परिवर्तन उत्पन्न होने वाले बाहर के भविष्य आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर परिणामी प्रभाव।	यह तथ्य का बयान है।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
ii.	कंपनी है माना प्रावधान का रु। ऑन रोल गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए सीपीआरएमएस-एनई की ओर 88.99 करोड़ । तथापि, अपेक्षित प्रावधान की राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि ऑन रोल गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए सीपीआरएमएस-एनई के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दायित्व की मान्यता नहीं की गई है। यह अतिरिक्त नोट-38 क्रमांक के संदर्भ में है। नंबर 3 - परिभाषित योगदान योजनाएँ (बी)। रोल गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए सीपीआरएमएस-एनई के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता का लंबित निर्धारण , रुपये का प्रावधान। 88.99 करोड़ के परिणामस्वरूप हानि के तदनुरूपी अतिकथन के साथ प्रावधानों को अधिक बताया गया है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।	सीपीआरएमएस- एनई के लिए 88.99 करोड़ रुपये के नियोक्ता के योगदान के प्रावधान के परिणामस्वरूप प्रावधान को अधिक बताया गया है। चूंकि ऑन रोल गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए सीपीआरएमएस-एनई के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दायित्व की मान्यता नहीं की गई है, आवश्यक प्रावधान की राशि सुनिश्चित नहीं है। रोल गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए सीपीआरएमएस-एनई के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता का पता लगाने के बाद , इसे वित्तीय विवरणों में प्रदान किया जाएगा।
	अन्य मामलों	
ए।	हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल 19 इकाइयों के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण रुपये की कुल संपत्ति को दर्शाते हैं। 11,257.41 करोड़ पर के रूप में 31 वें मार्च, 2021 और रुपये की कुल आय। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 10,145.67 करोड़, जैसा कि वित्तीय विवरणों में माना गया है । वित्तीय बयान की इन इकाइयों है इकाई लेखा परीक्षकों जिसका रिपोर्ट हमें, और हमारे लिए सुसज्जित किया गया है द्वारा लेखा परीक्षित किया गया राय में तो अब तक के रूप में यह संबंधित है के लिए मात्रा में और खुलासे शामिल में उन इकाइयों के संबंध, केवल ऐसी इकाई लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।	यह तथ्य का बयान है।
बी।	के कारण COVID -19 महामारी, लॉकडाउन और अन्य यात्रा प्रतिबंध सरकार / स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए थे। इसलिए, रिमोट एक्सेस द्वारा लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया था। आवश्यक रिकॉर्ड कर रहे थे बनाया उपलब्ध द्वारा प्रबंधन के माध्यम से डिजिटल माध्यम और थोड़ी देर के लिए रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया वर्तमान अवधि।	यह तथ्य का बयान है।
सी।	हमने 28 मई, 2021 को एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की थी ("मूल रिपोर्ट") कोलकाता में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सम तिथि पर अनुमोदित वित्तीय विवरणों पर। मामलों के जोर के पैरा (ii) के तहत और पैरा (i) से (i) से (iii) नीचे दिए गए अन्य मामलों में, हमने उक्त मूल रिपोर्ट को संशोधित किया है। इस संशोधित ऑडिट रिपोर्ट का कंपनी के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है, मूल रिपोर्ट का स्थान लेती है।	यह तथ्य का बयान है।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
	मूल रिपोर्ट की तारीख के बाद की घटनाओं पर हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से वर्ष 2020 के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा निर्देशों के अनुसार किए गए संशोधन तक ही सीमित है- 21 (अनुलग्नक II का अनुलग्नक ए), कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (अनुलग्नक I), पैरा (ii) के पैरा vii (ए) के तहत ऊपर दिए गए मामलों पर जोर और उप-पैरा (i) से (iii) नीचे अन्य मामलों के पैरा (सी) का। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा पूरक लेखापरीक्षा पर, हम आगे कहते हैं कि: i. मैं। क्रमांक को पुन: प्रस्तुत करने में कुछ टंकण त्रुटियाँ थीं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत वर्ष 2020-21 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 28 मई, 2021 के अनुलग्नक II के अनुलग्नक ए में जारी निर्देशों के 2 और 3।	यह तथ्य का बयान है।
	ii. कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 से संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 28 मई, 2021 के अनुबंध I के पैरा vii (ए) में, कोविड -19 महामारी उपकर से संबंधित बकाया रुपये की सीमा तक। 3.31 करोड़ जो 6 महीने से अधिक के लिए देय थे, नहीं बताए गए थे।	झारखंड खनिज भूमि (कोविड -19 महामारी) उपकर अध्यादेश, 2020 को राजपत्र अधिसूचना संख्या के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। 318, रांची दिनांक 06.07.2020। संयुक्त सचिव, सरकार द्वारा जारी एक पत्र दिनांक 29.09.2020। झारखंड के, सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड को संबोधित करते हुए निर्दिष्ट करता है कि झारखंड खनिज भूमि (कोविड -19 महामारी उपकर) नियम, 2020 11.09.2020 से प्रभावी है। तदनुसार पत्र के आधार पर अक्टूबर 2020 से कोविड उपकर का भुगतान किया गया। लेकिन कोयला ग्राहक/उपभोक्ता से कोविड उपकर की वसूली दिनांक 06.07.2020 से की गई। विभाग से स्पष्टीकरण नहीं मिलने के कारण रू. 2.83 करोड़ राजमहल क्षेत्र के संबंध में और रु. 06.07.2020 से 30.09.2020 तक की अवधि के लिए मुगमा क्षेत्र के संबंध में 0.48 करोड़ शेष अवैतनिक।
	iii. एनटीपीसी संयंत्रों के साथ एफएसए के खंड 8.2 के अनुसार, यह 3 किलोमीटर की दूरी से परे स्थित अपने ग्राहक को कोयले की आपूर्ति के खिलाफ कोयला परिवहन शुल्क वसूलने की अनुमति देता है। कंपनी ऐसे ग्राहकों के संबंध में भी 0-3 किमी की लीड रेंज के लिए कोयला परिवहन शुल्क ले रही है। हालांकि, एनटीपीसी के कुछ क्षेत्रों ने एफएसए क्लॉज की दलील लेते हुए 0-3 किलोमीटर की लीड रेंज के लिए परिवहन शुल्क के दावों पर विवाद किया है। विवाद के समाधान के लिए मामले को सीआईएल द्वारा उठाया गया है।	इस मामले को सीआईएल द्वारा अनुषंगियों के बीच विवाद के समाधान के लिए उठाया जाता है।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
	वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारे द्वारा किए गए कार्यों और रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं है। अन्य लेखा परीक्षकों और दूरस्थ लेखा परीक्षा।	यह तथ्य का बयान है।
	वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी	
	कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है)। इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद बोर्ड की रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। . जब हम बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ते हैं, अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन के आरोपित लोगों तक पहुंचाना होगा।	यह तथ्य का बयान है।
	इंड- एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां और उन पर शासन का आरोप लगाया गया है	
	कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कुल व्यापक आय, कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सहित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित प्रासंगिक नियमों के साथ उसके तहत जारी किए गए। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं , चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण। वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल या तो इसका इरादा नहीं रखता है कंपनी का परिसमापन या परिचालन बंद करना, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।	यह तथ्य का बयान है।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
	वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व	
	हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है। एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी: वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है। परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है। उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें। लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त	यह तथ्य का बयान है।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
	हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं। हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार किए जा सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।	यह तथ्य का बयान है।
	अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट	
1.	कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, के लिए आवश्यक के रूप में 2016 ("आदेश") जारी द्वारा केन्द्रीय सरकार के भारत में मामले की धारा 143 (11) के अधिनियम, हम दे में "अनुबंध मैं", एक बयान पर मामले निर्दिष्ट में आदेश के पैरा 3 और 4।	यह तथ्य का बयान है।
2.	जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है , हम इस रिपोर्ट के "अनुलग्नक II" में, अनुबंध ए के निर्देशों पर एक बयान और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अनुपालन के बाद जारी किए गए अनुलग्नक बी में अतिरिक्त निर्देश देते हैं। लेखा परीक्षा के सुझाव पद्धति, कार्रवाई उस पर और उसके प्रभाव पर खातों और वित्तीय बयान की कंपनी।	यह तथ्य का बयान है।
3.	जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:	
ए.	हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे: हमारी लेखा परीक्षा;	यह तथ्य का बयान है।
बी.	हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है। और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट;	यह तथ्य का बयान है।
सी.	यूनिट लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत लेखापरीक्षित कंपनी की इकाइयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा ठीक से निपटाया गया है;	यह तथ्य का बयान है।
डी.	बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए खाते की संबंधित पुस्तकों के अनुरूप हैं। वित्तीय विवरण;	यह तथ्य का बयान है।
इ.	हमारी राय में, उक्त वित्तीय बयान भारतीय लेखा का अनुपालन मानकों निर्दिष्ट के तहत धारा 133 के अधिनियम को पढ़ने के साथ नियम कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के 7;	यह तथ्य का बयान है।
एफ.	कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05-06-2015 के अनुसरण में , अधिनियम की धारा 164 (2) से संबंधित निदेशकों की अयोग्यता, सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है;	यह तथ्य का बयान है।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
जी.	कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक III" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें जो हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और 19 इकाइयों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है कंपनी, उसमें बताए गए कारणों से;	यह तथ्य का बयान है।
एच.	कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05-06-2015 के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 से संबंधित प्रबंधकीय पारिश्रमिक, सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है;	यह तथ्य का बयान है।
i.	कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम: कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38 देखें; कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हुआ हो; iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।	यह तथ्य का बयान है।

अनुलग्नक 'I' स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए
का ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर भी तारीख

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित:		
i.	ए। कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।	यह तथ्य का बयान है।
	बी। जैसा कि हमें समझाया गया है, प्रबंधन द्वारा नियमित अंतराल पर अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी समीक्षा के आधार पर, वर्ष के दौरान भौतिक रूप से सत्यापित अचल संपत्तियों के संबंध में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई।	यह तथ्य का बयान है।
	सी। कंपनी द्वारा खरीदी अचल संपत्ति के संबंध में शीर्षक कर्मों कर रहे हैं आयोजित में नाम की कंपनी और स्वामित्व अचल संपत्ति कोयला खान के तहत हासिल कर ली के लिए दस्तावेजों राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973, भूमि असर अधिग्रहण (ए एंड डी) अधिनियम, 1957, का सीधा हस्तांतरण सरकार भूमि और वन भूमि अधिग्रहण के तहत वन अधिनियम रहे हैं आयोजित में नाम की कंपनी को छोड़कर कि संकलन और देश के 720.00 हेक्टेयर के संबंध में दस्तावेज / कर्मों का मेल-मिलाप में है प्रगति।	संकलन और सुलह भूमि के 720 हेक्टेयर के संबंध में दस्तावेज / कर्मों का प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से हासिल कार्य प्रगति पर है, दस्तावेजों की आगे डिजिटलीकरण / अचल संपत्ति के कामों एक सतत प्रक्रिया है और यह है की गई किया में उपलब्ध के संबंध रिकार्ड / दस्तावेजों।
ii.	होल्डिंग कंपनी यानी कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा कोयले के साल के अंत के स्टॉक को स्वतंत्र रूप से भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। भंडारों का भौतिक सत्यापन आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की टीम द्वारा किया गया। कंपनी के आकार के संबंध में स्टॉक के सत्यापन की आवृत्ति उचित और पर्याप्त है। बुक रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।	यह तथ्य का बयान है।
iii.	जानकारी और स्पष्टीकरण हमें और अनुसार रिकॉर्ड को देखते हुए के अनुसार जांच की द्वारा हमें, कंपनी है नहीं दी गई किसी भी ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित, कंपनियों, फर्मों, और सीमित देयता भागीदारी या अन्य करने के लिए पार्टियों को कवर में रजिस्टर बनाए रखा के तहत खंड 189 की अधिनियम। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (ए) से (सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की जाती है।	यह तथ्य का बयान है।
iv.	जानकारी और स्पष्टीकरण रिकॉर्ड के अनुसार हमें और के रूप में दिया के अनुसार जांच की द्वारा हमें, कंपनी है नहीं दर्ज की गई में किसी भी ऋण, निवेश, गारंटी देता है के संबंध में लेन-देन, और सुरक्षा अनुभाग के तहत कवर 185 और 186 कंपनी अधिनियम, 2013 तदनुसार , प्रावधानों के खंड 3 (iv) के आदेश हैं नहीं लागू करने के लिए कंपनी।	यह तथ्य का बयान है।
v.	कंपनी किसी भी जमा जनता से भारतीय रिजर्व बैंक और करने के लिए वर्गों 73 के प्रावधानों के द्वारा जारी किए गए निर्देशों को स्वीकार कर लिया है और इसलिए नहीं किया गया है 76 या अधिनियम और कंपनियों के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों (स्वीकृति की जमा) नियम, 2014 के रूप में संशोधन किया साथ जमा जनता से स्वीकार किए जाते हैं के संबंध में नहीं हैं लागू हो।	यह तथ्य का बयान है।
vi.	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 (1) के अंतर्गत लागत अभिलेख एवं लेखे निर्धारित किए गए हैं। कहा लेखा तथा रेकॉर्ड्स कंपनी द्वारा बनाए रखा गया है। तथापि, जैसा कि आवश्यक नहीं है, हमने इन अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है।	यह तथ्य का बयान है।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
vii.	**ए.** हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और पर लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी आम तौर पर उपयुक्त अधिकारियों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर, और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि 31 मार्च, 2021 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी, सिवाय ₹ 0.48 की निर्विवाद राशि के। मुग्मा क्षेत्र और राजमहल क्षेत्र में क्रमशः करोड़ और ₹ 2.83 करोड़, 6 जुलाई, 2020 से 30 सितंबर, 2020 की अवधि से संबंधित कोविड -19 महामारी उपकर के कारण 31.03.2021 तक बकाया है, जिसे झारखंड सरकार द्वारा लगाया गया था। राजपत्र अधिसूचना संख्या 318, रांच दिनांक 6 जुलाई, 2020।	झारखंड खनिज भूमि (कोविड -19 महामारी) उपकर अध्यादेश, 2020 को राजपत्र अधिसूचना संख्या के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। 318, रांची दिनांक 06.07.2020। संयुक्त सचिव, सरकार द्वारा जारी एक पत्र दिनांक 29.09.2020। झारखंड के, सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड को संबोधित करते हुए निर्दिष्ट करता है कि झारखंड खनिज भूमि (कोविड -19 महामारी उपकर) नियम, 2020 11.09.2020 से प्रभावी है। तदनुसार पत्र के आधार पर अक्टूबर, 2020 से कोविड उपकर का भुगतान किया गया। लेकिन कोयला ग्राहक/उपभोक्ता से कोविड उपकर की वसूली दिनांक 06.07.2020 से की गई। विभाग से स्पष्टीकरण की कमी के कारण राजमहल क्षेत्र के संबंध में ₹ 2.83 करोड़ की राशि और रु। 06.07.2020 से 30.09.2020 तक की अवधि के लिए मुगमा क्षेत्र के संबंध में 0.48 करोड़ बकाया है।
	बी. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, शामिल राशि और फोरम जहां आयकर/बिक्री कर/धन कर/सेवा कर/सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/ किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया मूल्य वर्धित कर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 1 में दिया गया है।	यह तथ्य का बयान है।
viii.	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने बैंक, वित्तीय संस्थान या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (viii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह तथ्य का बयान है।
ix.	निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया था।	यह तथ्य का बयान है।
x.	निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी या कंपनी द्वारा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।	यह तथ्य का बयान है।
xi.	अधिसूचना संख्या के अनुसार। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 , धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (xi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।	यह तथ्य का बयान है।
xii.	निधि कंपनी के संबंध में आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की जाती है।	यह तथ्य का बयान है।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
xiii.	निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और वित्तीय विवरणों में विवरण का खुलासा किया गया है जैसा कि लागू द्वारा आवश्यक है लेखांकन मानक।	यह तथ्य का बयान है।
xiv.	की गई ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह तथ्य का बयान है।
xv.	की गई ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह तथ्य का बयान है।
xvi.	कंपनी अनुभाग रिजर्व के 45 आइए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है बैंक के भारत अधिनियम, 1934 और उसके अनुसार, प्रावधानों के आदेश के खंड 3 (xvi) पर लागू नहीं हैं कंपनी।	यह तथ्य का बयान है।

परिशिष्ट 1

विवादित बकाया जो जमा नहीं किया गया है

क्रम सं.	अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय/ श्रम आयुक्त का नाम और पता / मध्यस्थता पैनल	विचाराधीन राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	नि.व. 1993-94 और नि.व. 2010-11 से नि.व. 2017-18	सीआईटी (ए), आसनसोल	1,031.79	236.89	यह तथ्य का बयान है। हालांकि, इन विवादित देय राशियों को आकस्मिक देयता (दावा) में शामिल किया गया है के खिलाफ कंपनी को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया) खंड संख्या के तहत खातों के लिए अतिरिक्त नोट्स में दिखाया गया है। 4. अपरिचित आइटम।
2	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	नि.व. 2010-11 और निर्धारण वर्ष 2011-12	यह पर	1.66	0.00	
3	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	नि.व. 2003-04 से नि.व. 2006-07	माननीय उच्च न्याया-लय, कोलकाता	287.14	0.14	
4	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्कक-र्तव्य	अप्रैल, 2014 से मार्च, 2016	सीसीई, बोलपुर	0.58	0.02	
5	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	मार्च, 2011 से जून, 2017	सेस्टेट, कोलकाता	874.25	47.95	
6	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	वित्तीय वर्ष 2014-15 और वित्तीय वर्ष 2015-16	ओ/ओ प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रांची (सीएजी)	5.17	0.00	
7	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2015-16	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील), रांची	0.61	0.02	
8	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 1999-00 और वित्तीय वर्ष 2001-02	एसीसीटी, देवघर	0.31	0.00	यह तथ्य का बयान है। हालांकि, इन विवादित देय राशि दल में शामिल किए गए देनदारि-यों - ity कोई खंड के तहत खातों के लिए अतिरिक्त नोट्स में दिखाया गया है (ऋण के रूप में नहीं स्वीकार किया कंपनी के खिलाफ दावा नहीं)। 4. गैर-मान्यता प्राप्त आइटम।
9	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 1989-90 से वित्तीय वर्ष 1995-96	माननीय उच्च न्याया-लय, कोलकाता	30.87	10.53	
10	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2017-18	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपीलीय एवं संशोधन बोर्ड, कोलकाता	1.96	0.20	
11	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2001-02, वित्तीय वर्ष 2004-05, वित्तीय वर्ष 2006-07 से वित्तीय वर्ष 2008-09	सीसीटी, रांची	2.70	0.74	
12	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	अप्रैल, 2006 से मई, 2013 और वित्तीय वर्ष 2013-14	वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, रांची	6.60	2.03	
13	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2011-12 और वित्तीय वर्ष 2012-13	डीसीसीटी, देवघर	3.62	0.03	
14	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2015-16	डीसीसीटी, गोड्डा	41.55	1.36	

क्रम सं.	अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय/ श्रम आयुक्त का नाम और पता / मध्यस्थता पैनल	विचाराधीन राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	
15	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 1978-79, वित्त वर्ष 1979-80, वित्तीय वर्ष 1990-91, वित्तीय वर्ष 1992-93 से वित्तीय वर्ष 1995-96, वित्तीय वर्ष 1999-00, वित्तीय वर्ष 2000-01, वित्तीय वर्ष 2002-03, वित्तीय वर्ष 2007-08 और वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2012-13	जेसीसीटी (अपील), धनबाद	11.78	0.31	
16	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2003-04, वित्तीय वर्ष 2009-10, वित्तीय वर्ष 2014-15 और वित्तीय वर्ष 2015-16	जेसीसीटी (अपील), दुमका	15.62	0.91	यह तथ्य का बयान है। हालांकि, इन विवादित देय राशि दल में शामिल किए गए देनदारि-
17	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2000-01	जेसीसीटी, दुमका	0.13	0.00	यों - ity कोई खंड
18	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 1990-91, वित्तीय वर्ष 1992-93, वित्तीय वर्ष 2003-04, वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2010-11, वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल	42.00	3.48	के तहत खातों के लिए अतिरिक्त नोट्स में दिखाया गया है (ऋण के रूप में नहीं स्वीकार किया कंपनी के खिलाफ दावा नहीं)। 4. गैर-मान्यता
19	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2002-03	ट्रिब्यूनल कोर्ट, रांची	1.39	0.00	प्राप्त आइटम।
20	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्त वर्ष 2004-05 से 2007-08	आयुक्त वाणिज्यिक कर, रांची	8.12	0.00	
21	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	जेवीएटी	वित्तीय वर्ष 1989-90 से वित्तीय वर्ष 1995-96	माननीय उच्च न्याया- लय, कोलकाता	1.54	0.00	
22	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	जेवीएटी	वित्तीय वर्ष 1997-98 से वित्तीय वर्ष 2001-02	एसीसीटी, देवघर	0.59	0.00	
23	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	जेवीएटी	वित्तीय वर्ष 2004-05 और वित्तीय वर्ष 2006-07 से वित्तीय वर्ष 2008-09	सीसीटी, रांची	1.15	0.23	
24	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	जेवीएटी	वित्तीय वर्ष 2012-13	डीसीसीटी, देवघर	0.32	0.00	
25	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	जेवीएटी	वित्तीय वर्ष 2016-17	डीसीसीटी, गोड्डा	2.49	0.00	
26	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	जेवीएटी	वित्तीय वर्ष 1978-79, वित्त वर्ष 1979-80, वित्तीय वर्ष 1990-91, वित्तीय वर्ष 1992-93 से वित्तीय वर्ष 1996-97, वित्तीय वर्ष 1999-00, वित्तीय वर्ष 2000-01, वित्तीय वर्ष 2002-03, वित्तीय वर्ष 2009-10, वित्तीय वर्ष 2011-12 और वित्तीय वर्ष 2012-13	जेसीसीटी (अपील), धनबाद	5.66	0.27	यह तथ्य का बयान है। हालांकि, इन विवादित देय राशि दल में शामिल किए गए दे- नदारियों - ity कोई खंड के तहत खातों के लिए अतिरिक्त नोट्स में दिखाया गया है (ऋण के रूप में नहीं स्वीकार किया कंपनी के खिलाफ दावा नहीं)। 4. गैर-मान्यता प्राप्त आइटम।

क्रम सं.	अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय/ श्रम आयुक्त का नाम और पता / मध्यस्थता पैनल	विचाराधीन राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	
27	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	जेवीएटी	वित्तीय वर्ष 2003-04, वित्तीय वर्ष 2009-10, वित्तीय वर्ष 2014-15	जेसीसीटी (अपील), दुमका	11.06	2.79	
28	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	जेवीएटी	वित्तीय वर्ष 2000-01	जेसीसीटी, दुमका	0.01	0.00	
29	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	जेवीएटी	वित्तीय वर्ष 1990-91, वित्तीय वर्ष 1992-93, वित्तीय वर्ष 2003-04, वित्तीय वर्ष 2006-07, से वित्तीय वर्ष 2008-09 और वित्तीय वर्ष2016-17	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल	5.18	0.70	
30	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	जेवीएटी	वित्तीय वर्ष 2002-03	ट्रिब्यूनल कोर्ट, रांची	0.23	0.00	
31	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	पश्चिम बंगाल वैट	वित्त वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2017-18	पश्चिम बंगाल वाणि-ज्यिक कर अपीलीय एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता	1.25	0.08	
32	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	पश्चिम बंगाल वैट	वित्तीय वर्ष 2012-13 और वित्तीय वर्ष 2013-14	पश्चिम बंगाल कराधान ट्रिब्यूनल, कोलकाता	15.37	0.00	
33	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	मई, 1973 से दिसंबर, 1997, वित्तीय वर्ष 1990-91, वित्तीय वर्ष 2007-08 और वित्तीय वर्ष2008-09	प्रमाणपत्र अधिकारी-अधिकारी, दुमका	1.32	0.52	यह तथ्य का बयान है। हालांकि, इन विवादित देय राशियों को आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है (कंपनी के खिलाफ दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है) खंड संख्या के तहत खातों के अतिरिक्त नोट्स में दिखाया गया है। 4. गैर-मान्यता प्राप्त आइटम।
34	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	सितंबर, 2003 और वित्तीय वर्ष 2005-06	डीसी, देवघर	0.76	0.00	
35	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	वित्तीय वर्ष 1999-00	जिला खनन अधिकारी	0.40	0.00	
36	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	वित्तीय वर्ष 2008-09 और वित्तीय वर्ष 2009-10	जिला खनन पदाधि-कारी, गोड्डा	0.09	0.00	
37	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	वित्तीय वर्ष 1997-98 और 24.09.03 से 31.12.05	माननीय उच्च न्यायालय, रांची	40.76	0.00	
38	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	से 24-09-2003 से 31-12-2005	माननीय उच्च न्यायालय, रांची - स्थगन के तहत	0.17	0.00	

क्रम सं.	अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय/ श्रम आयुक्त का नाम और पता / मध्यस्थता पैनल	विचाराधीन राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	
39	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	F.Y. 2011-12	जिला कलेक्टर, गोड्डा	17.57	3.37	
40	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	अप्रैल, 1986; फ़रवरी, 1991; अप्रैल, 1994; मार्च, 1996 और सितंबर, 2003	माननीय सुप्रीम कोर्ट	5.92	0.00	
41	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	वातावरण	वित्त वर्ष 2000-01 से वित्त वर्ष 2009-10	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली	2,178.14	0.00	
42	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल मुख्य शिक्षा उपकर	वित्त वर्ष 2002-03 से वित्तीय वर्ष 2005-06, वित्तीय वर्ष 2007-08 और वित्तीय वर्ष 2008-09	Spl। आयोग- एर , बेलियाघाटा , कोलकाता	18.05	0.00	यह एक बयान है के तथ्य यह है। तथापि, ये विवादित बकाया शामिल हैं आक- स्मिक देयता में - ity (के खिलाफ दावा कंपनी नहीं के रूप में स्वीकार किया ऋण) में दिखाया गया है अतिरिक्त नोट्स के तहत खातों में खंड नहीं । 4. अन- मान्यता प्राप्त आइटम।
43	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल मुख्य शिक्षा उपकर	वित्त वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2016-17	वरिष्ठ संयुक्त आयोग - सायनर , आसनसोल	135.26	0.00	
44	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल मुख्य शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 1997-98 से वित्तीय वर्ष 2001-02	डब्ल्यूबी कराधान त्रि- बनल , कोलकाता	113.55	0.00	
45	पश्चिम बंगाल ग्रामीण ईएम - रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण एम - रोजगार उपकर	वित्त वर्ष 2002-03 से वित्तीय वर्ष 2005-06, वित्तीय वर्ष 2007-08 और वित्तीय वर्ष 2008-09	विशेष आयोग- एर, बेलियाघाटा , कोलकाता	72.19	0.00	
46	पश्चिम बंगाल ग्रामीण ईएम - रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण एम - रोजगार उपकर	वित्त वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2016-17	वरिष्ठ संयुक्त आयोग - सायनर , आसनसोल	613.34	0.00	
47	पश्चिम बंगाल ग्रामीण ईएम - रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण एम - रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 1997-98 to वित्तीय वर्ष 2001-02	डब्ल्यूबी कराधान त्रि- बनल , कोलकाता	306.16	0.00	
		कुल			**5,916.36**	**312.59**	

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिर्पोट का अनुबंध 'II'

के समाप्त वर्ष 31 वें मार्च, 2021 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर भी तारीख

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की सम तारीख की हमारी रिपोर्ट की 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित:

अनुबंध 'ए' - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	हां, रेल ग्राहक से प्राप्त अग्रिम के सब-लेजर के रखरखाव के अधीन (बैलेंस शीट की तारीख 465.37 करोड़ रुपये की शेष राशि) मैन्युअल रूप से ईसीएल बिक्री कार्यालय में।	यह है एक बयान के तथ्य यह है। हालांकि एसएपी के लागू होने पर ईआरपी ऑटोमेशन होगा।
2.	चाहे वहाँ एक मौजूदा ऋण या छूट / राइट-ऑफ ऋण / ऋण / ब्याज आदि के के मामलों में से किसी पुनर्गठन है बनाया द्वारा एक ऋणदाता के लिए कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं है।	यह तथ्य का बयान है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/ उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हां, केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था।	यह तथ्य का बयान है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'II'

के समाप्त वर्ष 31 वें मार्च, 2021 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर भी तारीख

अतिरिक्त - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के ऑडिट के लिए नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों को निर्देश :

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन उत्तर
1.	क्या कोयले के स्टॉक की माप कंटूर मैप को ध्यान में रखकर की गई थी। क्या भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्रों के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान सृजित नए ढेर, यदि कोई हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था ?	कंटूर मैप को ध्यान में रखते हुए कोल स्टॉक का मापन किया गया। भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट समोच्च मानचित्रों के साथ हैं। वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।	यह तथ्य का बयान है।
2.	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/विभाजन/पुनर्गठन के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं है।	यह तथ्य का बयान है।
3.	क्या प्रत्येक खान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खाते सीआईएल या इसकी सहायक कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही, खाते की निधि के उपयोग की जांच करें।	हां, प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खाते बनाए गए हैं। इसके अलावा, रु. वर्ष के दौरान इन एस्क्रो खातों से 32.52 करोड़ की निधि का उपयोग किया गया।	यह तथ्य का बयान है।
4.	क्या अवैध खनन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए दंड के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है और इसका हिसाब लगाया गया है ?	रुपये का डिमांड नोटिस है। 2178.14 करोड़ अधिकतम उत्पादन से अधिक कोयला उत्पादन के लिए झारखंड सरकार से क्षमता में सम्मान के राजमहल , मुग्मा और सपा खान क्षेत्रों जो आकस्मिक दायित्व के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, कोयला मंत्रालय ने उक्त मांग नोटिस के निष्पादन पर रोक लगा दी है।	यह तथ्य का बयान है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'III'

का ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर भी तारीख

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
1.	हमने 31 मार्च, 2021 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया है ।	यह तथ्य का बयान है।
आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी		
2.	कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की। इन जिम्मेदारियों में शामिल डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है कि अपने व्यापार के अर्दली और कुशल संचालन सुनिश्चित करने, कंपनी की नीतियों के पालन सहित के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, सुरक्षा अपनी संपत्ति की, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी ।	यह तथ्य का बयान है।
लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी		
3.	हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हम अपने आयोजित लेखा परीक्षा में अनुसार साथ गाइडेंस नोट पर लेखा परीक्षा की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से अधिक वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शक टिप्पणी") और लेखा परीक्षा पर मानक, आईसीएआई द्वारा जारी और धारा के तहत निर्धारित किया जा समझा 143 (10) कंपनी अधिनियम की , 2013 हद तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का एक लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के एक लेखा परीक्षा करने के लिए दोनों लागू करने के लिए लागू करने के लिए और, दोनों जारी द्वारा संस्थान के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की भारत। उन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी की आवश्यकता है कि हम साथ पालन नैतिक आवश्यकताओं और योजना और प्रदर्शन लेखा परीक्षा करने के लिए प्राप्त करने के लिए उचित है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा और अगर इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री में प्रभावी ढंग से संचालित आश्वासन का सम्मान करता है। हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं । हमारे लेखा परीक्षा की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के शामिल से अधिक वित्तीय रिपोर्टिंग, का आकलन जोखिम है कि एक सामग्री कमजोरी मौजूद है, और परीक्षण और डिजाइन का मूल्यांकन करने और ऑपरेटिंग आंतरिक की प्रभावशीलता नियंत्रण आधारित पर आकलित जोखिम। प्रक्रियाओं चयनित पर निर्भर लेखा परीक्षक के निर्णय, सहित मूल्यांकन के जोखिम की वित्तीय वक्तव्यों की सामग्री ग़लत है, चाहे कारण धोखाधड़ी या करने के लिए त्रुटि। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित हैं, कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर।	यह तथ्य का बयान है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ		
4	वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया तैयार किया गया है करने के लिए प्रदान करते हैं उचित आश्वासन के बारे में विश्वसनीयता की वित्तीय रिपोर्टिंग और आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो: संबंधित करने के लिए रखरखाव का रिकॉर्ड है कि, में उचित विस्तार, सही ढंग से और काफी प्रतिबिंबित लेनदेन और स्वभाव की संपत्ति की कंपनी, उचित आश्वासन दिया है कि लेन-देन की धारा के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया जाता है प्रदान करें 133 अधिनियम की, और रसीद कि और व्यय की कंपनी कर रहे हैं किया जा रहा बनाया केवल में प्रबंधन और निर्देशकों के प्राधिकरण के अनुसार कम्पनी का; तथा कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।	यह तथ्य का बयान है।
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं		
5	क्योंकि के निहित सीमाओं की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से अधिक वित्तीय रिपोर्टिंग, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है का नियंत्रण, सामग्री गलत विवरण वजह से करने के लिए त्रुटि या धोखाधड़ी सकता है पाए जाते हैं और नहीं पता लगाया जा। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।	यह तथ्य का बयान है।
राय		
6	हमारी राय में, कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जो स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित था। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा।	यह तथ्य का बयान है।
अन्य मामलों		
	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट , जहां तक यह कंपनी की 19 इकाइयों से संबंधित है, के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है। ऐसी इकाइयाँ।	यह तथ्य का बयान है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि: 22 nd जुलाई, 2021
udin: 21066421AAAAKX1190

लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 28 वें मई, 2021 है की गई संशोधित अनुसार करने के लिए टिप्पणियों के नियंत्रक और लेखा परीक्षक भारतीय साधारण धारा के तहत 143 (6) (क) कंपनी अधिनियम, के 2013 मामले के संबंध में पैरा के तहत के साथ निपटा (ii) वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में मामलों पर जोर देने और अन्य मामलों के पैरा (i) से (iii) के तहत।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
पुराना निजाम महल, 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड,
कोलकाता – 700020
OLD NIZAM PALACE, 234/4, A. J. C. BOSE ROAD,
KOLKATA-700020

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सं.85/डीजीए(सी)/ कोल / एलए- I/लेखा/ईसीएल/2020-21/2021-22

गुप्त

प्रति
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
Sanctoria, पीओ Dishergarh,
जिला- पश्चिम बर्दवान
पश्चिम बंगाल।

उप: : टिप्पणियाँ की नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जनरल की भारत के तहत धारा 143 (6) (ख) कंपनियों ' अधिनियम, 2013 पर वित्तीय बयान की ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड वर्ष के लिए समाप्त हो गया 31 मार्च, 2021।

महोदय,

मैं इसके साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को धारा 143(6)(बी) के तहत अग्रेषित करता हूं। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती दें।

आपका विश्वासी,

संलग्नक: जैसा कहा गया है।

(मौसुमी रे भट्टाचार्य)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता,
दिनांक: 04 अगस्त, 2021

भारत धारा 143 (6 द नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी) (ख) के कंपनियों अधिनियम, 2013 पर वित्तीय कथन के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए समाप्त वर्ष 31 मार्च 2021

वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी को समाप्त 31 मार्च, 2021 के अनुसार के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे निर्धारित तहत कंपनियों अधिनियम, 2013 है कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सांविधिक लेखा परीक्षक / धारा के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों 139 अधिनियम के (5) वित्तीय पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है के तहत बयान खंड 143 के अधिनियम के आधार पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा में अनुसार साथ मानकों पर लेखा परीक्षा निर्धारित अधिनियम की धारा 143(10) के तहत। यह उनके द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2021 की अपनी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है, जो उनकी 28 मई, 2021 की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से , अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा की है । यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा परीक्षा तक सीमित है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट को वैधानिक द्वारा संशोधित किया गया है अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई मेरी कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए लेखापरीक्षक

इसके अलावा, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों (ख) को उजागर करना चाहते हैं जो है आने के लिए मेरे ध्यान और जो में मेरी दृश्य हैं आवश्यक के लिए सक्षम करने के लिए एक बेहतर समझ के वित्तीय बयान और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट good:

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

बैलेंस शीट

एसेट्स

वर्तमान संपत्ति

व्यापार प्राप्य (नोट -13): ₹ 74,423.53 करोड़

इसके बाद के संस्करण भी शामिल है एक राशि के 132 30 करोड़ प्राप्य से एनटीपीसी के लिए अवधि से सितंबर 2017 करने के लिए 02 अगस्त, 2020 पर खाते की सतह परिवहन प्रभार (एसटीसी) के लिए आपूर्ति की कोयला के लिए एक नेतृत्व दूरी के 0-3 किलोमीटर।

Pnor सितंबर तक 2017, एनटीपीसी के साथ समझौते की अनुमति देता है चार्ज करने के लिए एसटीसी एनटीपीसी एक में स्थित संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए दूरी के परे 3 किलोमीटर । हालांकि, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सितंबर 2017 से 0-3 किलोमीटर के लिए एकतरफा एसटीसी लगाना शुरू कर दिया ।

0-3 किलोमीटर की दूरी के लिए एसटीसी चार्ज करने के लिए केवल अगस्त 2020 में एनटीपीसी के साथ एक समझौता किया गया था जिसमें कहा गया है कि संशोधन ली पर हस्ताक्षर करने की तारीख से लागू होगा। अगस्त 2020। एनटीपीसी ने अगस्त 2020 से पहले की अवधि से संबंधित 0-3 किलोमीटर के दावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया ।

किसी भी समझौते के अभाव में, 0-3 किलोमीटर के लिए एसटीसी चार्ज करने के लिए , सितंबर 2017 और 02 अगस्त, 2020 के बीच की अवधि के लिए ₹ 132.30 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत दूर है और उपयुक्त प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, गैर निर्माण के प्रावधानों, परिणामस्वरूप में overstatement का व्यापार प्राप्तियों (नहीं की भत्ते के लिए है कि हद तक वर्ष के लिए और मुनाफे बुरा और संदिग्ध ऋण)। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट भी उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के
लिए और उनकी ओर से

(मौसुमी रे भट्टाचार्य)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता,
दिनांक: 04 अगस्त 2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
तैयारी के वित्तीय बयान की पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए साल समाप्त हो गया 31 मार्च 2021 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित के अनुसार, 2013 कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सांविधिक लेखा परीक्षक / लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की द्वारा नियंत्रक और लेखा परीक्षक जनरल की भारत के तहत खंड 139 (5) के अधिनियम धारा के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है 143 अधिनियम के आधार पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा में अनुसार साथ मानकों पर लेखा परीक्षा निर्धारित अधिनियम की धारा 143(10) के तहत। इससे उन्हें ख़बरदार द्वारा अपने संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 22 किया गया है करने के लिए कहा गया है 22 जुलाई, 2021 जो उनके पहले के लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 28 प्रतिस्थापित करता है मई, 2021। मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ओर से एक अनुपूरक लेखापरीक्षा का आयोजन किया है की वित्तीय बयान की पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए साल समाप्त हो गया 31 मार्च, 2021 के तहत धारा 143 (6) (क) के अधिनियम। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा है दिया जाता बाहर सांविधिक लेखा परीक्षकों की कार्य-पत्रों के लिए उपयोग के बिना स्वतंत्र रूप से और मुख्य रूप से पूछताछ के लिए सीमित है की सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों और एक चयनात्मक परीक्षा की लेखा अभिलेखों हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई मेरी कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया है।	यह तथ्य का बयान है।
इसके अलावा, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं। रिपोर्ट : **वित्तीय स्थिति बैलेंस** **शीट पर टिप्पणियाँ** **संपत्ति** **वर्तमान संपत्ति** **व्यापार प्राप्य (नोट 13): ₹ 4,423.53 करोड़** इसके बाद के संस्करण की राशि भी शामिल है ₹ 132.30 करोड़ 02 करने के लिए 2017 सितंबर से अवधि के लिए एनटीपीसी से प्राप्य nd 0-3 की बढ़त दूरी के लिए कोयला की आपूर्ति के लिए भूतल परिवहन प्रभार (एसटीसी) के कारण अगस्त 2020 किलोमीटर। पहले करने के लिए सितंबर 2017, समझौते के साथ एनटीपीसी, की अनुमति देता है के लिए चार्ज एसटीसी के लिए आपूर्ति की कोयला करने के लिए एनटीपीसी 3 परे की दूरी पर स्थित संयंत्रों किलोमीटर। हालांकि, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सितंबर 2017 से 0-3 किलोमीटर के लिए एकतरफा एसटीसी लगाना शुरू कर दिया। चार्ज करने के लिए एक समझौते पर एसटीसी दूरी के लिए 0-3 किलोमीटर केवल अगस्त में एनटीपीसी के साथ में प्रवेश किया था 2020 जो कहा गया है कि संशोधन करेगा होना लागू से तारीख की हस्ताक्षर करने अर्थात अगस्त, 2020 एनटीपीसी 0-3 के दावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया किलोमीटर संबंधित अगस्त 2020 से पहले की अवधि के लिए। में अनुपस्थिति के किसी भी समझौते, के लिए चार्ज की एसटीसी के लिए 0-3 किलोमीटर , के लिए अवधि के बीच सितंबर 2017 और 02 अगस्त, 2020 संभावना की वसूली की ₹ 132.30 करोड़ है बहुत दूरदराज के और उपयुक्त प्रावधान करना चाहिए है किया गया बनाया। इस प्रकार, गैर निर्माण के प्रावधानों, परिणामस्वरूप में व्यापार प्राप्तियों कि हद तक वर्ष के लिए और मुनाफे (बुरा और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते का शुद्ध) की अतिकथन। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट भी उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।	गैर-भूतल परिवहन शुल्क की एक निश्चित अवधि के लिए सभी उपभोक्ताओं के बीच एक पक्ष द्वारा 0-3 किमी के लिए भुगतान की बात पहले से ही है निर्दिष्ट किया गया करने के लिए प्रशासनिक तंत्र सीपीएसई विवादों का समाधान के लिए (एएमआरसीडी)। प्रबंधन एएमआरसीडी से एक अनुकूल परिणाम की उम्मीद है और इसलिए, किसी को अनुमान नहीं क्रेडिट घटाने के दौरान पहचाना गया है साल।

वार्षिक लेखा 2020-21

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
परिसंपत्तियां			
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	3,572.54	3,168.82
(ख) पंजीगत कार्य प्रगति पर है	4	587.28	473.31
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	655.46	615.75
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	6	2.78	-
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i. निवेश	7	0.08	0.08
ii. ऋण	8	0.02	0.05
iii. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	699.64	633.09
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	36	513.58	359.13
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	10	759.92	665.13
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां (क)		**6,791.30**	**5,915.36**
वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) सूची (इन्वेंटरी)	12	810.36	502.76
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i. निवेश	7	-	-
ii. व्यापार प्राप्तियां	13	4,423.53	3,316.46
iii. नकदी और नकदी समतुल्य	14	945.16	93.28
iv. अन्य बैंक जमा शेष	15	566.50	3,873.27
v. ऋण	8	-	-
vi. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	33.49	267.07
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		1,308.25	1,197.05
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	11	622.06	803.33
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां (ख)		**8,709.35**	**10,053.22**
कुल परिसंपत्तियां (क+ख)		**15,500.65**	**15,968.58**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पंजी	16	2,218.45	2,218.45
(ख) अन्य इक्विटी	17	(1,329.63)	(335.57)
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए उत्तरदायी इक्विटी		**888.82**	**1,882.88**
कुल इक्विटी (क)		**888.82**	**1,882.88**
देयताएं			
गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
i. उधारियां	18	2,091.68	1,959.81
ii. अन्य वित्तीय देयताएं	20	92.93	95.84
(ख) प्राव धान	21	4,311.62	3,700.76
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	22	3.98	2.78
कुल गैर-वर्तमान देयताएं (ख)		**6,500.21**	**5,759.19**

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (निरंतर)

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

	टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
i. उधारियां	18	0.12	368.16
ii. व्यापार प्राप्ति	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		0.97	2.17
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया देय राशि		1,027.76	1,179.73
iii. अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,603.89	1,657.03
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	23	4,246.12	3,901.17
(ग) प्रावधान	21	1,232.76	1,218.25
(घ) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)		-	-
कुल वर्तमान देयताएं (ग)		**8,111.62**	**8,326.51**
कुल इक्विटी और देयताएं (क+ख+ग)		**15,500.65**	**15,968.58**
कॉर्पोरेट सुचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2		
अतिरिक्त लेख पर टिपण्णीयाँ	38		
संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।			

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(एस.के. सोमानी)
विभागाध्यक्ष (वित्त)

गौतम चंद्र डे
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-08725907

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07379202

रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302082E
सीए. राकेश कुमार सिंह
साझीदार
एम. सं. 066421

दिनांक: 28-05-2021
स्थान: सांकतोड़िया/ कोलकाता

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (निरंतर)

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
	परिचालनों से प्राप्त आय			
क.	बिक्री (शुद्ध/ नेट)	24	10,256.39	12,823.74
ख.	अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध/ नेट)	24	461.76	514.69
(I)	**परिचालनों से प्राप्त आय (क+ख)**		**10,718.15**	**13,338.43**
(II)	अन्य आय	25	388.03	629.91
(III)	**कुल आय (I + II)**		**11,106.18**	**13,968.34**
	खर्चे			
	खपत सामग्री की लागत	26	720.07	681.90
	तैयार माल की सूची / जारी कार्य और बिक्री के लि ए स्टॉ क में परिवर्तन	27	(300.71)	(86.86)
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	7,817.46	7,675.32
	बिजली खर्च		444.71	445.78
	कॉर्पो रेट सामाजि क उत्तरदायि त्व व्यय	29	11.56	11.48
	मरम्मत	30	117.33	134.43
	संवि दात्मक व्यय	31	1,941.23	1,974.85
	वित्त लागत	32	193.80	178.21
	मूल्यह्रास/परिशोधन	3,4,5,6	493.85	434.35
	प्रावधान	33	27.89	95.53
	बट्टे खाते में	34	-	-
	अन्य खर्चे	35	544.98	635.08
	स्ट्रिपि ंग गतिविधि समायोजन		1.27	286.92
(IV)	**कुल खर्चे**		**12,013.44**	**12,466.99**
(V)	**असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III-IV)**		**(907.26)**	**1,501.35**
(VI)	असाधारण मदें		-	-
(VII)	**कर से पहले लाभ (V - VI)**		**(907.26)**	**1,501.35**
(VIII)	**कर व्यय**	36		
	वर्तमान कर		6.77	414.35
	आस्थगित कर		(154.45)	89.35
	कुल कर व्यय (VIII)		(147.68)	503.70
(IX)	जारी संचालन अवधि के लिए लाभ (VII - VIII)		(759.58)	997.65
(X)	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
(XI)	बंद परिचालनों का कर व्यय		-	-
(XII)	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (X - XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यम ों के लाभ/ (हानि) में शेयर		-	-

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (निरंतर)

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
(XIV)	**वर्ष के लिए लाभ (IX + XII + XIII)**		**(759.58)**	**997.65**
	अन्य व्यापक आय	37		
	i. आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		(234.48)	(218.20)
	ii. लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गी कृतन किए जाने वाले आइटमों से संबंधित आय कर		-	(54.92)
	iii. आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गी कृत कि ए जाएंगे		-	-
	iv. लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गी कृत किए जाने वाले आइटमों से संबंधित आय कर		-	-
(XV)	**कुल अन्य व्यापक आय**		**(234.48)**	**(163.28)**
(XVI)	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV) (इस अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल)**		**(994.06)**	**834.37**
	प्रति इक्विटी शेयर आय (₹ में)			
	(अंकित मूल्य ₹ 1000 / - प्रति शेयर)			
	1. बेसिक		**(397.86)**	**394.24**
	2. डाइल्यूटेड		**(397.86)**	**394.24**
कॉर्पोरेट सुचना		1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ		2		
अतिरिक्त लेख पर टिपण्णीयाँ		38		
संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।				

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(एस.के. सोमानी)
विभागाध्यक्ष (वित्त)

गौतम चंद्र डे
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-08725907

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07379202

रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302082E
सीए. राकेश कुमार सिंह
साझीदार
एम. सं. 066421

दिनांक: 28-05-2021
स्थान: सांकतोड़िया/ कोलकाता

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

31.03.2021 कोवर्ष के समापन पर इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	01-04-2019 को वर्ष के समापन पर	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31-03-2020 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	01-04-2020 को वर्ष के समापन पर	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31-03-2021 को वर्ष के समापन पर जमाशेष
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 10390000 इक्विटी शेयर पूरी तरह नकद में भुगतान किया	1,039.00	-	1,039.00	1,039.00	-	1,039.00
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 11794500 इक्विटी शेयर पूरी तरह नकद में भुगतान किया	1,179.45	-	1,179.45	1,179.45	-	1,179.45
कुल	**2,218.45**	**-**	**2,218.45**	**2,218.45**	**-**	**2,218.45**

ख. **अन्य इक्विटी**

	इक्विटी शेयर पूंजी का अंश	पूंजी मोचन आरक्षित निधि	पूंजी रिजर्व	सतत विकास रिजर्व	सामान्य रिजर्व	अन्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आमदनी	कुल व्यापक आय
01.04.2019 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	855.61	-	-	-	832.71	-	(3,002.57)	144.31	(1,169.94)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	997.65	(163.28)	834.37
लाभांश (लाभांश कर सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत आय में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जनरल रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**-**	**(2,004.92)**	**(18.97)**	**(335.57)**
31.03.2020 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**-**	**(2,004.92)**	**(18.97)**	**(335.57)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	(759.58)	(234.48)	(994.06)
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत आय में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थानांतरण आय में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2021 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**-**	**(2,764.50)**	**(253.45)**	**(1,329.63)**

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(एस.के. सोमानी)
विभागाध्यक्ष (वित्त)

गौतम चंद्र डे
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-08725907

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07379202

रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302082E
सीए. राकेश कुमार सिंह
साझीदार
एम. सं. 066421

दिनांक: 28-05-2021
स्थान: सांकतोड़िया/ कोलकाता

नकदी प्रवाह स्थिति (प्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ में)

		31-03-2021 को वर्ष के समापन पर जमा शेष		31-03-2020 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	
क.	**संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**(994.06)**		**834.37**
	निम्नलिखित के लिए समायोजित				
	मूल्यह्रास और हानि	493.85		434.35	
	ब्याज आय	(99.85)		(377.27)	
	संपत्ति , संयंत्र और उपकरणों (नेट) की बिक्री पर लाभ	(0.55)		(3.25)	
	प्रावधान	27.89		95.53	
	प्रतिलिखित देयता	(112.56)		(179.42)	
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	1.27		286.92	
	बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	2.88		0.16	
	छूट का मोचन	190.92		178.05	
	विनिमय दर भिन्नता पर हानि / (लाभ)	(4.95)	498.90	13.04	448.11
	संचालन लाभ / (हानि) समायोजन से पहले वर्तमान / गैर के लिए वर्तमान संपत्ति और देनदारियां		**(495.15)**		**1,282.48**
	निम्नलिखित के लिए समायोजित				
	व्यापार प्राप्य	(1,107.07)		(1,694.54)	
	माल-सूची (इन्वेंटरी)	(307.60)		(83.16)	
	लघु / दीर्घकालीन देयता और प्रावधान	795.69		1,095.84	
	लघु / दीर्घकालिक ऋण / अग्रिम और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	85.89	(533.09)	(135.32)	(817.18)
	संचालन से उत्पन्न नकदी		**(1,028.24)**		**465.30**
	भुगतान किया गया आयकर		(98.00)		(1,110.00)
	संचालन गतिविधि यों से शुद्ध नकदी प्रवाह (I)		**(1,126.24)**		**(644.70)**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	अचल संपत्तियों की खरीद	(1,075.98)		(802.98)	
	अचल संपत्तियों के मूल्य में समायोजन	21.95		6.66	
	संपत्ति , संयंत्र और उपकरणों की बिक्री	0.55		3.25	
	सावधि जमा की कार्यवाही / (खरीद)	3,306.77		313.55	
	निवेश से संबंधित ब्याज	99.85	2,353.14	377.27	(102.25)
	शुद्ध नकदी प्रवाह (में प्रयुक्त)/निवेश गतिविधियों से उत्पन्न (II)		**2,353.14**		**(102.25)**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	लंबी अवधि के उधारों की चुकौती	(6.98)	(6.98)	(6.61)	(6.61)
	शुद्ध नकदी प्रवाह (में प्रयुक्त)/वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न (III)		**(6.98)**		**(6.61)**
	नकद और नकद समतुल्य (I + II + III) में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		**1,219.92**		**(753.56)**
	नकद और नकद समतुल्य (शुरुआती शेष राशि) (IV)	**(274.88)**		**478.68**	
	नकद और नकद समतुल्य (अंतिम शेष) (V)	**945.04**	**1,219.92**	**(274.88)**	**(753.56)**
	(कोष्ठक में सभी आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं)				

नकद प्रवाह विवरणी पर टिप्पणी:

(₹ करोड़ में)

		31.03.2021 को	31.03.2020 को
1.	**नकद और नकद समतुल्य**		
	हस्तगत नकद और बैंको में जमा शेष	502.86	15.79
	जोड़ें: अल्पकालिक निवेश	442.30	77.49
	घटा: बैंक ओवरड्राफ्ट	0.12	368.16
	नकद और नकद समकक्ष	945.04	(274.88)
	विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
	नकद और नकद समतुल्य जैसा कि पुनर्वर्णित है	**945.04**	**(274.88)**

2. वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल कर ₹ 98.00 करोड़ (₹ 1110.00 करोड़).
3. वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन :
   31-03-2021 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों और दयेताओं में बदलाव निम्नलिखित हैं

		31-03-2020 को	नकद प्रवाह	गैर नकद प्रवाह*	31-03-2020 को
	क. गैर-वर्तमान उधारियां [संदर्भ टिप्पणी संख्या - 18]	164.82	(6.95)	(4.78)	153.09
	ख. लंबी अवधि के ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं [संदर्भ टिप्पणी संख्या - 20]	7.16	(0.03)	(0.18)	6.95
	कुल	**171.98**	**(6.98)**	**(4.96)**	**160.04**

		31-03-2019 को	नकद प्रवाह	गैर नकद प्रवाह*	31-03-2020 को
	क. गैर-वर्तमान उधारियां [संदर्भ टिप्पणी संख्या - 18]	158.93	(6.62)	12.51	164.82
	ख. लंबी अवधि के ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं [संदर्भ टिप्पणी संख्या - 20]	6.62	0.01	0.53	7.16
	कुल	**165.55**	**(6.61)**	**13.04**	**171.98**

* विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण राशि शामिल है।

4. नकद और नकद समकक्षों में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं है जो कंपनी को इसके उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(एस.के. सोमानी)
विभागाध्यक्ष (वित्त)

गौतम चंद्र डे
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-08725907

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07379202

रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302082E
सीए. राकेश कुमार सिंह
साझीदार
एम. सं. 066421

दिनांक: 28-05-2021
स्थान: सांकतोड़िया/ कोलकाता

टिप्पणी 1 : कॉरपोरेट सूचना

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) 1 नवंबर 1975 को कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड का पुराना नाम) की पूर्वी डिवीजन में निहित परिसंपत्तियों और देयताओं को अधिग्रहण करके 100 % कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक अनुषंगी इकाई के रूप में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में गठित हुई। कंपनी मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है।

यह एक भारतीय कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय है - अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पोस्ट - दि शेरगढ़, जिला-पश्चिम बर्दवान, पिन- 713333।

टि प्पणी-2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

कंपनी के वित्तीय विवरणों को, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किया गया है।

निम्नलिखित को छोड़कर, वित्तीय विवरण मापन की ऐतिहासि क लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:-

- उचित मूल्य पर मापी गयी कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं दयेताएं (अनुच्छेद 2.15 में वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित लेखांकन नीति देखें) ;
- परिभाषित लाभ योजनाए- उचित मूल्य पर मापी गयी योजनागत परिसंपत्तियां;
- लागत पर संपत्ति सूचि या एनआरवी, जो भी कम हो (देखें लेखांकन नीति अनुच्छेद 2.21)।

2.1.1 राशियों को पूर्ण अंकों में दर्शाना

जब तक अन्यथा संकेत नहीं किया गया हो, इन वित्तीय विवरणों में राशियों को दशमलव के दो अंको तक "रुपये करोड़ में" पूर्ण अंकों में दर्शाया गया है।

2.2 वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन-पत्र में वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं दयेताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को वर्तमान तब माना जाता है जब –

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षा रखती हो अथवा उन्हें बेचने या इनका उपयोग करने की इच्छा रखती हो,

ख) कंपनी परिसंपत्ति यों को मूल रूप से व्या पार के उद्देश्य से रखती हो,

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर परिसंपत्ति की वसूली की अपेक्षा रखती हो, अथवा

घ) परिसंपत्ति नकद या एक नकद समतुल्य है (जैसा कि लेखा मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति को अदला-बदली (एक्स चेंज) किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किसी देनदारी/देयता को वर्तमान के रूप में तब माना जाता है जब-

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती हो;

ख) इसकी देयता मुख्य रूप से कारोबारी उद्देश्य के लिए हो;

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर बकाया देयता का निपटान किया जाना, अथवा

घ) कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को अस्वीकार करने का बिना शर्त अधिकार न हो। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, इक्विटी लिखत जारी करके इसके निपटान के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करती हों।

अन्य सभी दयेताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3.1 राजस्व की मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है, जिसका मुख्यालय सांकतोड़िया, प. बं., भारत में है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है। कंपनी ने साधारणतः यह निष्कर्ष निकाला है कि यह उसके राजस्व व्यवस्था का एक सिद्धांत है क्योंकि इससे ग्राहक को हस्तांतरित करने से पहले माल या सवेाओं को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त होता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

केवल निम्नलिखित सभी मानदंडों के पूरा होने पर ही कंपनी किसी ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी उत्तरदायी है:

क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी हो और अपने संबंधित दायित्वों को नि भाने के लिए प्रतिबद्ध हों;

ख) कंपनी द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान की जा सकती हो;

ग) कंपनी द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए भगुतान-शर्तों की पहचान की जा सकती हैं;

घ) अनुबंध में व्यावसायिक निहितार्थ (इस संविदा के परिणामस्व रूप जोखिम, समय या कंपनी के भावी नकदी प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होने की संभावना है) मौजूद हों, और

ङ) यह संभव है कि ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी विवेचना करे जिसका कि उसे अधिकार है। विचार राशि, जिसके लिए कि कंपनी को अधिकार है, अनुबंध में लिखित कीमत से कम या अधिक हो सकती है। विचार राशि में अंतर हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस आदि का प्रस्ताव दे सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक पाये जाते हैं तो कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक से संबंधित पक्षों) के साथ, एक ही समय में या उसके आसपास हुए दो या दो से अधिक अनुबंधों को एक साथ मिला सकती है और इस अनुबंध को एकल अनुबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है:

क) यदि इन अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में माना गया हो;

ख) यदि एक अनुबंध में भुगतान किए जाने वाली विचारित-राशि, अन्य अनुबंध के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर हो, या

ग) यदि अनुबंध में दी गयी वस्तुएं या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में दी गयी कुछ वस्तुएं या सेवाएं) एक एकल निष्पादन दायित्व से संबंधित हो।

अनुबंध संशोधन

यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां मौजूद रहती है तो कंपनी किसी अनुबंध को अलग-अलग अनुबंध के रूप में परिभाषित कर सकती है:

क) यदि दी गयी विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं में कुछ इजाफा होने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ जाय और

ख) यदि अनुबंध-मूल्य विचारित-राशि तक बढ़ जाता है, जिसे वस्तुओं एवं सेवाओं के अतिरिक्त कंपनी स्वचालित (स्टैंड-अलोन) बिक्री मूल्य और उस कीमत के किसी भी उपयुक्त समायोजन की परिस्थितियों लिए विशेष अनुबंध में दर्शाया गया है

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध के आरंभ में, कंपनी ग्राहक के साथ मिलकर अनुबंध में दी गयी वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को हस्तांतरण करने के लिए प्रत्येक वादा एक निष्पादन दायित्व के रूप में पहचान करती है या तो:

क) एक विशिष्ट वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का एक ही तरीका है।

चरण 3: लेनदेन मूल्य का निर्धारण

लेन-देन का मूल्य निर्धारित करने के लिए कंपनी अनुबंध की शर्तों और इसकी व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन की कीमत वह विचारित-राशि है, जिसे तृतीय पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, वादा किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी को यह उम्मीद होती है कि वह विनिमय में हकदार होगी।

लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी पक्षों के प्रभावों पर विचार करती है:

क) परिवर्तनशील विचार

ख) परिवर्तनशील विचार का बाध्यता अनुमान

ग) महत्वपूर्ण वित्तीय घटक का अस्तित्व

घ) गैर-नकद विचार

ङ) किसी ग्राहक को देय राशि का विचार

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य, रियायतें, प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस या अन्य समान वस्तुओं के कारण विचार राशि भिन्न हो सकती है। वादा की गयी विचार राशि भी भिन्न हो सकती है यदि कंपनी का विचार करने का अधिकार किसी भावी घटना या गैर-घटना के आधार पर निर्भर हो।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्धारित हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के तत्व के आधार पर दंड आधारित होता है। जहां लेनदेन के निर्धारण में जुर्माना निहित है, वहां यह परिवर्तनशील विचार का हिस्सा होता है।

कंपनी में केवल 'अनुमानित चर विचार' के कुछ या सभी लेनदेन मूल्य उस हद तक शामिल हैं, जबकि इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण रिवर्सल तब तक नहीं होगा जब तक कि 'चर विचार' के साथ जुड़ी अनिश्चितता दूर नहीं होती।

कंपनी तब तक एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए चर विचार वादा की राशि को समायोजित नहीं करती है, जब तक अनुबंध के आरंभ में यह अपेक्षित हो कि इस अवधि के दौरान वादा की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं को एक ग्राहक को हस्तांतरित किया जा सकता है और ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए एक वर्ष या उससे कम समय के अंदर भुगतान कर सकता है।

यदि कंपनी ग्राहक से विचार प्राप्त करती है और कुछ या सभी चर विचार ग्राहक को रिफंड करने की अपेक्षा करती है तो कंपनी धनवापसी दायित्व को स्वीकार कर लेती है। धनवापसी दायित्व की गणना उस चर विचार प्राप्त (या प्राप्य) राशि के आधार पर की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (अर्थात जो राशि लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं है)। लेन-देन मूल्य में रिफंड देयता तथा चर विचार परिवर्तन है और इसलिए परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध देयता को अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध होने के बाद, अनिश्चित घटनाओं या परिस्थितियों में वैसा परिवर्तन जिससे चर विचार की राशि में परिवर्तन होता हो, के संकल्प सहित विभिन्न कारणों से लेनदेन की कीमत बदल सकती है, जिसमें कंपनी को उम्मीद है कि वह वादा की गयी वस्तुओं या सेवाओं के विनियम में हकदार होगी।

चरण 4: लेनदेन राशि का आवंटन:

कंपनी का उद्देश्य है कि लेन-देन मूल्य आवंटित करते समय किसी राशि में प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित किया जाय, जो चर विचार की मात्रा को दर्शाती है और जिसके लिए कंपनी ग्राहक से वादा किए गए वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्वचालित विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व हेतु लेनदेन मूल्य आवंटित करने के लिए, कंपनी अलग-अलग वस्तु या सेवा के अंत में अनुबंध की स्थापना पर स्वचालित (स्टैंड-अलोन) विक्रय मूल्य निर्धारित करती है, जो अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन दायित्व के तहत आता है और उन स्वचालित बिक्री मूल्य के अनुपात में लेनदेन की कीमत आवंटित की जाती है।

चरण 5: राजस्व की पहचान:

जब (या के रूप में) कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तु एवं सेवा को हस्तांतरित कर उसके निष्पादन दायित्व से संतुष्ट होती है तो वह राजस्व की मान्यता करती है। ग्राहक द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने पर (या के रूप में) किसी वस्तु या सेवा को हस्तांतरित किया जाता है।

कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा के नियंत्रण को हस्तांतरित करती है और इसलिए, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक के पूरा होने पर ही, समय के साथ किसी निष्पादन दायित्व और राजस्व को स्वीकृत किया जाता है:

क) यदि कंपनी के निष्पादन के अनुसार ग्राहक कंपनी के निष्पादन से लाभ प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है।

ख) यदि कंपनी के निष्पादन से परिसंपत्ति का सृजन या वृद्धि होती है और इस सृजन या वृद्धि पर ग्राहक का नियंत्रण हो ।

ग) यदि कंपनी किसी वैकल्पिक साधन का उपयोग करते हुए अपने निष्पादन से किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करती है और कंपनी के पास उस तिथि तक पूरे किए गए निष्पादन का भुगतान करने का अधिकार हो।

कंपनी समय-समय पर संतुष्ट प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए, उस तिथि तक इस दिशा में हुई प्रगति का मापन करके राजस्व को मान्य करती है।

कंपनी, प्रत्येक संतुष्ट निष्पादन दायित्व की प्रगति को मापने के लिए एकल मापक विधि का पालन करती है और समान निष्पादन दायित्वों और समान परिस्थितियों में इसी पद्धति का नियमित रूप से पालन करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, पूर्ण संतुष्टि के लिए कंपनी अपने निष्पादन दायित्व की प्रगति को पुन: मापती है।

कंपनी, अनुबंध के तहत वादा की गई शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित ग्राहक के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व मान्यता करने के लिए आउटपुट विधि का पालन करती है। आउटपुट विधियों में उक्त तिथि तक के निष्पादन - सर्वेक्षण, प्राप्त परिणाम के मूल्यांकन, नए बनाए गए रिकॉर्ड (milestones), बीते समय तथा उत्पादित या सौंपी गई इकाइयां जैसी विधियों का शामिल किया जाता है।

कंपनी, समय के साथ-साथ अपनी प्रगति के माप को अद्यतन करती रहती है, ताकि यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे निष्पादन दायित्व में दर्शाया जा सके और इस परिवर्तन को भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों एवं त्रुटियों में परिवर्तन के आलोक में परिवर्तन के रूप में शामिल किया जाता है।

कंपनी, यदि निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में इसकी प्रगति को यथोचित तरीके से माप सकती है तो उस समय तक के लिए संतुष्ट निष्पादन दायित्व के राजस्व को स्वीकारती है। जब (या के रूप में) कोई निष्पादन दायित्व संतोषजनक होता है, तो कंपनी लेनदेन-मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में स्वीकार करती है (जिसमें चर विचार के अनुमान को शामिल नहीं किया जाता है, जो उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किए गए हैं)।

यदि समय के साथ कोई निष्पादन दायित्व संतोषजनक नहीं है, तो कंपनी एक समय सीमा के अंदर इसे संतोषजनक बनाने का प्रयास करती है। उस समय सीमा को निर्धारित करने के लिए जब वादा की गयी किसी वस्तु एवं सेवा पर एक ग्राहक का अपना नियंत्रण स्थापित हो जाता है और कंपनी निष्पादन दायित्व से संतुष्ट हो जाती है, तो कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के संकेतक पर विचार करती है, जिसमें एक सीमा तक निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार है;

ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का स्वामित्व है;

ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को हस्तांतरित कर दिया है;

घ) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और पारितोषिक हैं;

ङ) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार किया है।

जब कोई भी पक्ष किसी अनुबंध का निष्पादन करता है, तो कंपनी अपने तुलन-पत्र में उक्त अनुबंध को अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में शामिल करती है, जो कंपनी के कार्य-निष्पादन त तथा ग्राहक के भुगतान के संबंध पर आधारित होता है। कंपनी अलग से किसी भी बिना शर्त विचारित अधिकार को प्राप्य के रूप में दर्शाती है।

अनुबंध संपत्ति

एक अनुबंध परिसंपत्ति, ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए चर विचार का अधिकार है। अगर कंपनी ग्राहक के चर विचार करने या भुगतान करने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके निष्पादन करती है तो सशर्त रूप से अर्जित विचार के लिए अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है।

व्यापार प्राप्य

एक प्राप्य राशि प्रदर्शित करती कि किसी विचारित राशि पर कंपनी का बिना शर्त अधिकार है। (यानी, विचारित राशि के बकाया भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

अनुबंध देयताएं

एक अनुबंध दायित्व किसी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने का दायित्व है, जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से चर विचार प्राप्त हुआ है (या चर विचार की राशि बकाया है)। कंपनी द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले यदि कोई ग्राहक चर विचार करता है और जब भुगतान किया जाता है या देय होता है (जो भी पहले हो) तो किसी अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य-निष्पादन करती है तो अनुबंध देयताओं को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.3.2 ब्याज:

प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग कर ब्याज से प्राप्त आय की पहचान की जाती है।

2.3.3 लाभांश

निवेशों से प्राप्त लाभांश की आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.3.4 अन्य दावे:

अन्य दावों (उपभोक्ताओं से विलंबित वसूली पर मिले ब्याज सहित) का लेखांकन वसूली की निश्चितता तथा उसके मूल्यांकन की वास्तविकता होने पर ही किया जाता है।

2.4 सरकारी अनुदान/सहायता

सरकारी अनुदान तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक पर्याप्त आश्वासन न हो कि कंपनी इसके साथ संलग्न शर्तों को पूरा करेगी तथा पर्याप्त निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

लाभ-हानि विवरणी में अवधि के दौरान नियमित आधार पर सरकारी अनुदान/सहायता स्वीकार की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रूप में मानती है जिसके लिए अनुदान से उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है।

आस्थगित आय के रूप में अनुदान समायोजन द्वारा परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन-पत्र में दर्शाया गया है और परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की तुलना में योजनाबद्ध आधार पर लाभ-हानि के विवरणी में दर्शाया गया है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी परिसंपत्ति के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ हानि विवरण के एक हिस्सा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान जो कुल ख़र्च में हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है जो पहले ही ख़र्च हो चुके हैं या कंपनी को तत्काल वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं जिनमें भविष्य से संबंधित लागत नहीं है, उस अवधि के लिए लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त हैं जिसके लिए वे प्राप्य होते हैं ।

सरकारी अनुदान अथवा प्रोत्साहन की प्रकृति के रूप में योगदान को सीधे ''कैपिटल रिजर्व'' में स्वीकार किया जाता है जो "शेयर होल्डर निधि" का एक भाग है।

2.5 पट्टा

एक वित्तीय पट्टा वह पट्टा है जिसमें किसी संपत्ति के मालिकाना हक़ से संबंधित सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित किया जाता है। इसमें अंततः स्वामित्व का हस्तांतरण हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी:

कोई पट्टा स्थापना की तारीख को ही वित्तीय पट्टा या परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

वित्तीय पट्टों को पट्टों की शुरुआत के समय पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य पर, या कम होने पर, लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य के रुप में पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा भुगतान वित्त प्रभार और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष पर लगातार आवधिक ब्याज दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि विवरणी में वित्तीय प्रभार को वित्तीय लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि वे सीधे योग्य संपत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, उस स्थिति में उन्हें उधार की लागतों पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है

पट्टे पर दी गयी किसी संपत्ति का मूल्यह्रास संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर होता है। हालांकि, यदि इसकी कोई उचित निश्चितता नहीं हो कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी, तो परिसंपत्ति का मूल्यह्रास संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन और पट्टा अवधि से कम पर किया जाती है।

2.5.2 पट्टेदाता के रूप में कंपनी

एक परिचालन पट्टा वह पट्टा जो वित्तीय पट्टे के अतिरिक्त है।

मोल-भाव तथा परिचालन पट्टा की व्यवस्था करने में हुए प्रारंभिक सीधे खर्चो को पट्टे पर दे दी गई परिसंपत्ति की वहन राशि (Carrying amount) में जोड़ दिया जाता है तथा पट्टा आय के तरह ही उसी आधार पर प्रारंभिक पट्टे में खर्च के रूप में स्वीकार किया जाता है।

परिचालन पट्टा - परिचालन पट्टों से पट्टा आय को (बीमा एवं अनुरक्षण जैसी सेवाओं के लिए राशि को छोड़कर) पट्टे की अवधि में जब तक निम्नलिखित में से कोई न हो, तो सीधे तौर पर आय में स्वीकार किया जाता है:

वित्तीय पट्टे - वित्तीय पट्टे के तहत पट्टों की बकाया राशि पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश में प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्तीय पट्टे की आय को लेखांकन अवधि में आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में शुद्ध बकाया निवेश पर लगातार सावधि वापसी की दर प्रतिबिंबित हो।

2.6 बिक्री के लिए रखी गयी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है एवं / या बिक्री के लिए रखे गए निपटाने वाले समूह के वहन राशि (Carrying amount) की वसूली मूल रूप से लगातार उपयोग करते रहने के बजाए बिक्री के जरिए हो जाती है। बिक्री के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों से यह ज्ञात होना चाहिए कि इसकी संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे अथवा यह कि बिक्री करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर अपेक्षित बिक्री के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए।

जब विनिमय में व्यावसायिक सामग्री है तो इस मुद्दे के लिए बिक्री लेन-देन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल होगा। बिक्री वर्गीकरण हेतु मान्य मानदंडों को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्तियों अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तुरंत बिक्री हेतु उपलब्ध रहें इस शर्त के साथ कि वह ऐसी परिसंपत्तियों (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए एवं प्रथागत/प्रचलित हो। इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है तथा इसे वास्तव में बेचा जाएगा न कि परित्याग किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति अथवा निपटान समूह की बिक्री की अत्यधिक संभावना को तभी मानती है जब :

क) एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो,

ख) खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो,

ग) वर्तमान उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य पर बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रूप से बाजार ढूंढा जा रहा हो,

घ) वर्गीकरण तिथि से एक वर्ष के अंदर संपूरित बिक्री के रूप में मान्यता हेतु बिक्री की अर्हता पूरी हो, और

ङ) योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

भूमि ऐतिहासिक लागत (कीमत) पर ली गई ऐतिहासिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

पहचान के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी संचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:-

क) इसका खरीद मूल्य, व्यावसायिक छूट घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल।

ख) किसी भी लागत को प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक।

ग) सामानों के पुरजे खोलकर पृथक करने तथा निर्धारित स्थान पर इनके भंडारण के लिए लगी लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन जिसके दायित्व को कंपनी अपने ऊपर लेती है जब इस उद्देश्य के लिए आइटम की जरूरत पड़ती है या उस अवधि के दौरान सामान-सूची को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी खास अवधि के दौरान उसके किए गए उपयोग के परिणाम को समझती है।

जिस आइटम का अलग से मूल्य ह्रास हुआ है, उसकी कुल लागत से संबंधित लागत सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। हालांकि, पीपीई के एक आइटम के महत्वपूर्ण भाग (भागों) में समान उपयोगी जीवन और मूल्य ह्रास विधि को मूल्य ह्रास शुल्क निर्धारित करने के साथ एक साथ समीकृत किया जाता है।

मरम्मत और रख-रखाव के लिए उल्लिखित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वहन राशि (Carrying amount) में स्वीकार किए जाते हैं, अगर यह संभव है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वहन राशि को नीचे उल्लिखित अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब बड़े निरीक्षण किए जाते हैं, तो इसकी कीमत संपत्ति, प्लांट और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रूप में पहचानी जाती है, यदि यह संभावित है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता उसे मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वहन राशि (Carrying Amount) को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का एक हिस्सा को निपटान पर अथवा जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद होती है अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के इस तरह के अस्वीकरण के कारण किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में स्वीकार किया जाता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण पर मूल्यह्रास फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर परिसंपत्ति के उपयोगी आकलित जीवन के सीधी रेखा आधार पर आदर्श लागत के अनुसार उपलब्ध कराया गया है जो निम्नलिखित हैं –

अन्य भूमि (पट्टाधारित भूमि सहित)	:	परियोजना अवधि अथवा पट्टा अवधि जो कम हो
बिल्डिंग	:	3-60 वर्ष
सड़कें	:	3-10 वर्ष
दूर संचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	:	5-30 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय के	:	3-6 वर्ष
फर्नीचर एवं इससे जुड़ी वस्तुएं	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दी गयी उपयोगी जीवन उस अवधि का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए संपत्ति के उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II के भाग ग में निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अपशिष्ट मूल्य संपत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, जैसे कि कोयला टब, बाइंडिंग रस्सा, हॉलेज रस्सा, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसी परिसंपत्तियों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अपशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान ख़रीदने व बेची गई पर संपत्ति पर मूल्य ह्रास आनुपातिक आधार पर ख़रीदे बेचे जाने के माह के संदर्भ में उपलब्ध कराया गया है।

'अन्य भूमि' के मूल्य में वह भूमि शामिल है जो कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (RFCTLAAR) अधिनियम, 2013, सरकारी जमीन का दीर्घावधि हस्तांतरण आदि के तहत अधिग्रहीत की गई है जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा पट्टाधारित भूमि के मामले में इस प्रकार के परिशोधन परियोजना की पट्टे की अवधि अथवा शेष जीवन, जो कम है, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से मूल्य ह्रास हो चुकी परिसंपत्तियां, जिनका सक्रिय उपयोग बंद हो चुका है, को अप्रयोज्य (सर्वे-ऑफ) परिसंपत्तियों के रूप में परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इसके अपशिष्ट मूल्य पर अलग से प्रकट किए जाते हैं और इन्हें क्षति के रूप में माना जाता है।

उत्पादन, सामानों की आपूर्ति अथवा कंपनी की किसी वर्तमान परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक किसी खास परिसंपत्ति के निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत खर्चों को परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत परिसंपत्तियों को सक्षम/सक्रिय बनाने के रूप में स्वीकार किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में संक्रमण

लागत मॉडल के अनुसार कंपनी ने वहन मूल्य जारी रखने का निर्णय लिया है (पिछले **जीएएपी** के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के संक्रमण की तिथि को आंके गए वित्तीय विवरणों में मान्य अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए)।

2.8 खदान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं करारों को समाप्त करना

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सरफेस एवं भूमिगत दोनों खानों के लिए बनी संरचनाओं को समाप्त/बंद करने एवं भूमि पुनरुद्धार का दायित्व कंपनी का है। कंपनी खान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं करारों/ दायित्वों की समाप्ति के लिए आवश्यक कार्य में लगने वाली धनराशि एवं समय तथा भविष्य में नकद खर्च के विस्तृत तकनीकी आकलन एवं गणना के आधार पर अपने दायित्व का आकलन करती है। खदान बंदी खर्च अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चों के आकलन को तेज किया जाता है और तब छूट की दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान बाजार मूल्य एवं जोखिम के निर्धारण को इस प्रकार प्रतिबिंबित करती है कि प्रावधान की गयी राशि दायित्व निपटारे के लिए अपेक्षित आवश्यक खर्चों के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करे। कंपनी पूर्णरूपेण पुनरुद्धार तथा खदान बंदी के दायित्व से जुड़ी समरूप परिसंपत्ति का रिकार्ड रखती है। दायित्व एवं समरूप परिसंपत्ति की पहचान उसी अवधि में की जाती है जिसमें देयता उत्पन्न होती है। खदान बंदी योजना के अनुसार भूमि पुनर्स्थापन की कुल लागत को निरूपित करने वाली परिसंपत्ति (जैसा कि सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड में प्राक्कलित किया गया है) को **पीपीई** में एक अलग मद के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा परियोजना/खान के शेष जीवन के लिए परिशोधित किया जाता है।

प्रावधान का मूल्य समय से समय के साथ-साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट में कमी होती जाती है, जिसमें एक ख़र्च कर सृजन होता है तथा वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता का रखरखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदी बाध्यता के हिस्से के रूप में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किए गए प्रगतिशील खदान बंद करने के खर्च को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य माना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

2.9 अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज, तकनीकी व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा पहचान किए गए संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

क) शोध और ऐतिहासिक अन्वेषण डाटा का विश्लेषण;

ख) स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक एवं

ग) भू-भौतिकी अध्ययनों के जरिए अन्वेषण के आँकड़ों को एकत्रित करना।

घ) अन्वेषणात्मक भू-वेधन, खंदक खुदाई और नमूना संग्रहण।

ङ) संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण एवं परीक्षण।

च) परिवहन एवं संरचनात्मक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना।

छ) बाजार और वित्तीय अध्ययनों का आयोजन।

उपर्युक्त में कर्मचारियों का मानदेय, वस्तुओं की कीमत एवं प्रयुक्त ईंधन, ठेकेदारों आदि का भुगतान शामिल है।

चूंकि अप्रत्यक्ष संघटक होने वाली समग्र अनुमानित प्रत्यक्ष लागतों का एक निरर्थक एवं पृथक विचार न करने योग्य भाग को प्रस्तुत करता है जिसकी पूर्ति भावी उपयोग से की जाने की अपेक्षा है, इसलिए अन्य पूंजीकृत अन्वेषणात्मक खर्चो के साथ इन खर्चो को अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी संभाव्यता एवं व्यावसायिक उपयोगिता के निर्धारण को लंबित रखते हुए परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में उन्हें संचित प्रावधान से कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है एवं खदानों/परियोजना के विकास के लिए स्वीकृति दे दी जाती है तो पूंजीगत चालू कार्य के तहत अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को ''विकास'' के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है हालांकि यदि प्रमाणित भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.10 विकास खर्च

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है तथा खानों/परियोजना के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है, तो "विकास" मद के अंतर्गत पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। बाद के सभी विकास खर्चो को पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीगत विकास व्यय, विकास के चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध होता है।

व्यावसायिक परिचालन

परियोजना/खदानों से राजस्व प्राप्त होता है; जब परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना/खदान व्यावसायिक तौर पर टिकाऊ होने के आधार पर उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाती है -

(क) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से, अथवा

(ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष बाद, अथवा

(ग) उस वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से जिस वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चो से अधिक होता है।

उपर्युक्त में से जो भी पहले घटित हो।

राजस्व प्राप्त होना आरंभ होने पर, चालू पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्तियों को "अन्य खनन आधारभूत संरचना" नामावली के तहत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संघटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को उस वर्ष से परिशोधित किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो, में राजस्व के अधीन लाया जाता है।

2.11 अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

अलग से अधिग्रहीत की गई अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है। व्यावसायिक संगठन में अधिग्रहीत अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि को उनका उचित मूल्य होता है। प्रारंभिक मान्यता का अनुसरण करते हुए अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन काल के दौरान स्ट्रेट लाइन आधार पर परिकलित) एवं संचित हानिकरण क्षति, यदि कोई है, से कम लागत पर लिये जाते हैं।

पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर आंतरिक रूप से सृजित अप्रत्यक्ष/अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। बल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण एवं जिस अवधि में खर्च हुआ है, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित के रूप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली प्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति हानिकर हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित उपयोगी जीवन के साथ किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसके हानिकरण की जांच की जाती है।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और जो लाभ-हानि विवरण में मान्य होता है।

बाहरी एजेंसियों (यानी ब्लॉक के लिए, सीआइएल के लिए अलग से नहीं) को बेचने के लिए चिह्नित अथवा बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए मदद पहुंचाने वाली अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को फिर भी अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा हानिकरण के लिए जांच की जाती है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में मान्य सॉफ्टवेयर की कीमत / लागत को प्रयोग करने की विधिक अवधि से अधिक अथवा तीन वर्षों में, जो भी कम हो, स्ट्रेट लाइन विधि पर अपशिष्ट मूल्य शून्य के साथ परिशोधित किया जाता है।

अनुसंधान और विकास को व्यय के रूप में और जब चाहे खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐसे किसी संकेत का मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति में कमी या क्षति हो सकती है या नहीं। यदि इस प्रकार का कोई संकेत रहता है तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति अथवा नकदी सृजन करने वाली इकाई के प्रयोग मूल्य से अधिक होती है। इसका उचित मूल्य निपटान लागत से कम होता है तथा इसका निर्धारण किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह को सृजित नहीं कर लेती है जिसमें नकद वसूली योग्य राशि उस नकद सृजन करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती जिससे परिसंपत्ति जुड़ी होती है। कंपनी हानिकरण की जांच करने के उद्देश्य से पृथक खदानों को अलग नकदी सर्जक इकाई मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को वहन राशि से कम आंका जाता है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है तथा हानिकरण क्षति को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.13 निवेश संपत्ति

वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा प्रशासनिक उद्देश्य, अथवा व्यवसाय के सामान्य दौर में बिक्री हेतु उपयोग के बजाय किराया या पूंजी मूल्यांकन के लिए उपयोग हेतु रखी गई भूमि या भवन या भवन का कोई भाग या दोनों को निवेशित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संबंधित लेन-देन लागत सहित और जहां लागू हो वहां उधार वाली लागत सहित निवेशित संपत्ति को इसकी प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है।

निवेशित संपत्तियों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल में स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करके मूल्यह्रास होता है।

2.14 वित्तीय दस्तावेज (लिखत)

एक वित्तीय दस्तावेज (लिखत) कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई की एक वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को सृजित करता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

लाभ या हानि और लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं, के जरिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रिकार्ड नहीं किए जाने की स्थिति में वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद अथवा बिक्रियों जिसे विनियम अथवा परंपरा द्वारा बाजार में एक सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता पड़ती है, को ट्रेड की तिथि यानी कंपनी परिसंपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए जिस तिथि को प्रतिबद्ध है, उस तिथि को मान्यता दी जाती है।

2.14.2 परिवर्ती मापन

परिवर्ती मापन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में बांटा जाता है :

क) परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज।

ख) अन्य सघन आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज (FVTOCI)

ग) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज, डेरिवेटिव और इक्विटी दस्तावेज (FVTPL)

घ) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज (FVTOCI)

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज:

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती है तो 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(क) परिसंपत्ति व्यापार मॉडल के अंदर हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिसंपत्ति रखनी होती है तथा

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथि को बढ़ने देती है जो बकाये मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) होते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद इस प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (EIR) पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना- अधिग्रहण एवं शुल्क या मूल्य/लागत जो ईआईआर का हिस्सा है, पर किसी छूट या किस्त को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। हानिकरण के कारण होने वाली क्षति को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों मानकों को पूरा किया जाता है तो ''ऋण दस्तावेज'' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

(क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूरा किया जाता है, और

(ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का निरूपण करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत के ऋण दस्तावेजों का प्रारंभिक तौर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के बदलाव को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता प्रदान की जाती है। हलांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, हानिकरण से होने वाले नुकसान एवं उलटाव तथा विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ व हानि (P&L) में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हानि को पहले अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि (P&L) के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीओसीआई ऋण पत्र/दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट की जाती है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण-पत्र/दस्तावेज

एफवीटीपीएल ऋण पर/दस्तावेजों के लिए अपशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण पत्र/दस्तावेज जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के लिए कसौटी/मानदंड को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण -पत्र/दस्तावेज को नामित/निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनावों की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता में कमी या समापन होता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण पत्र/दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण पत्रों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

2.14.2.4 अनुषंगी इकाइयों, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक में पहली बार अंगीकृत) के अनुसार, परिवर्तन की तारीख को इन निवेशों की वहन राशि को अनुमानित लागत माना जाता है। इसके बाद अनुषंगी इकाइयों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में इक्विटी निवेश को भारतीय लेखा मानक 28 के पैरा 10 में निर्दिष्ट इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेश लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय के उचित मूल्य में क्रमिक परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव को लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर बनाया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में किसी इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लिखत पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन, लाभांश को छोड़कर, ओसीआई में मान्य किए जाते हैं। ओसीआई से लाभ और हानि तक की राशि का कोई पुनर्चक्रण नहीं होता है, निवेश की बिक्री पर भी। हालांकि, कंपनी इक्विटी के अंदर ही संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को मुख्य रूप से तब अमान्य कर दिया गया है (यानी तुलन पत्र से हटा दिया गया है) जब -

क) संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, अथवा

ख) कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या "पास-थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व मान लिया है; और (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का हस्तांतरित नियंत्रण कंपनी के पास है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है, अथवा पास-थ्रू व्यवस्था अपना ली है, तो वह मूल्यांकन करती है कि वह और किस हद तक इसके स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को अधिकार में बनाए रखती है। जब कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बनाए रखा है और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण ही हस्तांतरित किया है, जब तक कंपनी की सहभागिता जारी रहती है तब तक यह हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस मामले में कंपनी जुड़ी हुई देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति एवं इससे जुड़ी देयता को जिस आधार पर मापा जाता है वह कंपनी के पास के अधिकारों एवं दायित्वों को प्रदर्शित करता है। हस्तांतरित संपत्ति पर गारंटी का रूप लेते हुए जारी होने वाली संपत्ति को मूल वहन राशि से कम पर और कंपनी के विचारार्थ अधिकतम राशि जिसे कंपनी को पुनः भुगतान की आवश्यकता पड़ सकती है, पर मापा जाता है।

2.14.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर पर हानिकरण/क्षति के मापन/मूल्यांकन एवं मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) मॉडल लागू करती है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं तथा जिन्हें परिशोधित लागत यानी ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, ट्रेड प्राप्य एवं बैंक शेष पर मापा जाता है,

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं एवं एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है,

(ग) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टा, और

(घ) ट्रेड प्राप्तियां या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 के दायरे के अंदर है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानिकरण क्षति भत्ता की मान्यता के लिए "सरलीकृत दृष्टिकोण" अपनाती है:

(क) ट्रेड प्राप्तियां अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां, और

(ख) भारतीय लेखा मानक 17 के दायरे के अंदर लेन-देन से उत्पन्न सभी लीज प्राप्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को जीवन काल **ईसीएल** के आधार पर हानिकरण हानि भत्ता को ठीक इसकी प्रारंभिक तारीख से मान्यता देती है।

2.14.3 वित्तीय देयताएं

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन:

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवर ड्राफ़्ट सहित उधारियां शामिल हैं।

सभी वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्ष तौर पर आरोप्य निवल लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

2.14.3.2 परिवर्ती मापन / मूल्यांकन:

वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन जैसा कि नीचे वर्णित है, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है :

2.14.3.3 लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं:

लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल हैं तथा वित्तीय देयताओं को लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित किया जाता है। वित्तीय देयताओं को ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में फिर से खरीद के उद्देश्य के कारण उत्पन्न हुई हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित बचाव संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग साधनों के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिये रखी हुई देयताओं पर फायदा या नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता और उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताओं को मान्यता की प्रारंभिक तारीख को उसी रूप में निर्दिष्ट किया जाता है एवं केवल तभी यदि भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) की कसौटी को पूरा किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देयताओं, अपने क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन लाने के लिए आरोप्य उचित मूल्य लाभ/नुकसानों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानियों को बाद में लाभ और हानि में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। हालांकि कंपनी संचित लाभ/हानि को इक्विटी में हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी देनदारी के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देनदारी को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं:

प्रारंभिक मान्यता के बाद प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। नफा और नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देयताओं को साथ ही साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता समाप्त कर दी जाती है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है जो। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी प्रायः उधारियों पर लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता समाप्त करना:

जब देयता के तहत वित्तीय देनदारियों के दायित्व मुक्त हो जाता है या निरस्त हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को दूसरे समान उधारदाता द्वारा वास्तविक रूप से भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा वर्तमान देनदारी की शर्तों में वास्तविक संशोधन किया जाता है, तो ऐसे किसी परिवर्तन अथवा संशोधन को मूल देयता का अस्वीकरण एवं नई देयता का स्वीकरण माना जाता है। समाप्त कर दी गई या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दी गई अथवा देयताएं मान ली गई वित्तीय देयता (वित्तीय देयता का हिस्सा) का पिछले शेष के बीच के अंतर को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाएगा।

2.14.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्योंकि ये इक्विटी दस्तावेज एवं वित्तीय देयताएं होती हैं। जो वित्तीय परिसंपत्तियां इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तथा वित्तीय देयताएं होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण पत्र/दस्तावेज होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मॉडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा बारंबार की जाती है। कंपनी के उच्च प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, के परिणामस्वरूप ही व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित किया जाता है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण गतिविधि की या

तो शुरूआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि की ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछली किसी स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करके) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न पुनर्वर्गीकरण एवं उनकी लेखांकन विधि को दर्शाया गया है :

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा विवेचन
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का मूल्यां कन पुनर्वर्गी करण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गी करण की तारीख का उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। इसी नई सकल वहन राशि के आधार पर ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गी करण की तारीख को उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को ओसीआई में स्वीकार किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्त न नहीं होता है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गी करण की तारीख को उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत की वहन राशि बन जाती है। हालांकि, ओसीआई में संचित लाभ व हानि को उचित मूल्य के साथ समायोजित कि या जाता है। परिणामस्व रूप परिसंपत्ति को इस प्रकार से मापा जाता है मानो इसे परिशोधित लागत पर ही हमेशा मापा जाता है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य नई वहन राशि बन जाता है। अन्य किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्ति यों का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाना जारी रहता है। ओसीआई में स्वीकृत/मान्य संचित नफा या नुकसान पुनर्वर्गी करण की तारीख को लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गी कृत किया जाता है।

2.14.5 वित्तीय दस्तावेजों (लिखतों) का समायोजन (ऑफसेटिंग):

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देयताओं को समायोजित किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के समायोजन का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय है तथा परिसंपत्तियों की वसूली और देयताएं दोनों का शुद्ध राशि के आधार पर निपटान एक साथ करने की प्रवृति हो, तो शुद्ध राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

2.14.6 नकद और नकद समतुल्य

तुलन पत्र में शामिल नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक में जमा और हस्तगत नकद तथा तीन महीने या उससे कम समय के लिए मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में ऊपर परिभाषित किए गए नकदी और अल्पकालिक जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध को शामिल किया जाता है, क्योंकि उन्हें समूह के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15 उधार लागत

उधार लागतें ऐसी उधार लागतों जो सीधे तौर पर अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं, को छोड़कर एक प्रकार के यथा आवश्यक खर्चे हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए अर्हकारी परिसंपत्ति तैयार होती है।

2.16 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग) आयकर की राशि वर्तमान कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण में जैसा कि वर्णित है ''आयकर पूर्व लाभ'' से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें वह आय के व्यय मद में शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद भी शामिल हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या संज्ञानात्मक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताएं आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्य होती हैं। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक विलंबित कर को मान्यता दी जाती है कि इसकी संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियां एवं देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, यदि अस्थायी शेष सद्भाव अथवा लेन-देन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं से उत्पन्न हुआ है जो न तो कर योग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नहीं किया जाएगा उसे छोड़कर अन्य अनुषंगियों एवं संख्या में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

विलंबित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत विलंबित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। विलंबित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों और संपत्तियों की माप उन कर परिणामों को दर्शाती है जिस तरह की उम्मीद कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि की वसूली या निपटान के लिए करती है।

वर्तमान एवं विलंबित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब ये अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और विलंबित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय समिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा विलंबित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय समिश्रण के लिए लेखाकरण में टैक्स के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारियों को लाभ:

2.17.1 अल्पकालिक लाभ:

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

2.17.2 नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.17.2.1 परिभाषित अंशदायी योजनाएं

एक परिभाषित योगदान योजना भविष्य निधि और पेंशन के लिए रोजगार के बाद की योजना है, जिसके तहत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत गठित एक अलग वैधानिक निकाय (कोल माइंस प्रोविडेंट फंड) द्वारा बनाए गए फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए कंपनी के पास कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए बाध्यताओं को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं:

परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक परिभाषित लाभ योजना रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण (लाभ पर अधिकतम सीमा के साथ) परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का परिकलन भावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित किया है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है, यदि कोई है तो। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता तिथि होती है, जो कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती है और इसे उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट की दर के बारे में पूर्वानुमान परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी की दरें, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि शामिल हैं। योजनाएं लंबी अवधि के होने के कारण ऐसे अनुमानों में अनिश्चितता के मामले होते हैं। किसी बीमांकिक द्वारा प्रत्येक तुलन-पत्र में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड का प्रयोग करके परिकलन किया जाता है। जब इस परिकलन के परिणाम अथवा योजना में भावी कटौतियां कंपनी के लाभ के होते हैं तो योजना से किसी भावी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ का वर्तमान मूल्य पर मान्य परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कंपनी के लिए एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है, यदि योजना अवधि के दौरान अथवा योजना की देयताओं के निपटारे के समय यह वसूली योग्य है।

योजना की परिसंपत्तियों पर वसूली/वापसी (ब्याज को छोड़कर) तथा परिसंपत्तियों की अंतिम सीमा (यदि है, ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ एवं हानियों के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ देयता को तत्काल अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अंशदान और लाभों के भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) के लिए वार्षिक अवधि को शुरूआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए प्रयोग किए गए छूट दर को लागू करके उस अवधि के लिए कंपनी शुद्ध परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) पर ब्याज खर्च (आय) का निर्धारण करती है।

जब योजना के फायदे में सुधार होता है तो कर्मचारियों द्वारा की गई पहले की सेवा से संबंधित बढ़ी हुई लाभ का हिस्से को लाभ एवं हानि विवरण में सीधे खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीसी, एलटीए, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना और खदान दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मुआवजे आदि को ऊपर वर्णित लाभ योजनाओं के आधार पर ही लागू किया गया है। इन लाभों के लिए कोई अलग से विशिष्ट निधि नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया (आईएनआर) है जो कि इसके संचालन क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा में लेनदेन उस तारीख में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार कंपनी की सूचित मुद्रा में किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में संचित मौद्रिक संपत्ति और देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान अवधि या उससे पहले की अवधि के दौरान मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं के निपटारे से उत्पन्न विनिमय भेद या मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं को आरंभ में परिवर्तित दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर वित्तीय विवरणों में इनकी पहचान लाभ और हानि विवरणों में इनके उत्पन्न होने वाली अवधि में की जाती है।

विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर-मौद्रिक वस्तुएं लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.19 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजन

खुली खदान से खनन के मामले में, कोयले की सीम के ऊपर मिट्टी और चट्टान से बने खदान अपशिष्ट पदार्थ (ओवर बर्डेन) को कोयले तक पहुंचने और इसके निष्कर्षण के लिए निकालने की आवश्यकता होती है। यह अपशिष्ट हटाने की गतिविधि 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जानी जाती है। खुली खदानों में, कंपनी को खदान के चालू रहने तक ऐसे खर्चो का सामना करना पड़ता है (तकनीकी रूप से अनुमानित)।

इसलिए, नीतिगत रूप से, प्रति वर्ष एक मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली खानों में, स्ट्रिपिंग की लागत को खदान से राजस्व मिलने के बाद अनुपात-विचलन लेखा और स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति के विधिवत समंजन के साथ प्रत्येक खदान में तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोल) पर प्रभारित किया जाता है।

बैलेंस शीट की तिथि पर स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति और अनुपात के विचलन के कुल शेष को मामले के अनुसार गैर-मौजूदा प्रावधान/अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि समंजन के रूप में दिखाया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखा के अनुपात के लिए माना जाता है, जहां बताई गई मात्रा और मापी गई मात्रा के बीच भिन्नता निम्नानुसार दो वैकल्पिक अनुमत सीमाओं के निचले भाग के अंदर है -

खान के ओबीआर का वार्षिक घनत्व	भिन्नता की अनुमत सीमाएं (%)
1 मिलियन घन मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन मी. के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन मीटर से अधिक	+/- 2%

हालांकि, जहां भिन्नता ऊपर की अनुमति सीमा से परे है, वहां मापी गई मात्रा मानी जाती है।

एक लाख टन से कम की रेटेड क्षमता वाली खानों के मामले में, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान किए गए स्ट्रिपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ-हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

2.20 वस्तु सूची (इन्वेंटरी)

2.20.1 कोयला का स्टॉक

कोयला/ कोक की सूची, लागत के निचले स्तर और प्राप्य मूल्य पर बताई गई हैं। इन्वेंटरी की लागत की गणना "प्रथम आवक प्रथम जावक पद्धति" पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य सूचियों के अनुमानित बिक्री मूल्य में इस बिक्री के लिए आवश्यक लागत और पूर्ण होने की पूरी अनुमानित लागत के अंतर को प्रदर्शित करता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन खातों में माना जाता है जहां बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक होता है और ऐसे मामलों में जहां अंतर +/- 5% से अधिक होता है, मापे गए स्टॉक पर आधारित होता है। इस तरह के स्टॉक को शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत में जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। कोक को कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोयला और कोक-फाइन को कम लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग / सेमी-कोकिंग), वाशरियों के मिडलिंग और उप उत्पादों को शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.20.2 स्टोर और पुर्जे

केंद्रीय एंड क्षेत्रीय स्टोरों में भंडार और स्पेयर्स पार्ट्स (जिसमें खुले टूल्स भी शामिल हैं) का स्टॉक स्थिर मूल्य लेखा बही में प्रदर्शित शेष के अनुसार माना जाता है और इनका मूल्यांकन भारित औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है। कोलियरियों/उप भंडार/ड्रिलिंग कैंप्स/उपभोग केंद्रों में स्टोर और स्पेयर्स पार्ट्स की सूची को वर्ष की समाप्ति पर केवल वास्तविक रूप से सत्यापित स्टोरों के अनुसार माना जाता है और इनका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

बेकार, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से प्रावधान किए गए हैं तथा 5 साल एक ही स्थान पर रखे स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

2.20.3 अन्य वस्तु सूचियां (इन्वेंटरी)

चालू कार्य सहित कर्मशाला के कार्य का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। प्रेस के कार्यों के स्टॉक (चालू कार्य सहित) एवं प्रिंटिंग प्रेस में लेखन सामग्री तथा केंद्रीय अस्पताल में दवाइयों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

तथापि, लेखन सामग्री का स्टॉक (प्रिंटिंग प्रेस में पड़ी ऐसी सामग्रियों के अलावा) ईंट, बालू, दवाइयां (केंद्रीय अस्पतालों में है, उन्हें छोड़कर) एयरक्राफ्ट के समान एवं रद्दी माल का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण उन्हें माल सूची में स्वीकार नहीं किए जाते है।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी एवं संरचनात्मक) हो और यह संभव हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ का बहिर्वाह आवश्यक हो और दायित्व की मात्रा का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। जहां धन का समय-मूल्य महत्वपूर्ण है वहां प्रावधानों का उल्लेख दायित्व निपटान के लिए अपेक्षित खर्च के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है और मौजूदा सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यक होगी, अथवा राशि को विश्वसनीयता के साथ, अनुमानित नहीं किया जा सकता, वहां आकस्मिक देनदारी के रूप में दायित्व का खुलासा नहीं किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता दूरस्थ नहीं होती है। संभावित दायित्वों जिनकी उपस्थिति को एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं, जो कंपनी के पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, की पुष्टि केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति से ही की जाएगी उसे भी तब तक आकस्मिक देयताओं के रूप में खुलासा नहीं किया जा सकता जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह दूरस्थ नहीं होती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि आय की प्राप्ति लगभग निश्चित है तो संबंधित संपत्ति कोई आकस्मिक संपत्ति नहीं है और यह मान्यता उचित है।

2.22 प्रति शेयर उपार्जन

अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है। प्रति शेयर मूल उपार्जन प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर प्रति शेयर मिश्रित उपार्जन की गणना की जाती है और सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की भी गणना की जाती है।

2.23 निर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन, मूल्यांकन एवं पूर्वानुमान करने की आवश्यकता पड़ती है जो लेखा नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिवेदित राशियों वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के खुलासे तथा इस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चो की राशियों को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक मूल्यांकन को शामिल करते हुए लेखा नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में पूर्वानुमान के उपयोग का खुलासा किया गया है। एक अवधि में लेखा प्राक्कलन बदल सकता है। उन प्राक्कलनों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों की समीक्षा चालू आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमान के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि ऐसा होता है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

2.23.1.1 लेखा नीतियों का निर्माण

लेखा नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उनका प्रतिफल उन लेन-देन, या अन्य घटनाएं या स्थितियां जिनपर वे लागू होती है, के बारे में संगत तथा विश्वसनीय सूचना वाले वित्तीय विवरणों में दिखता है। उन नीतियों को तब लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उनको लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हों।

भारतीय लेखा मानक के अभाव में खासकर जो लेन-देन, अन्य घटना या दशा में लागू होते हैं, प्रबंधन ने अपने निर्णय का प्रयोग लेखा नीति का विकास करने एवं लागू करने में किया है जो इस सूचना में प्रतिफलित होता है :-

क) प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता के लिए आर्थिक निर्णय में प्रासंगिक, और

ख) उन वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता:

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना (ii) न केवल कानूनी रूप में बल्कि लेन-देन की आर्थिक वास्तविकता, अन्य घटनाओं एवं दशाओं को परिलक्षित करते हैं (iii) तटस्थ होते हैं यानी पूर्वाग्रह से मुक्त (iv) विवेक पूर्ण होते हैं; और (v) अनुकूल आधार पर सभी महत्वपूर्ण मामलों में पूर्ण होते हैं।

प्रबंधन ने निर्णय लेते समय निम्नलिखित स्रोतों का अवरोही क्रम में संदर्भ एवं व्यवहार्यता के रूप में विचार किया है:

(क) समरूप एवं संबंधित मामलों का समाधान करने में भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताएं, और

(ख) ढांचे में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए परिभाषाओं, मान्यता की कसौटियां एवं मूल्यांकन अवधारण।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और इसके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखा साहित्य और स्वीकृत उद्योग परंपराओं को विकसित करने के लिए एक समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, की नवीनतम घोषणाओं पर उस सीमा तक विचार करता है जब तक कि ये उपर्युक्त पैराग्राफ में स्रोतों के साथ विरोधाभाषी न हों।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण दशकों के दौरान चल रहे पट्टे की अवधि में फैले हुए विविध स्थलाकृतिक और भू-खनन क्षेत्रों पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है।) लेखा नीतियां जिन्हें अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित एवं विगत अनेक दशकों से इसके दृढ़ अनुप्रयोग के कारण विविध नियामकों द्वारा अनुमोदित विशेष औद्योगिक कार्यों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है। जो क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में है, वैसे कुछ खास क्षेत्रों में लेखा साहित्य, दिशानिर्देश एवं मानकों के अभाव में कंपनी लेखा साहित्य विकसित करने के साथ-साथ लेखा नीतियों को विकसित करना जारी रखती है और उसमें हुए किसी सुधार/विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में उपर्युक्त अधिक स्पष्टता से उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशित रूप में लिया जाता है।

लेखांकन के आकस्मिक आधार का प्रयोग करते हुए चालू संस्था के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते है।

2.23.1.2 द्रव्यात्मकता

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो भौतिक रूप में हैं। प्रबंधन मूल्यांकन का प्रयोग यह तय करने के लिए करता है कि वित्तीय विवरण में कोई खास एक वस्तु या वस्तुओं के समूह द्रव्यात्मक है या नहीं। वस्तु के आकार और प्रकृति के संदर्भ में द्रव्यात्मकता को आंका जाता है। है। निर्णायक घटक है कि त्रुटि अथवा गलत विवरण एकल या सामूहिक तौर पर वित्तीय विवरण के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिये जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं अथवा नहीं। प्रबंधन भी भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए द्रव्यात्मकता के निर्णय का उपयोग करता है। विशेष परिस्थितियों में या तो प्रकृति या वस्तुओं की मात्रा या वस्तुओं का समुच्चय निर्धारण कारक हो सकता है। इसके अलावा कंपनी को कानून द्वारा आवश्यक होने पर अलग से सार सामग्री पेश करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

कंपनी ने पट्टा अनुबंध किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थापन की शर्तों व निबंधन के मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया है कि जैसे व्यावसायिक संपत्ति को आर्थिक जीवन का कोई बड़ा भाग नहीं बनने वाली पट्टा अवधि एवं परिसंपत्ति का उचित मूल्य जो सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं इन संपत्तियों के स्वामित्व के पुरस्कारों, परिचालन पट्टे के रूप में संविदाओं के लिए हिसाबों को सुरक्षित रखता है।

2.23.2 प्राक्कलन एवं अनुमान

भविष्य से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान तथा रिपोर्टिंग की तारीख को आकलन की अनिश्चितता का मुख्य स्रोत जिनके पास अगले वित्त वर्ष के अंदर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पिछली राशियों के वास्तविक समायोजन का कारक बनने वाले महत्वपूर्ण जोखिम हैं, को नीचे वर्णित किया गया है। जब वित्तीय विवरण तैयार किए गए तब उपलब्ध मानदंडों पर कंपनी द्वारा अपने पूर्वानुमानों एवं प्राक्कलनों को आधार बनाया गया। फिर भी, भावी विकास के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों एवं पूर्वानुमान बाजार में बदलाव अथवा उत्पन्न परिस्थितियां जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं, के कारण बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब उत्पन्न होते हैं, तो पूर्वानुमानों में प्रतिबिंबित होते हैं।

2.23.2.1 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य के निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है तो यह हानि का एक संकेत है। कंपनी विशेष/अलग-अलग खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कि कंपनी अभी तक इसके लिए या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है जो परीक्षण की जी रही सीजीयू परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और एक्सट्रापलेशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं आगे संबंधित टिप्पणियों में बताई गई हैं।

2.23.2.2 कर

अप्रत्याशित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटा माना गया है, क्योंकि यह संभावना है कि कर योग्य उपलब्ध लाभ का उपयोग नुकसान के लिए किया जा सकता है। स्थगित कर संपत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसे भावी कर योजना के साथ संभावित समय और भावी कर योग्य लाभ के स्तर पर रणनीतियां बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।

2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ उपदान योजनाएं और अन्य प्रकार की नियोजन के पश्चात चिकित्सा लाभ और उपदान बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य का लागत निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न अनुमान किए जाते हैं जो कि भविष्य में होने वाले वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इसमें रियायती दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन की विभिन्न जटिलताओं और इसकी दीर्घकालीन प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ बाध्यताएं इन अनुमानों में परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होती हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है। रियायती दर के बदलने की संभावना सर्वाधिक होती है। भारत में परिचालित योजनाओं के समुचित रियायती दर के निर्धारण में, प्रबंधन सरकारी बॉण्डों की ब्याज दरों के साथ समान रूप से नियोजन पश्चात लाभ बाध्यताओं पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्यु दर तालिका पर आधारित होती है। इस मृत्यु दर तालिका में जन-सांख्यिकी परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में निश्चित अंतरालों पर परिवर्तन होता है। भविष्य की वेतन वृद्धि और उपदान वृद्धि भविष्य में प्रत्याशित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होती है।

2.23.2.4 वित्तीय लिखतों/साधनों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तब उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल सहित सामान्य तौर पर स्वीकार्य मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए मापा जाता है। इन मॉडलों में इनपुट को जहां संभव हो प्रेक्षणीय बाजार से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्य के निर्धारण में एक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णय में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट/प्रतिफलों का विचार किया जाता है। इन कारकों में अनुमान और प्राक्कलन में परिवर्तन वित्तीय लिखतों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य प्रभावित कर सकता है।

2.23.2.5 विकास के तहत अप्रत्यक्ष संपत्ति

कंपनी लेखा नीति के अनुरूप किसी परियोजना के लिए विकास के तहत परिसंपत्तियों का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है जिसमें सामान्यतः एक परियोजना रिपोर्ट बनाकर अनुमोदित कर उसकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर ली जाती है।

2.23.2.6 खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान

खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, खदान स्थल पुनरुद्धार और विनष्टीकरण तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित आधार पर परियोजना/खदान के जीवन पर विचार करते हुए डीसीएफ विधि का प्रयोग कर प्राक्कलन तैयार किया जाता है.

i. कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विशिष्टताओं के अनुसार प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत

ii. रियायती दर (कर पूर्व दर) जिस पर राशि के समय आधारित मूल्य के वर्तमान बाजार के अनुसार मूल्यांकन और विशेष रूप देयताओं के जोखिम पर प्रभाव डालते हैं।

2.24 प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

क.	CGU	नकद उत्पाद इकाई
ख.	DCF	रियायती नकदी प्रवाह
ग.	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य
घ.	FVTPL	लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य
ड.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत
च.	Ind AS	भारतीय लेखा मानक
छ.	OCI	अन्य व्यापक आय
ज.	P&L	लाभ व हानि
झ.	PPE	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण
ट.	SPPI	मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान
ठ.	EIR	प्रभावी ब्याज दर

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 3 : संपत्ति , संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण स्वा-मित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड भूमि)	अन्य भूमि	भवन (पानी की आपूर्ति , सड़कों और पुलिया आदि सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	भूमि पुनर्स्था पना / साइट बहाली लागत	फर्नीचर और जुड़नार	का-र्यालय उपक-रण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधा-रभूत संरचना	अन्य	"अप्र-युक्त (सर्वे ऑफ) परिसंप-त्ति यां"	कुल
वहन राशि :															
01-04-2019 को	223.21	708.23	476.90	1,696.35	22.22	29.31	332.89	174.41	30.72	2.51	-	645.12	-	4.33	4,346.20
परिवर्धन	43.96	158.83	97.44	96.13	0.93	10.99	23.30	16.52	4.44	0.27	-	156.93	0.02	1.72	611.48
विलोपन / समायोजन	0.51	-	(0.30)	(33.50)	-	-	-	(1.56)	0.27	0.01	-	(0.01)	2.53	(0.88)	(32.93)
31-03-2020 को	**267.68**	**867.06**	**574.04**	**1,758.98**	**23.15**	**40.30**	**356.19**	**189.37**	**35.43**	**2.79**	**-**	**802.04**	**2.55**	**5.17**	**4,924.75**
01-04-2020 को	267.68	867.06	574.04	1,758.98	23.15	40.30	356.19	189.37	35.43	2.79	-	802.04	2.55	5.17	4,924.75
परिवर्धन	77.13	321.27	76.89	115.25	0.90	142.26	15.82	31.67	1.68	-	-	129.09	-	0.43	912.39
विलोपन / समायोजन	0.74	-	(0.01)	(14.29)	-	-	-	0.11	(0.69)	-	-	(8.84)	-	(0.03)	(23.01)
31-03-2021 को	**345.55**	**1,188.33**	**650.92**	**1,859.94**	**24.05**	**182.56**	**372.01**	**221.15**	**36.42**	**2.79**	**-**	**922.29**	**2.55**	**5.57**	**5,814.13**
प्रावधान और नुकसान															
01-04-2019 को	-	179.83	108.87	542.73	9.66	6.51	131.96	85.12	5.27	0.92	-	278.63	-	4.33	1,353.83
वर्ष के लिए प्रभार	-	85.14	33.89	208.36	2.89	2.60	38.26	15.63	5.85	0.28	-	44.45	-	-	437.35
नुकसान	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	(9.87)	-	1.68	(7.94)
विलोपन / समायोजन	-	-	0.08	3.24	-	-	-	(33.56)	0.15	0.01	-	1.08	2.53	(0.84)	(27.31)
31-03-2020 को	**-**	**264.97**	**142.84**	**754.58**	**12.55**	**9.11**	**170.22**	**67.19**	**11.27**	**1.21**	**-**	**314.29**	**2.53**	**5.17**	**1,755.93**
01-04-2020 को	-	264.97	142.84	754.58	12.55	9.11	170.22	67.19	11.27	1.21	-	314.29	2.53	5.17	1,755.93
वर्ष के लिए प्रभार	-	86.63	36.98	194.77	2.80	3.07	35.48	20.18	5.35	0.24	-	64.78	-	-	450.28
नुकसान	-	-	-	0.78	-	-	-	-	-	-	-	29.04	-	0.43	30.25

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण स्वा-मित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड भूमि)	अन्य भूमि	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया आदि सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	भूमि पुनर्स्था पना / साइट बहाली लागत	फर्नीचर और जुड़नार	का-र्यालय उपक-रण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधा-रभूत संरचना	अन्य	"अप्र-युक्त (सर्वे ऑफ) परिसंप-त्ति यां"	कुल
विलोपन / समायोजन	-	-	0.04	(3.39)	-	-	-	0.12	(0.64)	-	-	9.03	-	(0.03)	5.13
31-03-2021 को	**-**	**351.60**	**179.86**	**946.74**	**15.35**	**12.18**	**205.70**	**87.49**	**15.98**	**1.45**	**-**	**417.14**	**2.53**	**5.57**	**2,241.59**
निवल वहन राशि															
31-03-2021 को	**345.55**	**836.73**	**471.06**	**913.20**	**8.70**	**170.38**	**166.31**	**133.66**	**20.44**	**1.34**	**-**	**505.15**	**0.02**	**-**	**3,572.54**
31-03-2020 को	**267.68**	**602.09**	**431.20**	**1,004.40**	**10.60**	**31.19**	**185.97**	**122.18**	**24.16**	**1.58**	**-**	**487.75**	**0.02**	**-**	**3,168.82**

टिप्पणी:

1. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के तहत अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए अलग से स्वात्वि विलेख (टाईटल डीड) की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों, जिसमें कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं, को छोड़कर अधिग्रहीत भूमि के लिए लगभग सभी स्वामित्व विलेख (टाईटल डीड) प्राप्त हो चुके हैं और कंपनी के पक्ष में उनका दाखिल-खारिज भी हो चुका है।
2. भूमि - अन्य में कोयलाधारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के तहत अधिगृहीत भूमि को शामिल किया गया है।
3. भूमि सुधार/ स्थल पुनर्स्था पन लागत में खान बंदी पर की जाने वाली अनुमानित लागत को बढ़ी हुई मुद्रास्फीति (5% प्रति वर्ष) के साथ शामिल की जाती है और फिर 8% की दर से छूट दी जाती है, जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।
4. कोल माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्ग नाइजेशन और कोल माइंस रेस्क्यू ऑर्ग नाइजेशन सेली गई संपत्ति और देनदारियां, जिनके लिए कोई मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है, मूल्य निर्धारणलंबि तहोने के कारण उन्हें खातों में शामिल नहीं कि या गया है। कोल माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्ग नाइजेशन, कल्ला एवं केंद्रीय अस्ताल के साथ 4 अन्य अस्पतालों / डिस्पेंसरियों, माइन्स रेस्क्यू स्टेशन, बाराकर इंजीनि यरिंग एंड फाउंड्री वर्क्स के संबंध में परिसंपत्ति और दयेताओं के लिए हस्तांतरित और कंपनी द्वारा लिया गया औपचारिक हस्तांतरण विलेख/ समझौते को अभी भी कंपनी के पक्ष में अंतिम रूप दिया जाना और निष्पादित किया जाना बाकी है।
5. तकनीकी अनुमान के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।
6. कंपनी हानि का परीक्षण करने के उद्देश्य से अलग नकद उत्पा दन इकाइयों के रूप में अलग-अलग खानों पर विचार करता है और एक ही अगले पांच वर्षों के लिए अनुमानि त नकदी प्रवाह पर वि चार DCF मॉडल पर गणना की जाती है। छूट की दर @ 8% माना गया है। / लाभ और हानि के वक्तव्य में परिशोधन उपरोक्त गणना के आधार पर, ₹ 29.45 करोड़ (₹ 79.77 करोड़) को हानि राशि का आरोप लगाया गया है और ₹ 37.39 करोड़ (शून्य) वर्ष के दौरान उलट दि या और सि र मूल्यह्रास के तहत दि खाया गया है।
7. संयत्र, संपत्ति और उपकरण: भवन (बिल्डिंग) में आवासीय/ कार्यालय/ खनन क्षेत्र में स्थि त सड़कें और पुलि या शामिल हैं।
8. परिसंपत्ति योंर और दयेताओं के कंपनी को स्थानांतरण के लिए विधिक औपचारिकताओं के लंबित होने के कारण खनन अधिकारों आदि सहित कुछ परिसंपत्तियां कोल इंडिया लिमिटेड के नाम सेही जारी रहगेी।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : पूंजीगत कार्य प्रगति (डब्ल्यूआईपी) (₹ करोड़ में)

	भवन (जलापूर्ति , सड़क और पुल सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	क्रमागत उन्नति	अन्य	कुल
वहन राशि :						
01-04-2019 को	57.53	42.47	125.40	69.41	12.71	307.52
परिवर्धन	77.52	197.46	30.77	158.77	10.63	475.15
विलोपन / समायोजन	(94.57)	(44.25)	(9.01)	(139.28)	(10.57)	(297.68)
31-03-2020 को	**40.48**	**195.68**	**147.16**	**88.90**	**12.77**	**484.99**
01-04-2020 को	40.48	195.68	147.16	88.90	12.77	484.99
परिवर्धन	98.48	235.66	46.43	135.63	14.29	530.49
विलोपन / समायोजन	(74.82)	(76.07)	(141.36)	(106.57)	(10.56)	(409.38)
31-03-2021 को	**64.14**	**355.27**	**52.23**	**117.96**	**16.50**	**606.10**
प्रावधान और नुकसान						
01-04-2019 को	(0.11)	(1.22)	(0.90)	6.22	(0.01)	3.98
वर्ष के लिए प्रभार	0.21	-	-	-	0.07	0.28
नुकसान	-	-	-	4.94	-	4.94
विलोपन / समायोजन	-	-	-	2.48	-	2.48
31-03-2020 को	**0.10**	**(1.22)**	**(0.90)**	**13.64**	**0.06**	**11.68**
01-04-2020 को	0.10	(1.22)	(0.90)	13.64	0.06	11.68
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.33	-	-	-	0.33
नुकसान	-	0.35	-	12.55	-	12.90
विलोपन / समायोजन	-	2.33	0.90	(9.32)	-	(6.09)
31-03-2021 को	**0.10**	**1.79**	**-**	**16.87**	**0.06**	**18.82**
निवल वहन राशि						
31-03-2021 को	**64.04**	**353.48**	**52.23**	**101.09**	**16.44**	**587.28**
31-03-2020 को	**40.38**	**196.90**	**148.06**	**75.26**	**12.71**	**473.31**

टिप्पणी:

1. ₹ 12.90 करोड़ (₹ 7.34 करोड़) की राशि का आरोप लगाया गया है और निल (₹ 2.40 करोड़) वर्ष के दौरान उलट दिया गया है और लाभ और हानि के विवरण में प्रमुख मूल्यह्रास / परिशोधन के तहत दिखाया गया है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 5 : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
वहन राशि :	
01-04-2019 को	600.00
परिवर्धन	16.04
विलोपन / समायोजन	(0.29)
31-03-2020 को	**615.75**
01-04-2020 को	615.75
परिवर्धन	44.02
विलोपन / समायोजन	(4.31)
31-03-2021 को	**655.46**
प्रावधान और नुकसान	
01-04-2019 को	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
नुकसान	-
वि लोपन / समायोजन	-
31-03-2020 को	**-**
01-04-2020 को	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
नुकसान	-
विलोपन / समायोजन	-
31-03-2021 को	**-**
निवल वहन राशि	
31-03-2021 को	**655.46**
31-03-2020 को	**615.75**

टिप्पणी:

1. अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्तियों में झारखंड राज्य में तीन कोयला ब्लॉक अर्थात् अमरकोंडा-मुरगादंगल, ब्राह्मणी और चिचरी-पिस्टिमल के आवंटन के प्रति। ₹443.84 करोड़ (₹ 417.44 करोड़) शामिल हैं।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 6 : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य	कुल
वहन राशि :			
01-04-2019 को	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31-03-2020 को	-	-	-
01-04-2020 को	-	-	-
परिवर्धन	3.20	-	3.20
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31-03-2021 को	**3.20**	**-**	**3.20**
प्रावधान और नुकसान			
01-04-2019 को	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-
नुकसान	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31-03-2020 को	-	-	-
01-04-2020 को	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	0.42	-	0.42
नुकसान	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31-03-2021को	**0.42**	**-**	**0.42**
निवल वहन राशि			
31-03-2021 को	**2.78**	**-**	**2.78**
31-03-2020 को	-	-	-

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	"शेयरों की संख्या वर्तमान वर्ष / गत वर्ष"	"प्रति शेयर अंकित मूल्य वर्तमान वर्ष / गत वर्ष"	31-03-2021 को	31-03-2020 को
गैर-वर्तमान				
अन्य (सहकारी शेयरों में)				
i) "कोल माइन्स ऑफीसर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में "बी" श्रेणी के शेयर"	500 (500)	1000 (1000)	0.05	0.05
ii) दि शेरगढ़ कोलियरी कर्माचारी सेंट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लि.में "बी" श्रेणी के 1000 शेयर	1000 (1000)	100 (100)	0.01	0.01
iii) मुग्मा कोलफील्ड कोलरी में 4000 शेयर वर्कर्स सेंट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड	4000 (4000)	25 (25)	0.01	0.01
iv) "सोदेपुर कोलियरी कर्मचारी सेंट्रल को-ऑपरेटि व क्रेडिट सोसाइटी लि . में "बी" श्रेणी के शेयर"	500 (500)	100 (100)	0.005	0.005
v) "धेनोमैन कोलियरी कर्मचारी सेंट्रल को-ऑपरेटि व क्रेडिट सोसाइटी लि . में "बी" श्रेणी के शेयर"	500 (500)	100 (100)	0.005	0.005
कुल			**0.08**	**0.08**
गैर-उद्धृत नि वेश की कुल राशि :			0.08	0.08
उद्धृत निवेश की कुल राशि :			-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			-	-
निवेश के मूल्य में नुकसान की कुल राशि :			-	-
टिप्पणी:				
1. परिशोधित लागत पर मान्य कर्मचारी सहकारी समितियों को शेयर				
वर्तमान				
म्युचुअल फंड निवेश				
यूटीआई म्युचुअल फंड			-	-
एलआईसी म्युचुअल फंड			-	-
एसबीआई म्युचुअल फंड			-	-
कैनरा रोबेको म्युचुअल फंड			-	-
यूनि यन केबीसी म्युचुअल फंड			-	-
बीओआई एक्सा म्युचुअल फंड			-	-
8.5 % कर मुक्त विशेष बॉन्ड (पूर्ण प्रदत्त):				
यूपी			-	-
कुल			-	-
कुल उद्धृत निवेश:			-	-
कुल गैर-उद्धृत निवेश:			-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			-	-
निवेश के मूल्य में नुकसान की कुल राशि :			-	-

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021 को		31-03-2020 को	
गैर-वर्तमान				
अन्य ऋण				
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	0.02		0.05	
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले	-		-	
खराब साख	-		-	
	0.02		0.05	
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	0.02	-	0.05
कुल		**0.02**		**0.05**
वर्गीकरण				
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	0.02		0.05	
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले	-		-	
खराब साख	-		-	
वर्तमान				
अन्य ऋण				
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले	-		-	
खराब साख	-		-	
	-		-	
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-	-	-
कुल		-		-

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021 को		31-03-2020 को	
गैर-वर्तमान				
बैंक जमा		0.22		0.12
निम्न मदों के तहत बैंक में जमा राशि				
खदान बंदी योजना *		699.42		632.97
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना		-		-
अन्य जमा और प्राप्य **	21.07		21.07	
घटाएं: संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान	21.07	-	21.07	-
कुल		**699.64**		**633.09**

टिप्पणी:

* ₹ 68.56 करोड़ (₹ 148.37 करोड़) जमा किए गए हैं और ₹ 32.52 करोड़ (शून्य) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जारी किए गए हैं। वर्ष के दौरान खान बंद करने वाले एस्क्रो खाते की ओर भारत।

** ₹ 30.41 करोड़ (₹ 32.31 करोड़) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा माइन क्लोजर एस्क्रो के लिए ब्याज के रूप में जमा किए गए हैं वर्ष के दौरान खाता।

*** अन्य प्राप्तियों में पश्चिम बंगाल सरकार से बिजली शुल्क प्राप्तियों के रिफंड के रूप में ₹ 20.86 करोड़ (₹ 20.86 करोड़) शामिल हैं।

एस्क्रो खाता की प्राप्त शेष राशि :

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021 को		31-03-2020 को	
प्रारंभिक तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष राशि	632.97		452.29	
युक्त: चालू वर्ष के दौरान जमा शेष राशि	68.56		148.37	
युक्त: वर्ष के दौरान ब्याज का श्रेय	30.41		32.31	
कम: चालू वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	32.52		-	
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष राशि	**699.42**		**632.97**	
वर्तमान				
सीआईएल के साथ अधिशेष निधि		-		-
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जमा शेष		-		-
अर्जित ब्याज		14.65		236.14
दावे और अन्य प्राप्य	24.81		36.74	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	5.97	18.84	5.81	30.93
कुल		**33.49**		**267.07**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 10 : अन्य गैर-वर्तमान पत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021 को		31-03-2020 को	
i. पंजी अग्रिम	248.70		277.30	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.48	247.22	1.48	275.82
ii. पंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम				
(क) उपयोगिताओं के लिए सरुक्षा जमा*	4.06		3.74	
घटाएं: संदि ग्ध अग्रिम ों के लि ए प्रावधान	1.52	2.54	1.52	2.22
(ख) अन्य जना एवं अग्रिम	47.56		47.36	
घटाएं: संदग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.13	47.43	0.13	47.23
iii. खान बंद करने का प्रगतिशील खर्च किया गया**		462.73		339.86
कुल		**759.92**		**665.13**

टिप्पणी:

* सीआईएसएफ विंग की शक्त बढ़ाने के लिए सिक्यो रिटी डिपॉजिट के लिए ₹ 2.21 करोड़ आंतरिक मामलों के मंत्रालय में जमा किए हैं।

** खान बंद करने का प्रगतिशील खर्च इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एस्क्रो खाते से प्राप्त किया जाना है। सीसीओ द्वारा सीएमपीडीआईएल के माध्यम से ₹ 65.05 करोड़ की खदान बंद करने के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए ऑडिट किया गया है एस्क्रो खाता, जिसमें से वर्ष के दौरान कंपनी को ₹ 32.52 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

टिप्पणी 11 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021 को		31-03-2020 को	
राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तुएं एवं सेवाएं)	41.30		38.73	
घटाएं: संदग्ध अग्रिों के लिए प्रावधान	0.02	41.28	0.02	38.71
सांविधिक बकायों का अग्रिम भुगतान	224.68		266.67	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	224.68	-	266.67
अन्य अग्रिम एवं जमाएं	33.69		228.96	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.89	31.80	1.89	227.07
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य		324.30		270.88
कुल		**622.06**		**803.33**

टिप्पणी:

1. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों को कुछ संदिग्ध अग्रिमों को छोड़कर सुरक्षित और अच्छा माना जाता है जिसके लिए उपरोक्त के रूप में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 12 : सूची (इन्वेंटरी)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021को		31-03-2020 को	
कोयले का स्टॉक	622.73		321.92	
विकास के तहत कोयला	-		-	
कोयले का स्टॉक (शुद्ध) **(क)**		622.73		321.92
भंडार और पुर्जों का स्टॉक (लागत पर)	161.67		165.50	
जोड़ें: पारगमन के तहत भंडारण	11.40		0.87	
शुद्ध भंडार और पुर्जों का स्टॉक (लागत पर) **(ख)**		173.07		166.37
केन्द्रीय अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक **(ग)**		0.78		0.59
कर्मशाला और प्रेस कार्य **(घ)**		13.78		13.88
कुल (क + ख + घ + घ)		**810.36**		**502.76**

टिप्पणी:

1. मूल्यांकन की विधि : नोट 2 के बिंदु संख्या 2.20 का संदर्भ लें - महत्वपूर्ण लेखा नीति।

31-03-2021 को बुक स्टाक के साथ लेखा में अपनाया गया कोयले के समापन स्टॉक का सामंजस्य

टिप्पणी 12 से संबंधित अनुलग्नक (1)

बही स्टॉक और मापित स्टॉक का मिलान

(लाख टन में मात्रा) (₹ करोड़ में)

	कुल स्टॉक		गैर-बिक्री योग्य स्टॉक		बिक्री योग्य स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
01.04.2020 को आरंभिक स्टॉक	33.36	323.25	-	-	33.36	323.25
जोड़ / (घटाव) : आरंभिक स्टॉक में समायोजन	-	-	-	-	-	-
01.04.2020 को आरंभिक स्टॉक में समायोजन	**33.36**	**323.25**	**-**	**-**	**33.36**	**323.25**
2. वर्ष के लिए उत्पादन	450.05		-		450.05	
3. उप-योग (1 + 2)	**483.41**	**323.25**	**-**	**-**	**483.41**	**323.25**
4. उठान (ऑफ टेक) :						
(क) बाहरी प्रेषण	418.62	10,256.39	-	-	418.62	10,256.39
(ख) वाशरियों में खपत	-	-	-	-	-	-
(ग) निजी खपत	1.77	52.93	-	-	1.77	52.93
योग	**420.39**	**10,309.32**	**-**	**-**	**420.39**	**10,309.32**
5. व्युत्पन्न स्टॉक	63.02	624.04	-	-	63.02	624.04
6. मापित स्टॉक	61.25	607.56	-	-	61.25	607.56
7. अंतर (5-6)	1.77	16.48	-	-	1.77	16.48
8. अंतर का विवरण:						

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

(लाख टन में मात्रा) (₹ करोड़ में)

	कुल स्टॉक		गैर-बिक्री योग्य स्टॉक		बिक्री योग्य स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
(क) 5% के भीतर की अधिकता	-	0.01	-	-	-	0.01
(ख) 5% के भीतर की कमी	1.77	16.49	-	-	1.77	16.49
(ग) 5% से ऊपर की अधिकता	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक की कमी	-	-	-	-	-	-
9. समापन स्टॉक में अपनाया गया खाते [6 - 8क + 8ख]	**63.02**	**624.04**	**-**	**-**	**63.02**	**624.04**

टिप्पणी: उत्पादन में 0.01 लाख टन का जब्त कोयला शामिल है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

नोट का अनुबंध - 12 (1)

बुक स्टॉक और मापा स्टॉक का समाधान

(मात्रा लाख टन में) (₹ करोड़ में)

	कच्चा कोयला				Washed Coal				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		गैर-कोकिंग		कोकिंग		गैर-कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आरंभिक स्टॉक (अंकेक्षित)	-	-	33.36	323.25	-	-	-	-	-	-	33.36	323.25
घटाएं: गैर-बिक्री योग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन आरंभिक स्टॉक (बिक्री योग्य)	-	-	33.36	323.25	-	-	-	-	-	-	33.36	323.25
उत्पादन	**-**	**-**	**450.05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**450.05**	**-**
उठाव (ऑफटेक)												
क. प्रेषण	-	-	418.62	10,256.39	-	-	-	-	-	-	418.62	10,256.39
ख. वाशरी लिए इस्तेमाल किया गया कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. निजी खपत	-	-	1.77	52.93	-	-	-	-	-	-	1.77	52.93
अंतिम स्टॉक	-	-	63.02	624.04	-	-	-	-	-	-	63.02	624.04
घटाएं: कमी (शॉर्टेज)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2021 को अंतिम स्टॉक	**-**	**-**	**63.02**	**624.04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.02**	**624.04**
घटाएं: कोयले के समापन स्टॉक के खिलाफ प्रावधान	-	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	0.37
घटाएं: जब्त किया गया कोयला	-	-	-	0.94	-	-	-	-	-	-	-	0.94
31-03-2021 को अंतिम स्टॉक	**-**	**-**	**63.02**	**622.73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.02**	**622.73**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 13 : व्यापार प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021 को		31-03-2020 को	
वर्तमान				
व्यापार प्राप्तियां				
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	4,423.53		3,316.46	
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वाली	-		-	
खराब साख	369.81		383.16	
	4,793.34		3,699.62	
घटाएं : खराब और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	369.81	4,423.53	383.16	3,316.46
कुल		**4,423.53**		**3,316.46**

टिप्पणी:

	31-03-2021 को	31-03-2020 को
1. कंपनियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक भी एक निदेशक / सदस्य हैं।		
अंतिम जमाशेष	शून्य	शून्य
किसी भी समय देय अधिकतम राशि	शून्य	शून्य
2. एसे पक्षों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक/ निदेशकों की रूचि है।		
अंतिम जमाशेष	शून्य	शून्य
किसी भी समय देय अधिकतम राशि	शून्य	शून्य
3. भत्ते का विवरण निम्नलिखित है:-		
आरंभिक शेष	383.16	307.05
घटाएं: - प्रारंभिक ऋणदाताओ के लिए निपटान किए गए/ बट्टे खाले में डाले गए/ समायोजित	-	1.00
जोड़े:- वर्ष के दौरान नए प्रावधान	26.20	91.74
घटाएं:- प्रारंभि क प्रावधान से बट्टे खाते में	39.55	14.63
अंतिम शेष	**369.81**	**383.16**
4. विविध देनदारों के लिए प्रावधान अपेक्षिक क्रेडिट हानि मॉडल पर आधारित हैं।		
5. ऊपर दी गई व्यापार प्राप्ती कोयला गुणवत्ता के समायोजन के बाद ₹ -79.97 करोड़ (₹ 121.99 करोड़) की राशि है।		

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 14 : नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021 को	31-03-2020 को
बैंकों में जमा शेष		
i. जमा खातों में	-	-
ii. चालू खातों में		
क. ब्याज के साथ (सीएलटीडी खाते आदि)*	442.30	77.49
ख. गैर-ब्याज के साथ	502.86	15.79
iii. कैश क्रेडिट खातों में	-	-
भारत के बाहर बैंक जमा शेष	-	-
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट और स्टांप	-	-
हस्तगत नकदी	-	-
भारत के बाहर हस्तगत नकदी	-	-
अन्य	-	-
कुल नकदी और नकदी समतुल्य	**945.16**	**93.28**

टिप्पणी 15 : अन्य बैंक जमा शेष

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021 को	31-03-2020 को
बैंकों में जमा शेष		
जमा खाते	566.50	3,873.27
खदान बंदी योजना	-	-
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
अदत्त लाभांश खाते	-	-
लाभांश खाते	-	-
कुल	**566.50**	**3,873.27**

टिप्पणी:

1. बैंक जमाएं 3 महीने से अधिक किंतु 12 महीने से कम परिपक्वता अवधि की हैं।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021 को	31-03-2020 को
अधिकृत		
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 25000000 इक्विटी शेयर	2,500.00	2,500.00
	2,500.00	2,500.00
निर्गत , अभिगत, प्रदत्त (पेड-अप)		
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के पूर्णत : नकदी में चुकता 10390000 इक्विटी शेयर	1,039.00	1,039.00
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के नकदी के अलावा पूर्णतः भुगतान के रूप में विचारार्थ आवंटित 11794500 इक्विटी शेयर	1,179.45	1,179.45
	2,218.45	**2,218.45**

टिप्पणी:

1. कंपनी में प्रत्येक शेयर धारक के पास 5 % से अधिक शेयर

शेयर धारक का नाम	**धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1000)**	
कोल इंडिया लिमिटेड - धारक कंपनी (इक्विटी शेयर)	2,21,84,500	2,21,84,500
कोल इंडिया लिमिटेड - होल्डिंग कंपनी (इक्विटी शेयर होल्डिंग का %)	100%	100%

2. वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ।
3. कंपनी के पास केवल एक ही श्राणी के शेयर अर्थात इक्विटी शेयर हैं।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	अधिमान शेयर पूंजी का इक्विटी अंश	अन्य रिजर्व				सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	कुल अन्य पूंजी मोचन व्यापक आय	कुल
		पूंजी मोचन व्यापक आय कुल आरक्षित	पूंजी आरक्षित	सीएसआर आरक्षित	सतत विकास आरक्षित				
01-04-2019 को शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**(3,002.57)**	**144.31**	**(1,169.94)**
प्रतिधारित आय को स्थानांकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य आरक्षित / प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	997.65	(163.28)	834.37
विनियोग									
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य बदलाव (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2020 को शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**(2,004.92)**	**(18.97)**	**(335.57)**
01-04-2020 को शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**(2,004.92)**	**(18.97)**	**(335.57)**
अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय को स्थानांकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य आरक्षित / प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक अवधि	-	-	-	-	-	-	(759.58)	(234.48)	(994.06)
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	अधिमान शेयर पूंजी का इक्विटी अंश	अन्य रिजर्व				सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	कुल अन्य पूंजी मोचन व्यापक आय	कुल
		पूंजी मोचन व्यापक आय कुल आरक्षित	पूंजी आरक्षित	सीएसआर आरक्षित	सतत विकास आरक्षित				
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर की बायबैक कोई अन्य बदलाव (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2021 को शेष	**855.61**	-	-	-	-	**832.71**	**(2,764.50)**	**(253.45)**	**(1,329.63)**

टिप्पणी :

	31-03-2021	31-03-2020
1. वरीयता शेयर पंजी की अधिकृत शेयर पंजी 21000000 शेयर, 6% अपरिवर्तनीय सकल, बिमोचन योग्य रू 1000/ प्रत्येक।	2,100.00	2,100.00

2. वर्ष के दौरान वरीयता शेयरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

3. वित्त वर्ष 2014-15 में कोल इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) को वरीयता शेयर जारी किए गए।

4. अधिमानी शेयर एक मिश्रित वित्तीय साधन है और लाभांश संचयी और विवेकाधीन है। इंड एएस 109 के अनुसार इस मिश्रित लिखत को इक्विटी और लंबी अवधि के उधार में अलग किया गया है। वरीयता शेयर पूंजी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना 8% प्रति वर्ष की छूट दर लागू करके की गई है। गणना किए गए नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य को दीर्घकालिक उधार (26.12.2014 को ₹ 1195.36 करोड़) और शेष राशि यानी मौजूदा वरीयता शेयरों के मूल्य और लंबी अवधि के उधार के बीच अंतर (₹ 2050.97 करोड़ - ₹ 1195.36 करोड़) के रूप में माना गया है। ₹ 855.61 करोड़) को 26.12.2014 को नया वरीयता शेयर माना गया है।

5. सामान्य आरक्षित एक मुक्त आरक्षित है, जिसका उपयोग आवश्यकता होने पर विनियोजन उद्देश्यों के लिए विनियोजित आय से मुनाफे के हस्तांतरण के लिए किया जाता है।

6. रिटायर्ड कमाई कंपनी की संचित कमाई के निर्विवाद लाभ / राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

7. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्भुगतान लाभ / (हानि) से संबंधित इक्विटी में संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी18: उधारियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021 को	31-03-2020 को
गैर-वर्तमान		
मियादी ऋण		
बैंकों से	-	-
अन्य पक्षों से		
निर्यात विकास निगम, कनाडा	153.09	164.82
संयुक्त वित्तीय लिखत के देयता घटक (वरीयता शेयर)	1,938.59	1,794.99
अन्य ऋण	-	-
कुल	**2,091.68**	**1,959.81**
वर्गीकरण 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	2,091.68	1,959.81
वर्गीकरण 2		
निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण गारंटी	-	-
ऋण का विवरण	**राशि (₹ करोड़ में)**	**गारंटी की प्रकृति**
निर्यात विकास निगम, कनाडा	153.09	भारत सरकार

टिप्पणी

1. निर्यात से असुरक्षित ऋण के संबंध में ₹ 4.95 करोड़ (₹ -13.04 करोड़) की विनिमय दर भिन्नता पर लाभ विकास निगम, कनाडा को असुरक्षित ऋण के मूल्य और संबंधित प्रभाव में समायोजित किया गया है अन्य आय में दिखाया गया है (नोट - 25)।

2. पुनर्भुगतान अनुसूची- EDC कनाडा से ऋण की किस्त की चुकौती 31 जनवरी और 31 जुलाई को किया जाता है।

3. वरीयता शेयर एक मिश्रित वित्तीय साधन है और लाभांश संचयी और विवेकाधीन है। 109 इंडस्ट्रीज़ के अनुसार, इस कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी और लॉन्ग टर्म बॉरोइंग में अलग किया गया हौ वरीयता शयेर पंजी नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य 8% p.a की छूट दर को लागू करके गणना की गई हौ ₹ 1195.36 करोड़ = ₹ - नकदी के वर्तमान मूल्य की गणना प्रवाह के रूप में लॉन्ग टर्म (पर 26/12/2014 के रूप में ₹ 1195.36 करोड़) उधार और शेष राशि मौजूदा पसंद शेयरों मूल्य और लंबी अवधि ₹ 2050.97 उधार (करोड़ के बीच का अंतर यानी माना गया है 855.61 करोड़) को 26.12.2014 को नए वरीयता शेयरों के रूप में माना गया है। यौगिक वित्तीय साधन (पसंद शेयरों) का दायित्व घटक के मूल्य ₹ 143.60 करोड़ रुपए (₹ 132.96 करोड़ रुपए) की लागत का अमॉर्टिजेशन तनाव मुक्त समायोजित करने के बाद प्राप्त किया गया है।

वर्तमान		
मांग पर चुकौती योग्य ऋण		
बैंकों से	-	-
अधिकोष अधिविकर्ष	0.12	368.16
अन्य पक्षों से	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	**0.12**	**368.16**
वर्गी करण		
सुरक्षित	0.12	368.16
असुरक्षित	-	-

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी18: उधारियां

टिप्पणी:

1. सावधि जमा पर बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त की गई है जिसकी स्वीकृत सीमा ₹ 625.00 करोड़ (NIL) है।

2. कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों भारत, कॉर्पोरेट लेखा समूह शाखा, कोलकाता में इस तरह के संघ को लीड बैंक जा रहा है स्टेट बैंक के साथ संघ व्यवस्था के तहत कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों का काम कर राजधानी उधारदाताओं से काम कर राजधानी क्रेडिट सविधा का लाभ उठाया और बनाने / व्यवस्था आदेश सुरक्षित करने के लिए पहले शुल्क के माध्यम से पूरे वर्तमान आस्तियों का दृष्टिबंधक के माध्यम से सुरक्षा के निर्माण के लिए पंजी उधारदाताओं काम कर कहा काम कर ₹ 535.00 करोड़ की कुल द्वारा दी में पंजी ऋण सविधाओं कहा।

टिप्पणी 19 : व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

(परिशोधन लागत पर वहन किया गया)	31-03-2021 को	31-03-2020 को
वर्तमान		
सूक्ष्म और लघु उद्यम	0.97	2.17
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा	1,027.76	1,179.73
कुल	**1,028.73**	**1,181.90**

टिप्पणी

	31-03-2021 को	31-03-2020 को
1. व्यापार भुगतान - सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया		
क. प्रधानाचार्य और ब्याज राशि बकाया नहीं है, लेकिन वर्ष के अंत के कारण	0.97	2.17
ख. माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट , 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा दिए गए भुगतान के साथ-साथ आपूर्ति कर्ता को किए गए भुगतान की राशि और वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के अनुसार ब्याज।	-	-
ग. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए ब्याज देय और देय (जो भुगतान किया गया है लेकिन इस अवधि के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ. साल के अंत तक ब्याज और बकाया नहीं मिला	-	-
ङ. इसके बाद के वर्षों में भी ब्याज तब तक देय और देय है, जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यम को देय न हो।	-	-

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

(परिशोधित कीमत पर गए)	31-03-2021 को	31-03-2020 को
गैर-वर्तमान		
प्रतिभूति	91.55	94.46
अग्रिम धन	-	-
अन्य	1.38	1.38
कुल	**92.93**	95.84
वर्तमान		
निम्नलिखित के साथ चालू खाता		
कोल इंडिया लिमिटेड	201.87	515.71
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	6.95	7.16
प्रतिभूति	241.64	227.75
अग्रिम धन	139.64	148.73
पंजीगत व्यय के लिए दये	317.11	141.49
वेतन, मजदूरी और भत्तों के लिए दायित्व	696.68	616.19
कुल	**1,603.89**	**1,657.03**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 21: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021 को	31-03-2020 को
गैर-वर्तमान		
कर्मचारी लाभ		
उपदान (ग्रेच्युटी)	118.00	(131.77)
छुट्टी नकदीकरण	253.44	136.10
अन्य कर्मचारी लाभ	101.79	97.12
साइट पुनरुद्धार / खदान बंदी	705.03	674.41
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	2,742.56	2,741.29
अन्य (सेवा निवृत्ति पश्चत चिकित्सा लाभ)	390.80	183.61
कुल	**4,311.62**	**3,700.76**

टिप्पणी:

1. ग्रेच्युटी की अवधि की अंतिम देयता, अवकाश नकदीकरण, कर्मचारी के लिए सेवानि वृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ और समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, अवकाश यात्रा रियायत, खदान दुर्धटना मृत्यु के मामले में आश्रि तों को मुआवजा आदि का मूल्यां कन बीमांकि क आधार पर किया जाता हैं।
2. दीर्घकालि क ग्रेच्युटी का प्रावधान ₹ 4058.00 करोड़ (₹ 4143.17 करोड़) के ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड शेष के समायोजन के बाद हैं।
3. दीर्घकालिक अवकाश नकदीकरण का प्रावधान एलआईसी के साथ ₹ 565.02 करोड़ (₹ 568.77 करोड़) की अवकाश नकदीकरण निधि के समायोजन के बाद है।
4. अन्य प्रावधान (सेवानि वृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ) ₹ 134.39 करोड़ (₹132.91 करोड़) के सीपीआरएमएसई ट्रस्ट फंड शेष के समायोजन के बाद है।
5. अन्य प्रावधान (सेवानि वृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ) में चिकित्सा सुवि धा के लिए सेवानि वृत्त गैर-अधिकारियों से प्राप्त गैर-वापसी योग्य शुल्क का ₹ 258.50 करोड़ (₹ 121.29 करोड़) राशि शामिल है।
6. भूमि/ स्थल पुनर्स्था पन/ खदान के पुनरुद्धार का मिलान:

	31-03-2021 को	31-03-2020 को
दिनांक 01.04.2020/01.04.2019 को स्थल पुनर्स्थापन परिसंपत्ति का कुल मूल्य	674.41	606.03
जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़	15.82	23.30
जोड़ें: छूट की अनदेखी	47.32	45.08
कम: वर्ष के दौरान आहरण	32.52	-
साइट की बहाली का प्रावधान	**705.03**	**674.41**
वर्तमान		
कर्मचारी लाभ		
उपदान (ग्रेच्युटी)	491.32	452.33
अवकाश नकदीकरण	78.99	66.28
अनुग्रह राशि	377.14	365.68
प्रदर्शन आधारित भुगतान	128.28	183.62
अन्य कर्मचारी लाभ	157.03	150.34
कुल	**1,232.76**	**1,218.25**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 22: अन्य गैर-वर्तमान देयताएं **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2021 को	31-03-2020 को
स्थानांतरण और पुनर्वासनिधि	-	-
आस्थगित आय	3.98	2.78
कुल	**3.98**	**2.78**

टिप्पणी:

आस्थगित आय सड़क और रेल और वैज्ञानिक विकास कार्य के बुनियादी ढांचे की ओर व्यय की प्रति पूर्ति के माध्यम से कोयला मंत्रालय से सहायता कर रहे हैं।

टिप्पणी:23 अन्य वर्तमान देनदारियां **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2021 को	31-03-2020 को
सांविधिक बकाया	892.16	752.08
कोयला आयात के लिए अग्रिम	-	-
ग्राहकों / अन्य लोगों से अग्रिम	1,275.59	778.79
उपकर समानीकरण खाता	2,073.21	2,366.40
अन्य देयताएं	5.16	3.90
कुल	**4,246.12**	**3,901.17**

नोट 1:

प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को प्रचलित दर पर पूर्ववर्ती दो वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर कोयला धारित भूमि के वार्षिक मूल्य तथा पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को प्रचलित बिक्री मूल्य पर विचार करते हुए कोयले के प्रेषण मूल्य पर ग्राहकों से की गयी वसूली पर उपकर का भुगतान करने की प्रक्रिया में भुगतान के लिए ₹ 2073.21 करोड़ (₹ 2366.40 करोड़) की राशि शेष है जिसे उपकर खाते के तहत दिखाया गया है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 24 : परिचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2021		वर्ष के समापन पर 31-03-2020	
I. कोयला की बिक्री		14,821.26		18,192.36
घटाएं: वैधानिक लेवी (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)		4,564.87		5,368.62
कोयले की बिक्री (शुद्ध) (क)		**10,256.39**		**12,823.74**
II. अन्य परिचालन राजस्व				
बालू भराई और संरक्षा कार्यों के लिए अनुदान		0.12		-
लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन शुल्क	321.41		353.96	
घटाएं: वैधानिक लेवी	15.31	306.10	16.86	337.10
निकासी सुविधा शुल्क	163.32		186.47	
घटाएं: वैधानिक लेवी	7.78	155.54	8.88	177.59
अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध) (ख)		**461.76**		**514.69**
ग्रहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (क + ख)		**10,718.15**		**13,338.43**

टिप्पणी:

1. बिक्री जारी / उन्नयन / ग्रेड फिसलन के लिए पार्टियों के लिए जारी किया जा रहा क्रेडिट / डेबिट नोट के कारण ₹ 15.50 करोड़ रुपए (₹ 108.09 करोड़) की वास्तविक उन्नयन(+) / ग्रेड स्लिपेज(-) के लिए समायोजन का शुद्ध है।
2. उपरोक्त कोयले की बिक्री में अनुमानित कोयले की गुणवत्ता भिन्नता (रिवर्सल का शुद्ध) द्वारा राशि में वृद्धि (+) / कमी (-) की गई है से ₹ -201.96 करोड़ (₹ 196.01 करोड़)।
3. बिक्री में 49.80 एलटी (34.25 एलटी) की ई-नीलामी मात्रा और ₹ 651.65 करोड़ (₹ 741.77 करोड़) का ई-नीलामी लाभ शामिल है।
4. बिक्री में 0.75 एलटी (10.81 एलटी) की एमओयू मात्रा और ₹ 1.16 करोड़ (₹ 18.60 करोड़) का एमओयू लाभ शामिल है।
5. बिक्री 6.33 एलटी (7.05 एलटी) और ₹ 25.25 करोड़ रुपए (₹ 25.19 करोड़) के संबंध नीलामी लाभ के संबंध नीलामी मात्रा भी शामिल है।
6. बिक्री में ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत प्रदर्शन बिल प्रोत्साहन के रूप में ₹ शून्य (₹ 349.34 करोड़) शामिल हैं। प्रदर्शन 402वीं, 412वीं और 415वीं सीआईएल बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए प्रोत्साहन राशि माफ कर दी गई है।
7. सांविधिक लेवी में ₹ 12.13 करोड़ (NIL) एक नया उपकर शामिल है, जिसका नाम है "कोविड -19 महामारी उपकर" @ ₹ 10.00 प्रति टन झारखंड सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या 318, रांची दिनांक 6 जुलाई, 2020 द्वारा लगाया गया प्रेषण।
8. खदान के संबंध में पूर्व के मामलों में किए गए कोयला गुणवत्ता विश्लेषण के संबंध में रिपोर्टों की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर, कोयले की गुणवत्ता भिन्नता के प्रावधान का अनुमान लगाया गया है और निम्नलिखित तरीके से मान्यता प्राप्त है:

1. खदान के संबंध में पूर्व के मामलों में किए गए कोयला गुणवत्ता विश्लेषण के संबंध में रिपोर्टों की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर, कोयले की गुणवत्ता भिन्नता के प्रावधान का अनुमान लगाया गया है और निम्नलिखित तरीके से मान्यता प्राप्त है:

i. जहां पारस्परिक रूप से सहमत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से नमूनाकरण परिणामों की प्रतीक्षा की जाती है, सीक्यूवी के समायोजन को नवीनतम उपलब्ध परिणाम के महीने से पिछले छह महीनों के लिए पारस्परिक रूप से सहमत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से उपलब्ध परिणामों की प्रवृत्ति के आधार पर मान्यता दी गई है।

ii. जहां नमूना परिणाम पारस्परिक रूप से सहमत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन्हें रेफरी गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला को संदर्भित किया गया है, सीक्यूवी के लिए समायोजन को पिछले छह महीनों के लिए रेफरी गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से उपलब्ध परिणामों की प्रवृत्ति के आधार पर मान्यता दी गई है। नवीनतम परिणाम का महीना उपलब्ध है।

iii. ईंधन आपूर्ति समझौते के प्रावधानों के आधार पर नमूनारहित मात्रा पर सीक्यूवी के समायोजन को मान्यता दी गई है।

उपरोक्त प्रवृत्तियों के अपेक्षित परिणाम कोयले की गुणवत्ता भिन्नता के प्रावधान पर पहुंचने के लिए प्रतीक्षित परिणाम मात्रा पर लागू होते हैं।

9. इंड एएस 115 के अनुसार अलग-अलग राजस्व जानकारी नोट 38 में दी गई है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
ब्याज से आय	99.85	377.27
अन्य		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.55	3.25
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	4.95	-
देयता / प्रति लेखन प्रावधान	112.56	179.42
विविध आय	170.12	69.97
कुल	**388.03**	**629.91**

टिप्पणी - 26 : खपत की गई सामग्री की लागत

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
विस्फोटक	210.41	210.50
टिंबर / लकड़ी	5.37	5.84
तेल और स्नेहक	255.21	230.46
भारी मशीनों (एचईएमएम) के पुर्जों	86.42	62.41
अन्य उपभोज्य सामग्री एवं पुर्जे	162.66	172.69
कुल	**720.07**	**681.90**

टिप्पणी -27 : तैयार माल, चालू कार्य एवं अंतिम रूप से तैयार माल-सूची (इन्वेंटरी) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
कोयले का आरम्भिक स्टॉक	321.92	237.58
कोयले का अंतिम स्टॉक	622.73	321.92
कोयले की इन्वेंटरी में परिवर्तन (क)	(300.81)	(84.34)
कर्मशाला में तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य का आरम्भिक स्टॉक	13.88	11.36
कर्मशाला में तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य का अंतिम स्टॉक	13.78	13.88
कर्मशाला की इन्वेंटरी में परिवर्तन (ख)	0.10	(2.52)
कारोबारी स्टॉक की इन्वेंटरी में परिवर्तन {कमी/(वृद्धि)} (क + ख)	**(300.71)**	**(86.86)**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 28 : कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
वेतन एवं मजदूरी (भत्तों एवं बोनस आदि सहित)	5,900.62	5,832.47
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	1,619.84	1,566.99
कर्मचारी कल्याण व्यय	297.00	275.86
कुल	**7,817.46**	**7,675.32**

टिप्पणी:

1. पीएफ में योगदान और अन्य निधियों में ₹ 10.00 प्रति टन की दर से वसूली के विरुद्ध ₹ 15.60 करोड़ (शून्य) की राशि शामिल है। सीएमपीएस 1998 के कॉर्पस की ओर प्रेषण w.e.f. 01 दिसंबर 2020 414वें सीआईएल बोर्ड में लिए गए निर्णय के अनुसार बैठक।

टिप्पणी - 29 : कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
सीएसआर व्यय	11.56	11.48
कुल	**11.56**	**11.48**

टिप्पणी:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के कुल औसत शुद्ध लाभ का 2% होना चाहिए।

	31-03-2021	31-03-2020
3 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ	442.04	(52.23)
औसत शुद्ध लाभ का 2 %	8.84	-

2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय पर प्रकटीकरण नोट 38 के बिंदु संख्या 5(एस) में दिया गया है।

टिप्पणी - 30 : मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
भवन	10.52	14.75
संयंत्र एवं मशीनें	104.69	117.34
अन्य	2.12	2.34
कुल	**117.33**	**134.43**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 31 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
परिवहन शुल्क	199.95	249.01
वैगन लदाई	23.35	24.08
संयंत्र और उपकरणों को भाड़े पर लेना	1,582.91	1,573.84
अन्य संविदात्मक कार्य	135.02	127.92
	1,941.23	**1,974.85**

टिप्पणी - 32 : वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
ब्याज खर्चे		
उधारियां	2.88	0.16
छूट की कमी	47.32	45.08
अन्य	-	0.01
उचित मूल्य परिवर्तन	143.60	132.96
कुल	**193.80**	**178.21**

टिप्पणी - 33 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
संदिग्ध ऋण	26.20	91.74
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.16	1.80
भंडार एवं पुर्जे	1.20	1.71
अन्य	0.33	0.28
कुल	**27.89**	**95.53**

टिप्पणी - 34 : बट्टा खाता (पिछले प्रावधानों का शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
संदिग्ध ऋण	-	1.00
घटाएं:- पहले प्रदान किया गया	-	1.00
उप-योग (क)	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
घटाएं:- पहले प्रदान किया गया	-	-
उप-योग (ख)	-	-
कुल	**-**	-

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
यात्रा खर्च	4.06	12.74
प्रशिक्षण व्यय	2.54	5.38
टेलीफोन एवं डाक	1.27	1.66
विज्ञापन एवं प्रचार	1.06	2.34
विलम्ब शुल्क	1.14	1.43
सुरक्षा खर्च	107.51	95.65
कोल इंडिया लिमिटेड का सेवा-शुल्क	45.03	50.41
किराया प्रभार	44.54	46.78
कानूनी खर्च	1.75	4.13
परामर्श शुल्क	12.70	10.60
कम भराई शुल्क	38.13	45.05
परिसंपत्तियों के विक्रय/ अमान्य/ हटाने पर हानि	-	-
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं खर्च		
क. लेखा परीक्षा शुल्क	0.26	0.26
ख. कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.17	0.14
ग. अन्य सेवाओं हतु	0.20	0.25
घ. खर्चों की प्रति पूर्ति हेतु	0.17	0.19
आंतरिक अन्य लेखा-परीक्षा शुल्क एवं व्यय	2.41	2.63
पुनर्वास प्रभार	25.23	29.57
भाड़ा	0.10	0.09
दरें एवं कर	5.44	5.17
बीमा	0.03	0.02
विनिम य दर में अंतर के कारण घाटा	-	13.04
बचाव / सुरक्षा व्यय	1.46	1.28
भू राजस्व/ डेड रेट/ सरफेस रेंट	8.30	7.39
साइडिंग रख-रखाव प्रभार	4.41	0.91
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	8.21	4.50
विविध खर्चे	228.86	293.47
कुल	**544.98**	**635.08**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
वर्तमान वर्ष	-	426.30
आस्थगित कर	(154.45)	89.35
मेट क्रेडिट पात्रता	-	-
पहले के वर्ष	6.77	(11.95)
कुल	**(147.68)**	**503.70**

टिप्पणी :

1. निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर परसंपत्तियां / (देयताएं):

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021	31-03-2020
निम्नलिखित के संबंध में आस्थगित कर परसंपत्तियां / (देयताएं):		
कर्मचारी लाभ	246.36	138.25
संपत्ति , संयत्रव उपकरण तथा विकास, पूर्वेक्षण और बोरिंग	27.86	18.98
संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	93.07	96.43
संदिग्ध ऋण और अग्रिमों के लिए प्रावधान	8.07	8.03
प्रावधान	138.22	97.44
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)	**513.58**	**359.13**

2. कर व्यय और लेखा लाभ का समाधान भारत की घरेलू कर दर से गुणा किया गया

	31-03-2021	31-03-2020
कर से पहले लाभ / (हानि)	(907.26)	1,501.35
25.168% की पर आय कर की दर (P.Y. 34.944%)	-	377.86
कम: छूट आय पर कर	-	-
जोड़ें: कर उद्देश्य के लिए गैर-कटौती योग्य व्यय	(154.45)	270.95
कम: कर उद्देश्य के लिए कटौती योग्य व्यय	-	133.16
पहले के वर्षों के लिए समायोजन	6.77	(11.95)
मैट प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	(147.68)	503.70
प्रभावी आयकर दर	-	33.55%

3. कंपनी को उम्मीद है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति यों के उपयोग के लिए भविष्य में कर योग्य लाभ होगा।

4. पिछले वर्षों से संबंधित आयकर के लिए प्रावधान ₹ 6.77 करोड़ (₹ -11.95 करोड़) खातों और आयकर विवरणी के अनुसार प्रावधान में अंतर के कारण है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2021	वर्ष के समापन पर 31-03-2020
i. लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गी कृतन किए जाने वाले मद		
परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	(234.48)	(218.20)
उप-योग (क)	**(234.48)**	**(218.20)**
ii. लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गी कृतन किए जाने वाले मदों पर आयकर		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	(54.92)
उप-योग (ख)	**-**	**(54.92)**
कुल (ग = क - ख)	**(234.48)**	**(163.28)**
i. लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गी कृत किए जाने वाले मद		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
उप-योग (घ)	**-**	**-**
ii. लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गी कृत किए जाने वाले मदों पर आयकर		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
उप- योग (ड़)	**-**	**-**
कुल (च = घ - ड़)	**-**	**-**
सकल योग (ग + च)	**(234.48)**	**(163.28)**

टिप्पणी-38 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर अतिरिक्त टिप्पणियां

1. उचित मूल्य मापन

1. [क] श्रेणी के अनुसार वित्तीय दस्तावेज (लिखत) **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2021		31-03-2020	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश:				
सहकारिता शेयर	-	0.08	-	0.08
ऋण	-	0.02	-	0.05
व्यापार प्राप्य	-	4,423.53	-	3,316.46
नकद और नकद समकक्ष	-	945.16	-	93.28
अन्य बैंक जमा शेष	-	566.50	-	3,873.27
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	733.13	-	900.16
कुल	-	**6,668.42**	-	**8,183.30**
वित्तीय देयताएं				
उधार:				
ईडीसी ऋण	-	160.04	-	171.98
यौगिक वित्तीय दस्तावेज (लिखत) का देयता घटक (अधिमानी शेयर)	-	1,938.59	-	1,794.99
अधिकोष अधिविकर्ष	-	0.12	-	368.16
व्यापार देयताएं	-	1,028.73	-	1,181.90
प्रतिभूति राशि	-	333.19	-	322.21
अग्रिम धन	-	139.64	-	148.73
अन्य वित्तीय देयताएं	-	1,217.03	-	1,274.77
कुल	-	**4,817.34**	-	**5,262.74**

* प्राप्य व्यापार से समायोजित ₹ -79.97 करोड़ (₹ 121.99 करोड़) के कोयले की गुणवत्ता भिन्नता के लिए भत्ता

1. [ख] उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में लिए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जो (क) उचित मूल्य पर मान्य और मापित है; और (ख) को संशोधित बयानों में मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त सामग्री की विश्वसनीयता के बारे में इस बात का संकेत देने के लिए समूह ने अपने लेखा मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वित्तीय साधनों को वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2021		31-03-2020	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश:				
सहकारिता शेयर	-	-	-	-
वित्तीय देनदारियां				
यदि कोई अन्य वस्तु	-	-	-	-

परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिस के लिए उचित मूल्यों का प्रकटीकरण कि या जाता है

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021		31-03-2020	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश:				
सहकारिता शेयर	-	0.08	-	0.08
ऋण	-	0.02	-	0.05
व्यापार प्राप्य	-	4,423.53	-	3,316.46
नकद और नकद समतुल्य	-	945.16	-	93.28
अन्य बैंक जमा शेष	-	566.50	-	3,873.27
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	733.13	-	900.16
कुल	**-**	**6,668.42**	**-**	**8,183.30**
वित्तीय देयताएं				
उधार:				
ईडीसी ऋण	-	160.04	-	171.98
यौगिक वित्तीय दस्तावेज (लिखत) का देयता घटक (अधिमानी शेयर)	-	1,938.59	-	1,794.99
अधिकोष अधिविकर्ष	-	0.12	-	368.16
व्यापार देयताएं	-	1,028.73	-	1,181.90
प्रतिभूति राशि	-	333.19	-	322.21
अग्रिम धन	-	139.64	-	148.73
अन्य वित्तीय देयताएं	-	1,217.03	-	1,274.77
कुल	**-**	**4,817.34**	**-**	**5,262.74**

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

स्तर I: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय साधन शामिल हैं।

स्तर II: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य, मूल्यां कन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो कि पर्यवेक्षित बाजार डेटा के उपयोग को अधि कतम करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर कम से कम आश्रित होते हैं। यदि किसी साधन के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण आदान अवलोकन योग्य हैं, तो साधन स्तर-II में शामिल होता है।

स्तर III: यदि महत्वपूर्ण आदानों में से एक या अधिक अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो साधन स्तर III में शामिल होता है। यह गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, वरीयता शेयर उधारियों, प्रतिभतू जिमाओं और स्तर III में शामिल अन्य दयेताओं से संबंधित मामला होता है ।

1. [ग] उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों को महत्व देने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में साधनों (लि खतों) के उद्धृत बाजार मूल्यों का उपयोग शामिल है।

1. [घ] महत्वपूर्ण गैर-अवलोकनीय आदानों का उपयोग करके उचित मूल्य मापन

वर्तमान में महत्वपूर्ण गैर-अवलोकनीय आदानों का उपयोग करके कोई उचित मूल्य मापन नहीं हैं।

1. [ड] वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य जो परिशोधन लागत पर मापा जाता है

- व्यापार प्राप्यों की वहन राशि, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समतुल्य, व्यापार देय को उनके अल्पकालिक स्वभाव के कारण उनके उचित मूल्यों के रूप में एक समान माना जाता है।
- कंपनी का मानना है कि प्रतिभूति जमा राशि में एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण भुगतान (प्रतिभूति जमा) कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रमुख भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत की रोक कर रखने का उद्देश्य ठेकेदार से अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल होने पर कंपनी के हित की रक्षा करना है। तदनुसार, प्रतिभूति जमा की लेनदेन लागत प्रारंभि क मान्यता पर उचित मूल्य के रूप में मान्य होती है और बाद में परिशोधन लागत पर मापी जाती है।

महत्वपूर्ण अनुमान: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमखु वित्तीय दयेताओं में व्यापार और अन्य भगुतान शामिल हैं। इन वित्तीय दयेताओं का मख्यु उद्शदे्य कं पनी के संचालन को वित्तपोषण करना और इसके संचालन का समर्थ न करने के लि ए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्ति यों में ऋण, व्या पार और अन्य प्राप्तियां और नकद तथा नकद समकक्ष जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं, शामिल हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में रहती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन एक जोखिम समिति द्वा रा समर्थित होता है जो अन्य बातों के साथ- साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समितिनि देशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उपयक्तु नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनसुार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमति देता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट जोखिम के उन स्रोतों के बारे में बताता है जिनके संपर्क में संस्था में है और यह भी बताता है कि संस्था जोखिम तथा वित्तीय विवरणों में बचाव लेखांकन के प्रभाव का कैसे प्रबंधन करती है।

जोखिम	उजागर होने का स्रोत	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, परिशोधित लागत परमापित वित्तीय परिसंपत्ति	एजिंग विश्लेषण / क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्शदे), बैंक जमाओं, क्रेडिट सीमाओं और अन्य प्रतिभतूियों का विविधीकरण।
तरलता जोखिम	उधार और अन्य दयेताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सवुधिाओं की उपलब्धता।
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, भारतीय रुपये में न दर्शायी गयी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं।	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम -ब्याज दर	नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्व जनिक उद्यम विभाग (डीपीई दि शानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और ऑडिट कमेटी द्वारा नियमित निगरानी तथा समीक्षा।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

2.[क] ऋण जोखिम :

2. [क] (क) ऋण जोखिम प्रबंधन :

मख्यु रूप से कोयले की बिक्री से प्राप्तियां होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईधंन आपर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

समष्टि - आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईधंन आपर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

2. [क] (ख) ईधनं आपूर्ति समझौते (एफएसए)

जैसा कि नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनसुार, कंपनी ग्राहकों के साथ या राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ काननूी रूप से लागू करने योग्य ईधंन आपूर्ति समझौते करती है जिससे अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था बनती है। हमारे ईधं न आपूर्ति समझौतों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- राज्य विद्युत संयंत्रों, निजी विद्युत संयंत्रों (पीपीयू) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) सहित विद्युत उपयोगिता क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के साथ ईधंन आपूर्ति समझौता।
- गैर-बिजली उद्योगों (कैप्टिव पावर प्लांट- "सीपीपी" सहित) में ग्राहकों के साथ ईधंन आपूर्ति समझौता; तथा
- राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ ईधंन आपूर्ति समझौता।

2. [क] (ग) ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए कोयले तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्था गततंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनको आवश्यकता से कम कोयले का आवंटन, मौसम की वजह से उनकी कोयले की आवश्यकता प्रभावित होना और कोयले की सीमित आवश्यकता को दीर्घकालिक लिंकेज में शामिल नहीं किया जाना था। कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर ई-नीलामी के तहत दिए जाने वाले कोयले की मात्रा की समीक्षा की जाती है।

2. [क] (घ) अपेक्षित क्रेडिट हानि :

कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा संदिग्ध / अनर्ज कपरिसंपत्ति यों के लि ए अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि प्रदान करती है।

i. 31.03.2021 को सरलीकृत पद्धति के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित साख हानि :

(₹ करोड़ में)

काल अवधि	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 से अधिक वर्ष के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	877.78	1,049.28	1,210.67	1,055.99	189.89	409.73	**4,793.34**
अनुमानित क्षति दर (%)	0.00%	0.00%	0.04%	0.02%	23.63%	79.12%	**7.72%**
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	0.50	0.24	44.88	324.19	**369.81**

ii. 31.03.2020 को सरलीकृत पद्धति के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित साख हानि :

(₹ करोड़ में)

काल अवधि	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 से अधिक वर्ष के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	1,763.78	1,026.98	68.84	358.72	128.26	353.04	**3,699.62**
अनुमानित क्षति दर (%)	0.00%	0.00%	0.00%	14.36%	20.06%	86.66%	**10.36%**
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	51.50	25.73	305.93	**383.16**

iii. हानि भत्ता प्रावधान का मिलान - व्यापार प्राप्य	**(₹ करोड़ में)**
01-04-2020 को हानि भत्ता	383.16
हानि भत्ता में परिवर्तन	(13.35)
31-03-2021 को हानि भत्ता	369.81

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दरों के जोखिम के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि की गणना के लिए इनपुट का चयन करने के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानों को देखते हुए कंपनी के पिछले इतिहास और मौजूदा बाजार की स्थितियों पर आधारित निर्णय का उपयोग करती है।

2. [ख] तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य है कि देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों तथा प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के माध्यम से वित्तपोषण को बनाए रखना। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी ट्रेजरी प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखने के द्वारा वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखती है।

प्रबंधन कंपनी की तरलता स्थिति (पर्वू उधार लेने की सुविधाओं सहित) और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी और नकदी समतुल्यों के पूर्वानुमान की निगरानी करता है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनसुार कंपनी की संचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021			31-03-2020		
	एक वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	एक वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों						
ब्याज की अदायगी सहित उधार	7.07	1,966.39	125.29	375.32	1,823.63	136.18
व्यापार देय	1,028.73	-	-	1,181.90	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियों	1,596.93	92.93	-	1,649.87	95.84	-

2. [ग] बाजार जोखिम

क. विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में रहती है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को कम महत्वपूर्ण माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नि यमित अनुवर्ती जाँच द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख. नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मख्यु ब्याज दर जोखिम बैंक जमा से उत्पन्न होता है, ब्याज दर में परिवर्तन से कंपनी के लिए नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम उजागर होता है। कंपनी की नीति अपने ज्यादातर जमाओं को स्थिर दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्शदों का उपयोग करते हुए बैंक जमाओं की क्रेडिट सीमाओं और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

पूंजी प्रबंधन

सरकारी संस्था होने के नाते कंपनी वित्त मत्रांलय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनसुार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है: **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31-03-2021	31-03-2020
i. इक्विटी शेयर पूंजी	2,218.45	2,218.45
ii. वरियता शेयर पूंजी का इक्विटी अशं	855.61	855.61
iii. दीर्घकालिक ऋण:		
ईडीसी ऋण - गैर-वर्तमान	153.09	164.82
ईडीसी ऋण - वर्तमान	6.95	7.16
दीर्घावधि उधार [वरियता शेयर]	1,938.59	1,794.99

3. कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय लेखा मानक -19)

परिभाषित लाभ योजनाएं:

क. ग्रेच्युटी

कंपनी ग्रेच्युटी प्रदान करती है, एक रोजगार के बाद परिभाषित लाभ योजना ("ग्रेच्युटी योजना") पात्र कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसमें नियोक्ता का योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2.01% होता है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने का हकदार है (एक महीने में 15 दिन/26 दिन * अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भत्ता* सेवा के पूर्ण वर्ष) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी से अलग होने के समय अधिकतम 0.20 करोड़ रुपये के अधीन। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना संपत्ति का उचित मूल्य घटा है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुन: माप लाभ और हानियों को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे होते हैं, सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में।

बी. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना है जिसे कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों (सीपीआरएमएसई) के कार्यकारी के लिए अंशदायी पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना के रूप में जाना जाता है, जो केवल भारत में कंपनी के अस्पताल / पैनल में शामिल अस्पतालों या आउट पेशेंट / अधिवास में अधिकारियों और उनके जीवनसाथी को चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है। अधिकतम सीमा तक, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा अलग किया जाता है या समय-समय पर लागू और लागू होने वाली सामान्य कोयला संवर्ग या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। बिना किसी ऊपरी सीमा के निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर, संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि ₹ 25 लाख है। इस योजना को केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसमें नियोक्ता का योगदान प्रति माह मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2% है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

परिभाषित योगदान योजनाएं:

ए. भविष्य निधि और पेंशन:

कंपनी पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि और पेंशन कोष के लिए निश्चित योगदान का भुगतान करती है अर्थात मूल वेतन का 12% और 7% क्रमशः भविष्य निधि और पेंशन कोष के लिए महंगाई भत्ता नामक एक अलग ट्रस्ट को कोयला। खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)। 31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए निधि में योगदान ₹ 933.70 करोड़ (31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 904.55 करोड़) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है (नोट 28))

बी. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - गैर-कार्यकारी (सीपीआरएमएसई-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी गैर-कार्यकारियों (सीपीआरएमएसई-एनई) के लिए अंशदायी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकेयर योजना प्रदान कर रही है, जिसमें कंपनी द्वारा निश्चित राशि का योगदान किया जा रहा है और लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जा रहा है।

सी. सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2007" (नई पेंशन योजना "एनपीएस" के रूप में जाना जाता है) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व ट्रस्ट में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक की राशि तक योगदान करना है, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ-कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल है। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% के वर्तमान नियोक्ता योगदान को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जा रहा है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ए. नकदीकरण छोड़े

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों के आधे भुगतान की छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्धवार्षिक आधार पर अर्जित और जमा किया जाता है। . सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है।

गैर-कार्यपालकों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित है और वर्तमान में कामगार प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने और मृत्यु के कारण सेवा बंद करने पर हकदार हैं, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति और वीआरएस, शेष अवकाश या 150 दिन, जो भी कम हो, को भुनाने की अनुमति है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है

बी. जीवन बीमा योजना (एलसीएस)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी के पास जमा लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत जीवन बीमा योजना है, जिसे श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की लाइफ कवर योजना" (एलसीएस) के रूप में जाना जाता है। योजना के तहत 01.10.2017 से ₹ 1,25,000 की राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

सी. निपटान भत्ते

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में ₹ 12000/- की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

डी. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कंपनी ने "कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) के रूप में जानी जाने वाली व्यक्तिगत दुर्घटना के खिलाफ कंपनी के अधिकारियों को कवर करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है। GPAIS दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। योजना के लिए देयता प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है

इ. अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, गैर-कार्यकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत ब्राह्मण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। होम टाउन और "भारत ब्राह्मण" का दौरा करने के लिए क्रमशः ₹ 8000/- और ₹ 12000/- की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

एफ. खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। 07.11 से एक घातक खदान दुर्घटना के मामले में एक कर्मचारी के परिजनों को ₹ 15 लाख की राशि का भुगतान किया जाता है। .2019। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं, परिभाषित योगदान योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तीय स्थिति, जिनका मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया जाता है, निम्नानुसार हैं:

(i) वित्तपोषित:

- » ग्रेच्युटी
- » अवकाश नकदीकरण
- » सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

(ii) गैर-वित्तपोषित:

- » जीवन कवर योजना
- » निपटान भत्ता
- » समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- » अवकाश यात्रा रियायत
- » खदान दुर्घटना लाभ पर आश्रित को मुआवजा

बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 31-03-2021 को कुल देयता ₹ 6001.13 करोड़ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

31-03-2021 को बीमांकिक देयता:

(₹ करोड़ में)

शीर्ष / मद	प्रारंभिक बीमांकिक देयता 01-04-2020 तक	वर्ष के दौरान समायोजन	समापन बीमांकिक देयता 31-03-2021 तक
ग्रेच्युटी	4,463.73	203.59	4,667.32
अर्जित अवकाश	704.81	117.66	822.47
आधा वेतन अवकाश	66.34	8.64	74.98
अवकाश यात्रा रियायत - अधिकारी	-	-	-
अवकाश यात्रा रियायत – कर्मचारी	57.69	(0.27)	57.42
जीवन कवर योजना- कार्यकारी	0.46	(0.02)	0.44
जीवन कवर योजना – कर्मचारी	16.77	(0.85)	15.92
निपटान भत्ता - अधिकारी	6.83	0.19	7.02
निपटान भत्ता – कर्मचारी	29.82	(0.65)	29.17
घातक खान दुर्घटना	26.10	3.24	29.34
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.12	-	0.12
अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	171.53	11.11	182.64
कर्मचारियों के लिए सेवानि वृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	42.00	72.29	114.29
कुल	**5,586.20**	**414.93**	**6,001.13**

बीमांकक के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

बीमांकक के प्रमाण पत्र के अनुसार कर्मचारी लाभ के लिए ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) और अवकाश नकदीकरण (वित्तपोषित) के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

31-03-2021 को प्रमाणपत्रों के अनुसार ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार

तालिका 1: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्तमान मूल्य दायित्व में परिवर्तन	31-03-2021	31-03-2020
1.	पिछले मूल्यांकन के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,463.73	4,237.73
2.	वर्तमान सेवा लागत	208.27	191.40
3.	ब्याज लागत	287.87	263.91
4.	प्रतिभागी योगदान	-	-
5.	योजना संशोधन: अवधि के अंत में निहित भाग (विगत सेवा)	-	-
6.	योजना संशोधन: अवधि के अंत में गैर-निहित भाग (विगत सेवा)	-	-
7.	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	(81.33)	278.05
8.	जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
9.	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	311.43	(29.07)
10.	अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकि लाभ / हानि	-	-
11.	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
12.	भुगतान किए गए लाभ	522.64	478.27
13.	अधिग्रहण समायोजन	-	-
14.	दायित्व का निपटान / स्थानांतरण	-	-
15.	कटौती लागत	-	-
16.	निपटान लागत	-	-
17.	अन्य (मूल्यांकन तारीख के अंत में अस्थिर देयता)	-	-
18.	मूल्यांकन तिथि के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,667.32	4,463.73

तालिका 2: प्रकटीकरण मद **(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31-03-2021	31-03-2020
1.	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,143.17	3,863.44
2.	ब्याज आय	283.81	254.99
3.	नियोक्ता योगदान	158.05	472.24
4.	प्रतिभागी योगदान	-	-
5.	अधिग्रहण / व्यवसाय संयोजन	-	-
6.	निपटान लागत	-	-
7.	भुगतान किए गए लाभ	522.64	478.27
8.	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
9.	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
10.	प्रशासनिक व्यय और बीमा प्रीमियम	-	-
11.	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रति लाभ	(4.39)	30.77
12.	मापन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,058.00	4,143.17

तालिका 3: प्रकटीकरण मद **(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	तुलन-पत्र में समाधान दर्शाने वाली तालिका	31-03-2021	31-03-2020
1.	वित्तपोषण की स्थिति	(609.32)	(320.56)
2.	गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	-	-
3.	अवधि के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
4.	मापन तिथि के बाद नियोक्ता योगदान (अपेक्षित)	-	-
5.	गैर-वित्तपोषित उपार्जित / पूर्वदत्त पेंशन लागत	N/A	N/A
6.	फंड परिसंपत्तियां	4,058.00	4,143.17
7.	फंड देयता	4,667.32	4,463.73

तालिका 4: प्रकटीकरण मद **(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	योजना के अनुमानों को दर्शाने वाली तालिका	31-03-2021	31-03-2020
1.	छूट की दर	6.85%	6.60%
2.	योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रति लाभ	6.85%	6.60%
3.	मुआवजा वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति) अधिकारियों के लिए	9.00% for Executive Staff	9.00% for Executive Staff
		6.25% for Non-Executive Staffs	6.25% for Non-Executive Staffs
4.	पेंशन वृद्धि दर	N/A	N/A
5.	औसत अपेक्षित भावी सेवा (शेष कार्यशील जीवन)	13,11	12,11
6.	दयेताओं की औसत अवधि	13,11	12,11
7.	मृत्यु दर तालिका	IALM 2006-2008 Ultimate	IALM 2006-2008 Ultimate
8.	आयु पर सेवा निवृत्ति - पुरुष	60	60
9.	आयु पर सेवा निवृत्ति - महिला	60	60
10.	समय पूर्व सेवानि वृत्ति और विकलांगता (सभी कारण संयुक्त)	0.30%	0.30%

तालिका 5: प्रकटीकरण मद (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय	31-03-2021	31-03-2020
1.	वर्तमान सेवा लागत	208.27	191.40
2.	विगत सेवा लागत (निहित)	-	-
3.	विगत सेवा लागत (गैर-निहित)	-	-
4.	शुद्ध ब्याज लागत	4.06	8.92
5.	निपटान पर लागत (हानि / लाभ)	-	-
6.	कटौती पर लागत (हानि / लाभ)	-	-
7.	केवल पिछले वर्ष के लिए लागू बीमांकिक लाभ हानि	-	-
8.	कर्मचारी अपेक्षित योगदान	-	-
9.	विदेशी मुद्रादरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
10.	लाभ लागत (लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय)	212.33	200.32

तालिका 6: प्रकटीकरण मद (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अन्य व्यापक आय	31-03-2021	31-03-2020
1.	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	(81.33)	278.05
2.	जनसांख्यि की धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
3.	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	311.43	(29.07)
4.	अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकक लाभ / हानि	-	-
5.	कुल बीमांकिक (लाभ) / हानि	230.09	248.97
6.	योजना परिसंपत्ति पर प्रति लाभ, ब्याज आय को छोड़कर	(4.39)	30.77
7.	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
8.	अवधि के अंत में जमा शेष	234.48	218.20
9.	ओसीआई में मान्य अवधि के लिए शुद्ध (आय) / व्यय	234.48	218.20

तालिका 7: प्रकटीकरण मद (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अंतिम मापन अवधि में योजना परिसंपत्ति के आवंटन को दर्शाने वाली तालिका	31-03-2021	31-03-2020
1.	नकद और नकद समतुल्य	-	-
2.	निवेशित राशि	-	-
3.	डेरिवेटिव	-	-
4.	संपत्ति समर्थित प्रति भूतियां	-	-
5.	संरचित ऋण	-	-
6.	अचल सम्पदा	-	-
7.	विशेष जमा योजना	-	-
8.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
9.	भारत सरकार की परिसंपत्तियां	-	-
10.	कॉरपोरेट बॉन्ड	-	-
11.	ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-
12.	वार्षिकी अनुबंध / बीमा निधि	-	-
13.	अन्य	-	-
	कुल	-	-

तालिका 8: प्रकटीकरण मद (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अंतिम मापन अवधि में योजना परिसंपत्ति के आवंटन को प्रति शत (%) में दर्शाने वाली तालिका	31-03-2021	31-03-2020
1.	नकद और नकद समतुल्य	-	-
2.	निवेशित राशि	-	-
3.	डेरिवेटिव	-	-
4.	संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-	-
5.	संरचित ऋण	-	-
6.	अचल सम्पदा	-	-
7.	विशेष जमा योजना	-	-
8.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
9.	भारत सरकार की परिसंपत्तियां	-	-
10.	कॉरपोरेट बॉन्ड	-	-
11.	ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-
12.	वार्षिकी अनुबंध / बीमा निधि	-	-
13.	अन्य	-	-
	कुल	-	-

तालिका 9: प्रकटीकरण मद

मृत्यु दर तालिका

आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000931
30	0.000977
35	0.001202
40	0.00168
45	0.002579
50	0.004436
55	0.007513
60	0.011162
65	0.015932
70	0.024058

तालिका 10: प्रकटीकरण मद (₹ करोड़ में)

31-03-2020		संवेदनशीलता विश्लेषण	31-03-2021	
वृद्धि	कमी		वृद्धि	कमी
4,313.62	4,622.87	छूट दर (-/+ 0.5%)	4,511.76	4,832.40
-3.36%	3.57%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	-3.33%	3.54%
4,533.90	4,386.82	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	4,733.18	4,596.56
1.57%	-1.72%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	1.41%	-1.52%
4,467.17	4,460.30	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	4,667.65	4,666.99
0.08%	-0.08%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	0.01%	-0.01%
4,490.16	4,437.31	मृत्यु दर (-/+ 10%)	4,669.65	4,664.99
0.59%	-0.59%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	0.05%	-0.05%

तालिका 11: प्रकटीकरण मद

नकदी प्रवाह सूचना को दर्शाने वाली तालिका **(₹ करोड़ में)**

अगले वर्ष कुल (अपेक्षित)	4,620.97
न्यूनतम धन की आवश्यकताएं	809.98
कंपनी का निर्णय	-

तालिका 12: प्रकटीकरण मद

भविष्य के अनुमानित भुगतानों की जानकारी (पिछली सेवा) दर्शाने वाली तालिका **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	वर्ष	राशि
1.	1	507.87
2.	2	483.67
3.	3	465.10
4.	4	493.07
5.	5	531.59
6.	6 से 10	2,690.16
7.	10 वर्ष से अधिक	3,098.11
8.	कुल अघोषित भुगतान अतीत और भविष्य की सेवा	-
9.	विगत सेवा से संबंधित कुल अघोषित भुगतान	8,269.56
10.	ब्याज के लिए कम छूट	3,602.24
11.	अनुमानित लाभ दायित्व	4,667.32

तालिका 13: प्रकटीकरण मद

आगामी अवधि की शुद्ध आवधिक लाभ लागत के आगामी वर्ष घटक परिचय को दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	वर्तमान सेवा लागत (केवल नियोक्ता का भाग) आगामी अवधि	208.52
2.	ब्याज लागत आगामी अवधि	302.32
3.	योजना परिसंपत्ति प्रति लाभ	319.71
4.	गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	-
5.	अवधि के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ / हानि	-
6.	निपटान लागत	-
7.	कटौती लागत	-
8.	अन्य (बीमांकिक लाभ / हानि)	-
9.	लाभ लागत	191.12

तालिका 14: शुद्ध देयता का द्विभाजन **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	विवरण	31-03-2021	31-03-2020
1.	वर्तमान देयता	491.32	452.33
2.	गैर-वर्तमान देयता	4,176.00	4,011.40
3.	शुद्ध देयता	4,667.32	4,463.73

ग्रुप ग्रेच्युटी आश्वासन योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी एश्योरेंस योजना को अपनाया है और जिसके लिए वर्ष 2012-13 में एलआईसी के साथ पहले ही एक समझौता ज्ञापन दर्ज किया जा चुका है। उपरोक्त योजना का प्रबंधन करने के लिए एक कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट का गठन ट्रस्टों के साथ एक ट्रस्ट डीड में किया गया है। एलआईसी के साथ 31-03-2021 को इस प्रकार है।

विवरण	31-03-2021	31-03-2020
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि का उद्घाटन	4,143.17	3,863.43
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवेश	158.05	472.24
जोड़ें: ब्याज वर्ष के दौरान अर्जित	279.42	285.77
कम: वर्ष के दौरान जारी फंड	522.64	478.27
वर्ष के अंत में समापन शेष	**4,058.00**	**4,143.17**

31-03-2021 को अवकाश नकदीकरण लाभ (ईएल / एचपीएल) का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

वर्तमान मूल्यांकन तिथि को सर्वोत्तम अनुमान धारणा के आधार पर एक नज़र में मूल्यांकन नीचे दिया गया है:

तालिका 1: प्रकटीकरण मद **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	वर्तमान मूल्य दायित्व में परिवर्तन	31-03-2021	31-03-2020
1.	पिछले मूल्यांकन के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	771.15	716.07
2.	वर्तमान सेवा लागत	130.00	125.61
3.	ब्याज लागत	24.91	45.09
4.	प्रतिभागी योगदान	-	-
5.	योजना संशोधन: अवधि के अंत में निहित भाग (विगत सेवा)	-	-
6.	योजना संशोधन: अवधि के अंत में गैर-निहित भाग (विगत सेवा)	-	-
7.	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	(19.29)	56.95
8.	जनसांख्यि की धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
9.	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	805.67	(106.80)
10.	अन्य कारणों से दायि त्वों पर बीमांकि क लाभ / हानि	-	-
11.	विदेशी मुद्रादरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
12.	भुगतान किए गए लाभ	815.00	65.77
13.	अधिग्रहण समायोजन	-	-
14.	दायित्व का निपटान / स्थानांतरण	-	-
15.	कटौती लागत	-	-
16.	निपटान लागत	-	-
17.	अन्य (मूल्यांकन तारीख के अंत में अस्थिर देयता)	-	-
18.	मूल्यांकन तिथि के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	897.45	771.15

तालिका 2: प्रकटीकरण मद **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31-03-2021	31-03-2020
1.	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	568.77	454.34
2.	ब्याज आय	38.96	29.99
3.	नियोक्ता योगदान	772.02	145.02
4.	प्रतिभागी योगदान	-	-
5.	अधिग्रहण / व्यवसाय संयोजन	-	-
6.	निपटान लागत	-	-
7.	भुगतान किए गए लाभ	815.00	65.77
8.	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
9.	विदेशी मुद्रादरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
10.	प्रशासनिक व्यय और बीमा प्रीमियम	-	-
11.	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रति लाभ	0.27	5.19
12.	मापन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	565.02	568.77

तालिका 3: प्रकटीकरण मद **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	तुलन-पत्र में समाधान दर्शाने वाली तालिका	31-03-2021	31-03-2020
1.	वित्तपोषण की स्थिति	(332.43)	(202.38)
2.	गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	-	-
3.	अवधि के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
4.	मापन तिथि के बाद नियोक्ता योगदान (अपेक्षित)	-	-
5.	गैर-वित्तपोषित उपार्जित / पूर्वदत्त पेंशन लागत	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	फंड परिसंपत्तियां	565.02	568.77
7.	फंड देयता	897.45	771.15

तालिका 4: प्रकटीकरण मद

क्र. सं.	योजना के अनुमानों को दर्शाने वाली तालिका	31-03-2021	31-03-2020
1.	छूट की दर	6.85%	6.60%
2.	योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रति लाभ	6.85%	6.60%
3.	मुआवजा वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारियों के लिए 6.25% कर्मचारियों के लिए	9.00% अधिकारियों के लिए 6.25% कर्मचारियों के लिए
4.	पेंशन वृद्धि दर	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	औसत अपेक्षित भावी सेवा (शेष कार्यशील जीवन)	13,11	12,11
6.	मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2012-2014 अल्टीमेट	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट
7.	आयु पर सेवा निवृत्ति - पुरुष	60	60
8.	आयु पर सेवा निवृत्ति - महिला	60	60
9.	समय पूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता (सभी कारण संयुक्त)	0.30 % प्रतिवर्ष	0.30 % प्रतिवर्ष
10.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	अवहेलना करना	अवहेलना करना

तालिका 5: प्रकटीकरण मद **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय	31-03-2021	31-03-2020
1.	वर्तमान सेवा लागत	130.00	125.61
2.	विगत सेवा लागत (निहित)	-	-
3.	विगत सेवा लागत (गैर-निहित)	-	-
4.	शुद्ध ब्याज लागत	(14.05)	15.10
5.	निपटान पर लागत (हानि / लाभ)	-	-
6.	कटौती पर लागत (हानि / लाभ)	-	-
7.	केवल पिछले वर्ष के लिए लागू बीमांकिक लाभ हानि	786.11	(55.04)
8.	कर्मचारी अपेक्षित योगदान	-	-
9.	विदेशी मुद्रादरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
10.	लाभ लागत (लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय)	902.07	85.67

तालिका 6: प्रकटीकरण मद **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	अन्य व्यापक आय	31-03-2021	31-03-2020
1.	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
2.	जनसांख्यि की धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
3.	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-

क्र. सं.	अन्य व्यापक आय	31-03-2021	31-03-2020
4.	अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
5.	कुल बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
6.	योजना परिसंपत्ति पर प्रति लाभ, ब्याज आय को छोड़कर	-	-
7.	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
8.	अवधि के अंत में जमा शेष	-	-
9.	ओसीआई में मान्य अवधि के लिए शुद्ध (आय) / व्यय	-	-

तालिका 7: प्रकटीकरण मद

मृत्यु दर तालिका **(₹ करोड़ में)**

आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000931
30	0.000977
35	0.001202
40	0.00168
45	0.002579
50	0.004436
55	0.007513
60	0.011162
65	0.015932
70	0.024058

तालिका 8: प्रकटीकरण मद **(₹ करोड़ में)**

31-03-2020		संवेदनशीलता का विश्लेषण	31-03-2021	
वृद्धि	कमी		वृद्धि	कमी
740.24	804.45	छूट दर (-/+ 0.5%)	860.48	937.39
-4.01%	4.32%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	-4.12%	4.45%
803.98	740.37	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	936.98	860.51
4.26%	-3.99%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	4.41%	-4.12%
773.00	769.31	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	897.41	897.50
0.24%	-0.24%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	-0.01%	0.01%
775.58	766.73	मृत्यु दर (-/+ 10%)	897.29	897.61
0.57%	-0.57%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	-0.02%	0.02%

तालिका 9: प्रकटीकरण मद

भविष्य के अनुमानित भुगतानों की जानकारी (पिछली सेवा) दर्शाने वाली तालिका **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	वर्ष	राशि
1.	1	81.65
2.	2	80.64
3.	3	82.53
4.	4	87.59
5.	5	85.62
6.	6 से 10	441.93
7.	10 वर्ष से अधिक	1,036.43
8.	कुल अघोषि त भुगतान अतीत और भविष्य की सेवा	-
9.	विगत सेवा से संबधित कुल अघोषित भुगतान	1,896.39
10.	ब्याज के लिए कम छूट	998.94
11.	11. अनुमानित लाभ दायित्व	897.45

तालिका 10: शुद्ध देयता की विभक्ति **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	विवरण	31-03-2021	31-03-2020
1.	वर्तमान देयता	78.99	65.61
2.	गैर-वर्तमान देयता	818.46	705.55
3.	शुद्ध देयता	897.45	771.15

अवकाश नकदीकरण निधिकरण

कोल इंडिया बोर्ड ने भारतीय जीवन बीमा निगम और आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों के साथ 70:30 के अनुपात में छुट्टी नकदीकरण देयता के वित्तपोषण के लिए 13 नवंबर 2015 को हुई 322वीं बैठक में अपनी स्वीकृति प्रदान की। आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों का चयन सीआईएल स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस बीच, सीआईएल द्वारा सभी सहायक कंपनियों को न्यू ग्रुप लीव एनकैशमेंट प्लान में एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ लीव एनकैशमेंट लायबिलिटी की फंडिंग शुरू करने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, कंपनी ने एलआईसी के मास्टर प्रस्ताव अर्थात् 'नई समूह छुट्टी नकद संचय योजना (यूआईएन512एन282वी01)' को अपनाते हुए नई समूह छुट्टी नकदीकरण योजना में वित्त पोषण शुरू कर दिया है। उक्त योजना के तहत एलआईसी के साथ शेष राशि इस प्रकार है:

विवरण	31-03-2021	31-03-2020
वर्ष की शुरुआत में प्रारंभिक शेष राशि	568.77	454.34
जोड़: वर्ष के दौरान निवेश	772.02	145.02
जोड़: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	39.23	35.18
घटाव : वर्ष के दौरान जारी अवकाश नकदीकरण निधि	815.00	65.77
वर्ष के अंत में अंतिम शेष राशि	565.02	568.77

4. अज्ञात मद

4 (अ) आकस्मिक देयता

4. [अ].I. कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

तालिका 1: **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	विवरण	केंद्र सरकार	राज्य सरकार एवं स्थानीय**	सीपीएसई	अन्य	कुल
1.	**01.04-2020 के प्रारंभ में**	**2,336.33**	**3,577.22**	**-**	**527.64**	**6,441.19**
2.	अवधि के दौरान जोड़	147.84	17.69	-	59.55	**225.08**
3.	अवधि के दौरान निराकरण:					
	क. ओपनिंग बैलेंस से	(14.53)	(0.91)	-	(6.95)	**(22.39)**
	ख. अवधि के दौरान अतिरिक्त से	-	-	-	(1.00)	**(1.00)**
	ग. वर्ष के दौरान कुल निपटारा (क + ख)	(14.53)	(0.91)	-	(7.95)	**(23.39)**
4.	**31-03-2021 तक की क्लोजिंग**	**2,469.64**	**3,594.00**	**-**	**579.24**	**6,642.88**

प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त के परिणाम का कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तालिका 2: **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	विवरण	31-03-2021 तक	31-03-2020 तक
1.	**केंद्र सरकार**		
	आय कर	1,320.59	1,320.59
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	880.61	880.02
	केंद्रीय बिक्री कर	166.65	135.72
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	101.79	-
	उप-कुल (i)	**2,469.64**	**2,336.33**

क्र. सं.	विवरण	31-03-2021 तक	31-03-2020 तक
2.	**राज्य सरकार**		
	रॉयल्टी	66.99	54.13
	पर्यावरण मंजूरी	2,178.14	2,178.14
	बिक्री कर/वैट	44.83	40.40
	बिजली शुल्क	2.59	2.89
	अन्य		
	आरई सेस और पीई सेस	1,258.55	1,258.55
	अन्य	42.90	43.11
	उप-कुल (ii)	**3,594.00**	**3,577.22**
3.	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम**		
	मध्यस्थता कार्यवाही	-	-
	कंपनी के खिलाफ चल रही मुकदमाएं	-	-
	अन्य	-	-
	उप-कुल (iii)	**-**	**-**
4.	**अन्य**		
	विविध – जमीन	21.94	20.77
	अन्य (कर्मचारी से संबंधित एवं इत्यादि)	557.30	506.87
	उप-कुल (iv)	**579.24**	**527.64**
	कुल योग (i + ii + iii + iv)	**6,642.88**	**6,441.19**

** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत अवैध या अवैध खनन खनिज के लिए दंड के रूप में झारखंड राज्य और जिला खनन अधिकारी धनबाद की मांग झारखंड सरकार ने खान के तहत ₹ 2,178.14 करोड़ की मांग उठाई है और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 कथित अवैध या गैरकानूनी खनन खनिज के लिए दंड के रूप में, जिसमें संबंधित सहायक द्वारा राजमहल क्षेत्र, एसपी खान और मुगमा क्षेत्र को जारी 11 डिमांड नोटिस शामिल हैं। खनन अधिकारी/जिला खनन अधिकारी। इस संबंध में, ईसीएल के संबंधित क्षेत्रों ने पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष कथित उल्लंघन के संबंध में झारखंड राज्य द्वारा जारी मांग नोटिस को चुनौती देते हुए 11 पुनरीक्षण आवेदन दायर किए हैं।

पुनरीक्षण प्राधिकरण, माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय ने आदेश दिनांक 22.01.2018 द्वारा मांग नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके अलावा, पुनरीक्षण प्राधिकरण, माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि आक्षेपित मांग नोटिसों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा आवेदक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

वर्तमान समय तक डिमांड नोटिस के लिए जारी स्टे ऑर्डर जारी है।

4. [क] साख पत्र और गारंटी

31-03-2021 तक बकाया साख पत्र (एलओसी) ₹ 183.08 करोड़ (₹ 22.14 करोड़) और जारी की गई बैंक गारंटी ₹ 80.95 करोड़ (₹ 80.21 करोड़) है।

4. [ख] प्रतिबद्धताएं

अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:

• पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष राशि 1,136.23 करोड़ (₹ 573.90 करोड़) प्रदान नहीं की गई है।

• राजस्व खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष राशि 8,553.59 करोड़ (₹ 6,746.75 करोड़) है।

ए. प्रावधान

आईएनडी-एएस-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

प्रावधान	01-04-2020 के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डालना/ समायोजन/ भुगतान	छूट की समाप्ति	31-03-2021 को अंतिम शेष राशि
नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण :					
संपत्ति का मूल्यह्रास और हानि	1,755.93	480.53	(5.13)	-	2,241.59
नोट 4:- पूंजीगत कार्य प्रगति पर :					
सीडब्ल्यूआईपी के प्रतिकूल	11.68	13.23	6.09	-	18.82
नोट 5:- अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति					
प्रावधान और हानि	-	-	-	-	-
नोट 6:- अन्य अमूर्त संपत्ति					
संपत्ति का मूल्यह्रास और हानि	-	0.42	-	-	0.42
नोट 8:- ऋण :					
अन्य ऋण	-	-	-	-	-
नोट 9:- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां:					
अन्य जमा और प्राप्तियां	21.07	-	-	-	21.07
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा राशि	-	-	-	-	-
दावे और अन्य प्राप्तियां	5.81	0.16	-	-	5.97
नोट 10:- अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियां:					
पूंजी अग्रिम	1.48	-	-	-	1.48
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा राशि	1.52	-	-	-	1.52
अन्य जमा और अग्रिम	0.13	-	-	-	0.13
नोट 11:- अन्य चालू परिसंपत्तियां :					
राजस्व के लिए अग्रिम	0.02	-	-	-	0.02
सांविधिक देय राशि का अग्रिम भुगतान	-	-	-	-	-
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम और जमा राशि	1.89	-	-	-	1.89
नोट 12: इन्वेंटरी					
कोयले का स्टॉक	0.37	-	-	-	0.37
भंडार और रक्षित का स्टॉक	46.34	1.20	4.19	-	43.35
जब्त कोयला	0.96	-	0.02	-	0.94
कार्यशाला नौकरियां	0.11	-	0.10	-	0.01
नोट 13:-व्यापार प्राप्तियां	-	-	-	-	-
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	383.16	26.20	39.55	-	369.81
नोट 21 :- गैर-वर्तमान और वर्तमान प्रावधान					
उपदान	320.56	288.76	-	-	609.32
अवकाश नकदीकरण	202.38	130.05	-	-	332.43
अनुग्रहपूर्वक	365.68	11.46	-	-	377.14
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	183.62	-	55.34	-	128.28
अन्य कर्मचारी लाभ	247.46	11.36	-	-	258.82
साइट का जीर्णोद्धार/खदान बंद करना	674.41	15.82	32.52	47.32	705.03

(₹ करोड़ में)

प्रावधान	01-04-2020 के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डालना/ समायोजन/ भुगतान	छूट की समाप्ति	31-03-2021 को अंतिम शेष राशि
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	2,741.29	1.27	-	-	2,742.56
अन्य	183.61	207.19	-	-	390.80

ख. वरीयता शेयर पूंजी

अधिकृत वरीयता शेयर पूंजी

	31-03-2021	31-03-2020
1000/- प्रत्येक के 21000000 6% गैर परिवर्तनीय संचयी, प्रतिदेय वरीयता शेयर	2,100.00	2,100.00

सीआईएल बोर्ड ने 8 नवंबर, 2014 को आयोजित अपनी 310वीं बोर्ड बैठक में सीआईएल के पिछले ऋण और चालू खाता शेष को ईसीएल में कुल मिलाकर ₹ 2,050.97 करोड़ में बदलने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की, पूरी तरह से भुगतान किए गए 6% संचयी, गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय वरीयता शेयरों में से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1,000 है, जिसे जारी करने और आवंटन की तारीख यानी 26 दिसंबर 2014 से 7 साल की समाप्ति पर भुनाया जाना है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए इंड-एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों में वरीयता शेयर पूंजी के उपचार को संशोधित किया गया है क्योंकि वरीयता शेयर पूंजी (6% संचयी, गैर-परिवर्तनीय और रिडीमेबल) एक मिश्रित वित्तीय साधन है एवं उस पर लाभांश की घोषणा कंपनी पर निर्भर करती है।

उपरोक्त शेयर पूंजी के मूल्य के बीच का अंतर, यानी ₹ 2,050.97 करोड़ और वर्तमान मूल्य 26 दिसंबर, 2014 को 8% छूट दर पर, यानी ₹ 1,195.36 करोड़, ₹ 855.61 करोड़ की राशि को इक्विटी भाग के रूप में माना गया है और अन्य इक्विटी (नोट 17) में दिखाया गया है और 31 मार्च, 2021 को ब्याज के साथ ₹ 1,938.59 करोड़ (₹ 1,794.99 करोड़) के ऋण हिस्से को गैर-वर्तमान उधार (नोट 18) में दिखाया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अधिमानी शेयरों के ऋण भाग पर ₹ 143.60 करोड़ (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 132.96 करोड़) की छूट दर पर 8% की छूट दर पर वित्त लागत में उचित मूल्य परिवर्तन शीर्ष के तहत (नोट 32) ब्याज को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

₹ 2,050.97 करोड़ के 6% गैर-परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों पर 31 मार्च, 2021 को लाभांश ₹ 769.11 करोड़ (31 मार्च, 2020 तक ₹ 646.06 करोड़) पर है। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी संचित घाटा उठा रही है।

ग. प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i.	कर पश्चात लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में)	(759.58)	997.65
ii.	घटाव: अधिमान शेयरधारक के कारण लाभ (₹ करोड़ में)	123.06	123.06
iii.	**इक्विटी शेयरधारक के कारण कर पश्चात शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)**	**(882.64)**	**874.59**
iv.	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	2,21,84,500	2,21,84,500
v.	रुपये में प्रति शेयर मूल और मन्दित आय (अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर) (₹) [iii iv]	(397.86)	394.24

घ. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(i) होल्डिंग और उसकी सहायक कंपनियां

क.	कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)
ख.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
ग.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
घ.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)

ङ.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)
च.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
छ.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
ज.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

(ii) पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फंड:

क.	एलआईसीआई के साथ समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना।
ख.	एलआईसीआई के साथ नई समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना (01.04.2014 के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए)।
ग.	एलआईसीआई के साथ नई समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना (29.06.2020 के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए)।
घ.	एलआईसीआई के साथ नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना।
ङ.	कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)।
च.	कार्यपालक न्यास के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना
छ.	सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना-2007

ङ. (i) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक:

1.	श्री प्रेम सागर मिश्रा	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	निदेशक (तकनीकी) पी एंड पी
3.	श्री विनय रंजन	निदेशक (कार्मिक)
4.	श्री बी वीरा रेड्डी	निदेशक (तकनीकी) संचालन (01.01.2020 से प्रभावी)
5.	श्री गौतम चंद्र डे	निदेशक (वित्त) (03.03.2020 से प्रभावी)

अंशकालिक आधिकारिक निदेशक:

1.	श्री अनिमेष भारती	आर्थिक सलाहकार, एमओसी (17.03.2020 से प्रभावी)
2.	श्री संजीव सोनी	निदेशक (वित्त), सीआईएल (29.10.2019 से प्रभावी)

स्वतंत्र निदेशक:

1.	श्री प्रवीण कांत
2.	श्री अनिल कुमार गणेरीवाला

कंपनी सचिव:

1.	श्री रामबाबू पाठक

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को पारिश्रमिक	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i.	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:**		
	सकल वेतन	1.68	1.25
	चिकित्सीय लाभ	-	-
	अनुलाभ और अन्य लाभ	0.83	0.70
ii.	**पोस्ट-इम्प्लायमेंट सुविधा**		
	पीएफ में योगदान और अन्य निधि	0.39	0.23
iii.	**समाप्ति लाभ (पृथक्करण के समय भुगतान किया गया):**		
	अवकाश नकदीकरण	-	0.04
	उपदान	-	0.20
	कुल	**2.90**	**2.42**

नोट: उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार ₹ 2,000/- प्रति माह के भुगतान पर 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों के उपयोग की अनुमति दी गई है।

(iii) स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i.	बैठक शुल्क	0.11	0.10

(iv) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के पास बकाया राशि **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i.	देय राशि	-	-
ii.	प्राप्य राशि	-	-

(v) समूह के भीतर संबंधित लेनदेन:

सीआईएल के साथ लेनदेन की प्रकृति शीर्ष शुल्क, अनुसंधान एवं विकास व्यय, पुनर्वास व्यय, सब्सिडी, ईडीसी ऋण चुकौती, और चालू खाते के माध्यम से कर्मचारियों से संबंधित व्यय हैं। इंड एएस 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित खुलासे हैं।

(₹ करोड़ में)

संबंधित पार्टियों के नाम	संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	संबंधित पार्टियों से लिए गए ऋण	अन्य सेवाएं				चालू खाता शेष (देय) / प्राप्तियां	बकाया शेष (देय)/प्राप्तियां
			शीर्ष शुल्क	पुनर्वसन शुल्क	सीआईएल के पास रखी गई निधियों पर ब्याज	आईआ-ईसीएम शुल्क		
सीआईएल	-	-	45.03	25.23	-	1.55	(201.87)	-
सीएमपीडीआईएल	-	-	-	-	-	-	-	(52.48)

vi. सरकार के नियंत्रण में संस्थाएं

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है, जो होल्डिंग कंपनी के अधिकांश शेयरों को धारण करके केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित है। कंपनी एक सरकारी इकाई होने के नाते संबंधित पार्टी लेनदेन और सरकार के नियंत्रण वाली सरकार के अधीन एक अन्य इकाई के साथ बकाया राशि के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं से मुक्त है। निम्नलिखित लेनदेन सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं के साथ आमने-सामने की कीमत पर दर्ज किए गए हैं।

इकाई का नाम	लेन - देन	31-03-2021	31-03-2020
एनटीपीसी	कोयले की बिक्री	4,326.57	5,834.09

च. खंड रिपोर्टिंग:

कंपनी मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन और बिक्री के एकल खंड के कारोबार में लगी हुई है। ब्याज और अन्य आय से होने वाली आय कुल राजस्व के 10% से कम है; इसलिए इसके लिए कोई अलग खंड मान्यता प्राप्त नहीं है।

छ. ग्राहकों के साथ अनुबंध से इंड-एएस 115 राजस्व के अनुसार प्रकटीकरण

अलग-अलग राजस्व जानकारी: **(₹ करोड़ में)**

माल या सेवा के प्रकार	31-03-2021	31-03-2020
• कोयला	10,256.39	12,823.74
• अन्य	-	-
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**10,256.39**	**12,823.74**

ग्राहकों के प्रकार	31-03-2021	31-03-2020
• पावर सेक्टर	7,920.37	11,008.86
• नान-पावर सेक्टर	2,336.02	1,814.88
• अन्य और सेवाएं (सीएमपीडीआईएल)	-	-
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**10,256.39**	**12,823.74**

अनुबंध के प्रकार	31-03-2021	31-03-2020
• एफएसए	7,954.65	10,229.25
• ई-ऑक्शन	2,284.10	2,362.37
• अन्य	17.64	232.12
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**10,256.39**	**12,823.74**

(₹ करोड़ में)

माल या सेवा का समय	31-03-2021	31-03-2020
• एक समय में माल का स्थानांतरण	-	-
• समय के साथ स्थानांतरित किया गया माल	10,256.39	12,823.74
• एक समय में स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
• समय के साथ स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**10,256.39**	**12,823.74**

अनुबंध से शेष	31-03-2021	31-03-2020
व्यापार प्राप्य (टिप्पणी 13 देखें)	4,423.53	3,316.46
अनुबंध संपत्ति	-	-
अनुबंध देयताएं (टिप्पणी 23 देखें)	1,275.59	778.79
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में अनुबंध देयताओं से मान्यता प्राप्त राजस्व	-	-
पिछले वर्ष के दौरान निष्पादित निष्पादन दायित्व से मान्यता प्राप्त राजस्व	-	-

ज. मास्टर प्लान के तहत फंड

कंपनी लीजहोल्ड के कोयला प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास से निपटने के लिए मास्टर प्लान के तहत फंड प्राप्त करती है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) गैर-ईसीएल घरों में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसके लिए कंपनी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। नोडल एजेंसी के रूप में प्राप्त निधि एडीडीए को दी जाती है और ऐसे अग्रिम (टिप्पणी-11 में अन्य अग्रिम के तहत दिखाया गया है) के साथ-साथ संबंधित निधि, दोनों को एडीडीए द्वारा प्रस्तुत उपयोग विवरण के आधार पर समायोजित किया जाता है। 31 मार्च, 2021 (31 मार्च, 2020 तक ₹ 204.35 करोड़) की स्थिति के अनुसार ₹11.44 करोड़ की अप्रयुक्त निधि उनके समायोजन के लिए एडीडीए से उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा कर रही है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 तक	31-03-2020 तक
अप्रयुक्त निधि का प्रारंभिक शेष	204.35	217.05
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	-	150.00
घटाव: वर्ष के दौरान उपयोग/समायोजन	192.91	162.70
अप्रयुक्त निधि का अंतिम शेष	11.44	204.35

झ. बीमा और वृद्धि के दावे

बीमा और वृद्धि दावों का हिसाब प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

ञ. खातों में किए गए प्रावधान

स्लो-मूविंग /नॉन-मूविंग/अप्रचलित स्टोरों, प्राप्य दावों, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के विरुद्ध खातों में किए गए प्रावधान संभावित हानियों को कवर करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं।

ट. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम आदि।

प्रबंधन की राय में, अचल संपत्तियों और गैर-चालू निवेशों के अलावा अन्य संपत्तियों का व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिस पर तय किया जाता है।

ठ. वर्तमान देयताएं

अनुमानित देयता प्रदान की गई है जहां वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है।

ड. शेष राशि की पुष्टि

नकद और बैंक शेष, कुछ ऋण और अग्रिम, दीर्घकालिक देनदारियों और वर्तमान देनदारियों के लिए शेष राशि की पुष्टि / समाधान किया जाता है। संदिग्ध अपुष्ट शेष के विरुद्ध प्रावधान किया जाता है।

ढ. 2017-18 के दौरान 01-04-2017 से 30-06-2017 की अवधि के लिए भंडारण सब्सिडी के कारण ₹ 20.44 करोड़ की राशि को प्राप्य सब्सिडी के रूप में मान्यता दी गई है। 82वीं कोयला संरक्षण एवं विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, "अतिरिक्त सचिव (कोयला) ने स्पष्ट किया कि 01-07-2017 से जीएसटी से बाहर होने के बाद, उपकर (एसईडी - स्टोविंग उत्पाद शुल्क) पहले कोयले पर लगाया गया था। को जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि स्टोइंग के लिए दावा और स्टोविंग के साथ स्थिरीकरण के लिए भी 01-04-2017 से विचार नहीं किया जाएगा।"

ण. माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ए.एस.टी. सं. 1904/2011, दिनांक: 21.12.2011 के निर्देशानुसार आईपीसीएल को बिजली बिल के लिए सुरक्षा जमा के रूप में ₹ 39.19 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है । उक्त राशि को नोट 10 - अन्य गैर चालू आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

उपरोक्त मामला विवाद के समाधान के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के समक्ष लंबित था। मध्यस्थ ने अपने आदेश दिनांक १५ फरवरी, २०२१ के माध्यम से निर्णय दिया है कि चूंकि उठाया गया मुद्दा कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित एक रिट याचिका का विषय है, इसलिए वर्तमान मध्यस्थता में इस मुद्दे का निर्णय नहीं किया जा सकता है।
कंपनी ने उपरोक्त मामले के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली, (अपीलीय क्षेत्राधिकार) के समक्ष अपील दायर करने की पहल की है।

त. कोविड-19 का प्रभाव:

कंपनी कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए निरंतर उपाय कर रही है और व्यवसाय करने में आसानी के लिए कई उपाय लागू किए हैं। कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली सहित वित्तीय विवरणों की तैयारी में महामारी के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है। कंपनी किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी। भविष्य की आर्थिक स्थितियों और इसके व्यवसाय पर परिणामी प्रभाव।

थ. हाल की घोषणाएं:

24 मार्च, 2021 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया। संशोधन अनुसूची III के संशोधित डिवीजन I, II और III और 1 अप्रैल, 2021 से लागू हैं। कंपनी अपने वित्तीय विवरणों पर संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

द. महत्वपूर्ण लेखा नीति

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक पाए जाने पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (नोट -2) पिछली अवधि में उपयुक्त रूप से संशोधित / पुन: प्रारूपित की जाती हैं।

ध. सीएसआर खर्च

i. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण

(₹ करोड़ में)

सीएसआर गतिविधियों का विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन; सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	3.45	2.75
विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	4.88	4.20
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	0.08	0.11
पर्यावरणीय स्थिरता	2.13	1.30
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	-	0.11
ग्रामीण विकास परियोजनाएं और अन्य	0.82	2.80
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	0.08	-
प्रशासनिक ओवरहेड	0.12	0.21
कुल	**11.56**	**11.48**

ii. सीएसआर व्यय ब्रेक-अप

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	8.84	-
बी. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि	16.46	17.86
सी. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
i. किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	1.68	1.55
ii. उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	9.88	9.93

iii. चालू परियोजना के अलावा अव्ययित राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

	01-04-2020 के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि	अनुसूची VII की निर्दिष्ट निधि में 6 माह के भीतर जमा की गई राशि		वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	31-03-2021 को अंतिम शेष राशि
चालू परियोजना के अलावा अव्ययित राशि	-	-	-	-	-	-

iv. खर्च की गई अधकि राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

वर्षवार विवरण	01-04-2020 के अनुसार प्रारं-भिक शेष राशि	वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	31-03-2021 को अंतिम शेष राशि
2020-2021	-	8.84	11.56	-
कुल	**-**	**8.84**	**11.56**	**-**

v. चल रही परियोजना [धारा 135(6)] **(₹ करोड़ में)**

वर्षवार विवरण	01-04-2020 के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि		अनुसूची VII की निर्दिष्ट निधि में 6 माह के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि		31-03-2021 को अंतिम शेष राशि	
	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक ए/सी . से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
2020-2021	-	-	7.91	7.91	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**7.91**	**7.91**	**-**	**-**	**-**

न. अन्य

क. कंपनी का अनुमान है कि इसका सामान्य परिचालन चक्र बारह (12) महीनों का होगा।

ख. पिछले वर्ष के आँकड़ों को इंड-एएस के अनुसार पुनर्कथित किया गया है और जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, पुनर्वर्गीकृत और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ग. नोट संख्या 3 से 38 में पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में हैं।

घ. नोट 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 23 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट का हिस्सा हैं और 24 से 37 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा हैं। नोट -38 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स प्रदान करता है

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(एस.के. सोमानी)
विभागाध्यक्ष (वित्त)

गौतम चंद्र डे
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-08725907

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07379202

रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302082E
सीए. राकेश कुमार सिंह
साझीदार
एम. सं. 066421

दिनांक: 28-05-2021
स्थान: सांकतोड़िया/ कोलकाता

टिप्पणियाँ





ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

सीएमडी कार्यालय, सांकतोड़िया
पोस्ट: दिशेरगढ़
जिला: पश्चिम बर्धमान
पिन: 713333, पश्चिम बंगाल
www.easterncoal.nic.in